राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का २८ वां दिवस [संख्या २०

४७१९] [४७४०

मंगलवार, दिनांक २३ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. ११. ७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजकीय उद्योग, सार्वजनिक निर्माण, कारावास, शिक्षा, विद्युत्, सहकारी, देवस्थान एव यातायात –विभाग]

प्रश्न संख्या ४५९

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४६०

अलवर में स्कूल के लिए अवाप्त की गई भूमि के एवज में किसानों को भूमि

४६०. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि अलवर शहर में जनाना अस्पताल की बिल्डिंग बनाने के लिये लखडे वाले कुएं की जमीन एक्वायर की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि इस कुए पर जो किसान आबाद थे उन्हें इसी कुएं की जमीन में से पॉवर हाउस के पीछे का हिस्सा प्लॉट बनाकर रिहायश के लिये दे दिये गए थे और उनसे इसकी कोई कीमत नहीं ली गई थी ?

(३) क्या यह सही है कि अलवर शहर में ही सड़क नं० २ पर न्यू हायर सेकन्डरी स्कूल के लिये ४ कुओं की लगभग १९ बीघा जमीन एक्वायर की गई है जिसमें किसानों के ३० परिवार आबाद हैं ?

Page No 2

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(४) क्या यह सही है कि इन किसानों को उन्हीं के कुएं पर रिहायश के लिये कोई जमीन नहीं छोड़ी गई है ?

(५) क्या सरकार जनाना अस्पताल के लिए एक्वायर की गई जमीन से उठाये गए किसानों को जिस प्रकार रिहायश के लिये मुफ्त जमीन दी गई है उसी प्रकार इस स्कूल के लिये एक्वायर की जा रही जमीन के किसानों को भी रिहायश के लिये मुफ्त जमीन देने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक और कहां ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिशचन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं टाइम चाहता हूं इसके लिये क्योंकि पूरी इन्फोर्मेशन नहीं आई है।

प्रश्न संख्या ४६१

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४६२

श्री गंगासिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

राजस्थान दलित वर्ग संघ तथा उसकी ऑडिट रिपोर्ट

४६३. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान दलित वर्ग संघ, राज्य में कब से कार्य कर रहा है और राज्य सरकार व भारत सरकार से सालाना कितना रुपया इसे मिलता है ? गत पांच सालों के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(२) इस संस्था के संचालक मंडल का चुनाव कब व कैसे किया जाता है ? मौजूदा संचालक मंडल के सदस्यों के नाम मय पद के बतावें।

(३) इस संस्था का सालाना खर्चा कितना होता है व उसमें से वेतन में सफर खर्च में कितना खर्चा होता है ?

(४) इस संस्था का लक्ष्य क्या है और अब तक लक्ष्य-पूर्ति कितनी की गई व निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने में कितने साल और लगेंगे ?

(५) इस संस्था में क्या जिलेवार काम होता है ? यदि हां, तो हर जिले में कितना कितना पैसा कैसे कैसे खर्च किया जाता है, जिलेवार सूची दें और यह भी बतावें कि क्या हर जिले में कोई दफ्तर या वैतनिक आदमी रखा जाता है ? यदि हां, तो जिलेवार खर्च व कर्मचारी की नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(६) क्या संस्था का सालाना ऑडिट होता है ? यदि हां, तो नवीनतम ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई) : राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ राजस्थान में

Page No 3

(श्रीं भीखाभाई)

सन् १९४७ से कार्य कर रहा है। भारत सरकार से इस संस्था को कोई सहायता नहीं मिलती है। समाज कल्याण विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में दिए गए अनुदान की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) संस्था का कोई संचालक मण्डल नहीं है। इसके स्थान पर कार्यकारिणी समिति है। कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री और संयुक्त मन्त्री का चुनाव संस्था के विधान की धारा ९ और २५ के अनुसार होता है। शेष कार्यकारिणी के २१ सदस्यों को विधान की धारा ११ के अनुसार अध्यक्ष नियुक्त करता है। मौजूदा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची मय पदों के और विधान की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) इस संस्था का सन् १९६२-६३ का कुल मान्य खर्च १७६५६.७९ रुपया था जिसमें से वेतन खर्च १२२६० रुपये और सफर खर्च १४७०.०६ रुपये था।

(४) संघ के विधान के अनुसार इसका उद्देश्य दलित वर्गों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उन्नति करना व संविधान में प्राप्त उनके विशेष अधिकारों की रक्षा करना और इन वर्गों में आपस में मेल व संगठन बनाये रखना है। यह एक सदियों पुरानी राष्ट्रीय समस्या है जिसका हल करने में काफी समय लगेगा ओर लक्ष्य पूर्ति को आंकड़ों में अंकित करना सम्भव नहीं है।

(५) जी नहीं। संस्था का काम जिलेवार नहीं होता है। अतः जिलेवार खर्चा, दफ्तर या कर्मचारियों की सूची का प्रश्न नहीं उठता।

(६) जी हां। विभाग में उपलब्ध नवीनतम ऑडिटेड रिपोर्ट्स सन् १९६२-६३ की है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने यह बताया कि संचालक मंडल का चुनाव होता है और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप-मन्त्री और कोषाध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, इसका क्या कारण है ? इसके चुनाव कब हुए और नए संचालक मण्डल का चुनाव कब हुआ, कहां हुआ ?

श्री भीखाभाई : कहां पर है ? पूछा कहां है ? कौनसा सवाल है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : दूसरा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं पढ़ कर सुना देता हूं, "इस संस्था के संचालक मंडल का चुनाव कब व कैसे किया जाता है? मौजूदा संचालक मण्डल के सदस्यों के नाम, मय पद के, बतायें।"

श्री भीखाभाई : आपने जो संचालक मण्डल का पूछा, उसके लिए मैंने नहीं कहा है, उसके चुनाव नहीं होते हैं। कार्यकारिणी समिति के चुनाव होते हैं उसके लिए पढ़ कर सुनाया।

श्री जयनारायण सालोदिया : चुनाव कब हुए हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कार्यकारिणी समिति का चुनाव कब हुआ है ?

श्री भीखाभाई : यह तो मुझे मालूम नहीं। विधान में जो होगा वही होता होगा। मुझे मालूम नहीं है, यह एक वॉलन्टियरी संस्था है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैंने फिर भी कहा है, संचालक मण्डल नहीं है। आपने कार्यकारिणी समिति के बारे में नहीं पूछा; उसके बारे में अधिक नहीं बता सकता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कार्यकारिणी समिति के चुनाव होते हैं या नोमीनेट होती है ?

श्री भीखाभाई : मैंने पढ़ कर सुनाया। माननीय सदस्य बाद में आये हैं, मैंने पहले बताया है।

श्री भैरोंसिंह : और बता दें।

श्री भीखाभाई : मैंने कहा, "संचालक मण्डल नहीं है।" इसलिए यह प्रश्न कट जाता है। अब कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री, और संयुक्त मन्त्री का चुनाव संस्था के विधान की धारा ६ और २५ के अनुसार होता है। शेष कार्यकारिणी के २१ सदस्यों का विधान की धारा ११ के अनुसार अध्यक्ष नियुक्त करता है।

श्री भैरोंसिंह : वह समझ गया। यह बता दें कि कार्यकारिणी समिति के चुनाव हर वर्ष होने चाहिये या उसमें यह है कि जब चाहें तब चुनाव करवा लिये जायं ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा, यह पता नहीं है। सारा विधान मैंने पढ़ा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आज तक भी आपने उसके विधान को नहीं पढ़ा ?

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने जानकारी करनी चाही है कि इसके चुनाव कब और कहां होते हैं ?

श्री भीखाभाई : आपने जानकारी की है कि कब और कैसे चुनाव होते हैं। मैंने कहा कि संचालक मण्डल नहीं होता है। अब रहा सवाल कार्यकारिणी समिति का, वह आपकी जानकारी के लिए उत्तर दे दिया है। नहीं तो मैं उत्तर दे सकता था कि संचालक मण्डल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : लेक्चर मत दें, इसका जवाब दें कि कार्यकारिणी समिति के चुनाव वार्षिक होते हैं या नहीं ?

श्री भीखाभाई : यह विधान की बात है। अब हुए या नहीं और कब होते हैं, वह सारी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान दलित वर्ग संघ का विधान आपने आज तक नहीं पढ़ा, यह बता दें।

श्री भीखाभाई : उसकी यह कॉपी है।

श्री भैरोंसिंह : कॉपी तो है। उसको पढ़ा या नहीं मन्त्री महोदय ने ?

Page No 5

श्री भीखाभाई : पढ़ा या नहीं, इसको छोड़ें । वैसे मन्त्री के लिए, अध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पढ़ हुए मन्त्री नहीं हैं ।

श्री भीखाभाई : पढ़े हुए मन्त्री तो हैं लेकिन हर एक के कॉन्स्टिट्यूशन या विधान के बारे में जानकारी हो यह कर्त्तव्य नहीं है । सरकार के अन्दर मन्त्री होने का मेरा जो कर्त्तव्य है उसके अनुसार मैंने उत्तर दिया है । अब माननीय सदस्य यह जानकारी और चाहते हैं तो वह जानकारी करके दी जा सकती है । लेकिन उसके लिए दूसरा सवाल लाना पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय यह कह सकते हैं कि कार्यकारिणी समिति का चुनाव या गठन हुआ है वह नियमों के आधार पर हुआ है या इस विधान के आधार पर हुआ है जो आपके हाथ में है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मन्त्री महोदय ने कहा कि चुनाव विधान के अनुसार होते हैं, लेकिन क्या मंत्री जी यह बता सकते हैं कि आखिरी चुनाव कब हुआ और वह चुनाव विधान के अनुसार हुआ या नहीं ? यदि जानकारी नहीं है तो जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को सूचना दें इस सम्बन्ध में ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार अनुदान देने से पहले इस बात की तसल्ली नहीं करती है जिस ऑर्गेनाइज़ेशन को अनुदान दे रहे हैं वह वेल कॉन्स्टिट्यूटेड है या नहीं और डेमोक्रेटिकली फंक्शनिंग होता है या नहीं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Very doubtful.

श्री भीखाभाई : सबसे पहली बात देखी जाती है, धन जो दिया जाता है उसका यूटीलाइज़ेशन होता है या नहीं ? एक बात । दूसरी बात, विधान के अनुसार चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से हिसाब का ऑडिट हुआ है या नहीं, इन दोनों को देखने का कारण यह है कि राजस्थान में ऐसी कई संस्थायें हैं, आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं जो अपने अपने विधान के अनुसार, संविधान के अनुसार, डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक तरीके से किसी तरह से काम करती हैं । यह अलग है । लेकिन जहां तक अनुदान का सवाल है, अनुदान को देने के पहले इस बात की तसल्ली कर ली जाती है कि यूटीलाइज़ेशन हुआ है या नहीं; यहां तक ठीक है । सवाल यह नहीं है कि चुनाव होता है या नहीं । यह मैंने निवेदन किया ।

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : इसमें पढ़ लें, चिट में ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पेपर में देख लें ।

श्री भीखाभाई : उस पेपर में नहीं है । मैं जानता हूं, यह दूसरा नहीं जानता है ।

एक माननीय सदस्य : पैसा आपके जरिए स्वीकृत हुआ है ।

Page No 6

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि समाज कल्याण विभाग का कीड़ा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वहां आपके कीड़ा होने की वजह से ही गन्दगी है। हम चाहते हैं कि फिनाइल डाल कर उस गन्दगी को साफ करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : मंत्री महोदय यह बताते हैं...

श्री रावतराम (सादुलपुर) : आपने कहा कि जिलावार सब्सिडी दी जाती है; मैं यह पूछना चाहता हूं कि पांच सालों में चूरू जिले को कितनी सहायता दी गई है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : जिलेवार नहीं दी जाती है।

श्री भीखाभाई : मैंने जवाब में नहीं कहा है। मैंने कहा है, जी हां होती है लेकिन जिलेवार नहीं होती है।

श्री रावतराम : क्राइटेरिया क्या कहता है, कौन देता है, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहा, जिलेवार सहायता दी जाती है। प्रश्न संख्या पांच में साफ है। तो आप बतायें कि चूरू जिले को पिछले पांच साल में दी गई है या नहीं और दी गई है तो कितनी दी गई है, नहीं दी गई है तो क्यों नहीं दी गई है ?

श्री भीखाभाई : मैंने साफ "ना" कहा है। भाग (५) में मैंने कहा, "जी नहीं।" कोई जिलेवार नहीं होती है इसलिए इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : जिलेवार देने का विचार रखती है यह सरकार ? अब तक नहीं है तो कब करेगी ?

श्री जयनारायण सालोदिया : नहीं नहीं। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा, वे चाहे कीड़े हों या मकोड़े हों इस विभाग के, लेकिन इस विभाग के लिए वे अभिशाप हैं। इस विभाग के लिए अभिशाप हैं चाहे वे कीड़े हों या मकोड़े हों। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इस राजस्थान दलित वर्ग संघ के बड़े बड़े बोर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में लगे हुए हैं और गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जिलेवार नहीं है।

श्री भीखाभाई : काम होता है, लेकिन पैसा जिलेवार नहीं दिया जाता।

श्री जयनारायण सालोदिया : हर जिलेमें है।

श्री भीखाभाई : जिलेवार काम करने का प्रश्न है; उसमें दफ्तार का खर्चा और दूसरा खर्चा नहीं होता है। आप जानकारी देते हैं कि जिलों में जिला बोर्ड बना दिये हैं तो मैं जानकारी करके बता सकता हूं। यह एक प्रान्तीय संगठन है। वे चाहें तो अपनी शाखायें रखें और चाहें तो जिलों में शाखायें न रख कर हर जिलों में काम करा सकते हैं। यह पोइन्ट दूसरा है।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : एक प्रश्न है......

श्री रावतराम : जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि जिलेवार सहायता नहीं दी जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं दी जाती सहायता जिलेवार ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि यह एक प्रान्तीय संगठन है। यह जिलेवार कार्यकर्त्ता रख कर या समिति कर देते हों,यह बात दूसरी है। मैंने कहा, संस्था कोई जिलेवार नहीं होती। जिलेवार नहीं होती है तो कर्मचारियों पर खर्च का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। वैसे माननीय सदस्य उसके मेम्बर हैं, तो फिर यहां इतनी चिन्ता व्यक्त करने का कारण नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य जो यहां बिराजे हुए हैं वे उसके सदस्य रहे हुए हैं या हैं– यह मुझे ठीक मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : तभी इतनी सारी बातें जानते हैं। श्री ढाबरिया !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इसके विधान के नियम ६ के तहत इसमें लिखा है कि वार्षिक अधिवेशन के अन्दर पदाधिकारियों का चुनाव होगा और जो अध्यक्ष हैं वे कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे। इस धारा के तहत इस संघ का अधिवेशन हर वर्ष होता है या नहीं, हर वर्ष कार्यकारिणी का चुनाव होता या नहीं ?

श्री भीखाभाई : कौनसी धारा पढ़ रहे हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : धारा ६ पृष्ठ ६ !

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं यह निवेदन करूंगा कि उनका उत्थान होना चाहिये लेकिन इसमें दलित वर्ग के साथ दलित मंत्री भी हो गये हैं इसलिये बात पटती नहीं।

श्री भीखाभाई : इसमें जो लोग लिये गये है उनका नाम मैं आपको सुनाता हूं; आप सुनिये :

श्री अमृतलाल यादव,

श्री महादेवप्रसाद बंका, भूतपूर्व एम. एल. ए.,

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री, भूतपूर्व एम. एल. ए.,

श्री सूरजमल मौर्य,

श्री गोरधनसिंह व

श्री गोकुलचन्द जाटव।

श्री जयनारायण सालोदिय : कोई विरोधी दल का भी सदस्य है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप, कोई विरोधी पक्ष के भी सदस्य इस कार्यकारणी में हैं क्या, यह बता दीजिये। जब आप नाम बता रहे हैं, तो यह भी बता दीजिये।

श्री भीखाभाई : इसमें भी विरोधी पक्ष क्या है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : आप एक भी विरोधी पक्ष का सदस्य बता दें।

Page No 8

श्री अध्यक्ष : आप नाम पढ़ रहे हैं, इसलिये आप यह भी बता दें ।

श्री भीखाभाई : हरिजन और आदिवासियों में कौनसा विरोधी पक्ष होता है ।

योजना मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर): इसमें चाहे इधर के हों या उधर के हो कोई भी हों, यह प्रश्न पैदा नहीं होता कि किस पार्टी के हैं । वहां चुनाव होते हैं । चुनावों में जो दिलचस्पी रखते हैं वे लोग आते हैं और कार्य करते हैं । सरकार की तरफ से इसमें कोई धांधली नहीं है ।

श्री भैरोसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न । इस संघ के कार्यालय का दफ्तर कहां पर है ?

श्री अध्यक्ष : बहुत प्रश्न हो चुके हैं ।

श्री भैरोसिंह : एक ही प्रश्न है ।

श्री मथुरादास माथुर : जयपुर में ।

श्री अध्यक्ष : इसकी जांच करानी पड़ेगी ।

श्री मथुरादास माथुर : जयपुर में इसका दफ्तर सेक्रेटेरियेट के सामने बजाज रोड जाती है, उसमें इसका दफ्तर है ।

श्री भैरोसिंह : क्या यह दफ्तर राजस्थान विधान सभा के एम. एल. ए. के बंगले में था ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने आपको अभी कहा है, वहां पर है ।

श्री भैरोसिंह : ऑडिट के अकाउन्ट्स है उसमें दफ्तर का किराया दिखाया गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौनसा दफ्तर का किराया दिखाया गया है ।

श्री अध्यक्ष : इसकी अलग से जांच होगी ।

श्री भीखाभाई : क्या लिखा है, आप पढ़ कर सुना दीजिये ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसमें लिखा है, "राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे (क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महा मंत्री, संयुक्त मन्त्री और इसके बाद में लिखा है; सभापति के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ के सदस्यों में से चुने जावेंगे या राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ का अध्यक्ष बाद में स्वयं नियुक्त करेगा कि वह पदाधिकारियों को नियुक्त करे । ये पदाधिकारी कार्यकारणी के सदस्य होंगे । मैं यह पूछना चाहता हूं कि हर साल इसके वार्षिक अधिवेशन होते हैं या नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका लास्ट चुनाव कब हुआ, यह भी बता दें ।

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन करूं कि इस प्रकार की संस्थाओं के सारे डिटेल्स के लिये सरकार से पूछना उचित नहीं होगा । मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि होता होगा । अभी करौली में सम्मेलन करने जा रहे हैं । इसकी मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि २ या ३ तारीख को वे सम्मेलन कर रहे हैं, वे वहां पर चुनाव करते होंगे ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने शुरू में ही कह दिया था कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसके लिये आप जुदा प्रश्न पूछें तो जानकारी करके बता सकता हूं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसका रजिस्ट्रेशन, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार है और उसके अनुसार बराबर सूचना भेजनी पड़ती है हर साल कि आपने चुनाव कराये या नहीं और इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह प्रश्न उचित था और अलग प्रश्न की कोई जरूरत नहीं ।

श्री अध्यक्ष : उनका प्रश्न नहीं था, इसलिये जानकारी नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर : रजिस्ट्रेशन करने वाले मिनिस्टर से यह प्रश्न पूछ लिया जावे । इनसे क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब समाज कल्याण विभाग इस प्रकार का अनुदान उनको देता है तो क्या वे संस्थाएं अपना फर्ज समझती हैं या नहीं कि वे लीगली और कॉन्सटीट्यूशनली फंक्शन कर रही हैं या नहीं; इसकी सूचना आपको कानूनन दें ।

श्री मथुरादास माथुर : वे फंक्शन करती हैं । इसके लिये जब तक रजिस्ट्रार कोआॅपरेटिव यह नहीं कह दे कि ये संस्थाएं काम नहीं करती हैं तब तक यह माना जाता है कि वे संस्थाएं काम करती हैं । इसके बाद में हम देखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट भी आती है और इसके बाद में सेन्टर से जो मदद आती है उसको भी उनको देते हैं और वे लोग वहां से आगे वितरण करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री यह तसल्ली कर लें कि पदाधिकारी बदलते हैं, उनकी सूचना देते हैं या नहीं, जिसकी सूचना उनको देनी पड़ती है और कई संस्थाएं उनका पालन कर रही हैं या नहीं । इसकी आप जांच करावेंगे । तो क्या इस प्रकार का कोई प्रावधान है या नहीं, इसको आप बता सकते हैं !

श्री मथुरादास माथुर : अलग प्रश्न हो तो बता सकते है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सागरमल ।

प्रश्न संख्या ४६४

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

नेक्स्ट । श्रीमती नगेन्द्रबाला ।

बारां सब डिविज़न की सड़कों की मरम्मत तथा अन्य कार्यों के लिये स्वीकृत राशि

४६५. **श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बारां सब डिविज़न को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत तथा अन्य कार्यों के लिए पिछले दो वर्षों में ६२-६३ व ६३-६४ में रकम उपलब्ध कराई गई थी ?

(२) यदि हां, तो कितनी तथा उसका क्या उपयोग हुआ ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत के लिए कोई धनराशि अलग से निर्धारित नहीं की जाती है।

(२) पिछले दो वर्षों में १९६२-६३ में २ लाख १८ हजार और ६३-६४ में २ लाख ५३ हजार।

(३) ६३-६४ में २ लाख १३ हजार एनुअल और २ लाख ४६ हजार स्पेशल रिपेअर्स के लिए दी गई।

उपरोक्त रकम रिपेअर्स के काम में आई है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : यह कौनसी सड़कों में लगा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : आप लिस्ट चाहते हैं तो मैं आपको मंगवा कर भेज दूंगा।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मैं लिस्ट चाहती हूं, आप मंगवा कर भेज दें।

एक माननीय सदस्य : अभी बता दें।

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): अभी कोई कंठे याद है क्या ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

सोभागपुरा बहुधन्धी समिति की ऑडिट रिपोर्ट

४६६. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सही है कि ग्राम सोभागपुरा बड़गांव ब्लोक (उदयपुर) में कोई बहुधन्धी समिति है ? यदि हां, तो क्या कभी उसके हिसाब चैक कराए गए ? क्या यह सही है कि उसमें कोई घोटाला है ? अगर हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और उसके लिए कौन जिम्मेवार पाये गए हैं ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि सोभागपुरा बहुधन्धी समिति ने अपने नाम पर कोई रासायनिक खाद नहीं लिया लेकिन जिला कृषि कार्यालय में और पंचायत समिति बड़गांव में उसी समिति के नाम से रकम जमा होती है और खाद दूसरे आदमी ले जाने वाले १५ परसेन्ट १ टन में लाभ उठा रहे हैं और समिति में इसका कोई हिसाब किताब नहीं है ?

(३) क्या यह सही है कि ऑडिटर ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसमें कहा है कि समिति ने कोई खाद नहीं लिया है।

(४) इस सम्बन्ध में कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मन्त्री, सहकार (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां, इस समिति का हिसाब वर्ष १९६१-६२ तक का चैक किया जा चुका है। समिति के हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं है।

(२) जी हां, समिति ने कोई रासायनिक खाद नहीं ली, परन्तु यह सही है कि

(श्री भीमसिंह)

पंचायत समिति बढ़गांव में इस समिति के नाम से रकम जमा होती है। समिति की किताबों में इसका कोई हिसाब न होने के कारण लाभ के संबन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता।

(३) जी हां।

(४) निरीक्षक, सहकारी विभाग की रिपोर्ट दिनांक ३-१-६४ के अनुसार श्री लालूराम, श्री भगवतीलाल, श्री गोगाजी, श्री सज्जनसिंह ग्राम सेवक भुवाण द्वारा समिति के नाम से रासायनिक खाद लाना बताया गया। इस मामले की जांच सहकारी अधिनियम की धारा ४६ के अन्तर्गत कराई जा रही है।

श्री जोधसिंह चौहान : यह निर्णय कब लिया गया ?

श्री भीमसिंह : मैंने भाग (४) में निवेदन किया है कि ३-१-६४ को।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री पोहूमल।

मेसर्स मिश्रा एन्ड संस अजमेर की रॉक साल्ट का अलॉटमेंट

४६७. **श्री पोहूमल ईसरदास** (अजमेर शहर-पश्चिम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मेसर्स मिश्रा एण्ड सन्स, अजमेर, जिनको १९६२-६३ में ६० क्विन्टल रोक साल्ट अलॉट किया गया था, के मालिक तथा प्रबन्धक (मैनेजर) के नाम क्या हैं ?

(२) क्या मिश्रा एण्ड सन्स, अजमेर पंजीयित निकाय (रजिस्टर्ड बॉडी) है तथा रॉक साल्ट के व्यापारी हैं ? यदि हां, तो पंजीयन की संख्या तथा वर्ष बतायें।

(३) इस कम्पनी के सम्बन्ध में अजमेर के जिलाधीश की क्या सिफारिशें थी ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) मैसर्स मिश्रा एण्ड सन्स अजमेर के मालिक श्री गुलजारीलाल मिश्रा हैं तथा प्रबन्धक (मैनेजर) श्री सुबोध हैं।

(२) जी नहीं।

(३) जिलाधीश की सिफारिश कम्पनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने की थी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह मैनेजर और प्रबन्धक आपने बताया क्या उनका सम्बन्ध उप-मंत्राणी, श्रीमती प्रभा मिश्रा से है ?

श्री अध्यक्ष : Shri pohoomal Question disallowed.

श्री पोहूमल ईसरदास : क्या मैनेजर और प्रबन्धक का सम्बन्ध उप-मंत्राणी श्रीमती प्रभा मिश्रा से है ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री पोहूमल ईसरदास : पहले इस बारे में टेन्डर मंगाये गये थे, उनको रद्द करके इनको दिया ?

श्री चन्दनमल वैद : जी नहीं।

श्री पोहूमल ईसरदास : क्या कोई इसमें कन्डीशन्स थीं ?

श्री चन्दनमल वैद : कलेक्टर की रिकमन्डेशन से।

श्री पोहूमल ईसरदास : क्या कोई उन कन्डीशन्स में रिलेक्सेशन किया गया ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां। सारे राजस्थान के लिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या भावों के सम्बन्ध में भी रिलेक्सेशन के लिये है ?

श्री चन्दनमल वैद : सारे राजस्थान में रॉक सॉल्ट दिया था। कलेक्टर के नोमिनी ले, इसलिये यह ऑर्डर दिया गया कि जिस भाव से चाहें दें।

श्री भैरोंसिंह : उस समय रेट्स क्या थीं ?

श्री चन्दनमल वैद : ये रेट्स इस समय नहीं बता सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह !

ग्राम किशोरपुरा में मकानों के निर्माण में विलम्ब

४६८. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील लाडपुरा के ग्राम किशोरपुरा में स्थित मकान संख्या ६।४१२ तथा ६।४१३ को भूमि के सम्बन्ध में जिसका कुल माप २०,००० वर्ग फीट है, भूमि अवाप्ति चम्बल परियोजना, कोटा से मुआवजे की राशि देवस्थान विभाग ने न्यायालय के इस अनुदेश के अधीन प्राप्त कर ली है कि इस राशि का उपयोग तीन वर्ष के अन्दर स्वामित्व के उन्हीं अधिकारों तथा शर्तों के अनुसार जो उन मकानों के लिये हैं जिनके लिये मुआवजा दिया गया है, एक नया मकान बनाने में किया जाये ?

(२) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग ने अभी तक नया मकान बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया है जब कि न्यायालय द्वारा फैसले दिये हुए चार वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुके है ?

(३) अब इन मकान या मकानों के कब तक पूरा होने की सम्भावना है तथा इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री, देवस्थान (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) यह सही नहीं है कि देवस्थान विभाग द्वारा प्रयास नहीं किया जा रहा है।

(३) नये मकान का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्रातिशीघ्र कराने की कार्यवाही जारी है लेकिन सचिव मंडी कमेटी चम्बल प्रोजेक्ट, कोटा द्वारा

Page No 13

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मकानों के निर्माण कराने के लिये कोई जमीन (प्लॉट) का एलॉटमेंट नहीं हो सकने के परिणाम स्वरूप अभी तक नये मकानों का निर्माण नहीं हो सका है। सम्भवतः यह काम एक वर्ष में हो जायेगा।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि कोर्ट ने फैसला दिया था कि मकान का निर्माण तीन वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोर्ट ने एवार्ड दिया था। समय का मुझे ध्यान नहीं।

श्री जुझारसिंह : आपकी जानकारी के लिये अर्ज करूं कि कोर्ट ने साफ लिखा था कि तीन वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिये और आज चार वर्ष हो चुके हैं। यह मकान एक मठ था जिसमें लोग-बाग पूजा करते थे, इसलिये बहुत जरूरी है कि निर्माण जल्द हो जाये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह एक्वीजीशन में आया था। एवार्ड हुआ है। एवार्ड में ७५९१ रुपये कम्पेन्सेशन मिला है। अब अगर कहीं प्लॉट खरीद कर मकान बनाते हैं तो इतने पैसे तो केवल प्लॉट में ही लग जाते हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि मुफ्त में एक प्लॉट मंडी कमेटी से कमांडेड एरिया में ले लें ताकि इन रुपयों से तथा इन रुपयों पर कमाए गए ब्याज के रुपयों से मकान बना लें, लेकिन प्लॉट का एलॉटमेंट अभी नहीं हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द काम आरम्भ किया जाये।

श्री जुझारसिंह : जब कोर्ट से स्पेसिफिक आॅर्डर्स हो गये थे कि तीन वर्ष के अन्दर निर्माण कर दिया जाय क्योंकि पूजा का स्थान है, तो फिर तीन वर्ष के बाद दो वर्ष और निकल गये और मकान के लिये अभी जमीन भी नहीं ली गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पर जितना पैसा है उससे तो जमीन भी नहीं खरीद सकते। इसलिये देवस्थान विभाग ने मंडी कमेटी से मुफ्त जमीन लेने के प्रयत्न किये हैं। अगर तीन-चार साल में नहीं बना है तो इतने साल उस पैसे पर ब्याज भी कमाया है। तो कुल मिलाकर और अच्छा मकान बन जायेगा।

श्री जुझारसिंह : लेकिन कोई लिमिट तो होनी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने अपने जवाब के अन्तिम अंश में वह भी कह दिया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : यह धार्मिक बात, रिलीजियस ससेप्टीबिलिटीज का सवाल है, आपने तीन साल गंवा दिये। आपको सजग रूप से कुछ करना चाहिये। आखिर कोई अवधि तो होनी चाहिये। मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, जो आश्वासन देना चाहिये, वह मैंने प्रश्न के अन्दर भी दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का कहना है कि साल भर के अन्दर पूरा कर दिया जायगा।

(वीराम)

श्री हीराभाई।

गलियाकोट भालोद सड़क

४६६. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या तहसील बागीडोरा में गलियाकोट भालोद सड़क को शीघ्र ही पक्का बनाने का सरकार का विचार है ? अगर हां, तो यह कार्य कब तक हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है। प्रश्न नहीं उठता। अर्थाभाव के कारण।

श्री हीराभाई : अर्थाभाव के कारण नहीं हो सकी तो क्या पी. डब्लू. डी. की योजना में सड़क आई नहीं है। पी. डब्लू. डी. ने हाथ में नहीं लिया है क्या ?

श्री अध्यक्ष : अभी वहां सड़क है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोई नहीं है।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिये कह सकता हूं कि रिलीफ कमेटी होती थी तो उसमें इन्जीनियर साहब ने कहा था कि गलियाकोट से मखिया तक सड़क बनाना पी. डब्लू. डी. के हाथ में आ गया है।

श्री हरिश्चन्द्र : सड़क बनी हुई है क्या ?

श्री हीराभाई : रिलीफ कमेटी में इन्जीनियर साहब ने बताया था कि यह सड़क पी. डब्लू. डी. के हाथ में आ गई है।

श्री हरिश्चन्द्र : रिलीफ कमेटी से हमारा ताल्लुक नहीं। सड़क है कि नहीं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : चौथी योजना में यह सड़क बनाने की संभावना है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : जब चौथी योजना बनेगी उस वक्त कहा जा सकता है।

श्री हीराभाई : इन्जीनियर साहब ने गलत बताया क्या ?

श्री हरिचन्द्र मैंने कुछ भी गलत नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष रिलीफ के समय कोई प्रश्न आ गया होगा, पर अब सार्वजनिक निर्माण विभाग के समक्ष कोई प्रश्न नहीं है।

श्री हीराभाई : जिला अधिकारी की अध्यक्षता में रिलीफ कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें इन्जीनियर ने कहा कि गलियाकोट से मुखिया, मुखिया से थलूपाट तक पी. डब्लू. डी. काम करेगी। पी. डब्लू. डी. विभाग से यह काम किया जायगा और लोगों को काम दिया जायगा।

आयंदा के लिये इस सड़क को योजना में लायेंगे या नहीं।

श्री अध्यक्ष : उसके लिये तो मंत्री महोदय ने कहा कि जिस वक्त योजना को लिया जायगा उस वक्त विचार किया जायगा ।

नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ४७०

श्री गोविन्दसहाय !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह !

हिन्दू मेहरात छात्रों को मुस्लिम बनाने के लिये प्रलोभन

४७१. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ब्यावर के मोहम्मदअली स्कूल में पढ़ने वाले हिन्दू मेहरात छात्रों को मुस्लिम बनने के लिये कई प्रकार के फीस आदि कम करने के प्रलोभन दिये जाते हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्कूल में कई मेहरात छात्रों के नामों का उनकी बिना अनुमति के मुस्लिम नामकरण किया गया और रजिस्टर्स में मुस्लिम नाम दर्ज किये गये ? यदि हां, तो कितने छात्रों का क्या क्या नाम परिवर्तन किया गया ?

(३) उपरोक्त घटनाओं के संबंध में अब तक क्या क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की गई है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(२) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) इस सम्बन्ध में जांच की गई व जिन छात्रों का नाम बदला उनका सही नाम स्कूल रजिस्टर में दर्ज करा दिया गया ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : इन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया ?

श्री भीमसिंह : जिस हैड मास्टर ने यह कार्यवाही की वह नौकरी छोड़ कर चले गये ।

श्री भैरोंसिंह : ८ हिन्दू मेहरात लड़कों के नाम मुस्लिम नाम बता कर मुसलमान बनाने की चेष्टा की, तो इन्स्टिट्यूशन के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया गया ?

श्री भीमसिंह : नाम ही पलटे थे, मुसलमान बनाने की कोशिश की या नहीं यह सूचना सरकार के पास नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : नाम बदलने का क्या तात्पर्य था ?

श्री भैरोंसिंह : किस किस लड़के के नाम क्या क्या बदले गये थे ?

श्री अध्यक्ष : लिस्ट में है ।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय सदन में पढ़कर सुनायें ताकि सदन को जानकारी हो कि राजस्थान में कितना अन्धेर है। हिन्दू लड़कों के नाम मुस्लिम लिख देते हैं। वे दूसरी स्कूलों में एड्मिशन लेंगे तो गलत नाम के आधार पर उनका एड्मिशन रिजेक्ट कर दिया जायगा। यह शर्म की बात है। सरकार को महसूस करना चाहिये कि किस प्रकार की गलत कार्यवाहियां......

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : डेलिबरेट अटेम्प्ट था या गलती से हुआ ?

श्री भीमसिंह : चूंकि इस हैड मास्टर ने मर्जी से किया है; एक एप्लीकेशन जरूर मिली है जो इंग्लिश में थी और ये लड़के अनपढ़ थे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : १२ के नाम बताये हैं, ११ के नाम तो बिना उनकी मर्जी के बदले न ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : जो रजिस्टर में ओरीजिनल नाम दर्ज थे वे क्या थे और बाद में बदले गये वे क्या थे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मूलचन्द चौधरी।

बड़ागांव से आलूदा व पापड़दा से खवा सड़क का अनुमान

४७२. **श्री मूलचंद चौधरी** (दौसा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील दौसा में बड़ा गांव से अलूदा व पापड़दा से खवा कच्ची सड़क को पक्की बनाने का एस्टीमेट कब तक स्वीकृत हो जावेगा और पक्की सड़क कब तक बन जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है। अतः एस्टीमेट स्वीकृत होने व सड़क निर्माण का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मूलचन्द चौधरी : डामर रोड का प्रश्न पूछा है,तो प्रश्न क्यों नहीं उठता ?

श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : डामर रोड बना दिया, लेकिन थोड़ी ही टूटने के बाद सड़क बेकार हो जाती है।

श्री हरिश्चन्द्र : प्रश्न यह है कि तहसील दौसा में बड़ागांव से अलूदा व पापड़दा से खवा कच्ची सड़क को पक्की बनाने का एस्टीमेट कब तक स्वीकृत हो जायेगा और पक्की सड़क कब तक बन जायेगी ? मैंने कहा, "नहीं।"

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदी-कुई) : जिला परिषद से जो योजनायें आपके यहां सबमिट होती हैं, तो विभाग उन्हीं योजनाओं के तहत सड़कें मन्जूर करता है या इसके अलावा भी बनाते हैं ? जो योजनायें जिला परिषदों की तरफ से पंचवर्षीय योजना में दी गई थी उनमें सम्मिलित थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : जो तीसरी योजना की सड़कें हैं पहले ही प्लान में मन्जूर हैं, उसके अलावा भी दी गई हैं जैसी परिस्थितियां डिमांड करती हैं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : जब आप जिला परिषद् से या पंचायत समिति से योजना मंगाते हैं और उसके आधार पर सड़कों की योजना बनाते हैं, तो क्या उन योजनाओं की तरफ ध्यान न देकर अपनी स्वयं की तरफ से स्कीम बनाते हैं ?

श्री हरिचन्द्र : उनसे भी पूछा जाता है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : लेकिन वह आधार माना जाता है ?

श्री हरिश्चंद्र : एडवाइजरी कैपेसिटी में वे एडवाइस देते हैं। तीसरी योजना में जो सड़कें आई थीं वे, कम से कम यह कह सकता हूं कि करीब २०–३० करोड़ के आसपास की रिकमन्डेशन्स आई थीं।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

कॉटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल को ऋण

४७३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) देवस्थान विभाग ने कुल कितना रुपया किन २ शर्तों पर कॉटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल को दिया है ?

(२) इसमें से कितना रुपया अब तक वापिस मिला है ?

(३) जिन शर्तों पर रुपया दिया गया है उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उप–मंत्री, देवस्थान (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) देवस्थान विभाग ने अपने अधीनस्थ मंदिर की रकम में से स्वदेशी काटन मिल्स लि०, कानपुर को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी पर ३० लाख रुपए ६ प्रतिशत ब्याज की दर से कर्जा दिया है।

(२) कुल कर्जा तीस लाख रुपया पेटे ५,००,०००) (पांच लाख) रुपया जमा हुआ है और ब्याज के ३१–१२–६४ तक ८७३६९८.०३ वसूल हुए हैं।

(३) शर्तों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मुरलीधर व्यास : जो लोन आपने दिया है वह आपने बताया कि ८ लाख के करीब होता है और पांच लाख रुपए वसूल हुए हैं और जो इन्टरेस्ट समय पर जमा कराना चाहिए था वह क्यों नहीं कराया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : समय पर अगर रकम जमा नहीं कराई और जितना डिले पेमेंट में हुआ है उस पर ब्याज–दर–ब्याज वसूल किया गया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कन्डीशन्स के अनुसार जो किश्तें तय की गई हैं, उनके अनुसार कितनी रकम ड्यू होती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मूल धन पेटे ?

श्री भैरोंसिंह : हां।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तीसरी अब ड्यू होगी। पहली किश्त चार साल बाद शुरू होती है, १९६३–६४ और १९६२–६३ की वसूल हो गई। १९६४–६५ की अब होगी। ढाई लाख को प्रतिवर्ष की किश्त है।

श्री मुरलीधर व्यास : रुपया जो आपने ३० लाख दिया है कौनसी तारीख को दिया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १९५८ में।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बोड़ा) : क्या यह सही है कि आपने जो ३० लाख दिए हैं, वे देवस्थान की स्माल सेविंग्ज़ सर्टीफिकेट्स से ड्रॉ करके दिए हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : देवस्थान के कई मद हैं। ट्रेज़री के सर्टीफिकेट्स भी हैं, फिक्सड डिपोजिट है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं सिर्फ ३० लाख के लिए पूछ रहा हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : देवस्थान के फंड्स कई तरह से इन्वेस्टेड थे, उनमें से कई मुद्दों में से विथ्ड्रा करके दिए गए हैं, ६ पर्सेन्ट पर दिए गए हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या यह सही कि यह रुपया जिस वक्त देवस्थान विभाग को देने के लिए उद्योग विभाग ने कहा तो देवस्थान के डाइरेक्टर ने उस फाइल पर कहा है कि यह रुपया क्योंकि नेशनल सेविंग्ज़ सर्टीफिकेट्स का है जो नेशनल डेवलपमेंट के लिए है इसलिए एक आदमी को ही यह रुपया देने के लिए नेशनल सेविंग्ज़ सर्टीफिकेट्स नहीं ड्रा किए जा सकते ?

श्री अध्यक्ष : किसने क्या कहा, यह उल्लेख नहीं होना चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : इन्सटालमेंट्स के अनुसार जो रुपया जमा कराना चाहिए था वह जमा करा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय संक्षेप में बता दें कि शर्तों के अनुसार डिफॉल्ट हुआ है या नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा, जो ब्याज देर से, जमा हुआ उस पर ब्याज के अलावा ब्याज–दर–ब्याज जमा हुआ है। मैंने ३१–१२–६४ तक की बात कही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या मिल के मालिक ने राज्य सरकार को दरख्वास्त दी है कि इन्सटालमेंट्स की वसूली के लिए जो कन्डीशन्स ओरिजिनल एग्रीमेंट में हैं उनमें रिलेक्सेशन किया जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस विभाग को जानकारी नहीं है।

प्रश्न संख्या ४७४.

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल वर्दिया ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री केदारनाथ ।

कॉटन जिनिंग तथा प्रेसिंग उद्योगों को ऋण

४७५. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की करेंगे:–

क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार तथा वित्तीय निगम भाखरा मंडी क्षेत्रमें कोटन जिनिंग तथा प्रेसिंग उद्योगों को ऋण नहीं दे रहे हैं ? क्या यह सही है कि सरकार ने उदयपुर डिवीजन से प्राप्त इसी प्रकार के प्रार्थना पत्रों पर विचार किया है ? यदि हां, तो यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चंदनमल वैद) : जी नहीं । भाखरा मंडी क्षेत्र में कोटन जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्टरियों के कुछ प्रार्थना पत्र राजस्थान वित्त निगम के पास विचाराधीन हैं। यह सही नहीं है कि उदयपुर डिवीजन व बाकी डिवीजनों के प्रार्थना पत्रों पर विचार करते समय भेदभाव किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैंवरलाल "कालाबादल" ।

कोटा के अध्यापकों के तबादले

४७६. श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा–सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) कोटा में शिक्षा विभाग के कार्यालय द्वारा जून सन् १९६३ से दिसम्बर सन् ६३ तक कितनी तबादलों की लिस्टें बनाकर अध्यापकों का तबादला किया गया ?

(२) इन तबादलों को करने की इतनी क्या खास आवश्यकता आ गई थी ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) १७१ अध्यापकों के तबादले १७ बार अलग अलग आज्ञाओं से किए गए ।

(२) शालाओं की यथोचित मांग को ध्यान में रखते हुए जिससे शालाओं का कार्य सुचारु रूप से चल सके ।

श्री भैरवलाल "कालाबादल": कोटा में तबादलों की लिस्टें बारबार बनाई जाती हैं, फिर बिगाड़ी जाती हैं और फिर नई बनती हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री भीमसिंह : यह प्रश्न नहीं है । अलग अलग अध्यापकों के तबादले होते हैं तो अलग अलग लिस्टें निकलती हैं ।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : दसवें महीने से लेकर नवम्बर तक जो तबादले किए गए उनकी कई दफा लिस्ट बनाई गई, वह पड़ी रही, उसके बाद फिर तबादले किए गए, इसका क्या कारण है ?

Page No 20

श्री भीमसिंह : जैसे जैसे आवश्यकता हुई, जैसे किसी की टेम्परेरी वैकेन्सी हो गई, किसी का ट्रांसफर हो गया, किसी के डोमेस्टिक कारण, अलग अलग कारण तबादलों के हैं।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : कोटा शहर में कोई बाहर से अध्यापक आता है तो उसको एक–दो महीने में ही फिर बाहर भगाया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलचंद।

अलवर जिले में छात्रों को छात्रवृत्ति

४७७. **श्री गोकुलचन्द जाटव** (कठूमर–सु०) [श्री दयाचन्द सोन (बारां) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) गत वर्ष अलवर जिले में कितना रुपया छात्रवृत्ति निमित्त भेजा गया था और उसमें से अनुसूचित जाति को कितना और अनुसूचित जन–जाति को कितना मिला ?

(२) जो रकम अलवर जिले को भेजी गई उसमें से कितनी वितरण कर दी गई और कितनी व्ययगत (लैप्स्ड) हुई ?

(३) क्या यह बात सही है कि खेड़ली हायर सेकन्डरी स्कूल में कुछ छात्रों को दो माह की बकाया छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिल पाई है ?

उप–मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) सन् १९६३–६४ में अलवर जिले में अनुसूचित जन–जाति के छात्रों को ११४६४ व अनुसूचित जाति के छात्रों को १०५९२ रु० स्वीकृत किये गये थे।

(२) अनुसूचित जन–जाति को रुपये ९९१७ व अनुसूचित जाति को रु. ९००१ वितरण किया गया और अनुसूचित जन-जाति के १५४७ व अनुसूचित जाति के रु० १५९१ लैप्स हुए।

(३) जी हां।

श्री दयाचंद सोन : लैप्स होने का क्या कारण है ?

श्री भीमसिंह : जितनी दर्ख्वास्तें दी गई उतना रुपया दिया गया।

श्री दयाचंद सोन : फॉर्म वगैरह क्यों नहीं समय पर भरवाये गए ? क्या यह सरकार की लापरवाही की बात नहीं है ?

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : फॉर्म न भरवाने का क्या कारण है ?

श्री भीमसिंह : जिसको लेने की इच्छा होगी वह अवश्य फॉर्म देगा।

श्री दयाचंद सोन : सारे राजस्थान में गड़बड़-घोटाला है। आधे छात्रों को....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पहले भी आया था। फॉर्म नहीं जाते हैं। इसलिए मंत्री

Page No 21

(श्री अध्यक्ष)

महोदय से निवेदन है कि छात्रों के छात्रवृतियों की ओर ध्यान दे और फिर भी अनुसूचित जातियों की ओर तो विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। यह अध्यापकों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। बाकी यह जवाब का तरीका ठीक नहीं है कि फॉर्म नहीं आए, पैसे लैप्स हो गए और छात्रों को नहीं मिले।

श्री भीमसिंह : इसको ठीक कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीलाल।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझनू) : भाग (३) का तो उत्तर ही नहीं दिया।

श्री भीमसिंह : दे दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल वर्दिया।

प्रतापगढ़ से सागवाड़ा, वाया धरियावद तथा पारसोला जाने वाली बसें

४७४. **श्री उदयलाल वर्दिया** (लसाड़िया) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) प्रतापगढ़ से सागवाड़ा वाया धरियावद तथा प्रतापगढ़ से पारसोला जाने वाली बसों के सम्बन्ध में निम्न जानकारी देने की कृपा करें :

(क) इनके आवागमन का टाइम टेबल।

(ख) मोडल।

(ग) क्या ये बसें निर्धारित समय पर चलती हैं ?

(घ) इनके परमिट किसे दिये हुए हैं ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (क) इनके टाइम टेबिल संलग्न है।

(ख) दोनों रूटों पर ३ गाड़ियां निम्न मोडल की हैं :

(अ) प्रतापगढ़ सागवाड़ा वाया धरियावद :

१) आर. जे. एच ३४४ मोडल १९६०

(ब) प्रतापगढ़ धरियावद वाया पारसोला

(१) आर. जे. एच ३८ मोडल १९४५

(२) आर. जे. एच २९ मोडल १९४८

(ग) जी हां।

(घ) प्रतापगढ़ सागवाड़ा वाया धरियावद पर श्री नरेन्द्रमोहन व्यास एन्ड ब्रॉदर्स खेरट (तहसील प्रतापगढ़) व प्रतापगढ़ धरियावद वाया पारसोला पर गाड़ियां श्री धीरजमल की चल रही हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री उदयलाल वर्दिया : लेकिन आज भी एक गाड़ी टाइम टेबल पर नहीं जाती है, कई दिनों तक रुक जाती है।

श्री भीमसिंह : आज की तारीख में वे चल रही हैं और फिर भी इर्रेगुलेरिटी आपके सामने आवें और बतायेंगे तो इन्तजाम किया जा सकेगा।

श्री उदयलाल वर्दिया : कई बार आर. टी. ओ. को और कलेक्टर को लिखा कि गाड़ियां समय पर नहीं चलती हैं। पंचायत समिति ने भी लिखा।

श्री भीमसिंह : यह सही है कि पहले नहीं चल रही थीं। आपकी शिकायत पर ही दुरुस्त की गई हैं, और आज चल रही थीं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : सन् ४५ का मोडल चल रहा है। उस रूट पर कितना पुराना मोडल चल रहा है ?

श्री भीमसिंह : ये दोनों "सी" रूट्स हैं और "सी" रूट्स के लिए मोडल कन्डीशन लागू नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीलाल।

पंचायत समिति नदबई के ग्रामों को बिजली

४७८. **श्री नत्थीलाल** (नदबई) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) नदबई पंचायत समिति के कौन कौन से ग्रामों में बिजली देने की योजना है, और कब तक ? तथा अब तक नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(२) क्या यह सही है कि बिजली की लाइन भरतपुर जयपुर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर होकर जाती है, जिस पर पंचायत समिति नदबई के कई ग्राम पड़ते हैं ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री चन्दनमल वैद) : (१) १९६४-६५ में नदबई के किसी भी ग्राम को बिजली देने की योजना नहीं है।

(२) जी हां।

श्री नत्थीलाल : १९६५-६६ में बता दीजिये।

श्री चन्दनमल वैद : अभी निश्चित नहीं कह सकते। योजना बन जावेगी तो देखा जावेगा।

प्रश्न संख्या ४७९

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री सांवलियाराम।

छात्रावास के छात्रों के कपड़े व पुस्तकों की व्यवस्था

४८०. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास-सु.) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : ......

क्या भरतपुर के समाज कल्याण छात्रावास के छात्रों को वर्ष १९६४ में पुस्तकें

(श्री सांवलियाराम)

व पहनने के कपड़े समय पर दिये गये हैं। यदि नहीं, तो क्यों और भविष्य में समय समय पर कपड़े व पुस्तकें दिये जाने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई) : जी नहीं।

अधिकांश पुस्तकें छात्रों को समय पर मिल गई थीं। परन्तु कुछ पुस्तकें ठेकेदार, जिसके नाम टेन्डर स्वीकृत हुआ था सप्लाई करने में असमर्थ रहा। इस कारण पुस्तकें छात्रों को देरी से दी गई। छात्रों को कपड़े देरी से मिलने का कारण यह है कि राज्य सरकार ने मई सन् १९६४ में स्कूलों के खुलने के पहले समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों के लिये केवल खादी के कपड़े ही देने की बन्दिश हटा ली थी। अतः मिल का कपड़ा खरीदने के लिये आवश्यक कार्यवाही शुरू की गई, परन्तु कपड़े देने से पहिले ही यह पाबन्दी पुनः अगस्त सन् १९६४ में लगा दी गई। अतः कपड़ा खरीदने तथा वस्त्र बना कर देने में देरी हुई। भविष्य में पुस्तकें देने में देरी न हो इसके लिए वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ही टेन्डर आदि निकालने के आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं।

वस्त्रों में टेन्डर्स की अब आवश्यकता नहीं है, अतः इसमें देरी होने की संभावना नहीं है।

श्री सांवलियाराम : माननीय अध्यक्ष जी, आपने बताया कि अधिकांश पुस्तकें पहले ही दे दी गई हैं और बाकी पुस्तकें ठेकेदार की ढिलाई के कारण नहीं दी जा सकीं। मैं मंत्रीजी से यह जानकारी करना चाहूंगा कि जिनके पास पुस्तकें नहीं पहुंची हैं तो क्या उनको पाठशाला से निकाल देने और परीक्षा के जो नतीजे निकलने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी लेते हैं ?

श्री भीखाभाई : यह बात ठीक नहीं है। लेकिन उनको समय पर पुस्तकें मिल जायं, इसकी व्यवस्था की जावेगी और आगे से जो शिथिलता पायी गई है उसको दूर करके व्यवस्था की जावेगी।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : क्या यह सही है कि कपड़े और पुस्तकें लड़कों को परीक्षा के दो महीने पहले मिलती हैं, इसलिए उनका एडमिशन भी खारिज हो जाता है, तो इसके लिए विभाग क्या विचार कर रहा है?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य अनुसूचित जाति बोर्ड के भी सदस्य हैं, वहां इस प्रश्न को उठा सकते थे। जल्दी से जल्दी इस बारे में ठीक व्यवस्था की जावेगी।

श्री रावतराम : न तो बोर्ड की आज तक मीटिंग बुलायी गई है और न ही कपड़े और पुस्तकें मिली हैं। जयपुर में ही देख लीजिये कि छात्रावास की हालत क्या है ? अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को दबड़कायेंगे तब ही व्यवस्था करेंगे।

श्री भीखाभाई : दबड़काने का सवाल नहीं है। माननीय सदस्य को साथ लेकर स्कूल में जाऊंगा और व्यवस्था के लिए जैसा मैंने निवेदन किया व्यवस्था की जावेगी।

श्री सांवलियाराम : माननीय अध्यक्ष जी, बोर्ड की मीटिंग साल में दो बार बुलाने का प्रावधान है, लेकिन इस साल दो बार मीटिंग बुलायी ही नहीं गई। नहीं बुलाई तो कारण क्या है ? समस्या किसके सामने रखें ?

श्री अध्यक्ष : अब जल्दी बुलायेंगे और माउन्ट आबू में बुलायेंगे।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा–सु.) : एक भी बार नहीं बुलायी है। खुद तनख्वाह उठाते हैं और आदिवासियों और हरिजनों के लिए कोई काम नहीं करते हैं।

श्री सांवलियाराम : यह साल पूरा गया और कोई काम नहीं कर पाये। दुर्भाग्य से हमें मिनिस्टर साहब मिले बूढ़े, मिले "क्या करूं राम, हमें बूढ़ा मिल गया" ; यह स्थिति है।

प्रश्न संख्या ४८१

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल।

श्री पाहूमल ईसरदास (अजमेर सिटी-पश्चिम) : मेरा प्रश्न नहीं लिया गया।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न दूसरा लिया जा रहा है, आप स्थान ग्रहण करें।

सिकराय से घुड़ा सड़क का निर्माण

४८२. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार सिकराय से घुड़ा तक की सड़क का निर्माण शीघ्र करने का विचार रखती है जिससे कि सिकराय का संबंध सवाई माधोपुर से हो सके ?

(२) क्या यह सही है कि इसका सर्वे होने के पश्चात् इस सम्बन्धी कागज़ात तहसीलदार सिकराय के कार्यालय में पड़े हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) यह कार्य योजना में नहीं है।

(२) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : बजट में दिखाया गया है। बजट में खर्चा किया गया है। बजट में खर्चा किया गया है और मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था कि जानकारी की जावेगी।

श्री हरिश्चन्द्र : सुनाई नहीं पड़ा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कहते हैं कि बजट में प्रोविज़न था किसी समय या अब भी है ?

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : मैंने बजट बताया था। १९६४–६५। सिकराय से घुड़ा तक सड़क के लिए पैसा भी मंजूर किया था। खर्च में भी दिखाया है।

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे पता नहीं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): आपको बताया है।

श्री हरिश्चन्द्र : आप मुझसे मिले नहीं हैं और न आपकी चिट्ठी आयी है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : मैं स्वयं आप से मिला हूं।

श्री हरिश्चन्द्र : कब मिले हैं ?

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : तारीख तो मुझे याद नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आज आप और मिल लीजिये किताब के साथ में।

श्री नत्थीसिंह।

अलवर शिक्षा निरीक्षणालय के कर्मचारियों की बकाया का भुगतान

४८३. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) अलवर शिक्षा निरीक्षणालय में कितने कर्मचारियों का कितना किस किस प्रकार का द्रव्य बाकी है और क्यों ?

(२) उपरोक्त द्रव्य का अब तक भुगतान क्यों नहीं किया गया ? अब कब तक यह भुगतान कर दिया जायेगा ?

उप-मंत्री यातायात (श्री भीमसिंह): (१) इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) ये बिल्स पुराने रेकॉर्ड; जैसे सर्विस बुक, पुराने तनख्वाह के बिल इत्यादि उपलब्ध न होने के कारण तथा महालेखापाल के एतराजों की पूर्ति हेतु भुगतान नहीं किये जा सके। इन पुराने बिलों को पास करने के अधिकार शिक्षा अध्यक्ष, बीकानेर को दिये जा चुके हैं। और उन्हें जल्दी ही चुकारा कराये जाने का प्रयत्न जारी है। इसके अलावा प्रत्येक रेन्ज में इन बकाया बिलों को निपटाने के लिये एक सहायता लेखाधिकारी व तीन अकाउन्ट्स लिपिक भी नियुक्त किये जा चुके हैं। अब इन बिलों का निपटारा जल्दी ही हो जायगा।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री नत्थीसिंह : आइटम नं. २० पर जो अमाउन्ट है ११६८, यह किस साल का है ?

श्री भीमसिंह : १९६१ का है।

श्री नत्थीसिंह : पाँच साल हो गये, अब तक लौट कर नहीं आया, क्या बात है ?

श्री भीमसिंह : इसका कारण मैं अभी नहीं बता सकता, बाद में जानकारी दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : यह सारी लिस्ट दोहराने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है, सबको जल्दी निपटा दिया जायगा।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ४८४

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

स्थगित—प्रश्न

(२–३–६५)

पाकिस्तान से आये माध्यमिक स्कूलों के विस्थापित अध्यापक

९०. **डॉ. पोहूमल ईसरदास** (अजमेर सिटी-पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही नहीं है कि पाकिस्तान से आये हुए माध्यमिक स्कूलों के विस्थापित अध्यापकों को जिनके पास बम्बई अथवा सिन्ध के पब्लिक इन्स्ट्रक्शन विभाग के माध्यमिक प्रमाणित पत्र हैं प्रशिक्षित अध्यापक नहीं माना जाता है ।

(२) क्या यह सही नहीं है कि भारत सरकार ने एस० टी० सी० के पश्चात् दस वर्ष के अनुभवी ऐसे अध्यापकों को प्रशिक्षित तथा दिल्ली के एस० ए० बी० के समतुल्य तथा दिल्ली के एस० ए० बी० के समानित भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के बी. टी. बी. एड तथा एल. ०टी० के समतुल्य भी माना है ?

(३) क्या यह सही नहीं है कि भूतपूर्व अजमेर राज्य में सेवा नियुक्त सिंध के ग्रेजुएट एस० टी० सी० ओ. को प्रशिक्षित ग्रेजुएट अस्वीकृत किया गया था तथा हाई स्कूलों में हैडमास्टर के पद पर नियुक्त किया गया था ?

(४) यदि हां, तो ऐसे ग्रेजुएट एस. टी. सी. ओ. को हैडमास्टर के पद पर पदोन्नत किये जाने का अवसर क्यों नहीं दिया गया है, तथा राजस्थान के विलीनीकरण के पश्चात् यह समार्हता वापिस क्यों कर ली गई है ?

(५) क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान सरकार ने फरवरी, १९६२ में आदेश निकाला था कि ५ वर्ष के अनुभवी अप्रशिक्षित ग्रेजुएट्स, प्रशिक्षित ग्रेजुएट की वेतन शृंखला में आने के पश्चात् वरिष्ठता के अनुसार हैडमास्टर के पद पर पदोन्नत किये जा सकते हैं ? क्या इस आदेश को प्रभावशील बनाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) सिन्ध के सैकन्ड्री स्कूल्स के विस्थापित अध्यापक जो कि बी० ए० एस० टी० सी० थे तथा जिन्हें सैकन्ड्री हाई स्कूल में मिडल या ऊंची कक्षा का दस वर्ष का अध्यापनका अनुभव था उन्हें प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के बराबर मान लिया था ।

(२) जी हां । भारत सरकार ने ऐसे अध्यापक जो कि स्नातक योग्यता एवं एस. टी. सी. योग्यता के साथ साथ हाई स्कूल । सैकन्ड्री में दस वर्ष का अध्यापन अनुभव रखते थे उन्हें भूतपूर्व अजमेर प्रशिक्षित स्नातक वेतन शृंखला १२०-३०० प्रदान करने की आज्ञा दे दी थी तथा ऐसे अध्यापकों को उक्त शर्त पूरी करने पर बी०, टी० बी० एड. आदि के समान मान लिया गया था ।

(श्री भीमसिंह)

(३) जी हां।

(४) विस्थापित सिन्धी अध्यापकगण जो बी. ए., एस. टी. सी तथा १० साल का अनुभव रखते थे ट्रेन्ड ग्रेजुएट अध्यापकों के साथ हैडमास्टर पद के लिये साक्षात्कार में सम्मिलित किये गये थे लेकिन बी. ए. एस. टी. सी. वाला एक भी नहीं चुना गया। केवल तीन सिन्धी अध्यापक जो बी. ए. बी. एस सी. और बी. टी. थे चुन लिये गये। राजस्थान बनने के बाद बोर्ड ऑफ सैकन्ड्री एज्यूकेशन ने बी. टी., बी. एड. एल. टी. अध्यापकों को ही प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये मान्यता प्रदान की और राजस्थान एज्यूकेशनल सर्विस रूल्स में भी ऐसा ही प्रावधान था।

(५) इनमें भी अनट्रेन्ड ग्रेजुएट को भी प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त करने का संशोधन हो गया है, परन्तु इस आदेश में शर्त यह है कि यदि बोर्ड ऑफ सैकन्ड्री एज्यूकेशन इसे मान्यता दे, जब मामला बोर्ड को भेजा गया तो बोर्ड ने यह स्वीकार किया कि अप्रशिक्षित बी. ए. भी प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है, यदि उसके पास निम्न अध्यापक अनुभव हो, चार साल का मिडल स्कूल का प्रधानाध्यापक और ८ साल का उच्चत्तर कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव।

श्री पोहूमल ईसरदास : क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी, कि यह कब तक होगा ?

श्री भीमसिंह : क्या चीज ?

श्री पोहूमल ईसरदास : बोर्ड से मन्जूरी नहीं मिली है, कब तक मिलेगी ?

श्री भीमसिंह : बोर्ड ने योग्य नहीं समझा इसलिये मन्जूरी नहीं दी गई।

श्री पोहूमल ईसरदास : भारत सरकार ने तो योग्य समझा।

श्री भीमसिंह : उस वक्त की स्थिति के अनुसार ठीक समझा, उन्होंने किया; बोर्ड ने उचित समझा, बोर्ड ने किया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से ये लोग जो पाकिस्तान से आये थे, जिस चीज को सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया था, ग्रेड दे दिया। उसके बाद दस, बीस और तीस साल के जो टीचर्स थे उनको आपने ले जाकर बोर्ड के सामने रख दिया, क्या सरकार इस तरह से उनके मामले को बोर्ड के सामने रखना उचित समझती है ? पाकिस्तान से आये हुये रिफ्युजीज़ के साथ यह व्यवहार किया गया है उसके सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिये। कइयों को तो मिल गया और जिनको नहीं मिला उनके लिये बोर्ड बिठा दिया, यह उचित नहीं है।

श्री भीमसिंह : सारी तफसील आप दे दें, वाजिब कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल वर्दिया।

स्थगित प्रश्न

(६–३–६५)

बस्सी डिन्गारी सड़क में आई भूमि का मुआवजा

२५०. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में बस्सी से डिन्गारी तक सड़क निर्माण कार्य हुआ है ? यदि हां, तो यह सड़क कितनी लम्बी और किस वर्ष में बनी है।

(२) क्या यह सही है कि इस सड़क में खेती की जमीनें कटी हैं ? यदि हां तो कितनी जमीन चाही और कितनी बारानी कटी है तथा उन्हें अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है ? क्या सरकार अब शीघ्र मुआवजा देने की कार्यवाही करने का विचार रखती है।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां, यह सड़क १०॥ मील लम्बी है जिसमें से ७ मील का काम १०। ४। ६० को समाप्त को समाप्त हुआ है।

(२) जी हां। तहसील सलूम्बर में ८॥।२ एक फर्स्ट तथा तहसील सराड़ा में चाही १॥। २ तथा बारानी भूमि २४) १ अवाप्त की गई है। भूमि अवाप्तगी की कार्यवाही राजस्व विभाग के विचाराधीन है। ज्योंही अवार्ड उस विभाग में प्राप्त होगा मुआवजा अदा कर दिया जायगा।

श्री उदयलाल वर्दिया : कब तक दे दिया जायगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिये कलेक्टर को लिख दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इसको फाइनेलाइज़ करके अवार्ड भेज दे ताकि जल्दी हम इसका काम करवा दें।

श्री उदयलाल वर्दिया : भूमि अवाप्त किस साल में हुई थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : १९६० में।

श्री केसरीसिंह (पाली) : मुआवजे के बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया था; इन्टेरिम रूप से कुछ न कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिये ; बिघोड़ी का २५ गुना।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : इन्टेरिम रिलीफ के लिये जल्दी ही आदेश जारी किये जायेंगे।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ऊन के कारखाने

४५६. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या राजकीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) सरकार द्वारा ऊन के जो कारखाने लगाने का निश्चय किया गया है उनके लिये कौन कौन से स्थान चुने गये हैं ?

(२) क्या प्लॉट खरीदने का ऑर्डर दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब दिया गया ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत)

उत्तर

(१) ऊनी कारखाना बीकानेर में चालू तथा स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(२) जी नहीं।

सुपरिन्टेन्डेण्ट मोडल जेल अजमेर के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच

४६१. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या कारावास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि दिनांक २२ जुलाई, १९५६ के पत्र नं. आई. एन. डी. एस। ३८।५८–५६।१६० द्वारा आई. जी. पी., प्रिज़न्स, राजस्थान द्वारा श्री गंगाप्रसाद सुपरिन्टेन्डेन्ट, मोडल जेल, अजमेर पर रोकड़ में घोटाले करने व एकाउन्ट्स के रजिस्टर के पन्ने फाड़ने के गम्भीर आरोप लगाये गये थे ?

(२) यदि हां, तो उपरोक्त आरोपों की कॉपी सदन की मेज पर रखें।

(३) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(१) यह सही है कि इस विभाग के पत्र संख्या इन्डस। ३८।५८–५६।१६०१० दिनांक २२–७–५६ द्वारा श्री गंगासिंह अधीक्षक, मोडल जेल, अजमेर पर उचित देखमाल नहीं करने एवं स्टोर में कमी होने तथा रजिस्टर का पन्ना फाड़े जाने आदि के सम्बन्ध में उनका ध्यान आकर्षित किया गया व उसका जवाब मांगा गया।

(२) पत्र संख्या इन्डस ३८।५८–५६। १६०१० दिनांक २२–७–५६ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखे जाने के लिये संलग्न है।

(३) प्रारम्भिक जांच के पश्चात् यह मामला ३–३–६५ को कमिश्नर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज़ के पास भेज दिया गया है और आगे की कार्यवाही उसके द्वारा की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

पुस्तकालय भवन, नागौर

४६२. श्री गंगासिंह (जायल) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नागौर जिला पुस्तकालय नागौर के भवन में केवल एक ही कमरा है जिसमें वाचनालय व पुस्तकालय की पुस्तकों की अलमारियें हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या पुस्तकालय भवन में वाचनालय को अलग करने के लिए सरकार उक्त भवन को दुमन्जिला बनाने का सोच रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त पुस्तकालय में पाठकों के लिए अध्ययन हेतु कोई

Page No 30

(श्री गंगासिंह)

अलग कमरा नहीं है ? अगर हां, तो सरकार इस असुविधा को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(१) जिला पुस्तकालय, नागौर के भवन में एक बडा हॉल ४५'×३०', २ कमरे १६'×६' व एक बरामदा १२'×७०' की साइज़ के हैं। बड़े हाल में दीवार के साथ पुस्तकों की अलमारियां रखी गई हैं तथा उसके बीच में वाचनालय की मेजें व कुर्सियां है।

(२) वर्तमान समय में अर्थाभाव के कारण सरकार के सामने ऐसा कोई विचार नहीं हैं।

(३) पुस्तकालय में अध्ययन हेतु कोई अलग कमरा नहीं है। वर्तमान बजट में उचित प्रावधान न होने के कारण इस सुविधा को फिलहाल दूर करना सम्भव प्रतीत नहीं होता।

जोबनेर व फुलेरा के गांवों को कुओं के लिए बिजली

४६४. श्री सागरमल (फुलेरा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जोबनेर व फुलेरा के गांवों में कुओं के लिये सरकार कब तक बिजली देगी ?

(२) क्या यह सही है कि जोबनेर, फुलेरा व सांभर में बिजली गये ३ साल हो गये हैं ? यदि हां, तो उस क्षेत्र के कुओं को बिजली क्यों नहीं दी गई है ?

(३) क्या सरकार जोबनेर, फुलेरा व सांभर के आसपास के पचास ग्रामों को जो बिजली की मेन लाइनों के ५ मील के एरिया में पड़ते हैं, खेती के कुओं के लिये इस साल बिजली देने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(१) फुलेरा के समीप के ग्राम तेजा का बास, इरोलाव आदि के कुओं के लिये इस वित्तीय वर्ष में लाइन खिच रही है और लाइन खिचने के बाद जिस समय भी कुओं वाले अपने पम्प व मोटर आदि फिट करवा लेंगे उनको बिजली दे दी जावेगी। जोबनेर के समीप के कुओं की बिजली देने की स्कीम नये वित्तीय वर्ष में स्वीकृत होने पर कार्य किया जा सकेगा।

(२) जोबनेर में बिजली नवम्बर सन् १९६३ में व सांभर और फुलेरा में अप्रैल १९६३ में चम्बल ग्रिड से पहुंची है। सांभर व फुलेरा के क्षेत्रों को खेती के कुओं के लिए बिजली दी जा रही है और जोबनेर के क्षेत्रों को बिजली कुओं के लिये देने की स्कीम नये वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत की जा सकेगी।

(३) इस वित्तीय वर्ष में तेजा का बास, इरोलाव, इटावाह आदि ग्रामों को खेती के कुओं को बिजली देने का प्रबन्ध है।

Page No 31

भूतपूर्व करौली स्टेट की टेम्पल फन्ड की रकम

४७०. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुरा) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व करौली स्टेट के समय देवस्थान विभाग में मंदिरों की बचत की रकम टैम्पल फण्ड के नाम से जमा थी ? यदि, हां तो वह रकम कितनी थी ?

(२) क्या यह सही है कि इस रकम को देवस्थान विभाग से किसी को कर्ज के रूप में दी गई है ? यदि हां, तो किस को किस कार्य के लिए तथा कब दी गई है तथा कितने समय बाद लौटाई जावेगी ?

(३) क्या इस रकम का अब तक कोई सूद जमा हुआ है ? यदि हां, तो कितना और कब जमा हुआ है तथा किस दर से ?

(४) क्या उक्त फण्ड से जो रकम सहायता के रूप में विभिन्न मन्दिरों और व्यक्तियों को दी जाती थी वह नियमित रूप से दी जा रही है ? यदि नहीं, तो करौली सब-डिविज़न में किस किस मन्दिर को नहीं दी जा रही है और कब से, तथा न देने का क्या कारण है?

उत्तर

(१) यह सही है कि भूतपूर्व करौली स्टेट के समय देवस्थान विभाग की बचत की रकम टैम्पिल फण्ड के नाम से जमा थी । यह रकम ५२२५७।।-। थी ।

(२) वह रकम देवस्थान विभाग से किसी को कर्ज के रूप में नहीं दी गई है ।

(३) टैम्पल फण्ड से ४००००-०० दस वर्षीय सेविंग सर्टीफिकेट्स में सन् १९५९ में इन्वेस्ट किए गए थे उनका सूद १६००-०० प्रतिवर्ष से चार साल का ६४००-०० अब तक प्राप्त हो हुआ है । यह सूद ४ प्रतिशत की दर से प्राप्त हुआ है ।

४. उक्त फण्ड से रकम सहायता के रूप में विभिन्न मन्दिरों को दी जाती थी, उसमें से मासिक सहायता पाने वाले पांच मन्दिरों को कुल १५)रु० मासिक सहायता नियमित रूप से दी जा रही है । चार मन्दिर जो वार्षिक चन्दा पाते हैं उनको सन् १९६२-६३ में आधी रकम पेमेन्ट की गई थी तथा उसके पश्चात् नहीं दी गई है, क्योंकि टैम्पल फण्ड में पेमेन्ट की गुंजाइश नहीं रही है । ये मन्दिर निम्नलिखित हैं:—

(१) श्री गोवर्धननाथ जी,

(२) श्री सीताराम जी,

(३) श्री लक्ष्मण जी व

(४) श्री गोपाल जी लोटदा

व्यक्तिगत सहायता किसी को इस फण्ड से नहीं दी जाती है ।

वेट्स एण्ड मेजर्स लैबोरेट्रीज़

४७९. श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री अब्दुलजब्बारखां)

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में वेट्स एन्ड मेज़र्स लैबोरेट्रीज़ कायम की गई है ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा इनमें क्या क्या एप्रेटस रखे गए हैं और इनमें क्या क्या काम होता है ?

(२) क्या इन लैबोरेट्रीज़ में वेट्स एन्ड मेज़र्स इन्सपेक्टर काम करते हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

उत्तर

(१) जी हां, वेट्स एन्ड मेज़र्स लैबोरेट्रीज की संख्या ५७ है। इनमें से ३७ में वर्किंग स्टेन्डर्ड बैलेन्सेज, वेट्स कैपेसीटी मेजर्स व लैन्थ मेज़र्स मौजूद हैं। १३ में डब्ल्यु० एस० बैलेन्सेज़ के अलावा सब सामान मौजूद है। इन १३ में और ७ जो नई खोली गई है इनके लिए डब्ल्यू० एस० बैलेन्स का आर्डर दे दिया गया है और सप्लाई शुरू हो गई हैं। इन लैबोरेट्रीज़ में बांट, कांटे व लम्बाई व तरल पदार्थ के माप व तौलने के मापने के यन्त्रों की जांच कर मोहर लगाई जाती है।

(२) जी हां, उनकी संख्या ८२ है।

अजमेर-भीलवाड़ा बस रूट का राष्ट्रीयकरण

४८१. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अजमेर से भीलवाड़ा बस-रूट को राष्ट्रीयकरण हेतु अवाप्त कर लिया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् प्राइवेट बस मालिकों ने हाईकोर्ट से स्टे प्राप्त कर लिया ?

(३) क्या यह सही है कि हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार राजस्थान सरकार ने कुछ वैधानिक त्रुटियां कीं, जिनकी राष्ट्रीयकरण करने से पूर्व पूर्ति होनी चाहिये थी ? यदि हां, तो कौन कौन सी त्रुटियां कीं तथा उसके लिये कौन जिम्मेवार है ?

(४) स्टे हाई कोर्ट से कब प्राप्त हुआ तथा क्या यह सही है कि उसके बाद इस रूट के परमिट तीन साल हेतु रिन्यू किये गये तथा उस पर राजस्थान सरकार ने कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किये ?

(५) एतराज किस अधिकारी को प्रस्तुत करने चाहिए थे तथा उसने क्यों नहीं पेश किए ?

(६) अब तक इन वैधानिक त्रुटियों की पूर्ति हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा स्टे इसलिए दिया गया कि उक्त योजना में राष्ट्रीयकृत मार्ग पर होती हुई चलने वाली कुछ गाड़ियों का योजना में विवरण था और कुछ का नहीं, हाईकोर्ट की राय यह थी कि एक ही श्रेणी के मार्गों के या तो समस्त ऑपरे-

(श्री यातायात मंत्री)

टरों का योजना में विवरण हो या उनमें से एक का भी नहीं, यह कमी योजना प्रकाशित होने के बाद ही मालूम हो सकी, और कमियों के लिये सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

(४) स्टे ऑर्डर दिनांक १०-८-६२ को दिया गया। अजमेर-भीलवाड़ा रूट के परमिट आर. टी. ए., उदयपुर द्वारा १६-३-६४ को तीन साल के लिए रिन्यू किए जा चुके हैं, यह विभाग उस समय तक किसी मार्ग के विषय में आपत्ति नहीं उठा सकता जब तक लीगल रिमेम्ब्रेन्सर से स्वीकृत योजना प्रकाशित न हो जाये।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

(६) उक्त कमियों को पूरा करने के लिये एक संशोधन राजस्थान राज्यपत्र दिनांक ३० अप्रेल, १९६४ में प्रकाशित किया गया था, लेकिन लीगल रिमेम्ब्रेंसर द्वारा वह योजना स्वीकृत नहीं हो सकी। उन्होंने आदेश दिए हैं कि अगर संशोधन करना हो तो योजना पुनः नियमानुसार प्रकाशित करनी चाहिए न कि केवल संशोधन पत्र। अतः निगम द्वारा यह प्रारूप योजना पुनः प्रकाशित की जावेगी।

ब्रिकेटिंग प्लान्ट और थरमल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट

४८४. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या राजकीय औद्योगिक संस्थान मन्त्री बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पलाना के ब्रिकेटिंग प्लान्ट और थरमल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कब तक तैयार की जायेगी ?

(२) प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाने का एग्रीमेन्ट कब किया गया ?

उत्तर

(१) प्लान्ट की कोई रिपोर्ट तैयार नहीं होती केवल प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट तैयार होती है—प्रोजेक्ट की रिपोर्ट रूसी विशेषज्ञ तैयार कर रहे हैं।

(२) प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाने का एग्रीमेन्ट दिनांक २७-१०-६४ को किया गया।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मेयो कॉलेज, अजमेर को ग्रान्ट-इन-एड

६. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) मेयो कॉलेज, अजमेर को सन् ५७ से लेकर अब तक किस किस वर्ष में कितनी २ रेकरिंग व नोन-रेकरिंग ग्रान्ट, राज्य सरकार द्वारा दी गई है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) यह ग्रान्ट किस किस तारीख को स्वीकृत हुई और कब कब इसका भुगतान किया गया ?

(श्री भैरोंसिह)

(३) इन ग्रान्ट्स की उपयोगिता का प्रमाण-पत्र कब कब प्राप्त हुआ है ?

उत्तर

(१) मेयो कॉलेज, अजमेर को वित्तीय वर्ष ५७-५८ से अब तक जो रेकरिंग व नोन-रेकरिंग ग्रान्ट राज्य सरकार द्वारा दी गई है उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) यह सूचना भी तालिका में अंकित है।

(३) यह सूचना भी तालिका में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।).

राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड

१०. श्री जयनारायण खालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड राजस्थान में कब से कार्य करता है ? अब तक मुख्यतया क्या काम किया गया है और इस बोर्ड पर हर साल राज्य सरकार का कितना रुपया खर्च होता है ?

उत्तर

राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड, राजस्थान में दिसम्बर, १९५४ से कार्य कर रहा है। अब तक बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में १९ समाज कल्याण योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में बालवाड़ी, उद्योगशाला, समाज शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, औषधालय, दुग्ध वितरण, प्रसूति सेवाएं, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रवृतियां संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं पर एवं राज्य बोर्ड पर सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के गत तीन वर्षों में दिया गया अनुदान नीचे अंकित है :

वर्ष	राज्य सरकार का अनुदान	सामुदायिक विकास मंत्रालय का अनुदान
६२-६३	१,५०,०००	८५,१९७.७९
६३-६४	१,७५,०००	१,६६,०६३.२३
६४-६५	१,२६,५००	७०,८३१.००

इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान नीचे लिखी प्रवृत्तियों के लिये दिया जाता है। इन प्रवृत्तियों पर राज्य सरकार का कोई अर्थदान नहीं है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड इस खर्च का भार वहन करता है।

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

क्रमांक	प्रवृत्ति का नाम	संस्था जिन्हें अनुदान दिया जाता है।	स्वीकृत धनराशि
१.	बाल एवं महिला कल्याण प्रवृत्तियां	१६०	२०२२५०.००
२.	बाल अवकाश गृह	२५ गृह	६४५००.००
३.	अल्प कालीन प्रशिक्षण	११ संस्थायें ६४–६६	२५६६४०.००
४.	सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रम	२	४५४००.००
५.	रैन बसेरा	२	२६१०.००
६.	नगर विकास योजना	४ ६४–६७	४६३००.००

पायलॉट स्कीम के अन्तर्गत ग्रान्ट-इन-एड

११. **श्री चन्द्रसिंह बर्फा** (बिलाड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) सन् १९६१-६२ में जोधपुर, पाली, नागौर और बाड़मेर जिलों की किन किन पाठशालाओं को 'पायलॉट स्कीम' के अन्तर्गत ग्रान्ट-इन-एड की कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा कितनी राशि उन्हें दी ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) क्या ऐसी स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग हो चुका है ? यदि हां, तो इसकी पुष्टि किसने की ?

(३) क्या इनमें से किसी के विरुद्ध उपयोग न करने की दशा में कोई कार्यवाही सरकार की ओर से की गई ? यदि नहीं की, तो सरकार इस दिशा में अब क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(१) सन् १९६१-६२ में जोधपुर, पाली, नागौर और बाड़मेर जिलों की जिन जिन पाठशालाओं को पायलॉट स्कीम के अन्तर्गत जितनी जितनी ग्रान्ट-इन-एड दी गई उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जिस जिस शाला में जितनी जितनी धनराशि उपयोग की गई, सूची में अंकित है। इसकी पुष्टि शिक्षा निरीक्षकों ने की है।

(३) जिन फर्मों ने जितना माल सप्लाई नहीं किया उनकी सिक्योरिटी की रकम में से प्राय: इस प्रकार के ऑर्डर देने की राशि की ५ प्रतिशत राशि काट ली गई।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट्स

१२. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) राजस्थान में कुल कितने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट्स हैं ?

(२) मुन्सिफ मजिस्ट्रेट्स की तनख्वाह राजस्थान में अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम है या ज्यादा ? कम है तो कितनी और ज्यादा है तो कितनी ?

(३) मुन्सिफ मजिस्ट्रेट्स के प्रमोशन्स की क्या पद्धति है ?

(४) मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति सम्बन्धी आयु क्या रखी गई है ?

उत्तर

(१) राजस्थान में ६४ मुंसिफ मजिस्ट्रेट्स हैं।

(२) सभी राज्यों के न्यायिक सेवा नियम उपलब्ध नहीं है परन्तु पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में जो सूचना उपलब्ध है उससे प्रतीत होता है कि राजस्थान में वेतन शृंखला उक्त दो राज्यों की तुलना में कम है। इन दोनों राज्यों में वेतन शृंखला ३५०-८५० बताई जाती है। राजस्थान में २८५-८०० है।

(३) मुंसिफ मजिस्ट्रेटों की पदोन्नति उनकी वरिष्ठता एवं दक्षता के आधार पर की जाती है।

(४) मुंसिफ मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के लिये ऊपरी आयु सीमा ३० वर्ष है तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के अभ्यार्थियों के लिए ३३ वर्ष है। सन् १९६२ व १९६४ में भर्ती के लिये आयोजित परीक्षाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ा कर ३५ वर्ष कर दी गई थी। राजनैतिक कष्टभोगिकों के लिये ३१-१२-१९६४ तक यही सीमा बढ़ा कर ४० वर्ष कर दी गई थी।

सवाई-माधोपुर जिले को जी. सी. शींट्स का कोटा

१३. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

सवाई माधोपुर जिले को वर्ष १९६०-६१ से १९६३-६४ तक प्रतिवर्ष कितना कितना जी. सी. शीट्स का कोटा दिया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राजकीय सिविल कोटे के अन्तर्गत निम्न लिखित नालीदार चद्दरों का कोटा सवाई माधोपुर जिले को दिया गया है :

सन्	टन
१९६०-६१	२६० टन
१९६१-६२	२५० टन
१९६२-६३	—
१९६३-६४	—

Page No 37

खुशहालपुरा बस्ती के लिए धनराशि

१४. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या समाज कल्याण मंत्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(१) पंचायत समिति शाहबाद की खुशाहालपुरा वस्ती के लिये कितनी राशि कितने व्यक्तियों को कितने मकान बनाने के लिये कब दी गई ?

(२) कितने मकान पूर्ण हो चुके हैं तथा उनका वास्तविक सत्यापन किसने किया ? क्या उनके उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके हैं ?

(३) उक्त मकानों में कितने परिवार कितने समय से रहते हैं ?

उत्तर

(१) समाज कल्याण विभाग द्वारा पंचायत समिति शाहबाद की खुशहालपुरा बस्ती के लिये ४६४५० रुपये ८३ व्यक्तियों को ८३ मकान बनाने के लिये वर्ष १९५५-५६ से वर्ष १९५८-५९ तक दिये गये थे।

(२) ४६ मकान पूर्ण हो चूके थे। इनका सत्यापन विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया गया है। १०५०० रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गये हैं।

(३) मकानों के पूर्ण होने के समय से ३७ परिवार रह रहे हैं।

(१२.०८. म. प.)

उपस्थिति कम होने के कारण छात्रों को परीक्षाओं में बैठने से रोकने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री अब्दुलजब्बार ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाही है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, इस कॉल अटेन्शन मोशन से हमारा यह मतलब है कि परसों से युनीवर्सिटी के फर्स्ट ईयर टी० डी० सी. के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। उसमें अटेन्डेन्स में शोर्ट होने के कारण विद्यार्थियों को बैठने नहीं दिया जा रहा है इसलिये उनके एक साल का नुकसान हो जायगा। इस मोशन से हमारा यह मतलब है कि सरकार युनिवर्सिटी के अधिकारियों पर इस सम्बन्ध में दबाव डाले। सरकार यह कह सकती है युनीवर्सिटी ओटोनोमस बॉडी है हम उसके एडमिनिस्ट्रेशन आदि के मामले में इन्टरफिअर नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, बहुत सी स्टेट गवर्नमेन्ट्स ने युनीवर्सिटीज़ के मामले में इन्टरफिअर किया है, उनकी गल्ती सुधारी है।

पहला कारण यह है कि एन० सी० सी० में अटेन्डेन्स फॉल होने के कारण एग्ज़ामिनेशन में बैठने नहीं दिया जा रहा है। एन० सी० सी० की अटेन्डेन्स ऐसी हैं कि अगर प्रिन्सीपल उचित समझे तो उसको एग्ज़ामिनेशन में बैठने की इजाजत दे सकते हैं;

(श्री कदारनाथ)

अटेन्डेन्स की जो कमी है वह बाद में पूरी कर सकता है। इसलिये इस कारण से किसी पर पाबन्दी लगाना ठीक नहीं है।

दूसरी वह केटेगरी है जो जनरल नॉलेज का पेपर है; होम एग्ज़ामिनेशन होता है, तीन साल में टोटल मार्क ओब्टेन करने पड़ते हैं। अगर कोई साल दूसरे सब्जेक्ट्स में सेकिन्ड डिवीज़न के मार्क्स आये हैं और इस पेपर में फेल हो गये हैं महज इस कारण बैठने नहीं दिया जाय तो यह बेइ-न्साफी है।

चारों सालों में होम एग्ज़ामिनेशन में फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स लेता है लेकिन किसी कारण से जनरल अटेन्डेन्स पूरी नहीं कर पाता है तो उसके लिये भी एग्जेम्प्शन क्लॉज होना चाहिये। लडकों ने बहुत पर्फोर्मेन्सेज किये हों, खेल में बर्जिश के कारण, टूर्नामिन्ट मे भाग लेने के कारण, ऑलेम्पिक खेलों में शामिल होने में बर्जिश के कारण अटेन्डेन्स कम हो तो यानी वह ७५ परसेन्ट नहीं कर सके तो कोई न कोई एग्जेम्प्शन क्लॉज होना चाहिये। जब एग्ज़ामिनेशन के फार्म भरे जाते हैं, उस समय, स्टून्डेन्ट किस सब्जेक्ट में कमजोर है, उसके बारे में सूचना उसके पैरेन्ट्स को भी दी जानी चाहिये। जिसमें वह वीक हो एक्स्ट्रा क्लासेज़ लगाकर उसकी कमी पूरी की जाय। अटेन्डेन्स इम्पोर्टेन्ट चीज नहीं है, यह तो एक रुझान पैदा करने के लिये है ताकि स्टूडेन्ट रेगुलर हो, अपने दैनिक चर्या में वह नियमित हो।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिसकी एन० सी० सी० में अटेन्डेन्स में कमी हो वह बाद में फिल–अप कर सकते हैं।

जनरल नॉलेज के पेपर में फैल हो गया हो उनको इस कारण पर डिटेन करना गलत है।

फर्स्ट डिवीज़न के मार्क्स जिनके हों वे किसी कारण अपनी अटेन्डेन्स पूरी न कर पाये हों तो उनको भी किसी तरीके से रिलेक्सेशन करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : केवल दो मिनट का समय।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांड़ा : मेरा भी कॉल अटेन्शन नोटिस था।

श्री अध्यक्ष : आप थे नहीं। आपको आवाज दी थी।

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चार माननीय सदस्यों ने रक्खे और एक माननीय सदस्य ने जो उस पर प्रकाश डाला उन सारे तथ्यों को ध्यान में रख कर मैंने जो जांच–पड़ताल करके सूचनाएं एकत्रित की हैं वे मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहूंगा।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उस प्रस्ताव में मुख्य तौर से तीन–चार मुद्दों की ओर ध्यान खींचा गया है । पहले यह कहा गया है कि राजस्थान में अनेकों छात्रों को इस बार यूनीवर्सिटी के इम्तिहान में नहीं बैठने दिया इसलिये विद्यार्थियों में असन्तोष है ।

दूसरी बात यह कही गई कि अकेले महाराजा कॉलिज में २०० छात्रों को इम्तिहान में नहीं बैठने दिया गया और काफी ऐसों को बैठने दिया जिनकी नियमों के विरुद्ध हाजरी कम थी पर पक्षपातपूर्ण तरीकों से इनको इजाजत दे दी ।

ये तीन मुख्य मुख्य बातें रक्खी थीं ।

मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ तथ्य इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में रखे हैं वे भी बहुत से गलत हैं । खास तौर से जब यह कहा गया कि २०० लड़के एक ही कॉलिज के नहीं बैठने दिये गये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of Order, Sir.......

श्री अध्यक्ष : आपको आपत्ति हो तो बाद में पूछ सकते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सिर्फ ८६ छात्र ऐसे थे जिनकी अटेन्डेन्स किसी भी प्रकार से नियमों के अन्तर्गत न आने से एक ही कॉलेज में उनको एडमिशन नहीं मिल सका । इस अटेन्डेन्स के जो भी अलग अलग लेवल्स हैं उनको पूरा कर लेने के बाद भी, उसमें इतनी खामी थी कि, नियमों के अन्तर्गत उनको किसी सूरत में नहीं बैठने दिया जा सकता था । तो इस तरह से २०० के बजाय तो यह ८६ की तादाद है ।

अब जहां तक "अनेकों" का प्रश्न है कि राजस्थान में अनेकों छात्र-छात्राओं को नहीं बैठने दिया गया उसकी पूरी सूचना कि कितने लड़के-लड़कियां सारे राजस्थान में नहीं बैठ पाई हैं, मुझे इस समय तक नहीं मिल पाई है । पर कुछ संख्या हो सकती है और भी कॉलेजों में जिनकी हाजरी शोर्ट इसी तरह रही हो और जिसके कारण परीक्षा में सम्मिलित होने की आज्ञा नहीं दी जा सकी हो ।

तथ्य इस प्रकार है कि यूनीवर्सिटी के इस बारे में कुछ नियम बने हुए हैं ऑर्डिनेन्सेज़ के नीचे । ७५ परसेन्ट हाजरी वाले विद्यार्थी ऑटोमेटिकली इम्तिहान में बैठने के अधिकारी हैं । इससे ज्यादा जिनकी हाजरी कम पड़ती है तो कुछ सर्टेन परसेन्ट कॉलेज के प्रिन्सिपल को कन्डोन करने का अधिकार है ।

श्री केदारनाथ : ६ परसेन्ट ।

श्री नाथूराम मिर्धा : उस अधिकार का प्रयोग प्रिन्सिपल करता है । कुछ परसेन्ट की छूट देने का अधिकार सीनेट को है और यहां से भी कई विद्यार्थियों को यह छूट मिली है और परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है । वाइस–चान्सलर को भी पॉवर है; वे भी सर्टेन परसेन्टेज तक छूट दे सकते

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है। तो इन सारे कन्सीडरेशनों के बाद भी अगर किसी की हाजरी इतनी कम पड़ती है तो किसी के अधिकार की बात नहीं है कि उनको इम्तिहान में बैठने की इजाजत दें सके।

अगर तब भी वंचित रहते हैं कुछ विद्यार्थी तो हमारे सामने प्रश्न यह है कि बजाय वे असन्तोष जाहिर करें वे स्वयं रीज़न की कसौटी पर सोचें कि हम अपने माता-पिताओं का खर्चा कराके पढ़ने आये हैं तो उनके उस खर्चे का सदुपयोग हो और अपने उत्तरदायित्व को निभावें, पूरी तरह से पूरे समय कक्षा में उपस्थित हों और पढ़ने में अच्छा मन लगावें, जिम्मेदारी से चलें और हमारा भी यह फर्ज है कि हम उनको यह सलाह दें। पर ऐसा न करके उल्टे गैर-जिम्मेदारी के साथ काम करके असन्तोष जाहिर करें तो मैं समझता हूं कि यह वाजिब असन्तोष नहीं होगा और ऐसे असन्तोष को कोई भी माननीय सदस्य प्रोत्साहन देने की बात नहीं सोचेंगे।

एन. सी. सी. के बारे में कहा गया। इसके बारे में यूनिवर्सिटी ने पिछले साल भी कन्सीडर किया है और इस साल भी। उनको इस शर्त के साथ बैठने दिया है कि वे छुट्टियों में एन. सी. सी. की हाजरी पूरी कर लें और इस बात की तस्दीक वहां से हो जावेगी तो फेल पास का रिज़ल्ट उनका डिक्लेअर कर दिया जावेगा। पर हम समझते हैं कि लगातार इस तरह की रियायत हर साल देते जाया करें तो यह मानना भी उचित रास्ता नहीं होगा; इसलिये विद्यार्थी स्वयं अपना उत्तरदायित्व निभावें।

हो सकता है कि जैसे भाई केदारनाथ जी ने कहा, बहुत से विद्यार्थी काफी गैर हाजिर रह कर भी फर्स्ट और सैकिण्ड डिविज़न प्राप्त कर लेते हैं। हो सकता है ऐसे इन्टेलीजेन्ट लड़के हाजरी पूरी न करें तब भी फर्स्ट और सैकिण्ड क्लास आ जावें, नम्बर भी ले जावें और दर्जा भी ले आवें पर इनके लिये भी अगर स्पेशल एग्ज़ेम्प्शन रखते हैं तो यह भी नियम के विरुद्ध जाता है और हम कर नहीं सकते अपने नियमों में इसके लिये प्रावधान। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की ऑटोनोमस बॉडी यूनिवर्सिटी है जिनकी परम्परायें अपनी हैं उसके साथ कुछ रीज़नेबल ग्राउन्ड्स पर तो बात कर सकते हैं पर ऐसी नावाजिब और गैर-जिम्मेदारी की बात पर उनसे बात करना सरकार उचित नहीं मानती। ऐसी बातों से अगर विद्यार्थियों में असंतोष है तो यह गलत तरीके का असंतोष है, तो बजाय उनको कहने के वे असंतोष अपने दिमाग में पैदा न करके शांति से सोचें और अपने आपको रेगुलर विद्यार्थी की तरह, जो उनके जीवन का मुख्य काम है, इस वक्त करने का उसे पूरी जिम्मेदारी से महसूस करते हुए पूरा करें, यह उनके हित में होगा, उनके माता-पिताओं के, राज्य के और देश के हित में भी होगा।

श्री अध्यक्ष : यहां नियमों का समानता से पालन किया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, बिल्कुल, एक भी केस ऐसा नहीं है जो ऐसा न हो।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, ८६ विद्यार्थियों की बात मानी। तो यह भी परसेन्टेज कम नहीं है। १०–१५ परसेन्ट आ जाता है।

मैंने अपने काल अटेन्शन नोटिस में कहा था कि जो अधिकार प्रिंसिपल और वाइस–चांसलर को ६ परसेन्ट रिलेक्सेशन करने का अधिकार है उन अधिकारों के प्रयोग में डिस्क्रिमिनेशन हुआ। मेरे पास कुछ केस ऐसे हैं और शिक्षा मन्त्रीजी ने जो यह कहा कि ऐसा एक भी केस नही है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, तो यह सही नहीं है।

एक केस तो एक स्पोर्ट्समैन का ही है जिसकी ६० दिन की हाजरियां टेबल टेनिस के मीट के कारण पूरी नहीं हों सकीं और उसने इस बात के लिये प्रिन्सिपल को कहा भी कि चूंकि मैं टेबल टेनिस का खिलाड़ी हूं और ऑल इन्डिया मीट्स में गया हूं इसलिये मेरी हाजरी पूरी कर दी जायें। इसके विपरीत ऐसे केसेज हैं जैसे श्री सोहनलाल जी गुलेछा के साहबजादे ......

श्री अध्यक्ष : यहां सदन में व्यक्तिगत मामले नहीं लायें। ऐसे मामलों के लिये नोटिस देना जरूरी होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शिक्षा मंत्री जी चाहें तो मैं ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के पांच-सात केसेज प्रस्तुत कर सकता हूं। मेरा तो प्रश्न यह था और सदन का ध्यान आकर्षित करने का मुख्य लक्ष्य यह था कि एक ही कॉलेज में इतनी बड़ी परसेन्टेज में पी. यू. सी. में छात्र नहीं बैठ सकें तो कोई स्पेशल मीटिंग बुलाकर रिलेक्सेशन देने की बात थी। ऐसी स्थिति को रोकने के लिये अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को नहीं लाना चाहता हूं कि कोई ऐसी बात हो कि जिससे विद्यार्थियों को प्रेरणा मिले कि वे क्लासेज में अनुपस्थित रहें और अपनी पढ़ाई का नुकसान करें। मैं इस मामले में उनसे सहमत हूं कि ऐसी कोई भी प्रेरणा उचित नहीं है, लेकिन कम से कम जो डिस्क्रिमिनेशन के केसेज हुये हैं इससे भी विद्यार्थियों के मोरेल के ऊपर काफी बुरा प्रभाव पड़ने की बात है और उसको भी गम्भीरता से सोचने की बात है और इसके साथ ही साथ काफी केसेज गैर हाजिरी के हैं तो भी इस बात को गम्भीरता से विचार करने की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में परीक्षाओं में न बैठ सकें तो कोई स्पेशल मीटिंग बुला–कर हाजरी के मामले में रिलेक्सेशन देने की बात मैंने कही है। मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षा मन्त्रीजी बड़ी गम्भीरता से विचार करेंगे और यूनीवर्सिटी भी गम्भीरता से विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य के पास जो भी सूचनायें हों वे मन्त्री महोदय को दे दें, आगे उस पर विचार कर लिया जायेगा।

(१२.२२ म. प.)

मांग संख्या २५, २६, ४१ व २०–बहु-प्रयोजन नदी योजनाएं, सिंचन इत्यादि तथा सहकारिता

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक–४२-बहुप्रयोजन नदी योजनायें, ४३-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,९६,३४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

मांग संख्या २६

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक-४४-सिंचन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक), ४४-सिंचन, (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७७,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

मांग संख्या ४१

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मंत्री) । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९८-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत, ९९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) के संबंध में ३१ मार्च १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २१,७५,४३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

मांग संख्या २०

श्री मथुरादास माथुर : (सहकारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०४,०५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

[इन मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:—

मांग संख्या ४१

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): (१) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक-९९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील बांदीकुई में बंध रेउचा चांदेरा के निर्माण कार्य न होने से उत्पादन की कमी व व्यापक असन्तोष पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २०

(२) माग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपया कम कर

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

दिया जाय (सहकारी विभाग द्वारा जयपुर जिले में विभिन्न कोग्रॉपरेटिव्ज़ को दिये ऋण की उपयोगिता व बकाया वसूली में शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

कु० उमा माथुर (रामगढ़) : (३) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सुनेड़ा, ग्राम पंचायत रसगण से ग्राम मन्दपुर तक जाने वाली नहर के खुदवाने पर चर्चा के लिये)।

(४) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन आदि में से १००) रुपया कम दिया जाय (मेवखेड़ा बांध अलवर से ग्राम अलावड़ा तक भरी हुई नहर की पुनः खुदाई पर चर्चा के लिये)।

(५) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बारा नटनी बांध बंधने के सम्बन्ध में, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २५

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : (६) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में से १००) रु० कम दिया जाय (चम्बल परियोजना पर फिज़ूल खर्ची पर चर्चा के लिये)।

(७) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कोटा डेम व राणा प्रताप सागर पर हो रहे अपव्यय पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

(८) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई के साधनों को नहीं बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

(९) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता आन्दोलन के बदनाम होने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

(१०) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (ट्रेनिंग में भेजने व प्रमोशन देने में विभाग द्वारा पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २५

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : (११) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनायें में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल नहर क्षेत्र में पानी का उपयोग न होने से पैदा हुई गंभीर स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(१२) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा से आई हुई बिजली प्राप्त करने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(१३) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (गांधी सागर हाइडल प्रोजेक्ट से पैदा हुये विद्युत संकट पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

(१४) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन आदि में १००) रु० कम कर दिया जाय (मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के संबंध में सरकार की अनइकोनोमिक सर्वे पर चर्चा के लिये)।

(१५) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर को नैवीगेवल न बना पाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

(१६) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर प्रोजेक्ट को भारत सरकार के सुपुर्द किये जाने से पैदा हुई समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

(१७) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के सम्बन्ध में सरकार की दुर्लक्ष-पूर्ण प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

(१८) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (क्रय विक्रय संघ राजस्थान लिमिटेड को दी गई राशियों के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

(१९) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ लिमिटेड की १९५७-५८, १९५८-५९, १९५९-६०, १९६०-६१, १९६१-६२, १९६२-६३, १९६३-६४, १९६४-६५ की ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा के लिये)।

(२०) मांग संख्या २०,-मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ लिमिटेड में घोटालों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

श्री रामसहाय (लालसोट) : (२१) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील लालसोट, जिला जयपुर के बन्ध राहुवास व मोरेल का उपयोग न होने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २०

श्री जयनारायण (डग) : (२२) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व गबन के मामले पर चर्चा के लिए)।

(२३) मांग संख्या २० मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर

(श्री जयलाल)

दिया जाय (कृषि सहकारी समितियो द्वारा किसानों को समय पर पैसा नहीं देने पर चर्चा के लिए) ।

श्री शंकरलाल (सादड़ी) : (२४) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सेवा सहकारी समितियों के नये सदस्यों को भर्ती नहीं करने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २५

श्री चौसरसिंह बावेल (गोंगू) : (२५) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाएं में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (योजनाबद्ध कार्य नही हो रहा है इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ४१

श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवाड़ा) : (२६) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६–सिंचन, नोचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिरोही जिले की शिवगंज तहसील में सुकली नदी पर स्टोरेज बांध एवं जोगला ग्राम में नदी का तट बांधने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २६

श्री देवीलाल (सराडा–सु०) : (२७) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन नोचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा में आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई साधन उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २०

(२८) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति सराड़ा क्षेत्र में सहकारी समितियों का कार्य ठीक नहीं होने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २५

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : (१९) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाएं में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा बेराज के जिर्णोद्धार पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २६

(३०) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नहरों पर पुलियों के निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

(३१) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिचन आदि में से १००) रु० कम दिया जाय (नहरों के निर्माण से होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २०

(३२) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रुपया कम

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

कर दिया जाय (हाउसिंग स्कीम सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

(३३) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा सहकारिता के नाम पर किए जाने वाले घोटालों पर चर्चा के लिए।)

मांग संख्या २६

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): (३४) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन आदि में से १००)रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर की लिफ्ट योजना की स्वीकृति शीघ्र देकर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४१

श्री प्रभुलाल सेन्टर (खानपुर): (३५) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९८–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बड़ी सिंचाई योजना में अपव्यय पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २६

श्री केसरीसिंह (पाली): (३६) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य आदि में से १००)रु. कम कर दिया जाय (जवाई बांध के कैचमेंट एरिया को बढ़ाने के संबन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): (३७) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जेतपुरा, बड़गांव नदियों पर बांधों के लिए एवं सांचोर में लूनी इनन्डेशन योजना में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

(३८) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४– सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहकारी आंदोलन में आमूल परिवर्तन पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" (मकलेरा–सु०): मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४– सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय। (सहकारिता से होने वाला वाजिब लाभ नहीं हो सका तथा धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): (४०) मांग संख्या २०, मुख्य ३४– सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग में फैले हुये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

(४१) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४– सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (निवाई मार्केटिंग सोसाइटी में अनियमिततायें एवं गबन पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़): (४२) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

जाय (सहकारी विभाग में फैले हुये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २५

श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) : (४३) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४३–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भाखरा नहर क्षेत्र में इस वर्ष सिंचाई न होने के कारण फसल नष्ट हो गई, उस पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : (४४) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२– बहु प्रयोजन नदी योजनायें में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा से सिंचाई की आवश्यकतानुसार पानी नहीं लाया जा रहा है, उसको बढ़ावा देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : (४५) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४– सिंचन आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सिंचाई के पुराने साधनों की मरम्मत न कराने से सिंचाई उपयुक्त नहीं हो सकी, इस पर चर्चा के लिए)।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : (४६) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४– सिचन आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (गंग केनाल में पानी के वितरण की दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण काश्तकारों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : (४७) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४– सिंचन आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जिला टोंक में, तहसील देवली में राजकोट बन्ध के निर्माण में देरी पर चर्चा के लिये)।

श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : (४८) मांग २६, मुख्य शीर्षक ४४- सिंचन आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (लसाड़िया तहसील के आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई योजना पर कार्य नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : (४९) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में से १००) रु. कम कर दिया जाय (गम्भीरी बांध निम्बाहेड़ा की नहरों से सीपेज होने से टाई, सरथड़ा, मूजिमाखेड़ी, सीतारामजी का खेड़ा, फाचर सोडान की के रास्ते खराब होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

श्री अमरसिंह (दूदू) : (५०) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (तहसील दूदू में कृषि सहकारी समिति, पालू को सहकारी विभाग द्वारा भूमि न दिला सकने पर चर्चा के लिये)।

Page No 48

श्री बालचन्द डागा (किशनगढ़) : (५१) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) : (५२) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहकारिता के लोन व अनुदानों का सदुपयोग नहीं होने पर चर्चा लिये) ।

श्री ललितमोहन (गोगुन्दा-सु.):(५३) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले में जय अम्बे वन श्रमिक सहकारी समितियों की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर, पश्चिम) : (५४) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों में अनियमितताओं संबंधी विषय पर चर्चा के लिये) ।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर--सु०) : (५५) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में से १००) रू० कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले में सहकारी सोसाइटियों में हजारों रुपयों के गबन पर चर्चा के लिये) ।

श्री भानुप्रसाद कराडिया (चौमू) : (५६) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (रजिस्ट्रेशन-शुदा समितियों को सही प्रोत्साहन न मिलने पर चर्चा के लिये) ।

(५७) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों के गलत रजिस्ट्रेशन पर चर्चा के लिये) ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : (५८) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न सहकारी समितियों में बकाया राशि को वसूल नही किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

(५९) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को अपर्याप्त सहायतार्थ अनुदान देने पर चर्चा के लिये) ।

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा-सु०) : (६०) मांग संख्या २०,मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला बांसवाड़ा में सहकारी समितियों को समय पर कर्ज नहीं मिलने पर चर्चा के लिये) ।

श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) : (६१) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (दौसा पंचायत समिति में कृषि सहकारी समितियों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों में रकम का दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

श्री सागरमल (फुलेरा) : (६२) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (क्रय विक्रय संघ सांभर (जिला जयपुर) के इस साल से चुनाव न होने पर व ऑडिट ओब्जेक्शन की पूर्ति न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : (६३) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : (६४) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भूमि बन्धक बैंकों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उन्हें सक्रिय किया जाय, जिससे कि किसानों को अधिकाधिक संख्या में लोन मिल सके, पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २५

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : (६५) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४३-बहु प्रयोजन नदी योजनायें के अन्तर्गत मांग में २,५५,५४,०००) रुपया कम कर दिये जायें (ब्याज की राशि रेवेन्यू खाते में कतई नहीं लिखी जाये, इस पर मितव्ययता)।

मांग संख्या ४१

(६६) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६८-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय उपनिवेशन योजनाओं के खर्च को बंद कर दिया जाय; इस, विभाग में काफी भूमि वितरण में अनियमितताओं, अनैतिकताएं और पक्षपात हुआ है, इसे रोकने पर चर्चा के लिये)।

(६७) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६८-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (क्योंकि यह राशि अकारण लिखी गई है इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है, पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

(६८) मांग संख्या, २६, मुख्य शीर्षक ४४- सिंचन आदि में से १०० रू० कम कर दिया जाय (माण्डल तहसील में फूटे हुए तालाबों की सरकार द्वारा वर्षों से उपेक्षा हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

(६९) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (ब्याज की राशि रेवेन्यू खर्च में कम कराने पर चर्चा के लिये)।

(७०) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ब्याज की राशि को रेवेन्यू खर्च में नहीं लिखा जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

(७१) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक

Page No 50

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

३४- सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (संचालन के मद में खर्च हर वर्ष बढ़ रहा है और कार्य–क्षमता घट रही है, इस विभाग में कार्य–कुशलता लाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद): (७२) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-बहु प्रयोजन नदी योजनायें में से १०० रु० कम कर दिया जाय (आलनियां परियोजना पर किये गए अपव्यय पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २५

(७३) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनायें में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल परियोजना पर किये गये अपव्यय पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

(७४) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों की अशोभनीय स्थिति की ओर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २५

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): (७५) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनायें से से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राणा प्रताप सागर बांध पर हुए फिजूल खर्चे पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

(७६) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के नाम पर हो रहे धन के दुरूपयोग पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): (७७) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९८-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोलायत में छोटी सिंचाई पीलाब बांध को राज्य सरकार द्वारा उचित व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २५

(७८) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२- बहुप्रयोजन नदी योजनायें में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा नांगल परियोजना की समस्याओं को नजरंदाज करने, अनुमानानुसार लागू न होने पर चर्चा के लिए)।

(७९) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनायें में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (प्रताप सागर पर पानी के बह जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मांग संख्या २६

(८०) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिचन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट से अन-इकोनोमिक रिटर्न्‌स पर चर्चा के-लिये)।

(८१) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिचन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर को नेवीगेबल न बनाने पर चर्चा के लिये)।

(८२) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिचन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर परियोजना को भारत सरकार को सुपुर्द करने से उठने वाली समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

(८३) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (विभाग की उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के प्रति दुर्लक्ष्यपूर्ण प्रणाली पर चर्चा करने के लिये)।

(८४) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि० की ऑडिट रिपोर्ट्‌स ५७-५८ से ६३-६४ तक पर चर्चा के लिये)।

(८५) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड जयपुर के एडवांसेज में दी गई राशि पर चर्चा के लिये)।

(८६) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड द्वारा किये गये गुड़ के घोटालों पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु०) : (८७) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दया जाय (पंचायत समितियों को अपर्याप्त सहायतार्थ अनुदान पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २६

(८८) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (किसानों को समय पर पानी न दिये जाने व अधिकारियों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

(८९) मांग,संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४--सिंचन आदि में से ३००) रु० कम कर दिया जाय (नहरों पर पुलियों के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

(९०) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४--सिंचन में से आदि में से १००) रुपया कम कर तिया जाय (नहरों के निर्माण में होने वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

(९१) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन आदि में से १००) रु० कम कर

(श्री श्रवणलाल)

दिया जाय (जगर बांध की नहरों के सीपेज के कारण भूमि की बरबादी पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २०

(६२) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर में अधिकारियों की मनमानी पर चर्चा के लिए) ।

(६३) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर में सहकारिता पर जो अव्यवस्था बरती गई है इस पर चर्चा के लिए) ।

(६४) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (हाउसिंग स्कीम सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन नहीं देने पर चर्चा के लिए) ।

(६५) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के नाम पर विभाग द्वारा किये जाने वाले घोटालों पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २६

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : (६६) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बनाई गई योजनाए पूरी नहीं, अपितु उनका काम प्रारम्भ भी नहीं किया गया, इस पर चर्चा के लिये) ,

(६७) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिचन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिंचाई योजनाओं के द्वारा निश्चित की गई सिंचित जमीन योजना से बहुत कम है, इस पर चर्चा के लिये) ।

(६८) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिचन आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले में बने बांधों तथा उनकी नहरों के लिये ली गई जमीनों का मुआवजा नहीं चुकाने पर चर्चा के लिये) ।

(६९) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (मेजा बांध, जिला भीलवाड़ा की लेफ्ट (कमला) नहर से जमीन की पिलाई नहीं की गई, इस पर चर्चा के लिये) ।

(१००) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तीसरी पंचवर्षीय योजना में रखे गये जवालिया बांध (पंचायत समिति, बनेड़ा) पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २०

(१०१) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

दिया जाय (सहकारी समितियों में बकाया रकम को वसूल नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

(१०२) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सेवा सहकारी समितियों को दिए जाने वाले ऋण पर चर्चा के लिये)।

(१०३) मांग संख्या २० मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि सहकारी समितियों के गठन में गड़बड़ पर चर्चा के लिये)।

(१०४) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खादोलिया खेड़ा सहकारी समिति (पंचायत समिति बनेड़ा) जिला भीलवाड़ में पंचायत समिति द्वारा दिया गया गेहूं के बीज की बकाया की वसूली पर चर्चा के लिये)।

(१०५) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला भीलवाड़ा की सहकारी समितियों में १९५८–५९ की बकाया की वसूली पर चर्चा करने के लिये)।

(१०६) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बनेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में सहकारी समितियों के प्रतिनिधि की हैसियत से एक डिफॉल्टर समिति के प्रतिनिधि को चुने जाने पर चर्चा के लिये)।

(१०७) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बलदर खां सहकारी समिति (पंचायत समिति बनेड़ा) जिला भीलवाड़ा को ऋण नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

(१०८) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सेवा सहकारी समितियों को दिए जाने वाले ऋण का उचित वितरण नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा करने के लिये)।

(१०९) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (हुर्डा पंचायत समिति में सैकड़ों रुपये सहकारी समितियों के बकाया है, उस पर चर्चा के लिये)।

(११०) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बनेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की बनेड़ा चर्म उद्योग, बुनकर तथा तेल घाणी सहकारी समितियों में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़):

(१११) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बेड़च नदी पर लिफ्ट इरिगेशन करवाने पर चर्चा के लिये)।

(११२) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन आदि में से १००) रु. कम कर

Page No 54

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

दिया जाय (आवलहेड़ा, सादी आदि तालाब की स्वीकृति देने में देर पर चर्चा के लिये)।

(११३) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४ सिंचन आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बस्सी के तालाब पर जीर्णोद्धार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

(११४) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को कन्ट्रोल संबंधी वस्तुओं न मिलने पर चर्चा के लिये)।

(११५) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को अनुदान के आश्रय उत्पन्न होने वाले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): (११६) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४--सिंचन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय। (आसीन्द तहसील में नेरवाड़ी बांध न बंधने से नायब तहसीलदार बदनोर के काश्तकारों की हालत पानी के अभाव में बिगड़ने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

(११७) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहकारिता के प्रसार में जो रोड़े हैं उन्हें दूर करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली): (११८) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४--सिंचन आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राज्य में बांधों के निर्माण की असफलता से समय पर किसानों को जल न मिलने पर चर्चा के लिये।)

मांग संख्या २०

(११९) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राज्य में सहकारी समितियों के गठन तथा दिये जाने वाले ऋण पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय): (१२०) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९८-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १०० रु. कम कर दिया जाय (सिकराय में छोटे नाले के अभाव से किसानों को क्षति पहुंचती है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

(१२१) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४--सिंचन आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सिकराय में माधोसागर

Page No 55

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

की नहर के बन्ध की मरम्मत नहीं की गई, पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : (१२२) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को पर्याप्त सहायतार्थ अनुदान नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

(१२३) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९८-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गिरवा क्षेत्र में नदियों की पुलिया बनाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

(१२४) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उदयपुर डिविज़न में जबरदस्ती सहकारिता लादी जा रही है उस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : (१२५) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अलवर जिले के सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चिलाये)र्चा के

(१२६) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय। (अलवर जिले के हरसोरा बांध केटूटने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

(१२७) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी बैंकों द्वारा कर्जा देने में भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये)।

(१२८) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा सहकारी संगठनों को राजनैतिक कार्यों के लिये दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये)।

(१२९) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (अलवर सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा गोविन्द वृहद् कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति गोबिन्दगढ़ को ऋण देने में जान बूझ कर रोढ़े अटकाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४१

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : (१३०) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में माही प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में धन के अपव्यय के बारे में आवश्यक चर्चा के लिये)।

Page No 56

(श्री नाथूराम)

मांग संख्या २०

(१३१) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिला में सहकारिता के विस्तार के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

श्री मोहरसिंह (चूरू) : (१३२) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सरकार सरदार शहर तहसील के उत्तर पश्चिमी तथा डूंगरगढ़ के उत्तरी हिस्से को राजस्थान कैनाल से लिफ्ट का पानी देने में असमर्थ रही है तथा इसके लिये कोई प्रयत्न तक नहीं किया, इस पर चर्चा के लिये)।

(१३३) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में में १००) रु. कम कर दिया जाय (सरकार तारानगर, धीखास बड़ा, साहवा सोमसीसर बांध को भाकरा से लिफ्ट कर सिंचाई के लिये व्यवस्था करने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

(१३४) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सरकार राजगढ़ जिला चूरू को लिफ्ट कर सिंचाई में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

(१३५) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सरकार चुरू जिले में ऊन के क्रय-विक्रयार्थ जिला तथा खंड स्तर पर सहकारी समितियां निर्माण में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : (१३६) मांग संख्या २० मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

(१३७) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों के गठन पर विचार करने के प्रश्न पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : (१३८) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर जिले की सहकारी समितियों में कई सालों से बकाया रहने पर चर्चा के लिये)।

(१३९) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति चाकसू (जिला

(श्री नाथूलाल करोल)

जयपुर) के ग्राम लालपुरा की कृषि सहकारी में करीबन ५०,०००) रुपये का गबन व बहुधन्धी सरकारी में करीबन ४५०००) रु० के गबन पर चर्चा के लिये)।

(१४०) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रूपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति चाकसू, जिला जयपुर की सहकारी समिति ग्राम लालपुरा के घोटालों पर चर्चा के लिये)।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : (१४१) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रूपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा समितियों को ऋण समय पर नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

(१४२) मांग संख्या २० मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रूपया कम कर दिया जाय जाय (पूंजी पतियों का सहकारिता पर हावी हो जाना व इससे जनता को पूरा लाभ न मिलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री हरिकिशन (राजगढ़) : (१४३) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, (संयुक्त) स्थापना तथा औजार स्थिर संयन्त्र पर व्यय में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रेणी पंचायत समिति क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(१४४) मांग संख्या १२ मुख्य शीर्षक ४४ सिंचन, (संयुक्त) स्थापना तथा और औजार स्थिर संयन्त्र पर व्यय में से १००) रु० कम दिया जाय (नटनी का बारा, जिला अलवर कर में रूपारेल नदी पर बांध बनाये जाने की अति आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

(१४५) मांग संख्या २२ मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर-संयन्त्र पर व्यय में से १०० रु०) कम कर दिया जाय (अलवर जिले में गुड़-गाव नहर व भाकरा केनाल से लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई के लिए पानी सरकार द्वारा पहुंचाने को योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(१४६) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४ सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर-संयन्त्र पर व्यय में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सरसा देवी पिकप वेहर पर ५' ऊंची पाल बनाई जाकर स्यालूता, बलदेवगढ़, पावटा ग्रामों को सिंचाई के लिए नहर का निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(१४७) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर-संयन्त्र पर व्यय में से १००) रु. कम कर दिया जाय (मंगलसर बांध से खोह दरीबा की तरफ नहर का विस्तार सरकार द्वारा करने में ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

(१४८) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, (संयुक्त) स्थापना तथा औजार

(श्री हरिकिशन)

और स्थिर-संयन्त्र पर व्यय में से १००) रु. कम कर दिया जाय (तिलह पर पिकपवेहर बनाया जाकर सिंचाई विभाग द्वारा अब तक कार्य को नहीं कराया जाने की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

(१४९),मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर-संयन्त्र पर व्यय में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बीगोता बांध तहसील राजगढ़ में सर्वे होने पर भी अब तक कार्य शुरू न कराने पर चर्चा के लिये)।

(१५०) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय में से १००) रु. कम कर दिया जाय (तहसील राजगढ़ में छोटे बांधों के उपयुक्त साइट होते हुए भी सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण कार्य शुरू कराये जाने की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

(१५१) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर-संयन्त्र पर व्यय में से १००) रु. कम कर दिया जाय (टूड्डाना के घाटे पर बाण गंगा नदी पर बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिय)।

(१५२) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर-संयन्त्र पर व्यय में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सांवा नदी पर बांदी-कुई जिला जयपुर के पश्चिम में रेडा पर बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।]

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदी-कुई) : माननीय अध्यक्ष जी, सिंचाई की मांग जो सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई है उस मांग के विषय में कटौती के प्रस्तावों के जरिये, आपके जरिये, सदन के समक्ष यह रखना चाहूंगा कि इस विभाग के द्वारा इस सिंचाई विभाग के द्वारा, राजस्थान के अन्दर एक आवश्यक कार्य कृषि उत्पादन के लए सिंचाई के साधनों का उपलब्ध कराना जो इस सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है उसको कहां तक इन्होंने निभाया है ? इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में कुछ बड़ी योजनायें जैसे भाखरा, चम्बल, राजस्थान नहर, जवाई बांध इत्यादि बांध बनने से एक बाहर रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान के अन्दर सिंचाई का कार्य बहुत तेजी के साथ और बहुत विस्तार के साथ हो रहा है इसमें दो राय नहीं लेकिन यदि हम उसको आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह भी साफ दृष्टिगोचर होता है कि इन बांधों पर, इन सिंचाई योजनाओं के ऊपर, जो राजस्थान सरकार द्वारा व्यय किया जा रहा है और इस राज्य के बजट के ऊपर जो इसका भार डाला गया है उसके विषय में इस विभाग में कहां तक सतर्कता है ? मैं माननीय अध्यक्षजी, आपके जरिये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज बड़ी विषमता इस विभाग की इस खर्चे की तरफ हमारे राजस्थान के अन्दर प्रस्तुत की गई है। जितने बांध वहां बने उनके अन्दर एक बड़ी भारी तादाद के अन्दर उनकी लागत लगाई गई उसका ६० प्रतिशत सेन्टर से लेकर ऋण

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

के रूप में लाया गया और इन योजनाओं में लगाया गया। मैं यदि आंकड़ें आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं तो मैं अध्यक्ष महोदय, बतलाना चाहूंगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना तक २५ करोड़ ३० लाख १८ हजार ईरिगेशन के सेन्टर सेखर्च हुए उसके अन्दर से २२ करोड़ ७६ लाख ५० हजार रुपये सेन्टर से ऋण लेकर लगाया गया और इसमें जो राज्य सरकार का रुपया था वह १० प्रतिशत था; बाकी सारा रुपया सेन्टर से लोन लेकर इन योजनाओं के अन्दर लगाया गया। इतनी बड़ी तादाद में हमको ऋण लेना पड़ा, उसका एक आकर्षण बताया और वाकई आकर्षण है भी लेकिन सबसे बड़ी विषमता दिखाई देती है इन स्कीमों को बनाने के लिए जो आपने योजनायें बनाईं जो उसकी लागत और कमान्डेड एरिया है और जो उससे होने वाले लाभ की आपने योजना बनाई उनको आपने इतने अर्से के अन्दर कहां तक क्रियान्वित किया; यह एक बड़ा प्रश्न है और उस योजना के टाइम में आपने इस बात को कहीं नहीं देखा । ऐसी आपने कोई योजना नहीं बनाई जो इन स्कीमों के पीछे जो सेन्टर से रुपया इतनी बड़ी तादाद में लाये उसकी किश्तें और जो उसके भिन्न भिन्न मुआवजे हैं कोई लोन १० वर्ष में चुकाने का है, कोई २५ वर्ष में चुकाने का है और कोई ६० वर्ष में चुकाने का है-उन लोन्स को चुकाने के लिए आपने उन स्कीमों के तहत जो आमदनी होने वाली थी उसका क्या इन्तजाम करके उन किश्तों को चुकाने के लिए क्या प्रावधान किया ? मेरी ऐसी मान्यता है कि इस विषय में विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। और उसी के कारण आज इतनी बड़ी विषमता दिखाई देती है। इतनी बड़ी तादाद में रुपया सेन्टर से ले लिया गया लेकिन उनकी किश्तें चुकाने के लिए जो लाभ देखते हुए आपने किया उनकी आज तक समय पर किश्तें चुकाने का सवाल नहीं आया और वह ऋण मय व्याज के अभी तक राजस्थान सरकार के बजट के ऊपर एक भार के रूप में चला आ रहा है। किसी भी योजना के लिए मैं अर्ज करूंगा कि शोभनीय बात नहीं है बल्कि विभाग द्वारा जो स्कीमें बनाई जाती हैं और उसके अन्दर जो लाभ दिखाया जाता है इसके अन्दर ईरिगेशन का कमान्डेड एरिया बताया जाता है। इसमें आमदनी होने के जरिये बताये जाते हैं वे सब झूठे बताये जाते हैं। उससे यह साफ जाहिर होता है। वर्ना आज १५ वर्ष के बाद ये योजनाएं चलती रहें, बान्ध बनते रहे, ऋण ले लिया जाय और उनके सम्बन्ध में किश्त नहीं चुकाई जा सके उन योजनाओं की ! तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि वे अपने जवाब में इस बात पर प्रकाश डालें। ज्यादा से ज्यादा आप यह कह सकते हैं कि यह शुरूआत थी, हम इन्फेन्सी में थे इसलिए किश्तें नहीं चुकाई जा सकीं, हमें फलां चीज की वजह से नुकसान हो गया या बान्ध टूट गया। मैं इतना अर्ज करूंगा कि आपकी कोई गलती नहीं है, केवल गलती यह है कि ऋण लेने के लिए कर्जा लेने के लिये आप झूठीयोजनाएं बनाते हैं झूठे आंकड़े देते हैं कि इतना कमान्डेड एरिया होगा और सउसे अपकी इतनी आय होगी। ये गलत योजनाएं बनाते हैं उसके कारण से ये कमियां हैं और

(श्री मधुरेशबिहारी माथुर)

उन कमियों के कारण आपके सामने कोई चीज नहीं आती ।

इसके साथ साथ साथ नीति के विषय में, माननीय अध्यक्ष, दूसरा प्रश्न मैं और उपस्थित करू, वह यह है कि इन बांधों की योजनाओं में जो राजस्थान के अन्दर ४१ बांधों का निर्माण हुआ उन ४१ बांधों की योजनाओं में राजस्थान के अन्दर जो आपने आंकड़े दिये जिस वक्त आप बांधों बनाते हैं उस वक्त आप बताते हैं कि फलां बांधों से इतने हजार एकड़ इरिगेशन होगा लेकिन वास्तविक रूप क्या है आज आपके समक्ष कि इन ४१ बान्धों में से केवल १५ बांध ऐसे हैं कि जो आपने आंकड़े दिये थे, आपने जो एस्टीमेट बनाया था उसके मुताबिक सिंचाई हो सकेगी । बाकी २६ बांध इस तरीके के हैं कि जिनके अन्दर आपका जो एस्टीमेट था उससे कम एरिया के अन्दर सिंचाई हुई । उनमें से ७ बांध तो ऐसे हैं कि जिनमें अन्दर ५० प्रतिशत से भी कम सिंचाई हुई, और चार बांध ऐसे हैं कि जिनमें २५ प्रतिशत से भी कम सिंचाई हुई ।

जिस तरह से मैंने आपको बकाया के लिए, जिस तरह से आमदनी बताने के लिए दृष्टान्त दिये उसी तरह से मैं योजनाओं की तरफ प्रकाश डालना चाहूंगा कि यह आपके आंकड़े क्या है । यदि आप यह बताते है कि फलां बान्ध से इतना होगा तो क्यों नहीं हुआ ? इतने एरिया के अन्दर सिंचाई होती है तो वह सिंचाई क्यों नहीं होती है ? तो इन बांधों के निर्माण से क्या फायदा ? यह भी एक अजीब स्थिति है कि आप यह दिखाना चाहते हैं कि इससे बड़ा फायदा होने वाला है वह फायदा प्रेक्टिकल रूप में यह है कि उस सिंचाई की योजना से वह फायदा नहीं हुआ ।

इसके साथ साथ मैं यह भी आपके समक्ष बतलाऊंगा कि जहां तक इन बांधों की टूट–फुट का सवाल है, इन बांधों से तावान लेने का प्रश्न है, इन बांधों से बेटरमेंट लेवी की वसूली का प्रश्न है वह भी एक अजीब प्रश्न है राजस्थान के अन्दर कि आपके ये जो बांध बनते हैं उन बांधों के अन्दर ऐसा है कि उन बान्धों के निर्माण होने के बाद जिस साल निर्माण हो कर आपका पैसा चुका जाता है उसी साल वह बांध टूट जाता है और फिर दुबारा उन बांध के अन्दर जितना लगता है उससे कहीं अधिक लगता है, उनकी रिपेयर्स में लगाना पड़ता है और सिंचाई नहीं कर पाते हैं । मगर जो बांध बनते हैं और उन पर जो खर्च बैठता है उसके आंकड़े दूं तो आश्चर्य होगा कि कोई बांध ऐसा नहीं है राजस्थान के अन्दर कि जिसका निर्माण होने के दूसरे साल या उसी वर्ष वर्षा होने के बाद कहीं से लीकेज नहीं हुआ हो या टूट–फूट नहीं हुई हो और उसके लिए हजारों रुपया खर्च न हजारों रुपया खर्च होने के बाद भी उसके कमाण्डेड एरिया को फायदा नहीं पहुंच सका और प्रति वर्ष एक तरह से उसका रेकरिंग एक्सपेन्डीचर देते आये है, तो आपकी क्या योजना है ? जनता आपसे पूछ सकती है, हम पूछ सकते हैं । आप

(मथुरेशबिहारी माथुर)

लाखों रुपये लगाकर बान्ध बनाते हैं और एक वर्ष भी बांध नहीं चल सकता है। आप कह सकते हैं कि वर्षा के कारण ऐसा हो गया है तो फिर आपके टक्निकल एडवाइजर्स क्या टैक्निकल ओपीनियन देते है ? एक वर्ष भी वह बांध पूरा नहीं चल पाता है, और उसमें लीकेज और टूट-फूट होने लगती है, और दुबारा मरम्मत कराने के लिये रुपये की मन्जूरी लेकर लागत लगानी पड़ती है।

मैं एक दृष्टान्त दूं कि हमारे क्षेत्र में रोहावास के अन्दर बान्ध बना है एक नदी को रोक कर। उस बान्ध पर थोडी-बहुत लागत नहीं लगी है, ५ लाख रुपया लगा है। उसके लिए बड़े इन्जीनियर्स गये। उस वक्त जो चीफ इन्जीनियर श्री मोतीलाल जी थे उनके तत्वावधान में, उनकी निगरानी में बान्ध बना। यह भी नहीं है कि छोटे-मोटे ऑफिसर्स ने देखा हो। मैने उनको साइट पर देखा है। मेरी मौजूदगी में उन्होंने इन्सपेक्शन किया और उस वक्त जो मंत्री महोदय थे राजस्थान के वे भी वहां मौजूद थे और उस बान्ध के बनने के बाद थोड़ा-बहुत एरिया नहीं बतलाया गया बल्कि उससे २२ हजार एकड़ जमीन सेहराब होना बताया गया। उसके निर्माण होने के बाद ५ लाख रुपये से ज्याना खर्च होने के बाद एक बीधा जमीन भी उससे आज तक सेहराब नहीं हुई। और उसके बाद में जब उसके मुताल्लिक सवाल हुए, जवाब हुए तो चीफ इन्जीनियर गये यहां से, मिनि-स्टर महोदय गये वहां पर और उन्होंने साइट को देखा तो सिर्फ यह कह कर खत्म कर दिया कि गलत बंध गया। नदी का लेवल नीचा है और जमीन ऊंची है तो नहरें नहीं चल सकती हैं। जमीन का लेवल ऊंचा हो जाने से नहरें भी खोदी गई लेकिन पानी नहीं पहुंच सका। इसलिए इसका लेवल ही गलत हो गया और उस स्कीम को पेपर्स के अन्दर, रेकार्ड्स के अन्दर जो जवाब दिया गया है उसमें वाइप आउट बता दिया गया तो एक बड़े शर्म की बात है कि ५ लाख रुपये खर्च करने के बाद कहीं तो एक रिटर्न से फर्क हो सकता है लेकिन कहीं पूरी स्कीम को ही आप खत्म कर दें और उसमें एक बीघा जमीन में भी सोहराब न हो और उस ५ साल के ऊपर कोई चीफ इन्जीनियर साहब से, कोई छोटे इन्जीनियर साहब से यह सवाल नहीं किया, उससे यह नहीं पूछा कि इसका क्या कारण है। यही तो कारण है कि हम कहते है कि आप किसी को शील्ड करते हैं। इन्जीनियर साहब का एक्सप्लेनेशन नहीं लिया गया कि गलत स्कीम बनाई क्यों ? और रुपया क्यों लगाया ? लेकिन आप अपने इन्जीनियर्स पर, आप जिनसे काम लेते हैं, आपकी निगाह में काम होता है और आपकी शाइ-स्तगी से बान्ध बनते हैं और वह आपके हुक्म की तामील करने वाले होते हैं इसलिए एक्शन नहीं ले सकते हैं, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, वर्ना आपके सामने यह ऐसा मसला था कि कम से कम उनकी ग्रेड तो बन्द की होती। किसी इन्जी-नियिर पर डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं लिया गया और आज तक खामोश बैठे हुए हैं, कई वर्षो के बाद भी खामोश बैठे हुए हैं। यह है आपके निर्माण की हालत !

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

इसी तरह से यदि आप ठेकेदारों का सवाल लें इन बांधों के मुताल्लिक, तो वह भी एक अजीब चीज हमारे सामने आती हैं। ठेका दे दिया जाता है और ठेकेदार बनाते हैं, और बनाने के साथ ही, उनकी स्कीम के साथ ही फौरन टूट जाते हैं और ठेकेदारों का पेमेन्ट हो जाता है । इन्जीनियर्स सर्टीफिकेट दे देते हैं, सही निर्माण का सर्टीफिकेट दे देते हैं, लेकिन वे दूसरे वर्ष या उसी साल टूट जाते हैं या ओवरफ्लो हो जाते हैं तो माननीय मंत्री महोदय से मैं यह आशा करूंगा कि कम से कम आप अपने भाषण में जब कि एक तरफ अपने भाषण के अन्दर हमको एक अच्छा नक्शा प्रस्तुत करने के लिए ही हमेशा तैयार रहते हैं कि हमने राजस्थान कैनाल बनाई, हमने चम्बल बनाया, हमने भाखरा बनाया चाहे कर्जा लेकर ही बनाया हो, चाहे हमारी आर्थिक स्थिति इस कर्जे के कारण बरबाद हुई हो, जनता टैक्सेज़ से परेशान हुई हो, इसके बारे में बतायेंगे। आप अपनी तारीफ कर सकते हैं लेकिन हम पूछ सकते हैं कि क्या कभी गवर्नमेंट को समय भी मिलता है कि आप अपने विभाग के कारनामों को देखें। इसके मुताल्लिक जो रिपोर्ट आई है एस्टीमेट्स कमेटी की, पी० ए० सी० की व ऑडिट रिपोर्ट, उनको भी आप कभी देखते हैं? कभी इस चीज को भी देखते हैं कि किस बान्ध पर कितनी लागत आई है और कितना उसका कमाण्डेड एरिया था, उसके कारण क्या स्थिति हुई है आज? क्यों नहीं हमारे सामने यह चीज आई? पहली और दूसरी योजना में तो आप कह सकते थे कि अभी हमारा नया काम है, यह काम ऐसा है कि फौरन रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन आज राजस्थान की जनता पूछ सकती है कि आज रिटर्न क्यों नहीं मिलता, १५–१६ वर्ष के बाद यह नहीं कह सकते कि हम इन्फेन्सी में थे, हमारी शुरू की हालत थी इसलिये रिटर्न नहीं मिला। आज यदि १५-१६ वर्षों के बाद भी रिटर्न नहीं दे सके तो ऐसी योजनाओं से फायदा क्या?

इसके साथ साथ मैं यह अर्ज करूंगा कि आज इस इर्रिगेशन विभाग का जहां तक रिटर्न्स का प्रश्न है, मैं एक बात पर प्रकाश और डालना चाहता हूं और इसके साथ साथ यह भी बतलाना चाहूंगा कि आपके विभाग के द्वारा एक क्वश्चेनियर जारी हुआ था उसकी तहत इन योजनाओं के रिटर्न्स दिये गये और उनको देखने पर आपने उनके लिये नई स्कीमें आपके सामने आई लेकिन स्कीमों के बारे में क्या किया? काफी अच्छी तादाद में क्वश्चनियर जारी किया एक अच्छी किताब छाप कर भेजी गई और उनके उत्तर में जो स्कीमें आपके सामने आईं उन पर आज तक आपने क्या किया? कौनसा सर्वे आपने करवाया। आप जनता से पूछना चाहते हैं, पंचायत समितियों, जिला परिषदों और माननीय सदस्यों से पूछते हैं और वे जो सुझाव देते हैं उन पर आप क्या करते हैं? आपके विभाग, आपके इंजीनियर्स के स्कीमों पर तो मैं प्रकाश डाल चुका हूं। अब मैं प्रकाश डालना चाहता हूं दूसरों से सुझाव आप लेते हैं उन पर। उनके लिये कोई सर्वे तक नहीं होता और

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

जवाब तक नहीं मिलता और उन स्कीमों के बारे में जब प्रश्न पूछा जाता है तो कह दिया जाता है कि अर्थाभाव के कारण ऐसा नहीं हो सकता। राजस्थान के सारे प्रावधान कर्ज लेकर होते हैं। आप तीन चार स्कीमों पर रुपये लगाकर हमको सान्तवना देना चाहते हैं। मैं अर्ज करूंगा कि यह सही रास्ता नहीं है। आपकी दृष्टि लघु और मध्यम सिंचाई साधनों की ओर क्यों नहीं जाती? उनके जरिये काश्तकारों को छोटी मोटी हल्की राहत मिल सकती है वह आप नहीं देते और कह देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। ६० पर्सेंट आप ऋण लेकर लगाते हैं और राजस्थान के कोष में से १० पर्सेन्ट ही लगाते हैं फिर भी आप छोटे लोगों के लिये और तहसील के लोगों के लिये कुछ नहीं करते। मैं कई मर्तबा इस सदन के समक्ष जमवारामगढ़ बांध के बारे में प्रकाश डाल चुका हूं और आज फिर दोहराता हूं और कृषि मंत्रीजी से आशा करता हूं कि वे जवाब देंगे। जमवारामगढ़ बांध से तीन तहसीलों में सैलाब होता था। जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिये यह सबसे बड़ा सिंचाई का साधन था और इसी से जयपुर शहर में पानी दिया जाता था। जयपुर शहर को पानी देने के लिये आप भले ही बन्द करें लेकिन हमारी जनता आपसे यह भी आशा करती है कि उसका ऑल्टरनेटिव अरेन्जमेन्ट क्या है? जो बांध ५० साल से बना हुआ है जिससे ईरिगेशन होता था, १५,००० एकड़ जमीन में सैलाब होता था, तीन तहसीलों के काश्तकारों को सिंचाई मिलती थी उसके लिये ऑल्टरनेटिव अरेन्जमेन्ट आपके पास नहीं है और जब ऑल्टरनेटिव अरेन्जमेन्ट का सुझाव दिया जाता है तो बड़ी बड़ी मीटिंग्ज होती हैं, बड़े बड़े खर्चे टी. ए. और डी. ए. में होते हैं और जब सुझाव आते हैं तो ३ लाख रुपये दे देते हैं, उनकी आवाज को बन्द करने के लिये उनको तकाबी दे देते हैं, इंजन के लिये पैसे दे देते हैं और लोग इंजन लगा भी लेते हैं, तीन वर्ष हो गये काश्तकारों से इन्स्टालमेन्ट और ब्याज दोनों ही लेने का सवाल आ गया लेकिन आपने बिजली की लाइन लगाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

दूसरा बांध रेडेचालेरा के बारे में आपके सामने सुझाव जिला परिषद् और पंचायत समितियों ने दिया उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं देते हैं और कह देते हैं कि हमारे सामने आर्थिक संकट है। एक तरफ तो आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं करते और उस कारण से सारी जमीन बारानी हो गई। बड़ी मुश्किल से आपके पास एक डेपुटेशन आया, चीफ मिनिस्टर साहब उद्घाटन के सिलसिले में वहां पर गये और काश्तकारों पर रोब दिखाने के लिये और क्रेडिट लेने के लिये ५-७ आपके वर्कर्स काश्तकारों को साथ लेकर आये और चीफ मिनिस्टर साहब से निवेदन किया और चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको खुश करने के लिये यह कह दिया कि एक वर्ष तक बन्द नहीं करेंगे, एक पानी और दे देंगे। यह आपका तरीका है जिसके लिये आप रोज सुनते हैं, आप पर लांछन लगाये जाते हैं, वैधानिक तरीके से हम लोग कहते हैं, पंचायत समितियां कहती हैं, जिला परि–

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

षदें कहते हैं, एम. एल. ए.ज़ कहते हैं तब तो आप नहीं सुनते, लेकिन ५-७ आपके कार्यकर्त्ता आकर कहते हैं तो एक मिनट में जुबानी हुक्म दे देते हैं कि एक साल के लिये पानी खोल दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने समय कुछ अधिक ले लिया लेकिन मैं रोड़वासर बांध के बारे में कुछ निवेदन करूंगा। इसके लिये स्कीम बनाई, सर्वे हुआ इससे तीन तहसीलों को फायदा होने वाला था लेकिन इसको इसलिये नहीं लिया गया कि भरतपुर को इससे नुकसान होगा। इस स्कीम की ओर मैं बार बार ध्यान दिला चुका हूं प्रश्नों के जरिये और निवेदन कर चुका हूँ कि आप मौके पर आकर देखिये कि किस एप्रीहेन्शन से गलत तरीके से कह दिया कि भरतपुर का पानी बंद होगा। वह नदी भरतपुर जाती ही नहीं है वह तो इसी तहसील में खत्म हो जाती है। भरतपुर अगर कोई जाती है तो बाण-गंगा जाती है। कई तहसीलों को इससे राहत मिल सकती है लेकिन इस स्कीम की तरफ ध्यान नहीं देते। मैं प्रश्न करता हूं तो कह देते हैं कि अर्थाभाव है और जब प्रकाश में लाते हैं, डिटेल्स बताते हैं तो कहते हैं कि विचार कर रहे हैं। मैं कहता हूं इन दोनों बातों के बारे में कि आप अपने अधिकारियों को भेजें और जाकर देखें कि क्या उपयुक्त है क्या नहीं, कितना फायदा हो सकता है।......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यद्यपि मुझे सहकारिता पर कुछ कहना है लेकिन मैंने सारा समय सिंचाई पर बोलने में ले लिया, मेरे नेता का आदेश है इसलिये मैं एक ही विभाग पर अपने विचार व्यक्त करता हुआ अपना आसन ग्रहण करता हूं।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के संबंध में मैं कुछ अपने जिले की समस्याओं को रखना चाहती हूं। सिंचाई के साधनों के संबंध में जितनी अन्याय पूर्ण नीति अलवर जिले के संबंध में बरती गई है उतनी शायद और जिलों के संबंध में नहीं बरती गई होगी। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अलवर की स्थिति ऐसी है कि न तो वहां पर चंबल जैसा बड़ा बांध बनने वाला है और न किसी और तरह की सिंचाई की योजना चलने वाली है। केवल छोटे बांधों के द्वारा ही इस जिले में सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। स्टेट के टाइम में अलवर जिले की सिंचाई के लिये छोटे छोटे बहुत से बांध थे जिनसे इस जिले की सैकड़ों बीघा जमीन की सिंचाई की जाती थी। लेकिन जब से राजस्थान का निर्माण हुआ है उस समय से ही इन बांधों की ओर राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज उनकी अवस्था ऐसी जीर्ण जीर्ण हो रही है कि उनसे कोई भी सिंचाई का कार्य नहीं हो सकता। इन छोटे छोटे बांधों के कुछ नाम मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। धोली का एक छोटा बांध है जिससे रामगढ़ के आस-पास की काफी भूमि की सिंचाई हो सकती है यदि उसकी रिपेयर्स हो जाय।

इसी तरह से लूहरवाड़ी का बांध है, यूबूजा का बांध है और इसी तरह से कई

(कुमारी उमा माथुर)

बांध हैं। इनका जवाब हमारे मंत्री महोदय इस सदन में देंगे वह- यह है कि यह बांध क्योंकि पचास एकड़ भूमि और इससे कम भूमि का सिंचन करते हैं, इसलिये इन्हें पंचायत समितियों को ट्रांसफर कर दिया गया है और यह अब उनकी जिम्मेदारी में है। इस विषय में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि बांध जब पंचायत समितियों को दिये गये उससे पहले, कई साल पहले ही उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि उनका पानी सिंचाई के काम नहीं आ सकता था। फिर भी जो यह बांध पंचायत समितियों को ट्रांसफर कर दिये गये, किन्तु उनको ट्रांसफर करने के साथ ही साथ उनकी रिपेयर के लिये कोई साधन पंचायत समितियों को सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं किये गये। इन बांधों के पानी से सिंचाई से होने वाली इन्कम का जो रुपया है केवल वही राज्य सरकार द्वारा पंचायत समितियों को ट्रांसफर किया गया है, जब कि इन बांधों की स्थिति ऐसी है ही नहीं कि उनके पानी से भूमि की सिंचाई हो सके और इन्कम हो तो उनकी रिपेअर पंचायत समितियों के द्वारा कराने का प्रश्न नहीं उठ सकता। इसलिये मंत्री महोदय से मेरा निवेदन यह है कि इन बांधों को पहले सरकार ठीक कराने की कार्यवाही करे, और रिपेअर कराने के बाद इन बांधों को ऐसी स्थिति में करके, जिससे इनसे कुछ इन्कम हो सके और पंचायत समितियां आगे मेन्टेन कर सकें, इन बांधों को पंचायत समिति के सुपुर्द किया जाय।

इसके अतिरिक्त अलवर जिले में एक बारां का बांध है जिसको नटनी का बांध कहते हैं। इस बड़े बांध को बांधने के सम्बन्ध में पंचायत समिति के द्वारा, जनता के द्वारा, जिला परिषद् के द्वारा राज्य सरकार को बहुत बार निवेदन किया गया है। लेकिन जब भी इस प्रश्न को उठाया जाता है राज्य सरकार द्वारा भरतपुर का सवाल बीच में उठा कर इस प्रश्न को समाप्त कर दिया जाता है। एक रूपारेल, इस नदी का नाम है, इसका पानी काफी लम्बे क्षेत्र में से बह कर भरतपुर से सीकरी बांध तक पहुंचता है और उस पानी से वहां कुछ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। किन्तु इस रूपारेल नदी को नटनी बारां के स्थान पर, जहां दोनों तरफ पहाड़ी उपस्थित है और एक तरह देखा जाय तो प्राकृतिक रूप से बांध बनाने का स्थान बना हुआ है, उस स्थान पर बांध दिया जाय तो इसके पानी से अलवर जिले की सैंकड़ों एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है। और इसके साथ ही साथ भरतपुर जिले को भी इससे नुकसान नहीं होता है। अभी स्थिति यह है कि यह सारा पानी जब भरतपुर जिले की ओर बह जाता है तो काफी अधिक पानी होने से आगे बहता हुआ जमना नदी में मिल जाता है। इस नदी को बांध दिया जाय और एक पक्की नहर के द्वारा इसके पानी को सीकरी बांध तक पहुंचाया जाय तो उस बांध को जितनी आवश्यकता होगी पानी की उतना पानी देकर बाकी का पानी अलवर में ही रोका जा सकता है और इससे जो अलवर जिले को काफी पानी मिल सकता है और जिससे सैंकड़ों और हजारों एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है, और जो खाद्य समस्या देश के अन्दर विद्यमान है उस

(कुमारी उमा माथुर)

समस्या को हल करने में अलवर जिला भी अपना योगदान दे सकता है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि अलवर जिले की भूमि उपजाऊ है और वहां के किसान महनती हैं। किन्तु सिंचाई के साधनों के अभाव में जिले की स्थिति कृषि क्षेत्र में खराब हो रही है।

इसके अलावा दो-चार विशेष बातों की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। अलवर जिले में अतरिया बांध का पानी ग्राम सुनेहड़ा से एक नहर के द्वारा टोकरी, नगला, भरतपुर, रसगन, शेरपुर, खेड़ी, अलालपुर होकर जिला गुड़गांवा की तरफ निकल जाता है। किन्तु जिस नहर के रास्ते से पानी निकलता था उस रास्ते की करीब दस--पन्द्रह साल से ईरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ खुदाई न होने के कारण और सतह ऊँची हो जाने के कारण रास्ता रुक गया है, और वह पानी उसी स्थान पर रुक कर गांवों की सैंकड़ों बीघा भूमि को नष्ट कर देता है। इस कारण किसान एक ओर काश्त नहीं कर सकते हैं और दूसरी ओर उस भूमि के भूमि कर की वसूली के कारण परेशान होते फिरते हैं। बार बार पंचायत के द्वारा, पंचायत समिति के द्वारा और जिला परिषद् के द्वारा राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने के लिये लिखा गया है पंचायत द्वारा प्रस्ताव भी पास किये गये हैं लेकिन आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। कितनी ही बार मैंने स्वयं सर-पंच और पंचायत समिति के प्रधान के साथ जाकर ईरिगेशन इंजीनियर, अलवर से इस बारे में बातें की हैं और इस बारे में कहा है। लेकिन उन्होंने हर बार सर्वे के अन्दर इस मामले को खत्म कर दिया है। मैं नहीं सम-झती कि यदि यह काम सम्भव नहीं है तो इस सम्बन्ध में पंचायत और पंचायत समिति को उत्तर क्यों नहीं दिया गया?

दूसरा एक ओर बांध है मेवखेड़ा, जिसका पानी आसोज मास में खोला जाता है वह पानी डोली, खेडी, मस्ता-वाद, ललावड़ी आदि ग्रामों में होता हुआ अलावड़ा की तरफ आता है। यह पानी पहले एक नहर में होकर आगे जाता रहा है किन्तु उस नहर की रिपेअर नहीं होने के अभाव में नहर टूट-फूट गई है और इस कारण इसके पानी से इस सारे इलाके में खड़ी फसल बह जाती है; बिल्कुल नष्ट हो जाती है।

इसके सम्बन्ध में मैं बड़ी अजीब घटना आपके सामने रखना चाहती हूं वह यह है कि तीन साल से लगातार इस नहर की सर्वे होती चली जा रही है। पहले हमारे यहां एक अग्रवाल एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर थे उन्होंने इसकी सर्वे रामगढ़ पंचायत समिति के ओवरसियर के द्वारा कराई और यह आश्वासन दिया कि कुछ दिनों में इस काम को हाथ में लेकर इस कार्य को पूरा करेंगे। किन्तु उनके ट्रान्सफर के साथ ही इसके कागज भी पंचायत समिति के ऑफिस और डिपार्टमेंट के ऑफिस में से गायब हो गये। मैंने हरचन्द इस बात की कोशिश की कि उन कागजों को ट्रेस आउट किया जा सके लेकिन वे नहीं मिले। इसके बाद एक दूसरे एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनिनर ओ. पी. माथुर साहब पधारे। उनसे जब मैंने निवे–

(कुमारी उमा माथुर)

दन किया तो उन्होंने खुद वहां जाकर सर्वे किया और उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन उनके ऊपर उपमन्त्री महोदय की कृपा दृष्टि हो गई और बहुत जल्दी ही उनका ट्रान्सफर हो गया। उसके बाद एक तीसरे एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर साहब पधारे। मैंने उनको जब इसके बारे में कहा, तो उन्होंने कहा मैं इसकी सर्वे दूसरे दृष्टिकोण से कराना चाहता हूं क्योंकि इसकी पहिले फ्लड कन्ट्रोल की दृष्टि से सर्वे कराई गई है फ्लड्स के कारण खेती जो नष्ट हो जाती है केवल उसको बचाने की कोशिश करने की दृष्टि से कार्य किया गया है। मैं चाहता हूं कि इसके कुछ भूमि का सिंचन भी हो सके। इस दृष्टिकोण से आज से एक साल पहले सर्वे कराई किन्तु आज तक भी उस सर्वे के बाद उसका क्या रिज़ल्ट रहा और क्या होने वाला है–यह पता नहीं लग सका है। बराबर इसके बारे में पंचायत के द्वारा, पंचायते समिति के द्वारा लिखा जाता रहा है और कोशिश की जाती रही है लेकिन कोई एक्शन इस बारे में नहीं लिया गया। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस जिले पर भी कृपा दृष्टि रखी जाय और इस दृष्टि से देखा जाय कि वहां पर सिंचाई के साधनों का अभाव है, इसलिए जो आज के दस-पन्द्रह साल पहले तो छोटे छोटे बांध सिंचाई के साधन उपलब्ध करते थे, कम से कम उनको ही दुबारा इस स्थिति में पहुंचा दिया जाय कि उनसे सिंचाई करके खेती के द्वारा वहां की जनता भी विकास की ओर चल सके और गरीबी व भूखमरी से लड़ सके। और आगे जाकर वह भी राजस्थान के प्रगति की ओर बढ़ते हुए चरणों के साथ अपना चरण बढ़ा सके।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी विभाग और सिंचाई विभाग की मांग पर मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मुख्यतया में सिंचाई विभाग पर कुछ निवेदन करते हुए सहकारी विभाग के सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करना उचित समझूंगा।

सहकारिता आन्दोलन को जो पवित्र उद्देश्य से हाथ में लेकर आरम्भ किया गया था, आज बड़े दुःख की बात है कि जिन इकाइयों के अन्दर यह सहकारिता आन्दोलन काम कर रहा है इनसे आशा तो यह थी कि वे इकाइयां सहकारिता-आन्दोलन को बल देंगी। लेकिन इसके विपरीत जिन जिन क्षेत्रों में सहकारिता का कार्य हुआ वहां पर इस सहकारिता-आन्दोलन की बदनामी ही ज्यादा हुई है। मैं तो समझता हूं कि यहां तक कहना उचित होगा कि आज उस आन्दोलन को, और जो इस आन्दोलन के कर्णधार हैं उनको आज घृणा की दृष्टि से लोग देखने लग गये हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सहकारिता-आन्दोलन की जिस क्षेत्र में तरक्की होनी चाहिए थी, विशेषकर पिछड़ा हुआ वर्ग जहां है वहां सहकारिता-आन्दोलन के द्वारा उनका उत्थान और आर्थिक उन्नति होनी चाहिए थी वहां उन क्षेत्रों में इस सहकारिता-आन्दोलन के द्वारा उनका एक्स-प्लोइटेशन हो रहा है। उन क्षेत्रों में उन लोगों के नाम से सहकारी समितियां तो जरूर बनी हुई हैं लेकिन उसका जो उचित उपयोग होना चाहिए और जो उचित फायदा

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उन लोगों को मिलना चाहिए वह उनको न मिल कर जो पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं उनको मिल रहा है और जो अनपढ़ और भोले व्यक्ति हैं उनकी अयोग्यता के कारण उनका शोषण किया जा रहा है और एक्सप्लाइटेशन किया जा रहा है ।

(१. म. प.)

अध्यक्ष महोदय, सदन में और सदन के बाहर इस प्रकार की चर्चाएं बराबर होती हैं लोगों में कि लोगों ने बोगस को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना रखी हैं जिनके मेम्बरों का पता नहीं, सदस्य क्या कार्य करते हैं, नियमों का पालन भी होता है या नहीं । संदस्यों के नाम रेकॉर्ड पर मौजूद हैं, सदस्य मौजूद हों या नहीं, उसमें क्या कार्य होता है, बहुत से सदस्यों को मालूम नहीं । उसका कुछ व्यक्ति फायदा उठाते हैं । मैं तो यहां तक कहूंगा कि आपके यहां, यहां तक आपको मालूम नहीं कि किसमें कितना ऋण लिया और किसमें कितना ऋण बाकी है । किसको कितनी सहायता दी, उसका भी पता नहीं । बकाया किन किन लोगों में है उनकी वसूली होती है या नहीं उसका भी अपको पता नहीं । मैं इन दो-चार बातों को लेकर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा । सहकारी समितियां बनी हैं । उन्होंने ऋण-वितरण किया, लोगों ने ऋण लिया और उन्होंने वापिस वह रकम जमा भी करा दी, लेकिन उसके विपरीत भी उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही वसूली की जा रही है । आज उन लोगों के खिलाफ पी. डी. आर. के तहत कार्यवाही की जा रही है और उन पर कुर्कियां जारी हो चुकी हैं और उनके मकानों आदि की कुर्कियों की तैयारी की जा रही है और २५. ३. ६५ को उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही होगी, उनकी प्रोपर्टी २५. ३. ६५ को नीलाम हो जावेगी । मैं आपको बता सकता हूं, यह सहकारी समिति ग्राम नटवर (नरवर) श्रीनगर, जिला अजमेर की बात है......

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह रुपया कहां जमा कराया ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप जल्दी मत करिये । आप आदत के खिलाफ मत करें । यह मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी को बीच में इन्टरप्ट करूं और न मैं यह चाहता हूं कि आप भी मुझे इस तरह से इन्टरप्ट करें ।

मैंने सहकारी समिति नटवर बताई । उनकी १३-१४ की लिस्ट है । उन्होंने ऋण लिया और वापिस उन्होंने उसको अदा कर दिया । उन्होंने श्री लेखरामजी केशियर को वह रुपया वापिस दे दिया और उन्होंने उसकी रसीद भी उनको दी जो उनके पास मौजूद है । उसके बाद भी १३–१४ व्यक्तियों के खिलाफ पी. डी. आर. के नोटिस दिये गये हैं; उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन दिया कि हमने रुपया जमा करा दिया है और हमारे पास रसीदें मौजूद हैं, मगर उनको एसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार द्वारा यह कहा जाता है कि आप पहले रकम कोऑपरेटिव बैंको में जमा करा दो, आपकी रकमें बैंक में जमा नहीं हुई हैं; बाद में कार्यवाही की जावेगी ।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस संस्था से ऋण लिया गया उसी संस्था के केशियर के पास जमा करा दिया और उसकी रसीद उनके पास मौजूद है; उनसे फिर इस तरह से वापिस रुपया पी. डी. आर. की मार्फत कुर्कियें करा कर वसूल करना उचित नहीं होगा। मुझे यहां तक मालूम हुआ है कि मेरे क्षेत्र के लोग माननीय मंत्री से मिले। उनका भी यही जवाब था कि पहले पैसा जमा कराया जावे, बाद में सोचते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि इसी प्रकार से ईमानदार व्यक्तियों के साथ इस प्रकार का सुलूक रहा तो मैं समझता हूं कि सहकारी आन्दोलन की उन्नति नहीं होगी बल्कि उसमें गिरावट ही दिनोदिन आवेगी।

इसी प्रकार एक केस है मेलाखेड़ी का। यह बारां में है। वहां पर भी गोपाललाल महावत वैतनिक मंत्री थे। उन्होंने ८५० रुपया वहां के प्रसारी अधिकारी, वृजकिशोर श्रीवास्तव को केवलइसलिए दिया कि वे उस रकम को बैंक में जमा करा दें। लेकिन अब तक वह रुपया बैंक में जमा नहीं कराया। उनकी फोटो रिसीप्ट भी मेरे पास मौजूद है। मगर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं यह कहूंगा कि जिसके पीछे किसी प्रकार का जैक नहीं हो, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप जल्दी एक्शन ले सकते हैं और रुपया, उसकी प्रोपर्टी को नीलाम करा कर, वसूल कर सकते हैं और उनको परेशान कर सकते हैं, लेकिन जिनके जैक होता है या किसी प्रकार का सपोर्ट होता है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। मैं यह कहूंगा कि आपने श्रीवास्तव के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। आपको उसके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाना चाहिये था, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन तक नहीं लिया। इतना ही नहीं इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन्सपेक्टर, एसिस्टेन्ट इन्सपेक्टर आदि को सिलेक्ट करके बाद में अपोइन्टमेंट देकर कुछ दिनों बाद यानी महीने, आध महीने बाद सर्विस में लेने के बाद ट्रेनिंग में भेजते हैं, उसका नतीजा यह होता है कि उनका अपोइन्टमेंट हो जाता है और एक महीने बाद में आप उनको ट्रेनिंग में भेजते हैं तो आपको उनको स्टाइपेन्ड देनी होती है। इसके अलावा उसकी नियुक्ति आपने कर दी, इसलिये उसको आपको वेतन देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि यह सरकार के एक्सचेकर पर भार है। इस पर विभाग सोचे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ अदालत में क्रिमिनल केसेज पैन्डिंग हैं और जो भी क्रिमिकल केसेज हैं वे इसी विभाग की रकम की खयानत करने के सम्बन्ध में हैं, मगर मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उनको आपने अभी तक सस्पेन्ड नहीं किया है। उनको मौअत्तिल रखा जाना चाहिये; मगर आपने उनको सस्पेन्ड या मौअत्तिल नहीं रखा है। आपके विभाग ने उन लोगों को सजा देने के बजाय उल्टा प्रोटेक्शन दिया। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि श्री कृष्णगोपाल चेचट;

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

वे एसिस्टेन्ट इन्सपेक्टर झालावाड़ में थे। उनके खिलाफ केस चल रहा था, उनको आपने इन्सपेक्टर बनाया। इसी प्रकार टेक-चन्द यादव हैं। उनके खिलाफ केस चल रहा है। उसको भी आपने एसिस्टेन्ट इन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर बनाया। कहने का तात्पर्य यह कि आपके विभाग ने उनको प्रोटेक्शन दिया और कहा कि लूटो, खाओ और मस्त रहो।

इसके अलावा दूसरी बात यह है कि आपके विभाग में एसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के लिये यह जरूरी है कि पी. एस. सी. या डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमेटी के द्वारा एप्रूव्ड व्यक्ति हो तभी उसको असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार बनाया जावेगा। मगर आपकेविभाग को किसी दूसरे व्यक्ति को बनाना था बना दिया और पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव नहीं करवाया या डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमेटी से एप्रूव नहीं कराया। इसका कारण भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैं किसी पर व्यक्ति लांछन नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं यह कहूंगा कि श्रीकिशन माथुर और गोविन्दपन्त व्यास को आप्ने लिया और उनके पी. एस. सी. या डिपार्टमेंटल प्रोमो-शन कमेटी द्वारा एप्रूव्ड नहीं हुए। यदि यही नीति आपकी रही और इसी प्रकार से आपके विभाग में क्रम चलता रहा तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सहकारिता चलने वाली नहीं।

अब मैं सिंचाई विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने सेन्ट्रल सरकार के सहयोग से चम्बल बैराज में अपनी कार्यवाही शुरू की। और जहां तक कोटा बैराज वहां पर है ५३–५४ में हो चुका है और सिंचाई शुरू हुई है। और जैसा कि स्वयं मंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारा टार्गेट ५।। लाख एकड़ का था और इस वक्त का टार्गेट है वह ४।। लाख एकड़ सिंचाई करा पावेंगे। इसके लिये विशेष कारण कृषि मंत्री व सिंचाई मंत्री ने बताये हैं कि धोरों की कमी है और लोगों ने धोरे नहीं बनाये इसलिये यह कमी आ रही है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार ने स्वयं ने अपने आंकड़ों से बताया है कि हमें ७,८०० मील के धोरे बनाने हैं और ७ हजार मील के धोरे बन चुके हैं।

इनमें से ६ हजार मील के धोरे बन चुके हैं। केवल १८ मील के धोरे और बनने हैं।तो जो आप केवल इसी को कारण मानते हैं कि धोरों के निर्माण के न होने के कारण जो साढ़े पांच लाख एकड़ की सिंचाई का टार्गेट था वहां सिंचाई नहीं कर सके, कहां तो साढे पांच लाख एकड़ का टार्गेट और कहां दो लाख एकड़, ६ हजार मील के धोरे पूरे कर चुके हैं केवल १,८०० मील के धोरे बाकी हैं, इन १८०० मील धोरों से क्या आप टार्गेट प्राप्त कर सकेंगे? तो इन धोरों का निर्माण न होना सिंचाई न होने का मुख्य कारण नहीं है। जो मुख्य कारण है उसे आप स्वयं भी अनुभव करने लग गये हैं; वह यह है कि उस क्षेत्र के किसान आज नहर के पानी का उपयोग नहीं समझ पाये हैं, सीपेज और लोगिग की समस्या ऐसी विकट हो गई है कि इनके कारण किसान घबराने लग गये हैं। पहले

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

तो सिचाई विभाग ने सीपेज और लोगिंग की बात को नहीं माना, पर अब आप मानने लग गये कि सीपेज और लोगिंग है। हालांकि ये आंकड़े हमारी निगाह में सही नहीं हैं फिर भी आप १८,००० एकड़ भूमि के लिये मानते हैं कि आज उस क्षेत्र में सीपेज और लोगिंग के कारण प्रभावित है, उस भूमि में ऊसरपन आने लग गया है, वह भूमि इस तरह से दिखाई देती है जैसे उसमें बर्फ जमा हुआ हो, वह जमीन जगह जगह सफेद नजर आती है। केवल सीपेज और लोगिंग ही नहीं है, पुलियाओं की कमी के कारण सीपेज और लोगिंग के कारण सड़कें खराब हो गई हैं। उस क्षेत्र में आप बैटरमेंट लेवी लागाना चाहते हैं तो वह गलत है। हमारी पार्टी का मत है कि उस क्षेत्र में बैटरमेंट लेवी नहीं लगानी चाहिये, जब तक कि उस क्षेत्र में अच्छी तरह से सुधार नहीं हो जाय, जब तक कि किसान सिचाई के कारण प्रोडक्शन के जो आंकड़े हैं कि पर-एकड़ इतना प्रोडक्शन होना चाहिये, उतना प्रोडक्शन नहीं कर सके, तब तक बैटरमेंट लेवी नहीं ली जानी चाहिये।

उमेदगंज में सरकारी फार्म है। चेचट से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि उस क्षेत्र में आपको लौस होता जा रहा है; हालांकि सब तरह की सुविधाएं आपके फार्म को उपलब्ध हैं। समय पर अच्छा खाद, अच्छा बीज उपलब्ध होता है, शिक्षित एक्सपर्ट लोग आपके पास मौजूद हैं और वर्जिन लैंड, नौ तोड़ जमीन, को आपने तैयार किया था।

श्री नाथूराम मिर्धा (सिचाई मंत्री) : आपने फार्म को देखा है क्या कमी ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : देखा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कितने दिनों पहले ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : तीन-चार महीने पहले गया था।

श्री नाथूराम मिर्धा : जब सूखा था तब गये थे। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बीच में छुट्टी हो तब आप वहां चले जाइये। उस फार्म के आस-पास किसी भी जगह ऐसी बढ़िया फसल कहीं भी खड़ी हो, आप एक भी खेत बता देंगे तो मैं मानूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं आपसे यही कहलवाना चाहता था..

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : उमेदगंज के सरकारी फार्म के मुकाबले में अच्छी फसल आस-पास में कही नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह सब मेरे आर्ग्युमेंट को सपोर्ट करता है। उमेदगंज फार्म में हमेशा से नुकसान हुआ है। इस साल बड़ी अच्छी फसल है, आपके पास के क्षेत्र में ऐसी अच्छी फसल और कहीं नहीं है। उस क्षेत्र में सबसे अच्छी फसल उस फार्म में है। आपकी इसी बात को लेकर मैं अपील करता हूं कि उस क्षेत्र के किसानों के बारे में सोचते हुए अनुमान लगायें कि किस क्षेत्र में बैटरमेंट लेवी लगा

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

रहे हैं। उस क्षेत्र में तरक्की नहीं हो पाई है, इसलिये वहां बैटरमेंट लेवी नहीं लगानी चाहिये। जिन क्षेत्रों में आप तरक्की नहीं कर सके हैं, पर– एकड़ प्रोडक्शन का जो मिनिमम टार्गेट है वह जहां पूरा नहीं हो पाया है, वहां बैटरमेंट लेवी नहीं लगाई जाय। मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जहां इस प्रकार की समस्यायें आती हैं तो उनको आप अवोइड करते हैं, एम्बेज़लमेंट की और दूसरी गड़बड़ियों की बातें हम रखते हैं तो उनको आप टालना चाहते है, अवोइड करते हैं। कोटा बैराज के बनने के आरम्भ से आज तक निर्माण के सम्बन्ध में हुई गड़–बड़ियां, अकाउण्ट की गड़बड़ियां, टूटने के बारे में, नुकसानों के बारे में, समय समय पर चर्चा की गई, पर सरकार की ओर से अधि–कारियों को हमेशा प्रोटेक्शन दिया गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम सदन में माननीय सदस्यों को बार बार तथ्य रख कर संतोष कराते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि टालने की कोशिश करते हैं। जिन जिन समस्याओं को आपने उठाया है हमेशा हमने उनका संतोषजनक उत्तर दिया है। आप जैसे समझदार इस प्रकार की चर्चा करें, इस प्रकार की गलत बातें करें, इससे वातावरण क्षुब्ध होता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जहां तक सरकार का सहयोग देने का सवाल है, आप उपेक्षा करते हैं; पर जहां विरोधी दल द्वारा सहयोग दिये जाने का सवाल है हम आपको सहयोग देंगे। आपने कभी सहयोग मांगा हो और हम नटे हों तो आप कहिये। आप अगर यह चाहते हैं कि सही बातें हम यहां पर नहीं रखें, जो वास्तविक स्थिति है उसे सदन के सामने नहीं रखें, तो यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सही बातें सदन के सामने रखना हमारा कर्त्तव्य है।

ऑडिट रिपोर्ट आपकी इन खामियों से, इर्रेगुलेरिटीज़ से, गड़बड़ियों से, भरी पड़ी है। १९६४की ऑडिट रिपोर्ट में आपकी इन खामियों के बारे में कितना लिखा है, अब ए. जी. की पार्टीज़ वहां गई तो आपके रजिस्टर्स से शोर्टेजेज़ के बारे में, अकाउन्ट्स की गड़बड़ियों के बारे में एक्स्प्लेनेशन्स मांगें, वे एक्स्प्लेनेशन्स आज तक नहीं दिये गये हैं। जिस समय कैनाल बनी, जिन जिन ठेकेदारों ने काम किया, इन ठेकेदारों ने सरकार से अपने पैसे की वसूली के बारे में कार्यवाही की, उनको कोर्टों में जाना पड़ा, लाखों रुपयों की डिक्रियां अदालतों में और अदालतों के बाहर इन ठेके-दारों के हक में हुई, आखिर कोर्ट फीस का रुपया, वकीलों के मेहनतानों का रुपया किसको चुकाना पड़ा ? आपके लॉ डिपार्टमेंट को ठेकेदारों के द्वारा सेक्शन ८० के तहत नोटिस मिले तो लॉ डिपार्टमेंट बैठा क्यों रहा? जिन अधिकारियों ने सरकार को ठीक प्रकार की सलाह नहीं दी, समय पर कार्य–वाही नहीं की और इसके कारण कोर्ट फीस और वकीलों के मेहनताने के रूप में सरकार को नुकसान हुआ, इसकी रेस्पोन्सिबिलिटी सरकार को उन अधिकारियों पर डालनी पड़ेगी कि कौन इस सबके लिये जिम्मेदार हैं।

जब यह बांध बन रहा था तो चम्बल रेस्ट हाउस से कोटा बैराज तक सादीदेड़का

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

का पुल है, वह सड़क एक लाख नहीं दो लाख नहीं, ४ लाख का नुकसान हुआ ।

मैं यह कहूंगा कि जो अधिकारी थे उनको मालूम नहीं था क्या ? इसके लिये जो एक्सपर्ट्स, हैं जिनको अच्छा वेतन मिलता है, वे किस बात के लिये ? अगर वे अपने अनुभव के आधार पर यह अनुमान नहीं लगा सकते कि अमुक संख्या का मेटीरियल है, इतना पानी आने के बाद वह स्टैंड नहीं कर सकता तो उनके अनुभव का क्या फायदा ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राणा प्रतापसागर पर शायद मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं और चर्चा में जाना नहीं चाहता, लेकिन जो मुख्यमन्त्री ने प्रश्न उठाया और इसलिये नाराज हुआ कि जयसुखलाल हाथी का नाम लेना ठीक नहीं होगा। मैं कह चुका हूं और मेरी आदत नहीं कि मैं किसी की व्यक्तिगत चर्चा करूं या लांछन लगाऊं, लेकिन मैं फिर कहता हूं निश्चित तौर से कि जो कुछ मैंने कहा था उसके अन्दर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा था और उसमें जयसुखलाल हाथी का पूरा हाथ है। क्या कारण है ? उन तथ्यों पर मैं नही जाना चाहता, क्योंकि यह मामला अब सदन में नहीं, बल्कि बाहर जा चुका है। कई कारणों से जयसुखलाल हाथी...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): पोइंट ऑफ ऑर्डर; जो व्यक्ति सदन में नहीं हैं उनकी अनुपस्थिति में उनका नाम लेकर आरोप लगाना इस सदन की प्रथा नहीं है। आपकी रूलिंग्ज़ हैं इसलिए वगैर नाम लिये जो हमारे यहां की इरेंग्यूलेरिटी है...

श्री कृष्णकुमार गोयल : नाम नहीं लूंगा । क्योंकि चर्चा आई थी और सदन के बाहर भी चर्चा चली है इसलिये मैंने कहा कि मुख्यमन्त्री ने कहा था, उसी रेफरेंस के अन्दर मैंने बात कही। सरकारी पक्ष से आशा करूंगा कि प्रत्येक फैक्ट पर अपना जवाब दे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस बात पर जयसुखलाल हाथी का नाम लेकर...

श्री अध्यक्ष : यह सिलसिला तो समाप्त हो गया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर आप विशेष मुद्दे बतायें टेन्डर के बारे में तो जिस तरह का स्पष्टीकरण चाहेंगे, उस तरह का दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : व्यक्तियों का नाम नहीं लिया था, वाद में चर्चा के विषय में....

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां से चिट्ठी आई ।

श्री अध्यक्ष : इसका चिट्ठी से मतलब नहीं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस कार्य का आरम्भ ५–१२–६१ को हुआ । इस सम्बन्ध में मोर्डन कन्सट्रक्शन कम्पनी, जो एक गुजरात की कम्पनी है, जिसके सारे डाइरेक्टर्स गुजराती हैं, उस कम्पनी से १–५–६२ को एग्रीमेंट किया गया और वह

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

एग्रीमेंट फाइनल नहीं था, एक प्रोवीजनल एग्रीमेंट था। १–५–६२ के बाद १–६–६४ को आपकी सरकार लीगल एडवाइस के बाद उसको फाइनल रूप में स्वीकार करती है और आज तब बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो एग्रीमेंट है लॉ डिपार्ट-

(१.२५. म. प.)

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

मेंट से फाइनल होकर नहीं आई। वह चम्बल बोर्ड के पास पड़ी हुई है। १७–१२–६२ को कार्य आरम्भ हुआ, ठेकेदार से एग्रीमेंट किया, उसको फाइनल शेप तीन साल के बाद राज्य सरकार १–६–६४ देती है। मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा कि तीन साल तक लॉ डिपार्टमेंट से एग्रीमेंट पर सलाह क्यों नहीं ली गई, क्या कॉम्प्लीकेशन्स हुए? आज उसका क्या परिणाम हो रहा है! राज्य सरकार को कितना नुकसान हो रहा है उसके लिए बाद में निवेदन करूंगा। जब इस डैम का निर्माण आरम्भ हुआ उससे पूर्व टेन्डर आमंत्रित किए थे। टेन्डर्स कब आमन्त्रित किए थे? क्या यह सही है कि जब उनको आमन्त्रित किया था उन पर ४ लाख रुपए अर्नेस्ट मनी जमा कराने की कोई शर्त नहीं थी और अभी तक जितनी हो रही है उनके अन्दर ए क्लास ठेकेदारों के लिए इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है कि वे व्यक्ति अर्नेस्ट मनी जमा कराए। तो केवल इस कार्य के लिए क्यों शर्त लगाई गई कि जिस ठेकेदार को देना है उसको चार लाख रुपए अर्नेस्ट मनी जमा करानी पड़ेगी। अर्नेस्ट मनी की जो कन्डीशन थी वह २४ घण्टे पहले लगाई। कल टेन्डर खुलना था आज उसकी कन्डीशन लगाई। क्यों, किसको फायदा पहुंचाने के लिए? जैसी मेरी सूचना है, चम्बल बोर्ड से इस संबंध में लिखित सूचना दो महीने बाद राइटिंग में आई, बाकी केवल जुबानी जमा–खर्च पर अर्नेस्ट मनी की कन्डीशन लगाई। मेरा निवेदन है कि जो स्थायी ठेकेदार थे, जो स्थानीय ठेकेदार थे जिन्होंने राजस्थान के अन्दर कई बांधों के निर्माण का काम किया, वे सारे महरूम हो गए? अगर एस्टीमेट्स को देखा जाय और आसपास जो निर्माण हुआ है उसके मुकाबले में जो एस्टीमेट्स इस कम्पनी के मंजूर हुए हैं वे २५ प्रतिशत हाई हैं, उसका कारण क्या है? इतना ही नहीं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस चार लाख रुपए की अर्नेस्ट मनी की जो कन्डीशन लगाई और जिसे कम्पनी ने जमा कराया, उसको आपने वह अर्नेस्ट मनी कैसे लोटा दी जबकि ठेके की शर्त के अनुसार जब तक कार्य पूरा न हो तो फिर आपने पैसे कैसे लौटा दिए? इतना ही नहीं जहां डैम्स और बैरियर्स बनते हैं उसके लिए प्रावधान है कि कोई कम्पनी काम करे तो हैवी मशीनरी पर्चेज की जाती है तो उस कोस्ट पर ६० प्रतिशत लोन सरकार की तरफ से दिया जाता है। इस कम्पनी को २० लाख रुपए एडवान्स दिए गये थे और इस कम्पनी ने मुश्किल से दो लाख की मशीनरी खरीदी और बाकी १८ लाख की मशीन नहीं खरीदी। सारी मशीनें वे ही थीं जो पहले राजस्थान से बाहर गुजरात

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

और दूसरे स्थानों पर ठेके के कार्य चल रहे हैं वहां की मशीनरी थी, उसी पुरानी मशीनरी को राणा प्रतापसागर पर लाया गया। इस प्रकार इस कम्पनी ने जो चार लाख अर्नेस्ट मनी थी वह वापिस ले ली और बीस लाख रुपए मशीनरी के उसको मिले जिसमें से थोड़ा पैसा मशीनरी पर खर्च किया। इस प्रकार लगभग २० लाख इस कम्पनी ने अपनी जेब के अन्दर रख लिया। इस प्रकार लॉ डिपार्टमेंट के एग्रीमेंट के बारे में सलाह नहीं ली गई, उसके कारण कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हुए हैं।

जो एस्टीमेंट था उसके अनुसार कंपनी को ५० प्रतिशत रेत कोटा से लानी थी। कोटा और राणा प्रतापसागर डैम के बीच ३०–३५ मील का फासला है और आज क्या हो रहा है, वह कम्पनी उस रेत को उसी स्थान से प्राप्त कर रही है, लेकिन डिफेक्टिव एग्रीमेंट की वजह से लॉ डिपार्टमेंट की सलाह न लेने की वजह से, सरकार मजबूर है जिससे बिल के अन्दर कुछ डिडक्ट नहीं कर सकती। इस प्रकार सुर्खी जो एस्टीमेट के अनुसार मातासर गांव से लानी थी जो डैम से १६ मील दूर है, लेकिन आज वह सुर्खी मातासर से नहीं आ रही है, राणा प्रतापसागर पर ही मिट्टी को गर्म करके वहीं लाल मिट्टी बनाकर उस डैम के अन्दर काम में लाई जा रही है। मिट्टी किस प्रकार की? मेरी तो जहां तक सूचना है वह यह है कि आपने क्वालिटी कन्ट्रोल बोर्ड बना रखा है, वह बिल्कुल बोगस बोर्ड है। फिज़िकल चेकिंग ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है और मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है। यह दूसरा पहलू है।

जहां तक सुर्खी का सवाल है मातासर से आनी चाहिये थी। लेकिन यह तो राणा-प्रताप सागर में ही बना रहे हैं। सरकार को उनके बिल से यह पैसा काटना चाहिये था, लेकिन वह नहीं काट सकी। कारण क्या है? तीन साल बाद एग्रीमेन्ट हुआ और लॉ डिपार्टमेंट को रेफर किया गया तो कहा कि इसमें कई लेकुनाज़ हैं और आज उन लेकुनाज़ के कारण सरकार की मुश्किलें हो रही हैं। राणा प्रतापसागर डैम में एवरेज दो हजार बोरियां सीमेन्ट की रोज खर्च होती हैं। एक बोरी की कीमत साधारण व्यक्ति यदि उसको बाजार से खरीदता है तो आठ आना है। आप आठ आना नहीं मान कर चार आना ही मान लीजिये। डैम का निर्माण हो रहा है। कितनी बोरियां वहां पर सीमेन्ट की जमा हुई होंगी? इसलिए आपका एग्रीमेन्ट डिफेक्टिव है। कंपनी के बीच जो मुआहदा हुआ वह यह था कि कन्ट्रोल्ड आइटम्स; जैसे लोहा, स्टील, सीमेन्ट, सरकार अमुक प्राइस पर उस कंपनी को सप्लाई करेगी। चाहे कितनी ही कीमत उसकी पड़े उसके लिए सरकार पाबन्द है, उसको उस कीमत पर सप्लाई करें। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह सीमेंट सप्लाई करने के लिए पाबन्द है। क्या बोरियां बाद में लायी जायेंगी? करोड़ों बोरियां जो इस प्रकार सीमेंट की दी गई उनको मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ने लौटाने से इन्कार कर दिया है। सरकार बहुत दिनों तक लड़ती रही और आपकी ओर से आखिरी निर्णय यह हुआ,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड के द्वारा निर्णय यह हुआ, कि वास्तव में ये बोरियां सरकार नहीं ले सकती। मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के पास यदि चार आना बोरी का भी हिसाब लगाया जाय तो करोड़ों बोरियों की कीमत आज भी उसमें बकाया है। करोड़ों बोरियां उसके पास हैं। इसका पैसा किसको मिला और फायदा किसको हुआ ? मोडर्न कंपनी को हुआ। सरकार को बहुत नुकसान हुआ। इन सीमेंट की बोरियों को रखने से, एग्रीमेन्ट में कई प्रकार के लेकुनाज़ रह जाने के कारण से, उस कम्पनी को अर्नेस्ट मनी लौटा देने से, मेरा यह विचार बनता है कि इस चार करोड़ के निर्माण कार्य में कम से कम भी एक करोड़ रुपयों का घोटाला है। आप इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी कराइये. मैं यह साबित कर दूंगा। आपका रिकॉर्ड ही बतायेगा। मुझे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय थोड़ा ध्यान दें। सन् १६६१ में इसी राणा प्रतापसागर डेम पर दो लाख क्युबिक फीट पत्थर पड़े हुए थे। मैं पूछना चाहता हूं कि वह पत्थर कहां गया ? समय समय पर ऑडिट ने ओब्जेक्शन किया या नहीं ? दो लाख क्युबिक फीट पत्थर कहां बह गया ? कौन जिम्मेदार हैं उसके लिए ? सभापति महोदय, दो लाख क्युबिक फीट पत्थर के लिए कोई जांच नहीं की जा रही है। मेरी सूचना यह है कि धीरे २ उस कमी को पूरा किया जा रहा है। आप चेतें, समय रहते चेतें। मंत्री महोदय, आपका दामन पाक है, यह आपके सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं; आप दो लाख क्युबिक फीट पत्थर की फौरन जांच करा लीजिये।

श्री चौसरसिंह चावेल (वेंगू) : सभापति महोदय, यह बात बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी में है। सैंकड़ों कमियां मुझे भी मालूम हुई हैं। आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है।

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण) : आपकी सूचना के अनुसार दो लाख क्युबिक फीट पत्थर बतला रहे हैं वह पत्थर कहां गया ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : सरकार का पत्थर था, पानी में बहना बताया जा रहा है; न तो ए. जी. उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और न ही आपका डिपार्टमेंट।

श्री दौलतराम सारण : मैं आपकी सूचना के अनुसार यह जानना चाहता हूं कि वह पत्थर कहां गया है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : दो लाख क्युबिक फीट पत्थर था वह कहां ही नहीं गया, ठेकेदार को दे दिया गया। आप इसकी जांच कराइये।

सभापति महोदय, हुआ अब क्या नतीजा ? यह बात कही जा रही है, बेचारी गरीब कम्पनी है, गुजरात की कम्पनी है, गरीब आदमियों की है, कुछ इसमें हिस्सा नहीं है; हमें यह भी दीजिये, वह भी दीजिये।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

हमारी सरकार ने कुछ मांगें मंजूर कर लीं और कुछ नामंजूर करलीं और कुछ विचाराधीन हैं। उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। खाली बोरियां लौटाने का सवाल था, खाली बोरियां कम्पनी को लौटा दीं। चार लाख की अर्नेस्ट मनी लौटा दी। लेबर चार्जेज़ के लिए नहीं माना, कन्सेशन रेट लेबरर्स की होनी चाहिये, वह नहीं माना, इन्ट्रेस्ट चार्जेज़ और सीमेंट की बोरियों को लदाने की कोस्ट आती है उसको नहीं माना। सरकार विचार कर रही है बड़ी सिम्पेथिटिकली उस गरीब कॉन्ट्रेक्टर के बारे में। बेचारा देश का निर्माण कर है। देश को बांध देगा। उस गरीब कम्पनी के बारे में सरकार सिम्पेथिटिकली विचार कर रही है। जो जी. सी. शीट्स उसको मिलते हैं उसके सेल्स टैक्स के बारे में झगड़ा चल रहा है। सरकार विचार कर रही है। पत्थर की रेट तय हुई थी उसको बढ़ाया जाय। रॉयल्टी टैक्स पत्थरों को लगता है उसे लौटाये, सैल्स टैक्स लौटाये। मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट के तहत कम्पेन्सेशन का मामला चल रहा है उसको खत्म किया जाय। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, मैं एक बात कहना भूल गया। आपके एग्रीमेंट मे यहां तक तय हुआ है कि बांध के निर्माण में जो पत्थर लगेगा वह सात मील दूर का पत्थर आवेगा। सात मील दूरी को नाप कर एग्रीमेंट बनाया। लेकिन, सभापति महोदय, आज बांध के निर्माण के अन्दर अधिकतर पत्थर पड़ता है, ८० परसेंट अन्दर पड़ता है वह वहीं का लोकल पत्थर है जो आप-सास निकलता है, पत्थर वहां पर वहीं काम में लाया जा रहा है और जो मंहगा पत्थर है, जिसके लिये एग्रीमेन्ट हुआ था वह २० परसेंट पत्थर मंत्रियों को और दुनिया को दिखाने के लिये वहां से लाया जाता है। एग्रीमेंट पहले बाहर के पत्थर का हुआ था जो चुनाई के काम में आता है, वह पत्थर सात मील दूर का था। वह पत्थर केवल २० परसेंट ही दिखाने के लिए लाया जा रहा है जब कि ८० परसेंट पत्थर जो वहीं आस-पास लोकल है, उसको काम में लाया जा रहा है। लेकिन आज हमारा विभाग, चंबल कन्ट्रोल बोर्ड, सब खराबी को देखकर भी चुप है। माननीय कृषि मन्त्रीजी आप ध्यान दीजिये। घोटाला न हो। राष्ट्र के निर्माण में जनता टैक्स के रूप में एक एक पैसा चुकाती है, एक एक पैसा देकर सहयोग देती है। आज देश का निर्माण करने जा रहे हैं। यह सर्टिफिकेट देने की कोशिश मत करो कि वह ईमानदार है या बेईमान है। एक दिमाग इम्प्यूट नहीं कर सकते। आप जांच करें।

कोटा डेम के अन्दर क्या हुआ? फुट ब्रिज बनायी गई बरसात के दस दिन पहले और बरसात के बाद उसको तोड़ दिया। २४-२५ हजार रुपया उस ब्रिज पर खर्च किये। इंजीनियर साहब पधारेंगे, दरबार की सवारी निकलेगी। मंत्री महोदय, खास कर एक बात और देखिये। आपके सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर और चीफ इंजीनियर। उनका हैडक्वार्टर कोटा है ना; न कि राणा प्रतापसागर या कोटा डैम। सारे के सारे कोटा में रहते हैं। कोटा से चम्बल बेराज होकर वहां पहुंच सकते हैं। यहां पर भी आप पता लगायें कि साइट पर काम करने का अलाउन्स मिलता है, हाउस का अलाउन्स

Page No 78

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

मिलता है, ये लोग ले रहे हैं या नहीं ? रहते कोटा में हैं, हाउस अलाउन्स और बाहर की साइट का भी अलाउन्स ले रहे हैं। तो यह जो फुट ब्रिज बनाया और उसको तुड़-वाया उससे २४ हजार रुपया सरकार का बह गया।

एक बड़ी चीज है जिसको सुनकर मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ।

तेल का ट्रैक जो कि चम्बल के लेफ्ट बैंक के ऊपर आज तक बन चुका है, उस पर एक लाख रुपये का खर्च हो चुका है, जो सीमेंट वगैरह ढोने की चीज है, एक दिन भी वह काम नहीं आया। तेल के ट्रैक के जो एक्सपर्ट्स हैं,तथाकथित एक्सपर्ट्स हैं उसको लेफ्ट बैंक के ऊपर न मानकर, उसे बेकार समझ कर राइट बैंक पर पहुंचा रहे हैं। इससे एक लाख रुपये तो बेकार हो गये। अब राइट बैंक पर आरम्भ हो गया है। मैं तो केवल यह निवे-दन करता चाहता हूं, आप जिम्मेदार मन्त्री हैं, मुझे आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है, मैं किसी पर मोटिव इम्यूट नहीं करना चाहता, आप इन सब बातों पर ध्यान दें। इंजीनियर्स को सर्टिफिकेट देने की कोशिश न करें; ईमान-दार हैं मैं किसी को बेईमान नहीं कहता, जांच करिये, तथ्यों के आधार पर जांच कीजिये। अपने नुकसान को देखिये तभी आप देश का कल्याण कर सकेंगे, नहीं तो मुझे देश का भविष्य अन्धकारमय प्रतीत होता है।

श्री सभापति : श्री जुझारसिंह। आप दस मिनट में ही समाप्त कर दें। आठ मिनट पर मैं घन्टी बजाऊंगा; समय में ही आप अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : माननीय सभापति महोदय, सिंचाई विभाग पर मैं भी अपने विचार प्रगट करना चाहता हूं। कोटा क्षेत्र में सिंचाई के बहुत से काम हुए हैं, उसके लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूँ। बहुत से कामों के बारे में अभी मेरे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने प्रकाश डाल दिया है। मैं उनके बारे में कुछ निवेदन नहीं करूंगा। केवल उन्हीं मसलों को रखूंगा जिस पर सदन में चर्चा नहीं हुई।

सभापति महोदय, चम्बल क्षेत्र के बारे में बहुत सी समस्यायें हैं। काफी समस्याओं के बारे में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रकाश डाल दिया है। चंबल क्षेत्र में लोगों को करीब ५० प्रतिशत भूमि सिंचाई के लिये दे दी गई है; जहां पांच लाख एकड़ में सिंचाई का प्रावधान हो चुका है, उसके मुकाबले २। लाख एकड़ में काश्तकारों ने पानी लिया है। इसकी वजह यह बतायी गई है कि काश्तकारों को पानी लेने का चाव नहीं; किसानों को पानी लेने में जो शिकायत है उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। जो बातें माननीय सदस्य ने बता दी हैं उनका जिक्र मैं नहीं करूंगा, वे एक बात बताना भूल गये; वह यह कि वहां के काश्तकारों के पास इतने साधन नहीं हैं जिससे कि वे जमीन का प्रोपर लेवलिंग कर सकें। उनको दिक्कत आती है। किसी जगह पर ज्यादा पानी भर जाता है, किसी जगह खेत ऊंचाई पर होने के कारण पानी नहीं

Page No. 79

(श्री जुझारसिंह)

पहुंचता काश्तकार इसलिये पानी लेने के लिये मायूस है। इसके मुकाबले राजस्थान सरकार यह मानकर चलती है कि चंबल का क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र बन गया है वहाँ पर सीलिंग का एरिया भी जो दिया है, राजस्थान सरकार यह मान कर चली है कि दूसरे सब उपजाऊ क्षेत्रों की अपेक्षा चम्बल का क्षेत्र ज्यादा उपजाऊ है इसलिये वहां पर २३ एकड़ का सीलिंग मुकर्रर किया है। इसी वजह से चम्बल क्षेत्र के काश्तकारों के दिमाग से फायदा होने के बजाय जमीन जाने का डर है।

सरकार को यह मालूम करना चाहिये कि क्या यह क्षेत्र गंगानगर, भरतपुर, अलवर आदि में जहां सिंचित और डेवलप्ड एरिया है क्या उसी के मुकाबले यहां का क्षेत्र है, वह डेवलप्ड हो चुका है। जब आपने उन क्षेत्रों में तीस-बत्तीस एकड़ का सीलिंग किया है तो चम्बल क्षेत्र में आपने २३ एकड़ देकर काश्तकारों के दिमाग में शंका पैदा कर दी है जिस वजह से पानी के उपयोग को अच्छा नहीं मानते। माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा, आप इस एस्पेक्ट को प्रेक्टिकली और जुडिशियसली एग्ज़ामिन करवाइये; पैदावार की औसत देख करके कि वास्तव में चम्बल क्षेत्र में; गंगानगर, अलवर, भरतपुर आदि क्षेत्रों के मुकाबले भूमि ज्यादा उपजाऊ हो गई है? अगर नहीं हुई है तो लैंड पोलिसी प्रेक्टिकल पॉलिसी है, उसमें काश्तकारों को नुकसान न हो, उनमें शंका पैदा न हो, और निडर होकर अच्छी तरह से अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप सीलिंग के मामले में भी ध्यान दें।

अब मैं दूसरी सिंचाई योजनाओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। भीमसागर बांध के बारे में निवेदन करूंगा, जिसके बारे में यहां वर्षों से सदन में चर्चा हो रही है। भीमसागर बांध के लिए सात-आठ साल पहले से ही लोग बागों की जमीन ले ली गई, नहरें खोदी गई, भीमसागर बांध का काम शुरू में दो साल चला उसके बाद काम बन्द हो गया। काम सन् ५४ से शुरू हुआ था और वह काम ५८ तक चला, उसके बाद से काम रुका हुआ है। यह भी सरकार के लिये सोचने का काम है कि आप वहां काम कब से शुरू करेंगे। भीमसागर बांध के शुरू करने से जो समस्यायें पैदा हो गई हैं उनको भी पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है।

एक बड़ी समस्या असनावर गांव, जो इसके डूब में आने वाला है उसकी वजह से है। उसके लिये यह प्रोपोज़ल है कि उस गांव को हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाय। तब तक गांव वाले लोगों को आदेश हुए हैं कि उनके मकान और इमारतें जैसी हैं वैसी ही रहने दी जायं, उनमें किसी प्रकार के एडीशन ऑल्टरेशन्स न करवाये जायं। यदि करवाये जायेंगे तो उनका कम्पेन्सेशन नहीं दिया जायगा। दस वर्षों से उसके शिफ्ट होने की तजवीज है लोग बाग अपने मकान नहीं बना सकते, क्योंकि उनके दिमाग में अनसर्टेन्टी है। इसके बारे में अच्छी तरह से समझ कर फैसला करना

(श्री जुझारसिंह)

चाहिये । जिनको नई जगह पर जाना है उसका कम्पेन्सेशन मिल जाना चाहिये । अगर काम समय पर नहीं होता है तो उनको इजाजत दी जावे मकान में वाजिब तरमीम सुधार आदि करने की । वह करने से खर्च बढ़ता है तो उसके मुताबिक कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिये । हर साल यह कह कर टाल दिया जाता है कि कम्पेन्सेशन के बारे में बहुत जल्दी फैसला होगा, विचार करने की भी आखिर सीमा होती है । इस तरह से वहां की जनता को परेशान किया जाना उचित नहीं होगा ।

भूमि सुधार के नीचे वहां आज से आठ वर्ष पहले नहरें खोद दी गईं, लेकिन अभी तक उसका अवार्ड नहीं मिला । जहां तक कम्पेन्सेशन का सवाल है यह सारे राजस्थान का मामला है । इस सम्बन्ध में काफी झगड़े हैं । भूमि सुधारों के अन्तर्गत जहां नहरों का काम पूरा हो चुका है, कई लम्बी नहरें तैयार हो गई हैं, उसके अन्तर्गत काश्तकारों की जमीन ले ली गई है, लेकिन अभी तक अवार्ड नहीं दिया गया है । उसके लिये सिंचाई विभाग द्वारा कहा जाता है कि हमारी जिम्मेदारी पैसे चुकाने की है, अवार्ड रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट देता है । वह जब अवार्ड दे देगा तब हम पैसा चुकायेंगे । यह दो दिमागों की बातें हैं । इस तरह के मसलों के ऊपर डिपार्टमेन्टों के झगड़े लीगल प्रोसी: के झगड़े और दूसरी बातें सोचने का जहां जर तक ताल्लुक है वह सरकार के सोचने की बात है, जनता का उससे कोई ताल्लुक नहीं । जनता को तो अपने पैसे से मतलब है, अपने कम्पेन्सेशन से मतलब है । जनता के लिये सरकार एक है, आपके विभिन्न डिपार्टमेन्ट्स हो सकते हैं । जनता और सरकार के बीच में डिपार्टमेंटल झगड़े बता कर काम में देरी करना उचित नहीं होगा । अगर अवार्ड तैयार करने में विभागों में कॉम्पलीकेसीज पैदा होती हैं तो ये इन्टर-डिपार्टमेन्टल झगड़े हैं, उनके बारे में माननीय मंत्री महोदय को विचार करना चाहिये, उसको सिम्पलीफाइ कर सकते हैं और जितना जल्दी मुआवजा चुकाया जा सकता है, चुकाया जाना चाहिये । यह सरकार के लिये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ।

कालीसिंध बान्ध के बारे में निवेदन करूं, जितनी इसके नीचे सिंचाई होनी चाहिये उतनी आज तक नहीं हो पायी है, वह डिफेक्टिव बांध बन गया है । सेन्ट्रल वाटर एन्ड पॉवर कमीशन के पास री-एग्ज़ामिनेशन के लिये भेजा है; तब तक पूरी तरह पानी नहीं दिया जा सकता । यह सरकार के सोचने की बात है । डिफे-क्टिव बांध बन जाता है तो जनता को नुकसान होता है, इसका ध्यान रखा जाय ।

इसके बाद में मैं थोड़ा अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी के बारे में संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा ।

चेचट पंचायत समिति क्षेत्र में आज तक कोई सिंचाई की योजना नहीं है । वहां के लिये हम लोगों का सुझाव है कि रीच गांव के पास और मध्य प्रदेश से हसपुर गांव के पास एक नाला आता है, उस पर बांध अगर बना दिया जावे तो उससे चेचट क्षेत्र में

(श्री जुझारसिंह)

करीब २० हजार एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकती हैं। तो इसका प्रोपर सर्वे कराया जावे, यह मेरा निवेदन है। वैसे मैंने प्रश्नोत्तर काल में प्रश्न के माध्यम से भी पूछा था। डिफिकल्टी यह बताई गई कि ये पेइंग नहीं होंगे क्योंकि वहां बहुत से नाले आ गये हैं। वहां पर ऐसे कोई नाले नहीं हैं फिर दुबारा सर्वे कराया जाय। वहां इरिगेशन की काफी सम्भावनायें हैं।

दूसरी बात कनवास में भी सिचाई के साधन नहीं हैं। पर छोटे छोटे नाले और नदियां है जिनमें बारहों महीने पानी भरा रहता है। अगर उनका सर्वे करके बांध बना दिया जावे तो सिंचाई के अच्छे साधन प्राप्त हो सकेंगे।

इसी तरह उर नदी पर मूंडवा गांव और है जिनके नाम निवेदन कर दूं; सावन भादवा, पुराने का कालां, दांता। इस तरह बहुत से साधन हैं जिनका सर्वे कराके देखा जावे तो इस पिछड़े इलाके में भी काफी तरक्की हो सकती है। अदरवाइज तो वहां बहुत उपजाऊ जमीन है। तो वहां सारी सम्भावनाओं को, सिंचाई के साधनों की सम्भावनाओं को देखा जावे और उनको उपलब्ध कराया जावे तो काफी उत्पादन वहां हो सकता है।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): सभापति महोदय...

श्री सभापति : How long will you take? I hope you will finish in 15 minutes.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 30 minutes. That is my party's time.

श्री सभापति : 15 minutes.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, मैंने...

श्री सभापति : I will ring the bell at the 12th minute.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ...सिंचाई के लिये कट मोशन्स दिये हैं। आज जब हम अपनी तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और चौथी योजना का चित्र उपस्थित हो चुका है, यह आवश्यक हो गया है कि अपनी सिंचाई की स्थिति का हम अवलोकन करें। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण घटना भी हो रही है कि राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो कि नेशनल प्रोजेक्ट है, वह हम भारत सरकार को दे रहे हैं, उसकी सेंट्रल ऑथारिटी कायम हो रही है।

सभापति महोदय, जो चित्र राजस्थान का था, जब कि राज्य में कांग्रेस ने सत्ता ग्रहण की, राजस्थान सिंचाई के सम्बन्ध में बहुत पिछड़ा हुआ देश था। उस समय हमारे पास गंग नहर और २ लाख कुओं से सिंचाई होती थी। केवल ६ लाख एकड़ धरती पर सिंचाई होती थी, जिसमें से एक बहुत बड़ा अंश, यानि ६लाख एकड़, गंग कैनाल के द्वारा सिंचित होता था। राजस्थान में, जहां

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पर कि ५३·१८ मिलियन एकड़ कल्चरेबल लैंड है, हम अपने सिंचाई के प्रयत्नों के द्वारा किस निशान पर पहुंच सके, यह देखना आज बहुत जरूरी हो जाता है ।

राजस्थान के योग्य चीफ इन्जीनियर, श्री किशोरीलाल माथुर का इर्रीगेशन के सम्बन्ध में एक बहुत सुन्दर लेख पढ़ने को मिला । राज्य के अन्दर जो वाटर पोटेंशियल है, उसके सम्बन्ध में जो चित्र उन्होंने उपस्थित किया है, उससे राज्य के५३ मिलियन एकड़ कल्चरेबल लैंड पर हम बहुत कुछ कर सकते थे। अगर हमारी योजना. हमारे एस्टीमेट्स और हमारी प्लान्ड इकोनामी के अनुसार चलते, टेक्नीकली करेक्ट चलते और उसके प्रति हम एक राष्ट्रीय भावना और समाजवाद के प्रति जो हमारी घोषणा थी उसको मानकर चलते ।

राजस्थान के अन्दर एक्सट्रीम कंडीशन्स मौजूद हैं । एक तो ऐसा प्रदेश है जो १०० प्रतिशत वाटर युटिलाइज़ेशन करता है और दूसरी ओर यह समस्या है कि पानी मौजूद है, लेकिन युटिलाइज़ेशन नहीं है और उसकी युटिलाइज़ेशन के और प्रयत्न नहीं किये गये । चम्बल क्षेत्र के सम्बन्ध में कोटा और उस क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य के सिद्धांत और भावना से मैं सहमत नहीं हूं । इन दोनों क्षेत्रों के अन्दर तो कॉन्ट्राडिक्टरी समस्यायें हैं । एक ओर तो नहर काटी जाती है । बहुत गम्भीर रूप से प्रश्न उपस्थित हो गया । गंगनहर क्षेत्र है जिसमें एक महीने में चार चार दफा ब्रीच होता है । कोई कारण नहीं ब्रीच का । दूसरी ओर समस्या है कि वाटर का युटिलाइज़ेशन नहीं हो रहा है । नहरों को ब्रीच कहां किया जाय कि बर्स्ट होने से बचाया जाय । कितना वाटर मध्यप्रदेश चला जाता है । इन दोनों दृष्टिकोणों को सम्मुख रखते हुये, राज्य का वाटर पोटेंशियल, जिसका कि विभिन्न वेलीज़ में कैचमेंट एरिया है, और जो पोटेंशियल राज्य के चीफ इंजीनियर ने ड्राफ्ट किया है वह बताता है कि ६ वैलीज़ है और इन ६ वैलीज में एक मिस्सिलेनियस वैली भी है, कुल मिलाकर हमारे पास ५,६०,१६५ क्युबिक फीट का वाटर पोटेंशियल है और इसमें चम्बल का, भाखरा का और राजस्थान कैनाल का वाटर पोटेशियल शामिल नहीं है । यह उसके अलावा हमारे राज्य का वाटर पोटेंशियल चम्बलका ३४२०,०७६० इससे अलग है। राजस्थान कैनाल से प्राप्त होने वाला १८६ क्युसेक्स इससे अलग है । राज्य के विभिन्न योजनाओं, मीडियम और माइनर इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स और राहत कार्य के लिये चलाये जाने वाली योजनाओं के बाद भी राजस्थान के अन्दर १.४५ मिलियन एकड़ धरती तीसरी योजना के अन्त तक सिंचाई करने की स्थिति में आती है और चौथी योजना के अन्दर इस राजस्थान के अन्दर २.७० मिलियन एकड़ धरती सिंचाई करने की स्थिति में आयेगी, अगर हमारी योजनायें कामयाब हो गईं ।

पहली योजना पर दृष्टिपात किया जाय तो हमारे फंड्स का ३० प्रतिशत इर्रिगेशन पर्पज़ेज के लिये था । इस सम्बन्ध में ७.५४ करोड़ रुपये प्राप्त थे, इसके अलावा २.५ करोड़ ईज़ी लोन प्रात हुआ, और १.५ करोड़ फूड मिनिस्ट्री से हमको प्राप्त हुआ,जो रिटर्न

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

नहीं करना था । कुल मिलाकर हमको पहली योजना के अन्दर ११.५३ करोड़ रुपये प्राप्त हुये । हमारा लक्ष्य पहली योजना के अन्दर १.६१ मिलियन एकड़ तक पहुंच जाना था, लेकिन हम १.५६ लाख एकड़ से ज्यादा धरती सिंचित नहीं कर पाये ।

(२. म. प.)

हमने १११ कार्य अपने हाथ में लिए, लेकिन इनमें से हम कहते हैं कि ६५ कार्य पूरे कर दिये । इसके बावजूद भी हम लक्ष्य के तीसरे हिस्से तक नहीं पहुंच पाये । इसका कारण है । इसका कारण यह था कि जो ये ५ कार्य रह गये, ये महत्वपूर्ण कार्य थे । और छोटे–मोटे कार्य तो हमने पूरे कर दिये और स्केर्यासिटी वर्क्स के तहत जो राशि हमने प्राप्त की उसके संबंध में हमने आखिरी दो वर्षों में योजना बनाई और स्केर्यासिटी वर्क्स के हमने २१ काम हाथ में लिये जिनमें से ४ काम कुल हम पूरे कर सके । उसके बारे में कोई चित्र उपस्थित नहीं है । १७ कार्य ऐसे थे कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम पूरे नहीं कर सके, सभापति महोदय । ये कार्य तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरे होंगे । मेरे पास समय कम है, वर्ना मैं स्के–र्यसिटी योजना के संबंध में अलग से कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब समय के अभाव में मैं वह बात नहीं कह पाऊंगा । राज्य की दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जिसमें कि हमारा ४३ पर्सेन्ट टोटले आउटले था और हमें १०५.३ करोड़ रु०प्राप्त थे वहां पर हमारे ४ बड़े मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स थे, ३ मेजर प्रो–जेक्ट्स थे और १५ मीडियम प्रोजेक्ट्स थे । लेकिन मेजर प्रोजेक्ट्स के अन्दर हम ३ प्रो–जेक्ट्स को स्टार्ट ही नहीं कर पाये दुर्गाव प्रोजेक्ट, बनास का प्रोजेक्ट और माही नदी का प्रोजेक्ट । इसके साथ ही साथ १५ मीडि-यम प्रोजेक्ट्स जो कि स्टार्ट कर देने चाहिए थे उनमें से कुल ७ मीडियम प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर पाये और ४ मीडियम प्रोजेक्ट्स इस प्रकार के थे जिनमें कि हमारे एस्टीमेट्स पूरे नहीं हो पाने के कारण, उसके कार्य को पूरा नहीं कर सकने के कारण हम उनके काम को छेड़ ही नहीं पाये । अब तीसरी योजना के अन्दर ३६ पर्सेन्ट हम केवल इसके फण्ड में खर्च करने वाले थे । तीसरी योजना के संबंध में हमको ८,५१० लाख रुपया प्रो–वाइडेड थे जिनमें से ३८ लाख रुपया केवल राजस्थान कैनाल के संबंध में प्रोवाइडेड थे और २५ लाख रुपया पोंग डेम के लिए, प्रोवाइडेड थे । इसमें से कोर में रिडक्शन के बाद हमारे पास ७,९२७ लाख रुपया रह गया, लेकिन यह रिडक्शन राजस्थान कैनाल के संबंध में नहीं हुआ, पोंग डैम के संबंध में कोई रिडक्शन नहीं हुआ । अगर यह विचार-धारा चली तो मीडियम योजनाओं के ऊपर चली और माइनर इरिगेशन वर्क्स पर चली । जिसके कि हमने २,२१० लाख रुपये से काट कर १,६२५ कर दिये । सभापति महोदय, कुलखर्चा जो इस दिशा के अन्दर हमने किया वह ११.५३ था जिसका कि हमने चित्र बनाया था पहले प्लान में । ४५ करोड़ रुपये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अवेलेबल थे, ८५ करोड़ रुपये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अवेलेबल थे इसको आप रिड्यूस कर दो तो ६६ करोड़ कर लीजिए, ८० करोड़ कर लीजिए कोर के बाद । चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद ५७ करोड़ रुपये अवेलेबल

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

होंगे। कुल १२१.८३ करोड़ रुपये खर्च करके हम राज्य के अन्दर १.४५ मिलियन एकड़ का पोटेन्शियल क्रियेट कर पाये। यह वह मुकम्मिल चित्र है जो कि मैंने सरसरी तौर से आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है...

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आकड़ों में आपने काफी गलतियां की हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने बिल्कुल गल्ती नहीं की है।

श्री सभापति : आप उत्तर के समय बता दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने हर आंकड़ा कोटेड ऑथोरिटी से दिया है। अगर आप चाहेंगे तो आपके ही राज्य की पुस्तक दे दूंगा। ये मेरे कोई अपने आंकड़े नहीं हैं।

श्री सभापति : कोई डाइरेक्ट बात न हो

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह वह मुकम्मिल चित्र है जो कि हमारे सामने प्रस्तुत है और ये वे एचीवमेन्ट्स हैं जो कि हमने आज प्राप्त किये हैं या करेंगे, इसमें भी एक वर्ष का गैप मौजूद है अभी।

सभापति महोदय, मैं गंग कैनाल में बारे में थोड़ा सा अर्ज करूंगा। ३ करोड़ २१५ लाख रुपये से इस गंग कैनाल का निर्माण सन् १९२८ में हुआ और ६ लाख एकड़ धरती इस कैनाल से सिंचित है। मैं मानता हूं कि कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन वैज्ञानिक युग भी आगे प्रगति कर रहा है। आज २० मिनट तक स्पेस के अन्दर एक व्यक्ति ट्रेवल कर सकता है, आज हमारे देश में बड़ी बड़ी मशीनरी अवेलेबल हैं, आज टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवान्स कर चुकी है। डॉ० ए०पी० अग्रवाल के वे शब्द मौजूद हैं जिनको पार्लियामेन्ट ने भी माना है कि १०० न०पै० की कीमत १७ न०पै० रह गई है। इस सारे मार्जिन को निकाल दें तो आज भी आप एस्टीमेट्स. कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ लें, अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ लें। एस्टीमेट्स कमेटी ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है कि हमारे पास इर्रिगेशन से काम के लिए कोई योजना है तो वह गंग कैनाल की है। १७ वर्ष के इतने अर्से में खर्च करने के बाद हम कोई योजना क्रियेट नहीं कर सके जिसमें हम ४ परसेन्ट का भी मार्जिन रख सकें। २०० करोड़ की योजना राजस्थान कैनाल की है। यह इतनी बड़ी योजना है कि जिसके अन्दर ५० हजार मील के तो वाटर सोर्सेज बनेंगे, ५ हजार मील की लम्बी वाटर फीडर होगी। यह इतनी बड़ी योजना है जिससे ३६ लाख एकड़ जमीन सिन्चित होगी और जिसमें नेवीगेशन भी होगा। इसमें १८० लाख का कल्चरेबल...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : ५ मिनट और बाकी हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज जब कि भारत सरकार को हम इसको हैंडओवर कर रहे हैं। हम बड़ी गंभीरता से सोच कि उस

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

योजना को हम क्यों हैंड-ओवर कर रहे हैं। चौथी योजना तक २०० करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अन्दर लेकिन जो हमारे टार्गेट्स थे योजना के मेरे पास, १९६४-६५ की रिपोर्ट है डिपार्टमेन्ट की, १९६३-६४ की रिपोर्ट है, लेकिन मेरे पास १९६२-६३ की नहीं है। लेकिन पिछली रिपोर्ट के अन्दर जहां इसको माना था कि फर्स्ट फेज प्रोग्राम के अन्दर सन् १९६८-६९ के अन्दर १२२ मील मेन फीडर का कन्सट्रक्शन कर देंगे और तीसरी योजना तक ६० मील का कर देंगे, उस बात को स्वीकार किया था। हमने इसको भी माना है कि राजस्थान कैनाल के भारत सरकार को दे देने के बाद भी चौधरी श्री रामानारायण बाकायदा चीफ इन्जीनियर मौजूद रहेंगे। आज तीसरा वर्ष आ रहा है हम उसको हैंडओवर करने जा रहे हैं, हमको यह नहीं बताया गया कि फर्स्ट फेज प्रोग्राम कहां तक हमने टार्गेट्स एचीव कर लिए हैं। सभापति महोदय, आज इस दिशा में हम राजस्थान कैनाल को भारत सरकार को हैंडओवर कर रहे हैं तो क्या हम मजबूरी की वजह से उनको हैंडओवर कर रहे हैं या हम टेक्नीकल इनएफीशियेन्सी की वजह से कर रहे हैं। मेरी मेज पर लामा साहब की रिपोर्ट पड़ी हुई है लेकिन दुःख इस बात का है कि मेरे पास समय का अभाव है। यह कैनाल फाल नहीं है, फ्लो है। यह कैनाल ३० मील तक पैरेलल बोर्डर तक चलती है और जिसकी नेवीगेशन की स्कीम थी आज ६० मील के पास रामसिंगपुरा पर १० क्यूसेक्स पानी वहां पहुंचेगा। लामा साहब ने इसको स्ट्रैस किया था कि यह योजना आपको सक्सेसफुल करनी है तो आपको पेरेलल रेलवे लाइन रन करनी चाहिए...

श्री सभापति : Be brief please.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मैंने आर०डी० ६१५ और आर०डी० ६३० को इन्सपेक्ट किया और ११ मील जो पंजाब के अन्दर फीडर बनी है उसको भी इन्सपेक्ट किया। सैकड़ों होरीजेन्टल क्रैक्स उस नहर में आ रहे हैं। कम्पेन्सेशन के पेमेन्ट हो गये हैं और दुबारा एस्टीमेट्स बन रहे हैं कि इन क्रैक्स को फिल किया जाये। मैं कहता हूं कि १११ मील का टुकड़ा जो कि पंजाब में आता है उसमें कहीं एक जगह भी क्रैक नहीं है...

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ये फीडर में हैं या मेन कैनाल में ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो मेन कैनाल है उसके अन्दर हैं। १११ मील का भी आप इन्सपेक्शन कर लीजिए जो कि पंजाब में है, हैड से लेकर उस जगह तक आया हूं मैं, जहां कि हमारे राजस्थान की बोर्डर शुरू होती है एक क्रैक नहीं है और फिर राजस्थान के हिस्से को देखना शुरू कर दीजिए कितने ही क्रैक्स आपको मिलेंगे। एस्टीमेट्स बाकायदा डिमाण्ड किये हैं और कोई गरीब इन्जीनियर उसकी रिपोर्ट कर दे तो उसको साइट से रिमूव कर दें।

आज जब कि हम इस योजना को भारत सरकार के सुपुर्द कर रहे हैं वह ५ करोड़ की मशीनरी आज भी वर्कशॉप में

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आंसू बहा रही है जिसके सम्बन्ध में ऑडिट कमेटी ने कहा है कि २१ लाख की तो ऐसी मशीनें हैं जो वर्क नहीं कर रही हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) :

सभापति महोदय, मैं केवल एक मिनट लेता हूं और इस बात को अर्ज कर दूं कि आज गंग कैनाल की हालत बड़ी दुर्लक्ष्यपूर्ण हो चुकी है। वह गंग कैनाल जिसमें १७ साल पहले सन् ४६ तक १५५ एवरेज रनिंग डेज थे वह १५५ रनिंग डेज कम होते चले जा रहे हैं और ६५० से ६५० क्यूसेक्स पानी जो ५६ में पाकिस्तान को देना मन्जूर कर लेते हैं तो गंग कैनाल को आज एस्केप कैनाल बनाया जा रहा है और पानी की हालत डिटीरियोरेट होती चली जा रही है। राज्य के मुख्य मंत्री के आश्वासन खत्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पंजाब में रेग्युलेटर्स कायम करेंगे, वहां पर इन्जीनियर्स कायम करेंगे और इस कैनाल को टाइम से ज्यादा नहीं रन होने देंगे। वे सारे आश्वासन समाप्तप्राय हैं। गंग कैनाल की स्थिति पहले से गम्भीर हो जाती है और ७ लाख से ६ लाख का इरिगेटेड एरिया कमाण्ड शो कर देते हैं। दो लाख अधिक एरिया कमाण्ड में शो कर देते हैं तो उसका मकसद है कि पानी बहुत कम हो गया है। सभापति महोदय, मैंने राजस्थान में गंग कैनाल में पानी की स्थिति सुधारने के लिए बारबार मंत्री महोदय से अर्ज किया, लेकिन राजस्थान सरकार उसमें असफल रही। इसलिए मैं इस सदन में घोषणा रूप से कहता हूं कि गंगा कैनाल को उसका वास्तविक अधिकार नहीं मिला और वास्तविक रूप से पूरा पानी नहीं लाया गया तो मजबूर होकर मुझको और गंगानगर के एम०एल०ए० को गंगानगर के एक्स०ई०एन० के दफतर के सामने भूख हड़ताल करनी पड़ेगी इस बात के लिए।

श्री रामसहाय (लालसोट) : माननीय सभापति महोदय, मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय को पेश करना लाहता हूं। हमारे लालसोट में एक बांध बना था। उस बांध में तो पानी भरा रहा लेकिन एक इंच भर सिंचाई उससे हुई नही। लाखों रुपया गवर्नमेंट का खर्च हुआ और उसके दो साल बाद ही वह टूट गया। पहले एक नदी थी जिसकी दो नदियां हो गई। बांध टूटने के बाद दूसरी नदी पड़ गई तो हजारों बीघा बरबाद हुई है और उसके ऊपर दुनिया भर परेशान हुई और चिल्लाती फिरी, तो मैं सरकार के सामने यह पेश करना चाहता हूं कि जो जमीन खराब हुई तो गवर्नमेंट फिर सोच रही है कि बांध फिर बनावें। तो गवर्नमेंट ऊंचा बांध तो बनायेगी नहीं और नीचा बनायेगी तो हजारों रुपया बेकार जायेगा।

फिर उसके उपरान्त जो मोरेल बान्ध बना है, उसके अन्दर लाखों–करोड़ों रुपये की लागत लगी है, तो आप कम से कम यह तो सोचें कि वहां पर पानी भरा रहता है और सिंचाई नहीं होती है। गवर्नमेंट इसको सोचेगी और आगे कदम उठायेगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। हजारों बीघा जमीन पिलाई के बिना रह जाती है, उसको निकालने का कोई बन्दोबस्त नहीं है।

श्री सभापति : श्री जयलाल ।

श्री जयलाल (डग) : सभापति महोदय, सहकारिता आन्दोलन को देखते हुए गरीब जनता इस बात की आशा करके चलती थी कि इस आन्दोलन के द्वारा किसानों का या गरीब जनता का विकास होगा । लेकिन इस सहकारी आन्दोलन को देखते हुए और इसके कर्मचारियों की नीतियों को देखते हुए उस गरीब जनता का इससे कोई भला नहीं हुआ । क्यों नहीं हुआ कि बिना जमीन वालों को, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है उन लोगों को सरकार पैसा नहीं देती है । तो सरकार को इस बात पर भी विचार करना होगा कि जिसके पास जमीन व घरबार, रहने के लिए मकान भी नहीं है वह किस प्रकार से अपना गुंजर करेगा ? सरकार ने इस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया ।

दूसरी बात, जो कृषि ऋण दात्री सहकारी समितियों द्वारा पैसा दिया जाता है वह पैसा गलत ढंग से दिया जाता है, क्योंकि पैसे की आवश्यकता जिस प्रकार से किसानों की होती है तो किसानों की आवश्यकता की पूर्ति इस पैसे के द्वारा नहीं होती है । क्यों नहीं होती है ? किसानों को पैसे की आवश्यकता होती है, जैसे कभी बैल लेना है या कोई काश्तकारी की चीज दूसरी बनानी है तो उस समय किसानों को पैसा नहीं मिलता है ओर समय निकलने के बाद जो पैसा दिया जाता है उस दिये हुए पैसे का दुरुपयोग होता है ।

दूसरी चीज, देहात में जो इस पैसे का वितरण करने वाली सहकारी समितियां हैं और उन सहकारी समितियों में जो कांग्रेस के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग पदाधिकारी हैं वे मंत्री हैं, वे अध्यक्ष हैं सभापति महोदय, हर साल इनका चुनाव होना चाहिए, लेकिन चुनाव जो होता है, जो चुनाव कराने वाले अधिकारी आते हैं वे एक मकान में बैठकर चुनाव कर लेते हैं । व्यक्ति विशेष लोगों से सम्पर्क होने के नाते उन्हीं लोगों को दूसरे साल भी पदाधिकारी बना दिया जाता है, और देहात के लोग जो सहकारी संस्थाओं के सदस्य हैं वे अनपढ़ हैं पढ़े-लिखे नहीं हैं, वे लोग जानते नहीं है कि सहकारी संस्थाओं का चुनाव हर साल होता है और सभी जगह होता है, लेकिन उन लोगों के साथ बड़ा भारी भेदभाव किया जाता है, यानी जिसके बलबूते पर आज सरकार राज्य कर रही है, आजादी की लड़ाई में बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की थीं और उन लोगों को बड़े-बड़े आश्वासन दिये थे कि हम गरीबी और दरिद्रता को निकालेंगे, लेकिन वे लोग सरकार से इस आशा को लेकर बिल्कुल नहीं चलते कि सरकार हमारा भला करेगी, यह किसी भी प्रकार से सरकार भला करने के काबिल है, क्योंकि वह सरकार ऐसी है कि भस्मासुर ने शिवजी से वरदान प्राप्त करके शिवाजी को ही भस्म करना चाहा, इसी प्रकार से यह सरकार भी जनता से वर प्राप्त करके उन लोगों को भस्म करने का प्रयत्न करर ही है, यानी उनको किसी प्रकार की राहत नहीं पहुंचाना चाहती है । तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसमें ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिसके द्वारा गरीब लोगों को पैसा मिले । जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास किसी प्रकार का जीवन-

(श्री जयलाल)

यापन करने का साधन नहीं है उन लोगों को पैसा मिलना चाहिए। वे भी मनुष्य हैं और आपके राज्य में रहते हैं। आपके राज्य में वे सभी प्रकार का अधिकार रख कर चलते हैं, इसलिए उन लोगों को पैसा मिलना चाहिए।

दूसरी चीज, सरकार ने जो सरकारी संस्थाएं बनाई जिनके द्वारा बीज भी मिलता है व खाद भी मिलता है तो उनका किसी प्रकार से उत्थान करने के बारे में सरकार को अच्छी तरह से सोच कर चलना चाहिए।

दूसरी चीज, देहातों में जो शिड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं तो गावों में ऐसे लोग है दूसरी जातियों के जो कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को सहकारी संस्थाओं में नहीं लेना चाहते। दूसरे लोग अधिकारियों से मिले और उनस उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं में लो, लेकिन उनके कहने के बाद भी छोटी जाति क लोगों को, पिछड़े हुए लोगों को सहकारी संस्थाओं में शामिल नहीं करते। पहले पुरानी रियासतों में भी सहकारी संस्थाएं थीं और उनको जो रुपया दिया जाता था उस पर ब्याज की दर कम थी, लेकिन राजस्थान बनने के बाद ब्याज की दरों में फर्क आया है।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से चुनावों में अनियमितताएं होती हैं वे दूर होनी चाहिये। सभी सदस्यों को पूछ कर चुनाव होने चाहिये, लेकिन आज सबको पूछ कर चुनाव नहीं होते और विशेष लोगों से संपर्क होने के कारण चुपके से चुनाव करा देते हैं और लोगों को पता तक नहीं होता। जैसे हमारी बारां तहसील में कृषि ऋण दात्री सहकारी समिति मेलखेड़ी के मंत्री ने हजारों रुपयों का गबन किया, उसकी शिकायत संबंधित अफसरों को दी, लेकिन कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां तक बने जल्दी से जल्दी इस मामले में कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री भीमसिंह (उप-मंत्री सहकारी) : किस समिति का नाम बताया आपने?

श्री जयलाल : कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति मेलखेड़ी, पंचायत समिति बारां।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आप पहले जांच करवाइये कि शिकायत सही है या नहीं? झूठी शिकायत पर किसी के खिलाफ कहीं एक्शन न ले लें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज! श्री गोकुलप्रसादजी शान्त रहिये।

श्री जयलाल : लिखित शिकायत अफसरों को भी दी, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सभापति महोदय, सहकारी समितियों के द्वारा जो रुपया दिया जाता है वह विशेषकर हरिजनों को भी दिया जाना चाहिये क्योंकि हरिजन ऐसे लोग हैं जो जब तक गंदगी में पड़े हुए हैं, उनके पास घरबार नहीं हैं, जमीन नहीं है, उनके पास कोई पेशा नहीं है जिससे वे अपना पेट भर सकें। सरकार के पास इस प्रकार का भी प्रावधान

(श्री जयलाल)

होना चाहिये कि शिड्यूल कास्ट के लोगों के लिये, विशेषकर हरिजनों के लिये अलग सोसाइटी बनाई जाय ताकि उनको भी पैसा मिल सके और उनका भी भला हो सके।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (सादड़ी) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन बड़े जोर से चल रहा है इसमें कोई दो राय नहीं। राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन धीमी गति से नहीं चल रहा है। उसकी सफलता का उदाहरण है कि आज हमारे राजस्थान में लगभग २२ लाख लोग सहकारिता के सदस्य हैं और करीब १२ हजार सहकारी सोसाइटीज हैं तो हम यह कह सकते हैं कि राजस्थान में सहकारिता का विस्तार हुआ है और दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है।

सभापति महोदय, सहकारिता एक महान् कार्य है जिसको हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है।। इसका मुख्य उद्देश्य है, एक सब के लिए और सब एक के लिए। सब मिल जुल कर काम करें और उसका मुनाफा सबको सामूहिक रूप से मिले, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन इसके विषय में मैं कुछ कहना चाहूंगा। हमारे राजस्थान में शिक्षा की कमी के कारण अभी देहातों में इसका प्रचार प्रचुर मात्रा में नहीं हो पा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, किस ओर हमें अग्रसर होना है, इसका लोगों को पूरा पता नहीं है; इसलिए जिस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ना चाहते हैं उस ओर अभी तक हम नहीं बढ़ पाये हैं।

सहकारिता आन्दोलन के द्वारा आर्थिक समस्याओं को हल करना एक मुख्य उद्देश्य है। पहले गरीब लोगों को साहूकारों से पैसा उधार लेना पड़ता था और २), ३) रु० सैकड़ा ब्याज देना पड़ता था, लेकिन आज उनको सहकारिता के द्वारा कम ब्याज पर पैसा उधार मिल रहा है इससे उन लोगों को काफी राहत मिली है। दिन-ब-दिन उनको इस बात का फायदा मिल रहा है और काफी विश्वास रख कर वे लोग अग्रसर हो रहे हैं।

अभी माननीय सदस्य द्वारा यह भी कहा गया कि जो लोग भूमिहीन हैं उनको फायदा नहीं मिलता है, यह बात ठीक है। जैसे हरिजनों के लिए कहा गया कि उनके लिए अलग सोसाइटी बनाई जाय तो इसके लिए भी प्रावधान है। उनकी अलग सोसाइटी बनाई जा सकती है। उनको भूमि देने के बारे में भी कहा गया तो उनको बहुत सी भूमि दी गई है और उनको खातेदारी राइट्स भी मिले हैं। सहकारिता का फायदा उन लोगों को भी मिलने लग गया है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं इस ओर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें क्या खामी है। सहकारी समितियों में पार्टीबाजी का थोड़ा सा आज कल हम रवैया देखते हैं। पर्टीक्यूलरली एक पाउडीब सहकारी समिति है उसमें कई उम्मीदवार भर्ती होना चाहते हैं। मैंने प्रेसिडेन्ट साहब के पास जाकर उनसे पूछा कि क्यों लोगों को एडमिट नहीं किया

(श्री शंकरलाल)

गया। इसी तरह से डूंगला सहकारी समिति के सम्बन्ध में एसेम्बली में क्वेश्चन प्रस्तुत किया था, अब जाकर उसके बारे में कुछ किया है इस प्रकार की जो ढिलाई है उसको निकालना चाहिए। एक ओर तो हम आन्दोलन को सफल बनाने में सक्रिय हैं और दूसरी तरफ जो लोग सदस्य बनना चाहते हैं उनको एडमिट नहीं करते। करीब करीब दो साल पूरे हो जाने पर भी चुनाव नहीं कराते। नियमित रूप से साल भर में चुनाव होना चाहिए और जो लोग उम्मीदवार हैं उनको जल्दी से जल्दी एडमिट कर लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, वन सहकारी समितियां भी नहीं के बराबर खुली हुई हैं ठेकेदार लोग मिल-जुल कर सोसाइटी बना लेते हैं और उन लोगों को जिनका नाम रामा, पेमा, दल्ला है उनको सदस्य बना देते हैं जब कि वे होते मजदूर ही हैं और उनको मजदूरों का ही पैसा मिलता है और ठेकेदार फायदा उठा लेते हैं। इसमें भी सुधार होना अति आवश्यक है।

सभापति महोदय, सहकारी समिति डूंगा, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ में कई वर्षों से चुनाव नहीं हुआ। अभी वहां पर जो मन्त्री है वह १०० मण बीज खा गया लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ इसलिए कम से कम उसके खिलाफ एक्शन तो लेना चाहिए। अभी पूर्व वक्ता ने कहा था कि जिसके नाम खेत नहीं है जिसके पास भूमि नहीं है उसको मेम्बर नहीं बनाना चाहिए। समझ में नहीं आता कि वह आदमी मन्त्री कैसे बन गया जिसके पास जमीन नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि किसी के पास आजीविका नहीं है तो उसको मेम्बर बना कर वापिस उससे क्या लेंगे? इस प्रकार के व्यक्ति गड़बड़ नहीं करने पावें, इस ओर ध्यान देना चाहिये।

भूगखोड़ा, पंचायत समिति निंबाहेड़ा सहकारी समिति का जो भूतपूर्व मन्त्री था वह भी ५००) रु० खाकर बैठा है और वसूल नहीं हो रहा है। मैं एक सुझाव के तौर पर अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो ऋण की वसूली हम छः माह में करते हैं तो छः माह में ऋण की वसूली करने में किसानों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मेरा सुझाव है और इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हम इसकी वसूली के लिए कम से कम साल भर की अवधि तो दे दें और इसकी वसूली बारह महीनों में कर दें। उनको ऋण छः महीने में दें और उसके बाद छः महीने में वापिस ले लें, इससे उनके सामने कठिनाई पैदा होती है। इसलिए जो ऋण हम दें वह कम से कम साल भर में वापिस वसूल करें।

श्री सभापति : श्री चौसरसिंह।

पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री चौसरसिंह बाबेल (वेगूं) : सभापति महोदय, सिंचाई विभाग के बारे में जो मेरा कटौती का प्रस्ताव है इसके बारे में मेरा निवेदन है कि यह सरकार सिंचाई विभाग का काम सुचारु रूप से करने में अस-

Page No 91

(श्री चौसरसिंह बावेल)

फल रही है। मैं इसके कुछ उदाहरण आपको बताता हूं।

काकदा का एक तालाब है जो वेगू तहसील में है। इसमें हजारों रुपया लगाया गया है, लेकिन वहां जो पहले फसल बोई जाती थी वह बिल्कुल बन्द हो गई है। उसमें जो पानी भरता है वहां एक बीघा जमीन की भी उससे सिचाई नहीं हुई है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसकी जांच कराए कि कौन से इन्जीनियर थे, कौन से ऑफीसर थे जिन्होंने इस तरह का नक्शा बनाया और उस पर हजारों रुपया बरबाद कर दिया। आप मौके पर जाकर देखें। उस तालाब को अब वापिस खोदने की स्कीम बनाई जा रही है। पहले इस चीज को उन लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि उससे पीवल नहीं होगी। आप इसको देखें और उस पर विचार करें। इसके अन्दर जिस व्यक्ति की गल्ती हो उसके खिलाफ आप एक्शन लें, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। उसके द्वारा सिंचाई हो सके, इस तरह की व्यवस्था करायें। उसमें कमी अवश्य है, उसको दूर करें और नहर निकालनी हो तो वह निकालें ताकि खेती हो सके। यह अच्छी स्थिति नहीं है कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी वह बेकार रहे।

इसके अलावा नान्दाई तालाब पर काफी पैसा खर्च किया गया है किन्तु उससे एक पैसे की भी आमदनी नहीं होती है।

इसके साथ ही कारखली बांध का ठेका दिया गया था। वह पहले सवा सात लाख का ठेका दिया गया था लेकिन ठेकेदार छोड़ कर चला गया अब तो नया लम्बा-चौड़ा ठेका देने की कार्यवाही हो रही है उससे गवर्नमेंट को पचास साठ हजार का नुकसान हो रहा है। पहले ही सोच-समझ कर ठेका देना चाहिए। यह बांध भी वेगू तहसील में ही है।

राणा प्रतापसागर के बारे में मुझसे पूर्व वक्ता, जो कोटा से आने वाले माननीय सदस्य हैं, ने कई बातें बताई हैं। उनके ऊपर आप विचार करें। वहां लाखों रुपयों का घोटाला हो रहा है। इसके अलावा दूगड़ चौसड़ गांव के जो लोग हैं उनको अभी तक बसाया नहीं गया है, उनके पास जमीन भी नहीं है और न उनको अभी तक मुआवजा मिला है। इसके लिए भी आप विचार करें। मैंने कोटा के कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया था। उन्होंने आश्वासन दिया था और चित्तौड़ के कलेक्टर से भी कहा था। लेकिन बहुत सारे आदमी इधर से उधर मारे मारे फिरते हैं लेकिन अभी तक उनका इन्तजाम नहीं हुआ है और मुआवजे के सम्बन्ध में उनको हाई कोर्ट वगैरह में जाना पड़ रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनके बारे में आप विचार करें।

इसके अलावा राणा प्रताप सागर डेम का जो काम चल रहा है उसमें ठीक मैटीरियल काम में नहीं आ रहा है। उसके बारे में आप विचार करें। इसमें करोड़ों रुपये से अधिक के घोटाले की बात है और यह एक बहुत बड़ा मामला है, इसके बारे में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, उस सबको मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं

(श्री चौसरसिंह बावेल)

निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करें।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि सहकारी समितियों में काफी घोटाला हो रहा है। पारसौली की एक पंचायत समिति है उसमें एक सहकारी समिति भी है। उसके अन्दर सतरह, साढ़े सतरह हजार का गबन हुआ है और उस मामले में एक गणपतराज को डेढ़ साल की सजा भी हुई है। लेकिन सरकार का केवल आठ हजार रुपया ही वसूल हुआ है और बाकी का नहीं हुआ है। जब सदस्यों की जिम्मेदारी होती है और अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती हं, लेकिन सरकारी ऑफिसर इतना गबन होने के बाद भी नींद लेते रहे। इसके सम्बन्ध में सरकार को एक्शन लेना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि जिस काम के लिए रुपया दिया जाता है वह उसी काम में खर्च होता है या नहीं।

बेगू में एक सूलीमगर में एक सहकारी समिति है, उसमें हजारों रुपये का गबन होता है। उसमें क्या करते हैं कि पहले का जो रुपया लिया हुआ है उसको वापिस जमा करा दिया ओर दुबारा लोन ले लिया। तो पहले का रुपया उसी रुपये से जमा होता है तो सरकारी खजाने से दिया जाता है। और उस पैसे से मेरे क्षेत्र में मकान बनाये गये हैं, हवेलियां बनाई गई हैं। बीस–पच्चीस हजार रुपया एक व्यक्ति में बाकी है और उसको दूसरे लोगों में तकसीम नहीं करते है। यह सूलीमगरा की सहकारी समिति की स्थिति है, इसकी भी जांच करें।

इसके साथ हीं मेरा निवेदन है कि जो गरीब आदमी हैं, जिनके बारे में अभी कहा गया कि उनसे छः महीने में वसूली होती है, वह न होकर साल भर में वसूली हो तो उनको दिक्कत नहीं होगी। अभी छः महीने में जमा कराने में उनको दिक्कत होती है। आप साल भर का कर देंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप इस पर भी विचार करें।

श्री सभापति : श्री हीराभाई। और उसके बाद श्री याज्ञनिक।

एक माननीय सदस्य : मैं कल से ट्राई कर रहा हूं। आप याज्ञिक जी का नाम बोल रहे हैं।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : सभापति महोदय, सहकारी और सिंचाई विभाग पर जो डिमाण्ड पारित करने के लिए रखी गई है, उनके ऊपर अधिकांश माननीय सदस्यों ने अपने अपने कई सुझाव दिये हैं। उनके साथ साथ मैं भी सहकारी विभाग के बारे में कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। मैं सहकारिता का विरोधी नहीं हूँ, सहकारिता के द्वारा लोकतंत्र की स्थापना करने में मेरा पूरा विश्वास है और मैं इस रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हूं। सहकारिता का नाम लेना और लोगों को सहकारिता का काम बताना तो बहुत सरल है, लेकिन सहकारिता आन्दोलन के अन्दर जो सहकारी समितियां हैं और उनमें जो लोग होते हैं वे अज्ञानी होते हैं और उनकी अज्ञानता का लोग व्यक्तिगत फायदा उठाते हैं। अभी तो सहकारिता–आन्दोलन असफल हो रहा है, उसके कुछ कारण हैं। एक कारण तो यह है कि सह-

(श्री हीराभाई)

कारी समिति के रजिस्ट्रेशन में काफी टाइम लगता है। दूसरे, कर्जा जमा कराने के बाद भी उस सहकारी समिति को वापिस ऋण मिलने में दो दो साल लग जाते हैं। उसके जो सदस्य होते हैं वह कर्जा दुबारा मिलने की आशा के अन्दर सेठ-साहूकारों से कर्जा लेकर सहकारी समिति का कर्जा भर देते हैं। और जो सेठ साहूकार होते हैं वही उस सहकारी समिति में होते हैं वह सहकारी समिति का पूरा कर्जा जमा करा देते हैं और फिर उन लोगों से ड्योढ़ा, दुगुना, तिगुना वसूल करते हैं। जब वे सदस्य उस सहकारी समिति से बाद में दुबारा ऋण लेते हैं वह सेठ साहूकार उस सब रुपये को समेट लेता है और बाकी का जो लोन निकलता है वह उसके बाद फिर वसूल करता है। इस तरह सरकारी समितियों में गांवों में ढिलाई है और जो दो दो साल में भी कर्ज नहीं मिल पाता है इससे किसानों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस तरह का सहकारिता का खराब नतीजा निकल रहा है। इसके बारे में सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए।

एक निवेदन और करना चाहता हूं कि ठेकेदारी की प्रथा को खत्म करने के लिए हम श्रमिक सहकारी समिति और जमदूर सहकारी समिति बना कर उनको लाभ पहुंचाने की बात करते हैं। मैं मानता हूं कि यह ठीक बात है, लेकिन जो ऐसी श्रमिक और मजदूरों की सहकारी समितियां बनी हैं उन सहकारी समितियों के साथ में अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से और वन विभाग की तरफ से एक तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जो ठेका लेने की बात है उसका मैं, एक विसूनी वन श्रमिक समिति का उदाहरण देता हूं। १९५८ में उस समिति का निर्माण हुआ था, लेकिय अब १९६५ हो गया है और इतने समय में भी विसूनी वन सहकारी समिति के मुनाफे की रकम को आज तक नहीं बांटा गया है सदस्यों के अन्दर। इस तरह सहकारिता आन्दोलन किस तरह सफल हो सकता है ? जब १९५९ से १९६५ तक उस समिति की कार्यकारिणी के अभी चार साल पहले चुनाव हुए थे, लेकिन जो समिति उस समय बनी थी वह आज तक चली आ रही है और उसके चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि उस वक्त में हम समिति में थे, उसके बाद एक हमारी पार्टी के सदस्य अध्यक्ष बन गये और बाद में चुनाव के समय मेरे मुकाबले में खड़े होने के लिए, कांग्रेस का टिकट लेने के लिए कांग्रेस में चले गये। वे उस दिन से इस समय तक अध्यक्ष बने हुए बैठे हैं और उन्होंने बारह हजार का गबन भी कर दिया है। उसके बारे में ऑडिट रिपोर्ट में ऑब्जेक्शन उठाये गये हैं लेकिन सरकार ने तो कानों में तेल डाल रखा है क्योंकि वे कांग्रेसी हो गये हैं। उसके पहले हमारी पार्टी के सदस्य उसके सेक्रेटरी थे। वे जेल में एक आन्दोलन के सिलसिले में चले गये थे, उनके पीछे से दूसरे लोगों ने हिसाब में गड़बड़ी कर दी थी और उनको सजा हो गई। लेकिन यह कांग्रेस का आदमी प्रेसीडेंट बना, उसने बारह सौ का गबन कर दिया है, लेकिन उसको छूट दे दी है। उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं करता है. हालांकि हमने कई बार कोशिश की। इसके अलावा चार साल

(श्री हीराभाई)

के बाद भी चुनाव नहीं कराये जाते हैं। रजिस्ट्रार साहब से कहते हैं कि चुनाव क्यों नहीं कराते हैं, तब वे यह कहते हैं कि इस प्रकार का नियम नही है। उप नियम वही बनाये जावेंगे जिसको अध्यक्ष या सेक्रेट्री उचित समझेंगे और कोई फॉर्म नहीं भर सकता जब तक वह १० शेअर नहीं ले ले और वह मेम्बर नहीं बन सकता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि या तो आपको इन नियमों को भंग करना होगा या श्रमिक कमेटी को भंग करना होगा तब जाकर यह चुनाव ठीक तरह से हो सकेंगे। जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वहां पर वे ताले बन्द कर देते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरह से सहकारी समितियों में काम करना और सहायता करना तो कहीं दूर रह गया उल्टा नुकसान होता चला जावेगा।

इसके अलावा आप उन सहकारी समितियों पर छोटी-छोटी बात पर गलती बताकर बहुत बड़ा जुर्माना करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने एक समिति पर तीन बार जुर्माना ठोक दिया। गल्ती कौनसी थी, जबरदस्ती दबाव डालने के लिये गल्तियें निकाल दी जाती है। एक समय तो उस पर १२०० रुपये जुर्माना किया गया और दूसरी बार ५००) रु० जुर्माना किया गया और तीसरी बार १,०००) रु० जुर्माना किया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी गल्ती क्या थी, एक बार तो कोई बांस निकालने की बात थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके अधिकारी तो जंगलात की चौकी पर से जाते हैं। आप देख सकते थे। आपने उस समिति पर एक हजार रुपया जुर्माना कर दिया। दूसरी बात क्या बात हुई, यह कहा गया कि बीड़ ठीक नहीं काटा। इसको लेकर आपने उन पर १२००) रु० जुर्माना कर दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बीड़ कटवाने की जिम्मेदारी किसकी है? वन विभाग की एक सहकारी समिति है। वहां पर आपके बी. डी. ओ. हैं या इन्सपेक्टर हैं सहकारी समिति के। उन लोगों की लापरवाही से यह सब हुआ और उन्होंने रास्ता ठीक नहीं बताया और उस कारण से वह गलत काटा गया।

श्री भीमसिंह (उप-मंत्री, सहकारिता): आप कृपया उस समिति का नाम तो बतावें।

श्री हीराभाई: वन श्रमिक समिति उदयपुर बसोनी। इस तरह तीन बार इस समिति पर जुर्माना किया गया। इसके अलावा सन् ५८ से आज तक जो सदस्य हैं उनमें मुनाफा वितरित नहीं किया गया है। इस तरह से समिति को डुबाया जा रहा है। मैं यह कहूंगा कि आप सहकारी समितियां बना कर काम करने की बातें करते हैं, मगर हमने भवन और खेती आदि के सभी काम धन्धों को करके देखा है और सभी में असफल रहे हैं और इसका खास कारण रहा है सरकार की ढिलाई। क्योंकि किसी तरह से जंगल का ठेका सहकारी समितियों को दिया जाता है तो सरकारी अधिकारियों को रिश्वत नहीं मिलती। दूसरे किसी को ठेका दिया जाए तो उनसे उनको रिश्वत मिलती

(श्री हीराभाई)

है। सहकारी समितियाँ तो रिश्वत देती नहीं, ठेकेदार लोग रिश्वत देते हैं। इसलिये इसमें बड़ी गड़बड़ी करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : दो मिनट और आप बोल सकते हैं।

श्री हीराभाई : अभी हमारे पार्टी के सदस्य बोले नहीं हैं।

श्री सभापति : दो मिनट।

श्री हीराभाई : ये लोग ठीक कमिशन सरकारी अधिकारियों को देते हैं, रिश्वत देते हैं और मजदूरों के पास देने-लेने को क्या पड़ा है, इसलिये सरकारी अधिकारी हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं और इसीलिये श्रमिक समितियां पनप नहीं पाती हैं। और इसीलिये ये फेल हो रही हैं।

इसी तरह से हमने कृषि सहकारी समिति बनाई और एक हमारी सहकारी समिति चल रही है। वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर उनको खेती के लिये जमीन दे दी। वहां पर जमीन साफ करने के लिये धन देना चाहिये और दूसरी सहूलियतें भी देनी चाहिये, मगर आप देखेंगे कि दूसरे लोगों को इस प्रकार की सहूलियतें सरकार द्वारा दी जाती हैं, मगर हम लोगों को नहीं दी जाती है। यह बिल्कुल गलत तरीका है।

इसी तरह से सिंचाई के बारे में भी मैं जल्दी ही निवेदन करना चाहता हूं। सिंचाई के लिये कितने प्रोजेक्ट्स बने हैं और किस प्रकार से उनसे सिंचाई हुई, उसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे बांसवाड़ा में कोई इसका प्रबन्ध नहीं है, कोई बांध वहां पर नहीं है। आप माही बांध का ढंढोरा पीट रहे हैं, मगर मैं कहूंगा कि आपने इसके बारे में क्या किया है। छोटे छोटे बांध हैं घाटोल आदि में, वहां पर गये साल तो पंचायतों के चुनाव हुए उसमें दूसरे पंच जीते थे इसलिये वहां पर पानी दिया गया और गये साल पहले उनको पानी बिल्कुल रोक दिया गया क्योंकि विरोधी पार्टी के लोगों का जोर था तो वहां पर लोगों से हमारे सरकारी अधिकारियों ने वायदे कराये कि कांग्रेस को वोट देंगे तो पानी दिया जाएगा। जिन लोगों ने वायदे किये और कांग्रेस को वोट देने के लिये तय कर दिया उनको तो पानी दे दिया गया और दूसरे लोग जिन्होंने वायदा नहीं किया उनको पानी नहीं दिया गया और उनकी फसलें सूख गई। जब लोगों ने देखा की फसलें सूख रही हैं तो उन्होंने कांग्रेस को वोट देने का वायदा किया और तब लोगों को पानी मिला। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से पार्टी बेसिस पर काम किये जाते हैं और इस प्रकार के कारनामे हैं। इसके लिये हमने कई बार कलेक्टर और दूसरे लोगों के पास जाकर निवेदन किया कि हमको पानी नहीं दिया गया, मगर उसका कोई असर नहीं हुआ। हमारे यहाँ अखपुर तालाब है, वहां पर थोड़ी सिंचाई होती है। वहां पर पानी बन्द हो जाता है तो वह सूख जाता है। इस तरह से अगर पानी नहीं मिलता है फसलों को तो यह सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें सरकार को सुधार करना

(श्री हीराभाई)

चाहिये और फसलों को पूरा पानी नहीं मिलता है तो वहां पर क्या फसल तैयार हो सकती है ? और जब फसल तैयार नहीं होती हैं तो लगान उनसे व पिलाई के पैसे क्यों लिये जाते हैं ? हमने कलेक्टर से इस सम्बन्ध में निवेदन किया कि पूरी पिलाई के लिये पानी नहीं दिया गया और पैसा लिया गया तो कलेक्टर साहब ने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद रकम वापिस लौटाई जावेगी। मगर आज तक न वह रकम ही वापिस लौटाई गई है और न जांच ही हुई है।

इसी तरह माननीय चअरमैन महोदय, हमारे इलाके में कोई उद्योग-धन्धा नहीं है। हमारे यहाँ पर अभी ५ (पांच) साल से नया बांध बनवा रहे हैं। गवर्नमेंट ने सर्वे कराई है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस पर कितना पैसा खर्च किया है। जब-जब चुनाव होते हैं तो आप सर्वे करा लेते हैं और उस समय तो आप लोगों से वायदे करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पार्टी-बाजी के सिद्धान्त को छोड़ कर जितने बांधों के लिये आपने बांसवाड़ा आदि में सर्वे कराया है, पार्टी बाजी को छोड़ कर तालाबों का निर्माण करना चाहिये और अगर आप नहीं करना चाहते तो हमको दूसरे प्रान्त में मिलने का मौका दे देंगे, नहीं तो हम राजस्थान सरकार से निवेदन करते हैं कि यहां पर मुसीबत में बैठना हमारा ताल्लुक नहीं है।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक छोटे-छोटे नाले और तालाबों को ठीक नहीं करावेंगे और जो २५ हजार रुपयों तक खर्च करने का ग्राम पंचायतों को अधिकार दे रखा है, आपने २५ हजार का अधिकार दे रखा है, मगर मैं यह कहूंगा कि एस्टीमेट मंजूर कौन करता है ? इंजीनियर और राज्य सरकार ही तो करती है। जब तक एस्टीमेट मंजूर नहीं होता निर्माण कार्य नहीं होते हैं। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कई स्थानों पर सर्वे हो जाती है, परन्तु पंचायत समितियों को ५ हजार तक पास करने का अधिकार है, इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम पंचायत समितियों को २५ हजार तक तालाब आदि पर खर्च करने का अधिकार होना चाहिये, वर्ना छोटी रकम से तालाबों और बांधों पर जो पैसा खर्च होगा वह भी किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिये २५ हजार तक का निर्माण का अधिकार दिया जावे जो सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है।

श्री सभापति : Shri Yagyanik! Seven minutes only.

श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवाड़ा): सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन तथा जल–निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १०० रुपया कम करने का है। एक तो सिरोही जिले की शिवगंज तहसील में सुकली नदी पर स्टोरेज बांध के बारे में चर्चा के लिये व दूसरे जोयला ग्राम में नदी का तट बांधने पर चर्चा के लिये।

सभापति महोदय, आज से ६ साल पहले शिवगंज तहसील में सुकली नदी पर राज्य सरकार ने एक इनन्डेशन डेम बनाया। वह

(श्री रविशंकर याज्ञनिक)

बांध वहां की जनता के लिये आशीर्वाद के बदले अभिशाप बन गया। उस बांध के बंध जाने से उस तहसील की हजारों बीघा जमीन बर्बाद हो गई, फर्टाइल जमीन थी वहां नाले बने और रेता हो गया। जोयला ग्राम के अन्दर हो कर यह नदी इस तरह से आई है कि इस एक गांव के दो हिस्से हो गये हैं, हर साल बाढ़ आती है और हर साल इस गांव के पचास, साठ, सत्तर घर गिरते हैं। जिला परिषद् सिरोही ने, पंचायत समिति शिवगंज ने काफी मांग की है मन्त्री महोदय से। अभी गत १६ जनवरी को पंचायत समिति ने एक प्रस्ताव पास किया, दो साल से मन्त्री महोदय से मिल रहे हैं उनसे कह रहे हैं, लिख रहे हैं पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अच्छा तो यह होता कि वह बांध बंधता ही नहीं, बंध गया है तो अब जरूरत यह है कि उस बांध के बदले अब उस पर स्टोरेज डेम बने। स्टोरेज डेम नहीं बनता है तो इस बांध का पानी जमीन में फैलता है और नालों में हो कर बहता है और जोयला ग्राम के बीच में से नदी के रूप में जाता है। तो मेरा निवेदन है कि स्टोरेज बांध जल्दी बनाया जावे।

इसी तरह शिवगंज तहसील में अंगोर डेम का पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास किया, स्कीम बन गई। सर्वे के बाद स्कीम सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर के पास गई; अब पता नहीं क्यों वहां पड़ी है ?

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं, के अन्तर्गत मांग में २,५५, ५४,००० रुपया रेवेन्यू खाते में लिखा गया है, वह नहीं लिखना चाहिये। कारण यह हैं कि यह भाखरा, चम्बल, व्यास आदि के बांध में पैसा खर्च हुआ, उसका ब्याज है। उस एरिया में सिंचाई की रेट कम है। इस लिये राजस्व हैड में वह नहीं लिखा जाय, यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री सभापति : श्री देवीलाल ! संक्षेप में कहें।

श्री देवीलाल (सराड़ा–सु०) : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि उदयपुर जिले में पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी काश्तकारों की छोटी सिंचाई योजना बना कर राहत पहुंचाई जाय।

सभापति महोदय, उदयपुर जिले में कई तो ऐसे क्षेत्र है जो सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन पहाड़ी क्षेत्रों में सभी आदिवासी रहते है। उनके पास छोटे छोटे टुकड़े जमीनों के हैं। वे पहाड़ों में रहते हैं। वहां पहाड़ों के बीच दरों में कहीं छोटे छोटे प्लाट हैं, सौ दो सौ बीघा के, वहां बहुत कम पैसों की योजना से १०० से ३०० बीघा तक की सिंचाई हो सकती है। वहां इरिगेशन विभाग ने कोई ऐसी स्कीम नहीं बनाई है। वहां ५० हजार से डेढ़ लाख तक की स्कीमें बन सकती हैं। कई नाले ऐसे हैं, उनका सर्वे करा के देखा नहीं गया है। टीडी नदी में भी ऐसी स्कीम है जिससे ६, ७ गांवों की जमीनों की सिंचाई हो सकती है। देवपुरा गांव के पास वह स्कीम है ऐसी स्कीम बताई गयी है पर उसका आज तक सर्वे नहीं हुआ है।

(श्री देवीलाल)

दूसरी पाल भोराई बलुवा गांव की स्कीम पीपले वाली बताई है, ५०, ६० हजार रुपयों में वह स्कीम तैयार हो सकती है। भोराई के पास सोम नदी और मयाका नाका में नदी में पानी बहता है, वहां पिक अपवियर बना दें तो, इटाली, रठोड़ा आदि गांवों की पिलाई हो सकती है। खैरवाड़ा तहसील में सोम नदी पाल कागदर के पास ऐसा स्थान बताया था वहां पिक अपवियर बन सकता है। वहां सर्वे नहीं कराई, उससे कई गांवों की पिलाई पिक अपवियर से हो सकती है।

गांव झोतरी के पास सांस का नाका है, जिसकी सर्वे हो चुकी थी। उस स्कीम का भी ठिकाना नहीं है। उसको मंत्री महोदय दिखवा कर बनवाने की कोशिश करेंगे।

इसी प्रकार आदिवासी क्षेत्र में पाल नठारा है। उसमें नला का नाका है, वहां ५० हजार की स्कीम से काम हो जायगा। उससे तीन चार सौ बीघा की पिलाई हो सकती है, पर उसकी सर्वे आज तक नहीं हुई है।

इसी प्रकार धन का वाड़ा के पास पाटियां का अच्छा तालाब बन सकता है। पहाड़ों के ऊपर स्थान है पर वहां सारा पानी इकट्ठा हो सकता है, वहां से कुण्डा कूड़ा और बोरी गांव की जमीन पीवल हो सकती है।

सभापति महोदय, मेरा आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी किसानों पर ध्यान देकर इन सबकी सर्वे कराई जावे। पंचायत समिति में २५ हजार की स्कीम बनाई जा सकती हैं, उससे बड़ी नहीं बनाई जा सकती है इसलिये आपके विभाग द्वारा २५ हजार के ऊपर की स्कीमें बनवाई जावें।

खरवर पाल में जागीरदार के वक्त का तालाब बना हुआ है, उस तालाब को बनाने के लिये विभाग के अधिकारियों को कहा गया पर वह तालाब नहीं बनाया, केवल स्लूस लगाने की आवश्यकता है। इस पर ध्यान देकर इसे पूरा कराया जाय, इससे तीन चार सौ बीघा जमीन की पिलाई हो सकती है।

सहकारी समितियों पर मेरा एक कट मोशन है। सराड़ा पंचायत समिति में कृषि सहकारी समिति बने पांच छः साल हो गये, ४०-५० काश्तकार हैं पर उसकी ओर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। इन्स्पेक्टर को कई दफा कहा पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। काश्तकारों को जमीन अलॉट तो कर दी पर आज तक ठीक ढंग से नहीं दी। कोई तवज्जोह नहीं दिया है।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, वित्त) : कब्जा नहीं दिया ?

श्री देवीलाल : कब्जे के लिये तो हमने किसानों को कहा कि अलॉट हो गई है तो कब्जा कर लो। पर तहसील की तरफ से, सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया कि ठीक ढंग से उसका हिसाब जमा है कि नहीं; हिसाब के मामले में भी ध्यान नहीं दिया।

सोसाइटीज को चलाने के लिये ऐसे आदमी गाइडेंन्स देने के लिये देने चाहिये जो उनके हिसाब-किताब आदि को अच्छी तरह

(श्री देवीलाल)

से रखा सकें, क्योंकि अनपढ़ लोगों की को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनती हैं, हिसाब-किताब के मामले में वे लोग कुछ नहीं जानते, इसलिये उनकी गाइडेन्स के लिये ऐसे पढ़े-लिखे आदमी हों जो हिसाब-किताब बता सकें।

यही मेरा निवेदन है।

(३. म. प.)

श्री सभापति : श्री उदयलाल !

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद !

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सभापति महोदय, देश की गरीबी और बेकारी मिटाने और देश को खुशहाल बनाने की दृष्टि से हमारी राजस्थान सरकार ने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं...

श्री सभापति : कृपया दस मिनट में समाप्त करें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : पांच मिनट में।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : एक सूचना का प्रश्न है। आपके दल को ४० मिनट का समय मिला हुआ है और उतना समय श्री कृष्णकुमार गोयल बोल चुके हैं।

श्री सभापति : मैंने आपको दस मिनट दिए हैं।

श्री हरीप्रसाद शर्मा : तो मैं कह रहा था कि किसानों को खुशहाल बनाने की दृष्टि से राइट और लेफ्ट कैनाल निकाले गए हैं और आपकी भावना थी कि इससे ज्यादा से ज्यादा अन्न पैदा होगा। लेफ्ट कैनाल हमारे बून्दी जिले में बहता है। इसके कारण काफी समस्या खड़ी हुई हैं। किसान निराश हैं। वह बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। जो हमारी नहरें बनाई गई हैं उसमें किसानों को बिना किसी नोटिस दिए उनकी खड़ी फसलों को खो दिया, जमीन अवाप्त कर ली। आज तक किसान मुआवजे के लिए तरसते हैं। आज नियम इस प्रकार से बने हुए हैं जिसके कारण किसान को राहत नहीं मिलती। आपके अधिकारी जिला हैड क्वार्टर्स पर उसको बुलाते हैं, फिर भी मुआवजा नहीं मिल पाता। मैं माननीय मंत्री से आश्वासन चाहूंगा कि जिन किसानों की जमीन आपने अवाप्त की है और फसल खो दी है, उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा दें।

दूसरे, आपको साढ़े पांच लाख एकड़ भूमि सिंचित करनी है। अभी तक आप दो-ढाई लाख एकड़ भूमि सिंचित कर पाए हैं। इस समय २५ हजार एकड़ भूमि जल-मग्न है। उन किसानों को मुआवजा देने का आपके पास क्या प्रावधान है ? आप उनके मुआवजे के लिए किसी प्रकार से प्रावधान नहीं बताते। मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि वह किसान अपने बाल-बच्चों का क्या करे ?

तीसरे, जब से नहरें खोली गई हैं किसानों के लिए रास्तों की भयंकर समस्या हो गई है। आज किसान अपने खेतों से

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

मकान तक फसल नहीं ले जा सकते और अपने गांवों में फसल तैयार करके कोटा और बून्दी की मंडियों में नहीं ले जा सकते। नाथूरामजी ने एक किताब निकाली है। सारे सर्वेक्षण करने के बाद अपने विचार लिखे हैं। चाहे आप कैनाल निकालें, लेकिन कम से कम वहां की सड़कों को क्या हानियां हो सकती हैं, क्या बाधाए हो सकती हैं, इसके लिए आपका किसानों ने ध्यान आकर्षित किया। आज हालत यह है कि एक गांव से दूसरे गांव में जाना मुश्किल है। अगर कैनालों के ऊपर जाते हैं तो अधिकारी तंग करते हैं, उनकी गाड़ियों को नहरों में डाल देते हैं। इसी प्रकार जो नहरों का पानी है वह खड्डों में जाकर डाल दिया। आज कहते हैं कि नहरों के ऊपर नाले बनाएंगे, लेकिन आपका डिपार्टमेंट इस प्रकार की जिम्मेवारी नहीं लेता। पाटन सेक्टर में सारी नहरों का पानी मेज नदी में डलता है, ६ फुट पानी हो जाता है, साधन न होने की वजह से वहां के लोगों को अपने सामानों को मिट्टी पर रख कर निकलना पड़ता है। इस प्रकार की दुर्दशा है और आपका डिपार्टमेंट किसी प्रकार की जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। तो मैं तीन बातों का आश्वासन चाहूंगा। सबसे पहले जिन किसानों की जमीनें आपने नहरों में ली हैं, उनका क्या करने जा रहे हैं, मुआवजा कब तक देने जा रहे हैं? जब तक उनकी क्षति की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक उनको आप कुछ मदद करें। दूसरे, जिन किसानों की जमीनें नहरों के सीपेज के कारण पानी से भरी हुई हैं और वे फसल नहीं कर सकते उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसी जमीनें भी हैं जो ऊष (खार) के कारण पड़त हो गई हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है?

(३.०६ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आज हमारा दुर्भाग्य है कि एक ओर हम उत्पादन नहीं बढ़ा पाते हैं और अपनी योजनाओं के रिटर्न्स चाहते हैं। आपके दिमाग में ब्टेटरमेंट लेवी और खुशहाली टैक्स है। आप सबसे पहले यह सोचें कि नहरों के निकलने के पहले उस सैक्टर के काश्तकारों का उत्पादन कितना था और आज कितना है। आप चाहते हैं कि किसान तरक्की करे तो फिर यह खुशहाली टैक्स न लें। बूंदी जिले के अन्दर ८-१० फीट के नीचे पानी वहता है। नहरें आ जाने के बाद वाटरलॉगिंग बढ़ा है। यहां तक कि लोगों के घरों के चूल्हों में से पानी निकलता है। वास्तव में किसान अपने आपकी बरबादी महसूस करते हैं। बड़ा भारी संघर्ष किसानों और सरकार के बीच में है। आप कम से कम जब तक किसानों को खुशहाल नहीं करते इस प्रकार का विचार छोड़ दें, वर्ना सरकार और जनता के बीच में जोरदार संघर्ष हो सकता है।

ये भी शिकायतें हैं कि किसान पानी नहीं लेता। नहरें टूट जाती हैं, खेत भर जाते हैं, फिर भी जाकर पटवारी नाप लेते हैं और कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं। आपको यही पानी पहुंच गया और बिल बनाकर वसूल करते हैं। इस भयंकर स्थिति से चंबल का किसान परेशान है। तो मुझे

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

इस बात की तसल्ली दें कि जिन लोगों की वाटर लॉगिंग में जमीन खराब हो गई और जो २५ हजार एकड़ जमीन पर पानी भरा है, उसके मुआवजे के बारे में सरकार क्या सोचती है ?

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित राजस्थान कैनाल की लिफ्ट योजना ऐसे इलाके के लिए बनाई जा रही है जिस इलाके में दूसरे-तीसरे वर्ष अकाल पड़ता रहता है जहां लोगों के लिए सैकड़ों गावों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। ऐसा इलाका जो रेगिस्तानी इलाका है और जहां कि पर स्कवायर मील पर करीब ५-६ व्यक्ति रहते हैं और जहां पीने का पानी मुहैया नहीं होता, ऐसे इलाके के लिए लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो बनाई जा रही है, वह एक महत्वपूर्ण योजना है और उस इलाके में आने वाले वर्षों में इस स्कीम के बन जाने से खुशहाली आएगी। अभी प्रस्तावित योजना के जो अनुमान बनाये गए हैं वे करीब १५,६३,००,००० रु. आते हैं। इनमें हमारे पोंग डैम का शेयर और दूसरे खर्चे शामिल हैं। अगर इस योजना में केवल लिफ्ट चैनल का जो खर्चा लगेगा और दूसरे पम्प स्टेशन्स लगेंगे उस सारी लागत का खर्चा लिया जाय तो १०,५८,००,०००) रु० आता है।

माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो १०,५८ लाख रुपया लिफ्ट चैनल और पम्पिंग स्टेशन लगाने और पम्पिंग स्टेशन की कोस्ट होगी, यह खर्चा इसमें शामिल करना वाजिब है। लेकिन यह जो ५.५८ लाख रुपया पोंग डेम का शेयर जो इसमें लगाया जा रहा है, माननीय उपाध्यक्षजी, मेरी राय में यह खर्चा इस लिफ्ट योजना पर डालना उचित नहीं है। जैसा मूल राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि यह लिफ्ट चैनल राजस्थान प्रोजेक्ट का एक पार्ट है और यह खर्चा पोंग डेम का इस अनुमान पर लगाया गया कि इस चैनल पर डालना वाजिब नहीं है और कॉमन खर्चे पर इसको डालना चाहिए।

जैसा कि अनुमान लगाया गया है कि १५.६३ लाख रुपया खर्च होगा और इसमें जो जमीन की बिक्री से और बैटरमेन्ट लेवी से आमदनी होगी वह सरकार को कुल १७.३८ लाख की होगी। इसमें से सरकार ने आधा खर्चा, ५० प्रतिशत, जो वसूल होगा वह सारा ५० पर्सेन्ट खर्चा राजस्थान कैनाल में क्रेडिट कर दिया है। ८ करोड़ रुपया राजस्थान कैनाल में क्रेडिट किया गया है वह किस कारण से किया गया ? पोंग डेम का शेयर आप इसमें न मिलायें और ८ करोड़ रुपया राजस्थान कैनाल में क्रेडिट करना चाहते हैं, यह नहीं करें तो यह योजना एक प्रकार से नो लोस नो प्रोफिट के बेसिस पर सफल हो सकती है, और १२) रु० प्रति एकड़ वाटर रेट लगाई गई है, इससे सरकार को प्रति वर्ष ५० लाख की आमदनी होगी और जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि ८ करोड़ रुपया राजस्थान कैनाल में क्रेडिट करें तो इसका आपने इन्ट्रेस्ट लगाया है, ३१ लाख रुपया वह इसमें बचत हो जावेगा और इससे आपका जहां रेकरिंग एक्सपेन्डीचर आता है, ९९ लाख का, वह न आकर ३१ लाख माइनस कर दें, तो ६८ लाख रुपया रेकरिंग एक्सपे-

(श्री भीमसेन)

न्डीचर में आयगा । ६८ लाख के मुकाबले में आपके अनुमान के अनुसार ही १२) रु० प्रति एकड़ से ५० लाख रुपये की आमदनी होगी । इससे १८ लाख का वार्षिक नुकसान प्रत्यक्ष नज़र आता है । बिजली की दर ६.५ नए पैसे किलोवाट लगाई गई है । माननीय उपाध्यक्षजी, जैसा कि सबको विदित है कि हमारा भाखरा से बिजली का पूल २५ हजार किलोवाट फर्टीलाइज़र प्लान्ट के लिए रिजर्व है । फर्टीलाइज़र प्लान्ट हनुमानगढ़ में न लगा कर कोटा में लगाया गया है । कुल बिजली की आवश्यकता ११ हजार किलोवाट होगी । २५ हजार किलोवाट बिजली जो भाखरा पूल से मिल रही है उसमें से ११ हजार किलोवाट ले सकते हैं । इसी तरह से हमारी सरकार दूसरी बड़ी बड़ी लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज़ को दो-तीन नए पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से देती है, उसी प्रकार हमारे इस इलाके को जो गैर आबाद है, आये साल अकाल पड़ता रहता है, उस एरिया को अकाल से रिलीफ देने के लिए लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज़ को बिजली जिस रेट पर दी जाती है उसी रेट पर दी जाय, यानी तीन नए पैसे के हिसाब से देंगे तो, जहां आपने ५५ लाख का अनुमान लगाया है वह ६.५ पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से लगाया, वहां यह यदि ३ पैसे के हिसाब से लगायेंगे तो कम से कम आधा हो जाता है और इस प्रकार २० लाख की बचत होगी जो अनुमान आपने लगाया है उसमें । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां १८ लाख का लॉस हो रहा था वर्ष का वहां यह लॉस ६ लाख रु० प्रति वर्ष के लाभ में परिवर्तित हो जावेगा यदि १२) रु० प्रति एकड़ की रेट लगाते हैं तो । तीन नए पैसे बिजली दर लगाते हैं और ५० पर्सेन्ट सेल वैल्यू होगी लैंड की, राजस्थान कैनाल को क्रेडिट नहीं करते हैं तो अपने आप में लाभ की योजना बनती है और इससे ऐसे इलाके को आबाद करेंगे जहां आये दूसरे-तीसरे साल लाखों रुपया राहत कार्य के लिए खर्च करने पड़ते हैं । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको ध्यान में रखते हुए इस योजना का एग्ज़ीक्यूशन मन्त्री महोदय जितना जल्दी अपने हाथ में ले सकेंगे उतना ही अधिक लाभ होगा और इससे बीकानेर शहर को भी योजना के लिए और पीने के लिए पानी मिल सकेगा । इस इलाके का विकास करने के लिए इस योजना को जल्दी से जल्दी हाथ में लेना उपयुक्त है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभुलाल "सेन्टर"!

श्री प्रभुलाल "सेन्टर" (खानपुर) : उपाध्यक्षजी, दो परियोजनायें चल रही हैं । पहली योजना का नाम है भीमसागर बांध और दूसरी परियोजना का नाम है कालिसिंध ।

जहां तक भीमसागर परियोजना का सवाल है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा रियासत के समय में सन् १९३५-३६ में इसका निर्माण शुरू हुआ था । बाद में स्टेट के और ठेकेदार के बीच झगड़ा हो जाने से भीमसागर परियोजना बन्द हो गई । उसके पश्चात् राजस्थान सरकार ने उस भीमसागर परियोजना का काम सन् ५०-५१ में अपने हाथ में लिया । सन् ५३ में भीमसागर परि-

(श्री प्रभुलाल सेन्टर)

योजना में नहरें खोदी गयीं और करीब २०-२५ मील तक नहरें बना दी गयीं। उसके बाद भी वहां के काश्तकारों से सन् १९६० तक भी लगान वसूल करते रहे। एक तरफ तो हमारी सरकार यह चाहती है कि उत्पादन बढ़ाया जाय। दूसरी तरफ हजारों बीघा जमीन नहरें खोद कर नष्ट कर दी गई। बांध बनाया नहीं गया और जो बहुत बढ़िया उपजाऊ जमीन थी; हजारों बीघा नहरों में आ जाने से पैदावार का बड़ा भारी नुक्सान हुआ। सन् ५४-५५ के बाद से उस भीमसागर बांध का कार्य बिल्कुल बन्द पड़ा है। नहरें खोदी जा चुकी हैं वे भी खराब हो गई, उनको वापिस ठीक भी नहीं किया जा रहा है। जो पुलियां बन चुकी थीं वे भी नष्ट हो गईं और हो रही हैं। इस तरह से भीमसागर परियोजना का लाखों रुपया बर्बाद हो रहा है। तीस वर्ष हो गए उस योजना को न जाने सरकार कब पूरा करेगी ? मैं यह दोहराना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय को जल्दी से इस भीमसागर परियोजना का काम चालू करना चाहिए। जिससे हजारों बीघा जमीन जो नहरों में आ गई और जिस कारण उपज के अन्दर काफी बड़ा नुक्सान हो रहा है वह न हो। सन् ५३ से लेकर आज तक १२ साल हो गए लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसके लिए हर वक्त विधान सभा में प्रश्न उठाए जाते हैं तो कहा जाता है और आश्वासन दिया जाता है कि इसको करायेंगे लेकिन वास्तव में काम कुछ नहीं हो रहा है। नहरों का मुआवजा जल्दी ही मिलना चाहिए।

दूसरी है कालीसिंध परियोजना। शुरू-शुरू में १३ के ऊपर योजना थी। इंजीनियरों की असावधानी से, गल्ती से, इसकी गलत साइड हो गयी और बांध भी टूट गया। बाद में ३६ लाख की योजना बनायी गयी और अब तक सरसब्ज नहीं हुई है, इससे जितनी सिंचाई होनी चाहिये थी नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि उसमें भी सरकार को काफी ध्यान देना चाहिए।

काली सिंध परियोजना का जहां तक सवाल है लोगों को मुआवजा देने में काफी मतभेद हुआ है। जहां तहसील खानपुर की भूमि आती है वहां तो पन्द्रह रुपया बीघा मुआवजा दिया गया है और उसी के पास तहसील सांगोद में १५० रुपया बीघा मुआवजा दिया गया है। यह सम्बन्धित विभाग के दोषपूर्ण व्यवहार के कारण हुआ है, अतः इस भेदभाव को मिटाया जाना चाहिए। इन दो परियोजनाओं के संदर्भ में सम्बन्धित विभाग से मैं आशा करूंगा कि वे इस फर्क को शीघ्र मिटावें।

भीमसागर बांध के अन्दर जो जमीन आई है, वहां अलॉटमेन्ट बिल्कुल बन्द हो रहा है, दस बारह साल से बन्द है; उसका अलॉटमेन्ट जल्दी होना चाहिए।

खानपुर में कालीसिंध की भूमि का १५ रुपया मुआवजा दिया गया है और उसी के पास के खेतों का जो सांगोद तहसील के हैं मुआवजा बहुत ज्यादा दिया गया है। इस मतभेद को मिटाया जाना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसरीसिंह !

श्री केसरीसिंह (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, जवाई बान्ध के केचमेन्ट एरिया को बढ़ाने के सम्बन्ध में मैंने कटमोशन दिया है। यह बात आपके विभाग को भलीभांति मालूम है कि जवाई बांध की कैपेसिटी ज्यादा है और उसमें पानी कम आता है। यदा कदा ही ऐसा साल होता है जब कि पर्याप्त पानी इसमें आवे वर्ना कम ही आता है। विभाग का ध्यान इस ओर नहीं गया हो, यह मैं नहीं कहता। विभाग का ध्यान गया है और उसके लिये उन्होंने एक प्रोजेक्ट की सर्वे वगैरह की तैयारी भी की, साही-प्रोजेक्ट के नाम से। साही नदी जो वहां के पहाड़ों से निकलती है और साबरमती में जाकर मिलती है टनेल द्वारा पानी आडावली पहाड़ों के नाले में डाल कर जवाई बान्ध में पहुंचाने के लिये यह प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को टेकअप करने के लिये ढील हो रही है, उसके मूल्य कारण तीन हैं।

यह स्कीम एक करोड़ रुपये की है, इसलिये यह मीडियम प्रोजेक्ट के अन्दर आती है। सरकार की इस सम्बन्ध में यह नीति है कि मीडियम प्रोजेक्ट में पैसा ज्यादा लगता है, रिटर्न्स देरी में आते हैं और रिटर्न्स कम भी आते हैं और दूसरी तरह माइनर इरिगेशन में पैसा भी कम लगता है और रिटर्न्स भी तुरन्त मिल जाते हैं, इसलिये माइनर इरिगेशन को तरजीह दी जाती है और मीडियम को प्रायोरिटी बाद में मिलती है।

इसके अलावा एक कारण यह भी है कि इस प्रोजेक्ट को सेपरेट प्रोजेक्ट मान रहे हैं। जवाई का हिस्सा न मानकर इसको अलग मान रहे हैं, इसलिये इसकी सैंक्शन वगैरह में देरी हुआ करती है और देरी हो रही है।

तीसरा कारण है, इसको आप इन्टर स्टेट प्रोजेक्ट मानते हैं, गुजरात स्टेट से इसका सम्बन्ध लगता है, इसलिये दिल्ली से क्लिअरेन्स और एप्रूवल लेना आवश्यक है। इन तीनों बातों के लिये मैं निवेदन करूंगा।

पहली बात यह है कि यह प्रोजेक्ट जवाई प्रोजेक्ट का एक ही अंग है। जवाई प्रोजेक्ट के लिये शुरुआत में ३०० लाख रुपया मन्जूर हुआ था उसमें से करीब पचास लाख रुपये की या ४८ लाख रुपये की बचत है। ओरीजिनल स्कीम में यह बात थी, कैचमेन्ट एरिया बढ़ाने के लिये प्रावधान था जो कि अभी तक नहीं हुआ। लगभग पचास लाख की यह बचत और ओरीजिनल सैंक्शन से दस परसेन्ट अधिक खर्च करने का अधिकार चीफ इन्जीनियर को है। इस तरह से तीस लाख और हो जाते हैं। इस तरह से कुल रुपया ८० लाख आज भी हमारे पास मौजूद है। इसलिये अब ज्यादा की सैंक्शन की जरूरत नहीं। इसको फौरन ही टेकअप किया जा सकता है। अगर इसको सेपरेट नहीं मानकर जवाई बान्ध का हिस्सा ही माना जावे तो।

पॉलिसी के बारे में मीडियम और माइनर के बारे में मेरा निवेदन है। जल्दी रिटर्न्स आवे इसलिये आप माइनर इरिगेशन को तरजीह देते हैं। दूसरों को कम्पेरेटिवली प्रायोरिटी बाद में मिलती है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके रिटर्न्स माइनर प्रोजेक्ट की तरह और उससे ज्यादा हो सकते हैं। माइनर में जीरो पॉइन्ट फाइव रिटर्न्स आप

(श्री केसरीसिह)

मान कर चलते हैं। इससे एक परसेन्ट से भी ज्यादा रिटर्न्स आ सकते हैं। इसके रिटर्न्स एश्योर्ड हैं, जवाई का कैचमेन्ट एरिया मौजूद है, अट्ठारह-बीस परसेन्ट एरिया में पहुंच पाते है। जिसमें नहरें वगैरह खुदी हुई हैं, पानी के मिलते ही यह प्रोजेक्ट ज्यादा रिटर्न दे सकेगा।

तीसरी बात यह है कि जहां तक पानी के युटिलाइजेशन का सवाल है वह पहले ही साल से शुरू हो जाता है, जब कि दूसरी जगह आठ-दस साल में पानी का युटिलाइज़ेशन होता है। ये सारी बातें आपसे छिपी हुई नहीं हैं।

इसको जो इन्टर स्टेट प्रोजेक्ट माना जाता है तो उसके लिये मेरा निवेदन यह है कि इसका जो कैचमेन्ट एरिया होगा वह पूरे राजस्थान के अन्दर होगा, राजस्थान की पहाड़ियों के ऊपर से पानी आयेगा। साही नदी गुजरात की तरफ बहती है, हम उसका सारा पानी इधर नहीं ले रहे है, थोड़ा सा पानी इधर आयेगा और बहुत सारा उधर बहेगा जो आगे जाकर साबरमती में मिलेगा। हमारी पहाड़ियों पर बरसात होगी, जो साही नदी में जाकर मिलता है वह पानी हमारे हिस्से का है उसी को हम ले रहे हैं। जिसका ज्यादा अच्छा युटिलाइजेशन् गुजरात राज्य में सम्भव नहीं है। इसको इन्टर स्टेट प्रोजेक्ट न मानकर बोल्डली एक्ट करके सैक्शन के लिये दिल्ली की ओर देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। आपके विभाग का ध्यान इस ओर है, लेकिन उसमें ढिलाई हो रही है, इसके कारण निवेदन किया है। मैं निवेदन करूंगा कि इसको फौरन टेकअप करना चाहिये।

पुनियावास बान्ध की जो मन्जूरी आपने दे दी है उसके लिये धन्यवाद।

सेमावास तक पक्की फीडर बनाने की बात कही है। कई बार इसके बारे में विभाग के एक्सपर्ट्स से मैं बातचीत करता रहा हूं। एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर ने इस बात का आश्वासन दिया था कि अगर यह मन्जूर हो जाता है तो राज्य सरकार इसको जुलाई के पहले तक कम्पलीट कर सकती है। मैं अर्ज करूंगा, पाली पैकेज प्रोग्राम के अन्तर्गत आता है। वहां के पैकेज प्रोग्राम को हटाने के बारे में लोक सभा में भी बात चली थी। पैकेज प्रोग्राम को हटाया नहीं है; यह उपालम्भ दिया गया है कि वहां पर इरिगेशन की कमी है, इरिगेशन का पोटेन्शियल होते हुए, फन्ड्स देते हुए भी राज्य सरकार वहां के पोटेन्शियल को क्यों नहीं बढ़ाती ? इस प्रकार का उपालम्भ वहां से दिया गया है। जब हमारे एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर बहुत शीघ्र सम्पूर्ण करवा सकते हैं तो क्यों नहीं इसकी शीघ्रातिशीघ्र मन्जूरी दी जानी चाहिये।

अब मैं आपको बैटरमेंट लेवी के बारे में अर्ज कर दूं। जिस तरह से आप यह मुकर्रर करते हैं वह ठीक है। नया बान्ध बनना है, जितनी वेल्यू बढ़ती है उसके लिये कुछ ले लिया जाय ताकि और नये बान्ध बनाने में वह काम आये। जिस ढंग से आप निर्धारित करते हैं कई जगह

(श्री केसरीसिंह)

बहुत कम करना पड़ा है, वसूली बाकायदा नहीं होती है। काश्तकार कहते हैं, एक मुश्त भरनी पड़ती है, नहीं देते हैं तो आगे उस पर ब्याज़ एड कर देते हैं। कहीं कह देते हैं कि पानी नहीं आया, बैटरमेंन्ट लेवी किस बात की, इरिगेशन की इन्टेसिटी देख कर हम तय करते हैं, आदि सारी बातें हैं।

इसके बारे में मैं कई बार सुझाव दे चुका हूँ, फिर भी मैं उसको आपके सामने और रखना चाहूंगा। उसको कन्सीडर तो किया जाय। मेरा सुझाव यह था कि नये प्रोजेक्ट बनते हैं और सिचाई हो, आप आबियाना तो वसूल करते ही हैं, कितने एरिया में पानी गया उस हिसाब से। मैं अर्ज करता हूं आबियाना के साथ साथ आबियाना का ड्योढा यानी एक बीघे के लिये जहां सिंचाई रेट ३ रुपया है वहां डेढ़ रुपया एक्स्ट्रा ले लीजिये, आठ-दस साल तक एक्स्ट्रा वसूल करते जाइये, नाम उसका आप चाहे जो रखिये। बेटरमेन्ट लेवी के तौर पर आप एक्स्ट्रा वसूल करना चाहते हैं। जिस साल फसल हो आबियाना लिया जाता है उसके साथ में अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया जाता है बैटरमेन्ट लेवी का हिस्सा तो वह काश्तकारों को दुखेगा नहीं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, उसकी वसूली भी आसानी से हो जावेगी। बैटरमेंट लेवी में वसूली की समस्या जो रहती है वह इसमें नहीं रहेगी।

जो बांध ऐसे हैं कि जिनसे एक सिचाई होती हो वहां साल अथवा दस साल तक ड्योढ़ी रेट लेते रहें, और जहां १२ महीने नहरें बहती हों, पैरेनियल वाटर मिलता हो वहां १५-२० साल रख लीजिये। तो बैटरमेन्ट लेवी से यह तरीका आसान होगा।

अब इसके बाद राजस्थान कैनाल के बारे में थोड़ा संक्षेप में अर्ज करना चाहता हूं। सुना है यहां यह दिक्कत रहती है कि चोमासे में तो वहां जरूरत से ज्यादा पानी आ जाता है जिससे बाढ़ की स्थिति बन जाती है और इसके बाद जब सिंचाई के लिए पानी चाहिए तब पंजाब से पानी उसमें छोड़ा नहीं जाता जिससे बुवाई में देरी होती है अथवा बोने के बाद पानी नहीं मिलने से जलने लगती है। तो इस विषय को महाराज करणीसिंह ने भी पार्लियामेन्ट में प्रश्न उठाया था। न जाने क्या क्या आश्वासन दिये गये। यहां पर भी पिछले साल कहा था कि बाढ़ का पानी ज्यादा आया है इत्यादि इत्यादि, पर सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला। तो जब पानी की जरूरत होती है तब समय पर नहीं मिलता, जब नहीं चाहिए तब बाढ़ तक आ जाती है तो इसके क्या कारण हैं और क्या परिस्थिति है, यह भी थोड़ा बताने की कृपा करें।

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): माननीय उपाध्यक्षजी, जिला जालोर में बड़गांव और जैतपुर नदियां परमानेंट बहने वाली नदियां हैं और इनका कुछ पानी गुजरात स्टेट में जाता है। गुजरात स्टेट ने आनापुर ग्राम के पास बांध बनाने के लिए सर्वे का काम शुरू किया है। मैं राजस्थान

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर वहां गुजरात सरकार का खर्चा बांध पर हो गया और फिर आपने अपने वहां बांध बनाने का निर्णय किया तो बाद में कॉम्पलीकेशन्स हो सकती हैं, इसलिये अभी से इन नदियों का अपनी ओर से भी सर्वे कराकर बांध बनाने का निर्णय लिया जाय और इस आधार पर गुजरात सरकार से अभी से पत्र व्यवहार किया जाय। मैंने पहले भी इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था।

इन नदियों पर बान्ध बना कर अगर इसका पानी जालोर को दिया जाय और सांचोर तहसील में भी पहुंचाया जाय तो काफी सिंचाई हो सकेगी और वहां जो आपने बोरिंग करके भी पानी पीने का निकाला है और वह भी खारा निकला है तो वह समस्या भी हल हो जायगी।

ये बड़गांव और जेतपुर की नदियां सालाना चलने वाली हैं। बरसात में भी पानी काफी आता है तो अगर इसका पानी यूटीलाइज़ किया गया तो रानीवाड़ा पंचायत समिति और सांचोर में बेनीफिट होगा, पानी पीने के लिये भी मीठा मिल सकेगा जो कूओं का पानी नीचे चला जाता है वह भी ऊपर आवेगा और सिंचाई के साधन भी काफी उपलब्ध हो सकेंगे। यह प्रोडक्टिव स्कीम है। आप इसके रिटर्न के बारे में भी एग्ज़ामिन कर सकते हैं। आप अपने वहां बान्ध बनाने के बारे में सर्वे आदि करावें और गुजरात सरकार जो बांध की कार्यवाही कर रही है उसका काम बन्द होना चाहिये; नहीं तो आगे जाकर कॉम्प्लीकेशन्स बढ़ जावेंगे। राजस्थान सरकार काम शुरू कर देगी तो उनका पैसा बच सकता है।

दूसरी बात, लूनी इनन्डेशन स्कीम के बारे में कहना चाहता हूं। इसका काम अकाल के समय हाथ में लिया गया था। चितलवाना के पास और दूसरी जगह चालीस हज़ार बीघा जमीन में खेती हुई है थोड़ा पानी आने के बावजूद भी। इसके लिये तो सरकार को धन्यवाद देता हूं। जो १०–१५ सालों से पड़त जमीन थी उसमें अब फसल भी हुई है। इसलिये इस नदी पर दो-तीन जगह जहां और सर्वे हो रहा है वह बरसात से पहले पहले पूरा होकर काम हो जावेगा तो इससे बड़ा लाभ होगा। सांचोर की १।३ जमीन बड़ी फर्टाइल है। इससे काश्तकारों की हालत भी सुधरेगी।

उपाध्यक्षजी, समिति के जरिये कुछ कच्चे बांध बनवाने की बात है। राज्य सरकार का इस बारे में एक सक्यूंलर है; इसके लिए २।३ हिस्सा श्रमदान से बने और बाकी १।३ का खर्चा सरकार दे सकती है। मेरा निवेदन है कि २।३ हिस्सा श्रमदान आ नहीं सकता। हां, १।३ हिस्सा आप कर दें तो इतना श्रमदान आ सकता है। तो इसके लिये वहां की विशेष हालत को देखते हुए रिले–क्सेशन करना चाहिये ताकि छोटे-छोटे बांध भी यहां की समिति और स्थानीय लोगों के सहयोग से बन सकें। नहीं तो फिर सरकार पूरी स्कीम को अपने हाथ में लेकर इसे बहुत कम खर्चे में पूरा करा सकती है।

दूसरा उस एरिया में सारे गांव आथूणा एरिया में खारा ही खारा पानी है। इसलिये

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

उस जगह की पीने के पानी की समस्या भी हल हो सकती है, तो इसके लिये सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालाबादल ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा मु०): उपाध्यक्ष महोदय, सहाकारिता योजना सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण योजना है । जब, सहकारिता नही थीं तब देश के साधनहीनों से अनाप शनाप् ब्याज पूंजीपति लोग लेते थे । आजजब से सरकार ने सहकारिता का सूत्रपात किया है तब से वे गरीब लोग सेठों के चंगुल से निकल चुके हैं-।

वैसे तो सहकारिता हमारे देश में नई है । इससे पहले भी हमारे यहां सहकारिता की भावना थी । इसका लम्बा-चोड़ा क्षेत्र है । इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए । इससे गरीबों को पैसा भी मिलता है । अगर हम सहकार आन्दोलन की आड़ में यह कहें कि बड़े लोगों ने इसका फायदा उठाया तो बुरा नहीं होगा । गरीब लोग तो इसको समझ नहीं पाये । नतीजा यह हुआ कि जो होशियार लोग थे उन्होंने अपनी अपनी सहकारी समितियां बना लीं और उन्होंने अपने मित्रों को उसमें शामिल करके अधिक से अधिक लाभ उठाया । सहकारिता से साधारण लोगों को लाभ कम मिल पाया है इसलिए मैं यह समझता हूं और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि इसका लाभ साधनहीन लोगों को, गरीब लोगों को जो वर्षों से पिछड़े हुए हैं उनको उठाने की ओर और उनको साधन-सम्पन्न बनाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं और इस वर्ग को इस सहकारिता का लाभ होना चाहिए । वैसे हमारे देश में सहकारिता पहले भी थी । गांवों में पहले भी ऐसी योजनायें थीं और हर क्षेत्र में थीं । मन्दिरों के ऊपर भी इस प्रकार का एक भंडारा होता था, वहां पर बरतन होते थे, ओढ़ने-बिछाने के कपड़े होते थे और जब एक गांव से दूसरे गांव के लोग तीर्थ-यात्रा के ऊपर जाते थे तो अगले गांव के व्यक्ति अपने कांकड़ा की सीमा में उनको लेने के लिए चले जाते थे और उनको ओढ़ने बिछाने के लिए सब कुछ देते थे । किसी को कोई चीज अपने साथ लाने की जरूरत नहीं थी । तो सहकारिता की भावना वहां रहती थी और वहां पर बरतन मिलते थे और सहयोग देने की भावना गांव गांव में थी । जैसे गरीबों के पास शादी करने के लिए पैसे नहीं होने थे तो गांव के सारे लोग मिलजुल कर एक-एक और दो-दो रुपये निमंत्रण में देकर शादी करा दिये करते थे । सरकार ने सहकारिता के विशाल क्षेत्र की ओर अब तक ध्यान नहीं दिया और केवल पैसे देकर विकास की ओर ध्यान दिया गया है...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : शादी के लिए भी कोआॅरेटिव्ज खोली जायें ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आप समझ नहीं पाये । मेरा मतलब था पहले शादी के वक्त लोगों को गांव से ही मदद मिल जाया करती थी । तो उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता की भावना में कमी जरूर हुई है और यह सिर्फ अब पैसा पाने वाली सोसाइटीज बन गई हैं ।

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

लोग इसी में लगे रहते हैं कि हमें पैसा मिले और हम सोसाइटीज़ बनायें। हमारे यहां पर आदिवासियों की सोसाइटीज़ बनीं, भीलों की सोसाइटीज़ बनीं, वन सोसाइटीज़ बनीं, लेकिन इनका लाभ आदिवासियों को नहीं मिल पाया और ये सोसाइटीज़ कुछ ऐसे लोगों ने बनाई जो कि बनिये हैं या ब्राह्मण हैं या उच्च वर्ग के हैं। तो उस सहकारी समिति का लाभ दूसरे ही उठाते हैं और जो आदिवासी हैं वे अभी भी वही मजदूरी करते हैं। उनको कहा जाता है कि तुम तो काम करते रहो। आदिवासियों की नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रहें, भीलों के नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रहे और उनका लाभ दूसरों को मिल रहा है! हमारे शाह-बाद में सहकारी समिति बनी हुई है, उसका लाभ उन लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसी सहकारी समितियां बूंदी में होंगी, झाला-वाड़ में होंगी। आदिवासी तो वही मजदूरी करते हैं और रुपया मिल जाता है, उसका लाभ दूसरों को मिलता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा सुझाव है कि सरकार आदिवासियों को उठाने के लिए सही तरीके की सोसाइटीज़ बनाये और इनको लाभ पहुंचे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी विभाग पर जो बहस हो रही है इसमें मेरा कटौती का प्रस्ताव है। सहकारी विभाग जैसा होना चाहिए और जैसा कि कालाबादल जी ने बताया........

श्री उपाध्यक्ष : ५ मिनट में ही समाप्त कर दें।

श्री जयनारायण सालोदिया : गरीबों का उत्थान करने वाला होना चाहिए, लेकिन शनैः शनैः यह विभाग अमीरों के हाथ में चला जा रहा है और उनकी एक विलास की वस्तु बनता जा रहा है। मैं आम बात अर्ज न करके हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो सह-कारी समितियों के बारे में मेरी जानकारी है, मैं मंत्री महोदय को देना चाहता हूं। हमारे यहां निवाई मार्केटिंग सहकारी समिति है जिसके लिए मैंने कई तरह से प्रश्न उठाकर, भाषण देकर, माननीय मंत्री महोदय से मिल कर उसकी मैंने शिकायत की। जो मेरी वाजिब शिकायतें थीं उनको वाजिब मानते हुए भी आज तक उनका कोई निराकरण नहीं हुआ। वहां अभी अभी जो चुनाव हुए हैं वे भी इसी तरह से हुए हैं। कोआॅपरे टिव डिपार्टमेन्ट की तरफ से एक रिटर्निंग आॅफिसर आया और कन्डीशनल शर्तें लेकर आया कि इस संचालन मण्डल के सदस्य वे नहीं रहेंगे जो दूकानदारी करते हों, वे नहीं रहेंगे जो ब्याज लेते हों, वे नहीं रहेंगे जो कि रिश्तेदार हों। इस तरह से ६ शर्तों का शर्तनामा लेकर एक रिटर्निंग आॅफिसर आया। उसको वहां के जो संचालन मण्डल के सदस्य थे उन्होंने रिटर्निंग आॅफिसर नहीं बनने दिया और उसको कहा कि तुम तो कोने में बैठे रहो और हम अपने आप चुनाव करा लेंगे। इसका नतीजा यह हुआ कि वही

(श्री जयनारायण खालोदिया)

के वही पहले वाले सारे सदस्य आ गये। जो दूकानदारी करते हैं, जिनका भाई मैट्रीकुलेट होते हुए भी दो दो सौ रुपये की तनख्वाह पाते हैं। मैं उसके लिए कई बार नामजद प्रश्न भी कर चुका हूं और आज भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो वहां की सहकारी समिति है उसके संचालक मण्डल के सदस्य श्री हनुमानदास जी टोडवाल और उनके छोटे भाई श्री भगवानदास जी टोडवाल मैनेजर हैं, जब कि वे ट्रेन्ड भी नहीं हैं और सिर्फ मेट्रीकुलेट हैं। आर्ट्स में उन्होंने हाईस्कूल किया है और उनको १६० रुपये सोसाइटी से दिये जा रहे हैं। मैंने प्रार्थना बार बार की और मुझे अभी अभी मालूम हुआ है कि गये ४-५ महीने में गवर्नमेन्ट की तरफ से ऐसे आदेश हो गये हैं कि इस संचालक मण्डल को भंग कर दिया जाये और इनको यहां से हटा दिया जावे, लेकिन वे दोनों बातें नहीं होती दिखाई दे रही हैं। उसी सहकारी समिति को अनाज के गोदाम के लिए २५ हजार रुपये की सहायता मिली है। उस सहायता को मिले ४-५ साल हो गए, लेकिन गोदाम बनाने में वह पैसा खर्च न करके व्यापार में खर्च कर दिया। जो संचालक मण्डल के सदस्य हैं वे खुद दूकानदार हैं। जो महंगा माल आता है उसको तो सोसाइटी के नाम में लिख देते हैं और जो अच्छा माल होता है, सस्ता होता है उसको अपने दूकान के नाम में लिखवा देते हैं। इस तरह के सदस्य सहकारी समिति में हमारे यहां हैं और उनके लिए मैंने कई बार इस तरह की प्रार्थना की है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी के साथ साथ उसी सहकारी समिति ने गुड़ और शक्कर के इस तरह के घोटाले किये हैं जो उसकी ऑडिट रिपोर्ट आप उठा कर देखें तो आपको मालूम हो जायेगा। उस सहकारी समिति में १६५ टिन तेल के कम हुए हैं। उसमें दिखाया गया है कि इतना तेल चू गया है। यह मुझे जानकारी नहीं हुई कि इतना तेल कैसे चू गया? सहकारी समिति में यह आपकी ऑडिट रिपोर्ट से मालूम हो जायेगा। मैं तो बार-बार प्रार्थना करता हूं इस तरह की सहकारी समिति जिसमें बार बार गवर्नमेन्ट के आदेशों की अवहेलना की जाती है, रूल्स के खिलाफ काम होते हों फिर भी उसको क्यों कायम रखा जा रहा है, यह समझ में नहीं आता।

इस तरह की सहकारी समिति टोंक में है। पीपलू बहुद्देशीय सहकारी समिति है; उसके खजांची श्री कल्याणजी तेली ने जब सदस्यों से रुपया लिया तो २ रु० सैकड़ा का एक्स्ट्रा वसूल किया और वह ८०० रु० होता है जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट में साफ तरह से लिखा है। आपके इन्सपेक्टर द्वारा जांच कराई गई है, उसमें साफ लिखा है। आपके असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने ८०० रुपये वसूल करने का लैटर लिखा है, उसके बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नही कर रहे हैं।

एक तरफ तो यह सहकारी समिति है जो मैंने आप को बताई; एक तो निवाई में मार्केटिंग सोसाइटी है, एक टोंक की भी सहकारी समिति है। टोंक मार्केटिंग सहकारी समिति के गुड़ का ट्रक पकड़ा गया। उसके मैनेजर को सस्पेन्ड किया गया, लेकिन आज तक

(श्री जयनारायण सालोदिया)

मुझे जानकारी नही है कि उसके सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट क्या कर रही है। टोंक मार्केटिंग सहकारी समिति के गुड़ का ट्रक पकड़ा गया, उसके मैनेजर को सस्पेंड किया गया और १० हजार का गुड़, जैसी कि मेरी जानकारी है, वह गया।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : पुलिस में एफ० आई० आर० है इसकी डिपार्टमेंट की तरफ से।

श्री जयनारायण सालोदिया : सहकारी समितियों में इस तरह की गड़बड़ है। सहकारी समितियां आप चाहें किसी के हाथ में रखें, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि इनके द्वारा जनता का भला होता है या नहीं; कौनसे लोग इसमें हैं?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय।

दूसरी सहकारी समितियों की बात कहना चाहता हूं।

श्री मथुरादास माथुर (सहकारी मंत्री) : सिंचाई पर भी कहिये अब।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं आपसे ही कोऑपरेशन करना चाहता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : सिंचाई नहीं होगी तो गन्ना नहीं होगा और गन्ना नहीं होगा तो गुड़ नहीं होगा तथा और कोई बात होगी नहीं।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह तो मैंने बतलाया। ये तो वे सहकारी समितियां हैं जिन पर लोग गलत कब्जा करके बैठे हैं। दूसरी तरफ एक बैगू की सहकारी समिति है जो कि रैगरों की सहकारी समिति है जिला चित्तौड़गढ़ में वहां पर हरिजनों की एक सहकारी समिति है। उसके खजान्ची पर खुद का कर्जा नहीं था। सहकारी समिति का दो-तीन सौ रुपया बाकी था। वह समिति के नाम बाकी था। तो उस खजान्ची का घर नीलाम करवाया सहकारी समिति ने। उसके घर की २७०) रु० की बोली लगवा कर नीलाम करवाया। नीलाम की बोली ३ दिन में खत्म हो जाती है लेकिन उसकी तोहीन करने के लिए घर की बोली ६ दिन में खत्म की गई। उसका नाम भवाना रैगर, बैगू है और वह वहां की सहकारी समिति का कैशियर था। यह नजारा है कि २५० रुपया सहकारी समिति के बकाया होने की वजह से खजान्ची का घर नीलाम करवाया। दूसरी तरफ ये फीगर्स रख रहा हूं कि १०-२० हजार का गबन है। आप उसको मानते हैं और आपके यहां से चिट्ठयां भी जाती हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं है, कोई संचालक मंडल नहीं बदला जाता है, कोई कर्मचारी नहीं बदला जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जब यह डिपार्टमेंट माथुर साहब के हाथ में आया तो हमें बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं कि आप निष्पक्ष होकर करेंगे। लेकिन अब...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री जयनारायण सालोदिया : इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि चैयर की तरफ से आदेश हो रहा है, इसलिए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सारस्वत ।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : राजस्थान में........

श्री उपाध्यक्ष : आप ८ मिनिट में ही समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे

श्री मोहनलाल सारस्वत : राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन लम्बे अर्से सूं चाल रह्यो है और बहुत लोग ई आन्दोलन सूं आशा लगायां बैठा है कि इस्यु वाको भलो होवगो । वास्तव में सहकारिता आन्दोलन राजस्थान में नहीं भारत में ही एक बहुत बड़ो महत्व राख है । ई राजस्थान प्रान्त में गरीब लोगों सूं ब्याज कमावण वाला लोग २–३–४ रुपया सैकड़ा माहवारी तक ब्याज वसूल कर है जिके सूं गरीब लोग पनप नहीं सके; गरीब लोगां में अनेक कुरीतियां होणे का कारण बै लोग-बाग फंसा रख हैं और तरह २ की खोटी रिस्म-रिवाजां क कारण धणी लोगां के कर्ज सूं व लोग दब्या ।

सहकारिता आन्दोलन ही एक ऐसोक आन्दोलन है जिसूं हर प्रकार का व्यक्ति ने लाभ पहुंचायो जा सके है; चाहे वो किसान हो चाहे व्यवसायी हो, चाहे किसी प्रकार को प्राइवेट कर्मचारी, तथा राज्यकर्मचारी हो, चाहे साधारण मजदूर हो । ई प्रकार की सुन्दर योजना को आज राजस्थान में दुरपयोग हो रयो है । आ स्कीम जन-साधारण के काम में लोग नहीं आण देवे है । बल्कि जन-साधारण न ई संस्था का सदस्य तक नहीं बरण देव । आज सत्ताधारी लोग ई सहकारीता का मठ धारी बण्या बैठ्या है । बै लोग सहकारिता के नाम स्यूं राज्य सरकार ने तथा जनता न लूट लूट कखाव है । जिकां लोगां ने सहकारिता से लाभ होणो चाहिज बान लाभ होवे नहीं है, सरकार की किरोड़ां रुपया की रकम सहकारिता के नाम स्युं लाग है । पर ई रकम को दुरुपयोग ही होव है । यह स्कीम समर्थ लोगों के लिए टोनिक तथा लूट-खसूट को साधन है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सहकारिता को ढांचो जी प्रकार सूं चाल रयो है बीको दिग्दर्शन पिछली बार मैं एसेम्बली में रख्यो हो और गड़बड़–घोटालो तथा भ्रष्टाचार का अनेक कैस हाउस के सामने राख्या हा । उपमन्त्री महोदय सहकारी विभाग के सामने अनेक लिखित शिकायता भी की हीं । शिकायतां पर कुछ एक मुकदमा पुलिस द्वारा बणाया भी गया, पर आज ताणी वां मुकदमा में कोई कारवाही नहीं हुई, मुकदमा मात्र बणाणे सूं काम थोड़ो ही हो जावे है, उपमन्त्री सदन में बैठ्या है बै ई सम्बन्ध में के कैणो चावे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी में हजारां रुपया को गड़बड़-घोटालो, झूठी घटोती दिखाकर, चिजां गमी हुई दिखाकर, नौकरां ने तनखाह देयेड़ी दिखाकर तथा लोगों कने स्यूं झूठी सप्लाई दिखाकर करो गयो ई गड़बड़ घोटाल्यो तथा भ्रष्टाचार की जांच ऑडिट विभाग द्वारा की गई । हर एक व्यक्ति के नाम सूं जो गड़बड़ी कर-योड़ी है बी को ब्योरो दियो गयो । उपरोक्त मार्केटिंग सोसाइटी ने भंग करके दूसरी अधिकारियों की एडहोक कमेटी भी बना दी गई। भ्रष्टाचार करण वाला लोगां के विरुद्ध पुलिस में मुकदमा भी दर्ज हुयो, पर आज तक

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

भ्रष्टाचारियों की न तो गिरफ्तारी हुई और न वास्यूं रकम ही वसूल करी गई । एड-होक कमेटी का पंगु अधिकारी ईं दिशा में बिल्कुल अकर्मण्य तथा मौन है।

रायसिहनगर मार्केटिंग को ऑपरेटिव सोसाइटी में भी बहुत बड़ो गड़बड़-घोटाल्यो पगड़्यो गयो, पर आज तक कोई एक्शन नहीं लियो गयो । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत निवेदन करणो चावो हूं कि राजस्थान में सहकारिता के नाम की जो योजना चल रही है वह विडम्बना मात्र है। बा कांग्रेस सरकार तथा उनके साथियां ने सहायता पहुंचाणी को एक मात्र साधना तथा भ्रष्टाचार को अड्डो है । राजस्थान का मेरा जैसा सजग प्रहरी भ्रष्टाचार करण वालां के विरुद्ध आप लोगां न सचेत कर। पर आप लोग इस रोग में फसेडों हो कि सुणी-अणसुनी कर देवो । ई को एक मात्र कारण ओ ही है कि सहकारिता के नाम पर कांग्रेस सरकार खुलो भ्रष्टाचार करवावे है और ई भ्रष्टाचार स्यूं लोगों ने टुकड़ो गेर क अपणो पंथ बढाव है ।

मैं निवेदन करणो चाहूं की रायसिहनगर और रतनगढ़ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क सिवाय रतनगढ़ क देहातां में अनेक सोसाइ-टियां हैं। जिका में बठगो लोगां खुलकर भ्रष्टाचार करयो है, बाकी रिपोर्ट भी उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार कन आ गई और कई एक मुकदमा भी दर्ज हो गया । मुकदमा दर्ज होकर भी अपराधियां ने आज तक ओ ग्यान नहीं हुयो कि इस प्रकार गबन और भ्रष्टाचार करने पर कै सजा मिलनी चाहिजै।

जद कदै ही एसेम्बली पटल पर प्रश्न पूछ्यो जावे या किस वाद-विवाद में ई प्रश्न उठै तो मन्त्रीगण कै काना ताहीं बात जरूर आ जावे पर एक्शन नहीं होवे, क्योंकि गड़बड़ी करणवाला आखिर बांका ही तो आदमी है, केश बठै का बठै दब जावे

इसी तरह स्यूं राजगढ़, शादूलपूर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की वात सदन में राखी ही पर आज तक बी कै खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस तरह से जगह-जगह की शिकायतां सामने रखणे पर भी सरकार कोई एक्शन नहीं लेव, निठल्ला पण दिखाव, जिसूं देस में भ्रष्टाचार की बढ़ोत्तरी होव उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत में मंत्रीगण ने चैलेन्ज करणो चाहूं हूं कि वे इस दिशा में चेत जावें । ई तरह सूं भ्रष्टाचार देश में पनपाणो आप लोगों को वहुत बड़ी नैतिक पतन है । ई पतन ने आप लोग बचा सको तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार ने रोक नहीं सके; यदि भ्रष्टाचार समाप्त कर देवे तो कांग्रेस राज्य में कै रह जावे ? कांग्रेस सरकार की नींव ही भ्रष्टाचार पर खड़ी है ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, ईं सदन में पिछली बार राजस्थान क्रय-विक्रय संघ द्वारा कियो गयो गुड़ घोटालो की बाबत कितनी बड़ी बात आई ही । वीं बात ने बिश्नोई रिपोर्ट को बहानो करके सरकार पचा गई, आज भी वे गम्भीर मुद्दे ने विश्नोई रिपोर्ट के नाम से टाल्यो जा रहयो है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आन ए पाईंट ऑफ आर्डर, सर आपकी यह व्यवस्था हो चुकी है जो मामला सब–जुडिस हो उसको सदन में नहीं उठाया जा सकता है। मैं कुछ कहने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि यह व्यवस्था हो चुकी है कि जो सब जुडिस मामला जो जाये उसके बारे में सदन में चर्चा नहीं होती है, क्योंकि न्याय में फर्क पड़ता है। इसलिये मैं केवल माननीय सदस्य के नोटिस में लाया हूं और आपके नोटिस में भी लाया हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो सब जुडिस मामले हैं उनके बारे ये जिक न करें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : यो मामलो कोर्ट में नहीं गयो है। मैं निवेदन करणो चाहूं कि राजस्थान क्रय–विक्रय संघ द्वारा गुड़ की खरीद–फरोक्त में लाखों रुपीया को गड़बड़ घोटालो कर्‌यो गयो है। विक्रय क्रय संघ गुड़ के सिवाय खांड–मेवो तथा अनाज क व्यापार में भी मनमानी ढंग स्यूं गड़बड़ी करी ; खुलो भ्रष्टाचारे कर्‌यो। पर आज ताही ई क्रय विक्रय संघ क खिलाफ राज्य सरकार की तरफ स्यूं कोई एक्शन नहीं होयो बल्कि क्रय विक्रय संघ का अध्यक्ष राज्य का माल-मंत्री और बणा दिया गया, ईस्यूं स्पष्ट है कि सुखाड़िया राज में भ्रष्टाचार करण वाले लोगों ने तरक्की दी जावे है।

ई क्रय विक्रय संघ की बाबत राजस्थान का मेरा जैसा कुछ विधायक ही शिकायत नहीं करे बल्कि राजस्थान तथा यू० पी० को बच्चो–बच्चो ई संस्था के भ्रष्टाचार तथा गड़बड़–घोटाल्यो की बाबत जानकारी राख है। वीं बाबत अखबारों में गुड़ को बाजार भाव कुछ ही निकल्यो। यू० पी० के व्यापारीयां की चिट्ठीयां में बाजार भाव कुछ ही आतो और क्रय विक्रय संघ का फर्जी बीजक कुछ ही होतो। जको गुड़ राजस्थान में ५०पचास और ७५ (पिचेहतर) पीसां किलो बिकणो हो वो गुड़ म्हारी आ कांग्रेसी क्रय विक्रय संघ जकै ने राज सूं गुड़ की कमी के कारण जनता की सेवा वास्ते काम सौंप्यो गयो हो वा सेवाधारी संस्था १०० और १५० पीसा किलो बिकवायो; वो सब कुछ राजस्थान सरकार व भारत सरकार की नजरां में होयो। लोग बरावर शिकायतां करता रह्या। कूकता रहता, पण राजस्थान सरकार कोई एक्शन नहीं लियो। जकी सरकार खुद भ्रष्टाचार जनता के साथ करावे बीं द्वारा एक्शन लेने को प्रश्न ही नहीं उठै; अबकी बार गुड़की फसल पर क्रय विक्रय संघ बदनाम होने के कारण गुड़ के काम में नहीं पड़ी तो पिछले साल स्यूं ई साल आधी कीमत में, बिना दिक्कत क गुड़ मिल रयो है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके वादे के अनुसार आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैं एक मिनिट में खत्म कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनिट दिया जाता है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान क्रय विक्रय संघ गुड़-खांड़, मेवो, अन्न तथा अन्य वस्तुओं की चोरी तथा ब्लैक करने की दुकान है। ई दुकान के विरुद्ध कार्यवाही कुण कर जिका लोग राज्य चलावै बै ही भ्रष्टाचार करण लाग जावे तो जांच करण वालो कुण ? आज उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की हालत बहुत खराब है। आज राजस्थान में दूध की रुखाली बिल्ली वाली कहावत चिरतार्थ हो रहा है। कैस्यूं जांच करावा। और की की जांच करावां ?

आज देश में रक्षक ही भक्षक हो रया हैं। जनता ने बुरी तरह सूं पीस रहया है। शिकायत लेकर कोई जावे तो कै "कने जावे" आज वै ही नजर लगाण हारा, और वै ही थूथकारो घालण हारा"।

भ्रष्टाचार आज मंत्रीगण को राजस्थान में पलो काम है। मंत्रि मंडल में सुखाड़ियोजी एक सूं एक छटवां व्यक्ति ले राख्या है। ई

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

बदनाम मंडली का ने खुद मंडलेश्वर है। कोई एक आदम भलो आदमी हो बिने भी मंत्री मंडल स्यूं बीमारी को बहाना करके अलग बैठा दियो।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की कै हालत हो रही है; आज कांग्रेस का मंत्री भ्रष्टाचार में लीन है और भ्रष्टाचार सूं कमांयड़ धन दूवारा ऐस-इसरत कर्र्या है; मोज उडा रह्या है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज राजस्थान में कोई भी एैसो मांई को लाल दिखाई नहीं देवे जो राजस्थान के भलाई की बात सोचे और आ राज करण हारा भ्रष्टाचारियां पर पाबन्दी लगावे। राजस्थान के किसी भी विभाग में चल्या जावो, भ्रष्टाचार को बोल-बालो है। जनता मन्त्रीयां ने शिकायत करे तो मन्त्री टाल–मटोल करने के सिवाय और कोई काम नहीं करे। सुधार करणी की आज वां मैं हिम्मत नहीं रही। मैं एक बार नहीं हजार बार कहणो चाहूं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार को बोलबालो है।

आज राजस्थान की जनता निसहाय है, वा किसी सच्चे समर्थवान को नेतृत्व चावे है। आज बां देश भगतां, क्रान्तिकारीयां को सत्य ने जीवित राखणे खातिर आहवान करे है। ई भ्रष्ट राज की अन्त करणे ताई महाराणा प्रताप, दुर्गादास, शिवाजी, भगतसिंह, अर सुभाश बाबू न याद कर है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके वायदे के अनुसार आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैं एक मिनट में खतम कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट दिया जाता है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : सहकारी विभाग का माथुर साहब अभी नया मन्त्री है। सहकारिता में जो अनियमिताएं हुई हैं वे मांहन बताओ ई तरह को एक पत्र आं को भी म्हारे कैन गयो हो सारी बाता म्हे आने पूरी तौर स्यूं लिखी इतो करणे पर भी मंत्रीजी कोई एक्शन लियो होवे आ बात म्हारे नोटिस में नहीं आई। उपाध्यक्ष महोदय आप आं लोगां न सद्‌बुद्धि द्यो ताकि अ लोग भलो काम करें। जिस्यूं देस आगे बढ़। सहकारिता की बाबत इतो ही निवेदन करणो हो।

(४ म. प.)

श्री मथुरादास माथुर (सहकार मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सहकारिता के सिलसिले में ७३ कट मोशन्स सदन के सामने पेश किये गये। करीब करीब २५ सदस्यों ने कट मोशन्स रखे और उसमें से ११ सदस्यों ने विवाद में हिस्सा लिया। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने हमारे विभाग में दिलचस्पी लेकर, जो हमारे विभाग में कमियां हैं उनके मुत्ल्लिक इलाकों में काम करने वाले माननीय सदस्यों ने हमारे सामने रखने की कोशिश की है, उनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी आशा थी

Page No 116

(श्री मथुरादास माथुर)

कि जब सदन में सहकारिता के विषय में बहस होगी तो मुझे माननीय सदस्यों के प्रगतिशील विचार सुनने का मौका मिलेगा जिसकी वजह से सहकारिता और प्रगति से आगे बढ़ सकेगी। लेकिन सदन के माननीय सदस्यों में से जिन्होंने अपना अपना भाषण दिया, करीब करीब सभी लोगों, सिवाय एक-दो को छोड़ कर, ने कोई रचनात्मक सुझाव पेश नहीं किये। सिर्फ यह कह देना कि सहकारिता में भ्रष्टाचार है और चाहे सदन में किसी विषय पर बहस हो, भ्रष्टाचार का ही बोल-बाला आज-कल बहस में आता है। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं, न मैं इस बात का दावा करता हूं, जब कि राजस्थान में २१,६२८ सहकारी समितियां हैं तो २१,६२८ सहकारी समितियों के अन्दर जहां पर करीब करीब २ लाख इन्सान, जो इन समितियों के ऑफिस बियरर्स हैं, उन दो लाख इन्सानों में से कुछ भले भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं, इसलिये किसी समिति के बारे में यह कहना कि भ्रष्टाचार भयानक रूप से हो रहा है, इस तरह की बात करते हैं तो राज्य सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि उसकी जांच करे। इसलिये मैं शुरू में निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यक्तिगत मिसालें पेश कीं, अच्छा होता यदि वे मिसालें अपने कट मोशन के साथ रख देते तो मैं जवाब लेकर हाजिर होता। लेकिन कट मोशन्स में एक भी मिसाल नहीं रखी गई। इसके साथ ही जो माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे और जो सदस्य इस समय सदन में नहीं हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने पहले जब क्रय-विक्रय संघ को लेकर बहस हुई थी उस वक्त, मैंने सभी माननीय सदस्यों को एक पत्र लिखा था कि आपके पास क्रय विक्रय संघ के खिलाफ गुड़ या और किसी विषय को लेकर कोई जानकारी या सूचना है तो आप मुझे लिखें, मैं जांच कराने को तैयार हूं और अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने मुझे एक चिट्ठी ८-१० लाइन की लिखी, उसमें कोई मिसाल, आंकड़े या फेक्ट्स जैसी चीज नहीं है। फिर भी मैंने इस चिट्ठी के आधार पर जांच कराने की पूरी कोशिश की।

मैं क्रय-विक्रय संघ के मामले में ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि कई बार इस बारे में विचार सदन के सामने रख चुका हूं और अब विजिलेन्स कमीशन के तत्वावधान में एन्टी-करप्शन विभाग इस बारे में जांच कर रहा है, गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, मामला सब-जुडिस है और यदि इसमें कोई गड़बड़ी पाई गई तो जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं उनको सजा दी जायगी, ऐसी उम्मीद रखता हूं। कानून के जरिये जो हो सकता है वह होगा। फिर भी सुझाव मांगते हैं तो नहीं दिये जाते हैं, शिकायत मांगते हैं तो नहीं दी जातीं और सदन में खड़े होकर, हाथ बढ़ा कर यह कह देते हैं कि भ्रष्टाचार है, यह सुनकर मुझे दुःख होता है; इससे सदन की प्रतिष्ठा गिरती है और राज्य की प्रतिष्ठा गिरती है। इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी केवल सदन के इस ओर बैठने वालों की ही नहीं है बल्कि उस ओर बैठने वालों की भी है इस प्रजातंत्र में। भ्रष्टाचार के जो चार्जेज लगाये गये हैं उनके बारे में निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने दो-तीन मिसालें रखीं,

(श्री मथुरादास माथुर)

और भी चार-पांच मिसालें इधर-उधर से आईं; कुल मिलाकर ८-१० मिसालें सामने आईं। सकिसी हकारी समिति के मंत्री ने १००) का गबन किया, कोई १००) के गेहूं खा गया। इन सबकी जांच करवा कर इनका उत्तर में एक एक बात का इन्डि-विजुअल केसेज़ हैं उनका उत्तर दूंगा और यदि कोई बात सच होगी तो मुझे जो करने का अधिकार है उसका उपयोग करके सजा दी जायगी। यदि वे बेगुनाह हैं तो लाचारी है, सजा नहीं दे सकता।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता और निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यह नहीं कहता कि किसी सोसाइटी में बुराई हो, उसको नहीं देखें, लेकिन सहकार आन्दोलन का पूरा रूप आपके सामने रख दिया है। राजस्थान के अन्दर किस प्रकार हम सामंती चट्टान के ऊपर प्रजातंत्र के युग में सहकारिता का बीज बोना चाहते हैं, ऐसा पौधा खड़ा करना चाहते हैं जिसकी वजह से आज हम इन्सान को ऊपर उठा सकते हैं, उनकी माली हालत ठीक हो इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। यह लक्ष्य बहुत मुश्किल है, इसमें समय लगेगा, सामने कई तकलीफें और रोड़े आयेंगे, उनको दूर करते हुए इसमें कामयाबी हासिल करनी है। इसकी कामयाबी की जिम्मेदारी केवल सरकार या सहकार विभाग पर ही नहीं है, यह एक जन-आन्दोलन है और इस जन-आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिये माननीय सदस्यों को भी आकर सहयोग देना पड़ेगा, अपना हिस्सा अदा करना पड़ेगा, तभी लोगों में चेतना आयेगी और यह जन-आन्दोलन आगे बढ़ेगा।

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने ऐसी बात रखी कि लोगों को कर्जा दिया गया था उसकी अदायगी हो गई, उनके पास रसीदें मौजूद हैं, फिर भी लोगों की कुर्की निकाली गई है। इस तरह एक-दो मिसालें देकर उन्होंने इस पोइन्ट को रखा। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मामले की मैं जांच कर रहा हूं और जब तक इस मामले की जांच चालू रहेगी तब तक उन लोगों की कुर्कियां नहीं होंगी, उन लोगों को परेशान नहीं किया जायगा। सहकारी आन्दोलन का मकसद भी यह नहीं है कि बेगुनाह लोगों को परेशान किया जाय। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि राज्य की रकम को लेकर लोग अपनी जेब में रख लें, जैसी कि कहावत है-"रावलो तेल पल्ला में लीजे"। यह नहीं कि जो पैसा मिल जाय उसको जेब में डाल लें और उस रुपय को चुकायें नहीं। जो रुपया उन्हें मिलता है वह सोसाइटी को बैंक्स से मिलता है। इसलिए वह उसे वापिस न दें, यह बात नहीं हो सकती। मैं आपको निवेदन करूं रिज़र्व बैंक से रुपया फाइनेन्स डिपार्टमेंट की गारन्टी के ऊपर मिलता है। मुझ पर बहुत जोर पड़ता है जब मैं फाइनेन्स डिपार्टमेंट से गारन्टी लिखवाता हूं और रिज़र्व बैंक से रुपया लेकर अपेक्स बैंक्स को देता हूं। अपेक्स बैंक दूसरी कोऑपरेटिव बैंक्स को देती हैं, वे बैंक्स सोसाइटी को देती हैं और सोसाइटी अपने सदस्यों को देती है और उस पैसे के जरिये बीज और खाद, पानी वगैरह की व्यवस्था करके हम उत्पादन बढ़वाना

(श्री मथुरादास माथुर)

चाहते हैं । इस तरह यह सहकारी आन्दोलन एक जुड़ा हुआ मामला है, यह एक सामुहिक आन्दोलन है और इसमें सब का ही सहयोग चाहिए । यह हो सकता है कि इसमें कुछ छोटी-मोटी त्रुटियां रह जाती हैं । जब हमारे यहां २२ हजार संस्थायें हैं तो उनमें से एक-दो में, पांच-छः में कुछ झगड़े-कहीं पार्टी-बाजी और कहीं भ्रष्टाचार-हो सकते हैं । ये छोटी-मोटी बातें बड़े आन्दोलन में चलती हैं । कौनसा ऐसा मकान है, जिसमें हवेली नहीं हो, जिसमें महल नहीं हो और जिसमें तहारत नहीं होता है । इसी तरह जो सहकारिता की बुलन्द इमारत है उसमें ऐसी छोटी-मोटी बातें भी होंगी । लेकिन उनको ठीक करना, उनको साफ करना हमारा और आपका फर्ज है । इसलिए कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा, मैं समझता हूं कि मैंने जो आश्वासन दिया है उससे उनको तो जरूर विश्वास हुआ होगा ।

अब अलवर से आने वाले एक माननीय सदस्य, जो आज की इस बहस में हिस्सा नहीं ले सके, ने कट मोशन पेश किये थे...

श्री कृष्णकुमार गोयल :(कोटा) मैं एक दो बातों का स्पष्टीकरण कराना चाहूंगा......

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं . .

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपकी आज्ञा से मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि पार्लियामेन्ट्री परम्परा को बिल्कुल तोड़ा न जाय । स्पष्टीकरण के प्रश्न उठाये जायं, लेकिन यह भी जरूरी है कि भाषण का तारतम्य कायम रखना चाहिए । इसलिये आप जो भी बातें पूछना चाहें उनको नोट कर लें ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपकी आज्ञा से मैं पूछना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूछ लें ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने एक दो चीजें और बताई थीं, एक तो असिस्टेंट इन्सपेक्टर, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज चल रहे थे वे चलते रहे लेकिन उसको असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर के बजाय इन्सपेक्टर बना दिया । यह एक चीज और दूसरी चीज यह बतायें कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को बिना पब्लिक सर्विस कमीशन की एप्रूवल के, बिना उसके सिलेक्शन की एप्रूवल लिए, आपने डिप्टी डाइरेक्टर कैसे बना दिया ? ये दो केसेज और हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो दो बातें रखीं उनमें से एक तो यह है कि असिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर, जिसके खिलाफ चार्ज-शीट थी उसको इन्सपेक्टर बना दिया । जैसा कि मैंने शुरू में ही कह दिया था, इनकी तरह के जो इन्डीविजुअल केसेज हैं उनकी जांच करके मैं माननीय सदस्यों को बता दूंगा । बाकी जो असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर है और उसके खिलाफ केस कोर्ट में चल रहा है और उसको इन्सपेक्टर बना दिया है तो उसका डिमोशन होगा, उसका सस्पेन्शन होगा, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है । दूसरा जो केस बताया, जो आपने पब्लिक सर्विस कमीशन

(श्री मथुरादास माथुर)

की एप्रूवल के लिए कहा, वह पब्लिक सर्विस कमीशन से रेगुलराज़ हो रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो हमें सिफारिशें भेजी थीं उनको उसने विथ्ड्रा कर लिया है। उसने उस सिलेक्शन लिस्ट को विथ्ड्रॉ कर लिया है। उसने हमारी बात को माना है, जो राज्य सरकार और पब्लिक सर्विस कमीशन के बीच खतो-किताबत चल रही थी, उसके फलस्वरूप उसने माना है कि जो सिलेक्शन किया था वह ठीक नहीं किया था। अब वह लिस्ट पूरी विथ्ड्रॉ कर ली है। अब उसके द्वारा वापिस सिलेक्शन होगा। इसलिए जो कार्यवाही चल रही है वह जब तक रेगुलराइज़ नहीं हो जाय तब तक किसी आदमी का अपोइन्टमेंट नहीं हो सकता। इसके लिये सरकार जागरूक है और आवश्यक कदम उठा रही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य अपने कट मोशन पर बोल तो नहीं सके, उन्होंने जिस सोसाइटी के बारे में जिक्र किया, उसके विषय में उनसे बाद में चर्चा कर लूंगा और पहले भी चर्चा की है। वैसे हम इस बात की कोशिश करेंगे कि उस सोसाइटी को रुपया मिले, लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं जिसको सदन के माननीय सदस्य समझ लें कि सहकारी समिति, सहकारी बैंक और सहकारी संस्थायें हैं ये ऑटोनोमस स्टेच्यूट्री ऑर्गेनाइज़ेशन्स हैं, वह कानून के अन्तर्गत जनता के द्वारा चुनी हुई संस्थायें हैं; उनके स्वयं के अधिकारी हैं, उनकी खुद की एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी होती है, उनकी खुद की जनरल बॉडी होती है और उनमें इलेक्टेड आदमी होते हैं। वे जो फैसला करते हैं और उसके अनुसार रुपया मिलता है। अगर एक बैंक किसी जगह की है और उसके अन्तर्गत जो सोसाइटी है और वे सौ सोसाइटियां रुपया मांगती हैं तो उन सोसाइटियों की स्थिति को देखते हुए वह अस्सी सोसाइटियों को रुपया देना चाहती है, तो यह उसका अधिकार है और वे बाकी की बीस सोसाइटियों को इन्कार कर सकती हैं। उसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यह उनकी ऑटोनोमी है। अब राज्य सरकार अपना इन्फ्लुएन्स एक्सरसाइज़ करके उनको अच्छी सलाह दे सकती है, लेकिन जो आखिरी फैसला करने की बात है वह बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स पर ही निर्भर करती है। इस बात को समझते हुए जितना हमको आपने अधिकार कानून के अन्तर्गत दिया है उस हद तक एक्शन ले सकते हैं। मैं किसी बैंक के चेयरमैन या बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स को नहीं कह सकता कि इस संस्था को कर्जा दिया जाय; यह नहीं कह सकता। वह देना या न देना उस बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के द्वारा फैसला करने का अधिकार है। इस कानून को आप और हम समझते हैं और इस तरह हम दखल करने लग जायं तो कल उधर से आवाज उठ सकती है कि मिनिस्टर और रूलिंग पार्टी के आदमी सहकारी संस्थाओं के काम में दखल करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं रातदिन और न जाने क्या कह दिया जाय। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऑटोनामी मेन्टेन की जाय। जो चुनी हुई संस्थायें हैं, सहकारी संस्थाएं हैं, उनको कानून के अन्तर्गत जो अधिकार हैं उन

(श्री मथुरादास माथुर)

अधिकारों के इस्तेमाल में जितना कर सकते हैं इतना वे करें और इन संस्थाओं को हम नीचे से उठने दें, जिससे कि यह आन्दोलन सफल हो। फिर भी उस बात को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि उसकी समस्या हल की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में सदन में ज्यादा समय तक ज्यादा चर्चा नहीं हुई है और न ज्यादा बातें रखी गई हैं। फिर भी जो कहा गया है उसके बारे में मैं थोड़े में एक-दो बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी भ्रांति फैल रही है कि सहकारी-आन्दोलन में जो सहकारी संस्थायें काम कर रही हैं वे घाटे में चल रही हैं और इसलिए यह सहकारी आन्दोलन प्रगति की तरफ नहीं जा रहा है। इस तरह की भ्रांति बराबर फैल रही है। मैं सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस आन्दोलन को पनपाना चाहते हैं। वैसे इस देश में कुछ लोग इस विचारधारा के हैं जो इस आन्दोलन को पनपाना चाहते हैं। कुछ लोग इसको पनपाना नहीं चाहते हैं। इस तरह के लोग भी इस देश के अन्दर हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो सहकारी संस्थाए हैं २१,६२८ संस्थाएं कुल हैं। इनके अन्दर से जो सोसाइटीज़ पूरे मुनाफा में चलती हैं वे करीब दस हजार सोसाइटीज़ हैं। दस हजार संस्थायें २१,६२८ संस्थाओं में से हैं जो मुनाफे में चलती हैं। जो उनको मुनाफा तृतीय पंचवर्षीय योजना में १९६३-६४ तक हुआ वह कुल ७७ लाख ८ हजार का मुनाफा हुआ है। दूसरी संस्थायें ऐसी हैं जो संस्थायें 'नो प्रोफिट नो लोस' बेसिस पर चलती हैं। और कुछ संस्थायें ऐसी हैं जो घाटे में चल रही हैं। ऐसी संस्थायें हमारे यहां पर २१,६२८ में से करीब ४,६०० हैं जो इस वक्त या तो बिल्कुल नई बनी हैं या नुकसान में चल रही हैं और जो नुकसान इनमें कुल है वे २८ लाख के करीब है। ये मैं आपको १९६३-६४ के आंकड़े दे रहा हूं। २१,६२८ संस्थाओं में से ४ हजार ६ सौ घाटे में चलती हैं, दस हजार मुनाफे में चलती हैं और ३ हजार लिक्वीडेशन में हैं और जो बाकी की संस्थायें हैं, जैसा मैंने आपको बताया, वे नो प्रोफिट 'नो लोस' में चल रही हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : बोगस कितनी हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : बोगस संस्थायें, जैसा मैंने कहा, तीन हजार हैं, इनको हम लिक्वीडेट कर रहे हैं। यह हमारी नीति है और हम नहीं चाहते हैं कि इनका प्रभाव सारी संस्थाओं पर पड़े। इसलिए इन तीन हजार संस्थाओं के लिए लिक्वीडेटर मुकर्रर हो चुका है। इस तरह का स्टेप लिया गया है और इनको हम खत्म करना चाहते हैं। इस तरह आप इन तीन हजार को निकाल दीजिये, तो आंकड़ा जो २१,६२८ का है उसमें से ४ हजार ६०० घाटे में चलती हैं, दस हजार मुनाफे में चलती हैं और बाकी की संस्थायें हैं वे 'नो प्रोफिट नो लोस' में चल रही हैं। इससे आपको अन्दाजा होगा कि यह आन्दोलन प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, पीछे की तरफ नहीं हट रहा है। इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़ों को रख कर उनकी ओर

(श्री मथुरादास माथुर)

आपका ध्यान और आपके जरिये सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। हमारे यहां पर अगर आप यह देखें कि लोग-बाग उत्साह के साथ इस आन्दोलन की तरफ आ रहे हैं या नहीं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सैकंड प्लान के एण्ड तक एवरेज वर्किंग कैपिटल पर–सोसाइटी, एक संस्था की जो वर्किंग कैपीटल थी, वह थी ८१३३। लेकिन इन तीन वर्षों के अन्दर, क्योंकि तीन वर्ष के आंकड़े ही मेरे पास हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तीन वर्षों के अन्दर जो एवरेज वर्किंग कैपीटल पर सोसाइटी सैकिंड प्लान के एण्ड में ८,१३३ थी वह बढ़ कर ६,२६२ हो गई है। इसका मतलब यह है कि एक हजार के करीब इन तीन वर्षों के अन्दर एवरेज वर्किंग कैपीटल पर–सोसाइटी बढ़ गई है। इससे इन सहकारी संस्थाओं में इन्वेस्टमेंट करने का कैसा रुख रहा, यह मालूम होता है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हर एक संस्था की एवरेज शेयर कैपीटल १,७७७ थी। दूसरी पांच साला योजना के एण्ड में वह इन तीन सालों में बढ़ कर २,२६३ हो गई है। इसका मतलब है कि इनमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है और सोसाइटी की शेयर कैपीटल बढ़ रही है। इससे यह भी इजहार होता है कि लोगों की दिलचस्पी इस सहकारी आन्दोलन में बढ़ रही है। इसके साथ ही जो एवरेज डिपोज़िट पर मेम्बर है, जो सहकारी संस्थाओं के मेम्बर हैं, वह कुल मिला कर राजस्थान में मुख्तलिफ संस्थाओं के ६१ लाख मेम्बर हैं।

(विराम)

नहीं ; ६.१०,०५० हैं, माफ कीजिये, इन संस्थाओं के इतने सदस्य होते हुए भी डिपोज़िट जो एक मेम्बर के दूसरी पंचवर्षीय योजना के एण्ड तक थे वह ३.६ थे, वह बढ़ कर अब ६.३ हो गये हैं। इसका मतलब यह है कि करीब करीब दुगुना हो गया है। इससे यह जाहिर होता है कि हमारे यहां सहकारी आन्दोलन प्रगति की तरफ चल रहा है। एवरेज डिपोज़िट पर–सोसाइटी है २४४, उसका ४५६ हो गया। ये आंकड़े मैंने इसलिए आपके सामने रखे हैं कि आपको सही स्थिति मालूम हो। इसलिए मैंने सोसाइटीज़ के फीगर्स रखे, "नो लोस नो प्रोफिट" के आंकड़े रखे, घाटे वाली सोसाइटीज़ को भी आपके सामने रखा। उनमें सदस्यों की संख्या रखी, कितनी कैपिटल है वह भी आपके सामने रखा, इन बातों को देखने के लिए कि कहां पर क्या स्थिति है। मैं यह कहूंगा कि यदि कहीं पर, चार-पांच जगह पर, कोई खराबी नजर आती है तो आती है; इतना बड़ा आन्दोलन है उसमें चार-पांच जगह खराबी होना स्वाभाविक है। मैं यह कहूंगा कि आजादी के प्राप्त होने के बाद में राजस्थान की हालत को देखते हुए यह आन्दोलन हमारे यहां पनपा है, १४-१५ वर्षों में पनपा है, वह जनता के सहयोग से पनपा है और इसके लिये जनता को मुबारिकबाद देना चाहता हूं। यह जो इतनी प्रगति इसमें हुई है इसके लिए राजस्थान की ही जनता को धन्यवाद दे सकते हैं और मैं राजस्थान की जनता को इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो मुद्दे उठाये गये थे उसके लिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य भी सहकारी आन्दोलन की प्रगति के लिये हमें

(श्री मथुरादास माथुर)

सहयोग देंगे । अगर कोई कहीं भी खराबी है तो आप उसकी मेरे को सूचना दें । मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो कहीं खराबी है उसको निकाला जाए । आप और हम सब खराबी निकाल सकते हैं । यह आन्दोलन समाजवादी समाज का आन्दोलन है और इसके लिए इधर और उधर बैठने वालों के लिए कोई अन्तर नहीं है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो मांग प्रस्तुत की है उसे मन्जूर करेंगे ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : श्रमिक लोगों में १० शेयर खरीदें, यह कहां तक वाजिब है कि वे १० शेयर खरीदें तभी सदस्य बन सकते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : हम नए कानून बना रहे हैं और यह सिलेक्ट कमेटी में मौजूद है, एग्जामिन हो रहे हैं । इसी सत्र में लाने का विचार है । उसमें पिछड़े हुए लोगों के लिए और रजिस्ट्रेशन आदि के बारे में क्या करना चाहिये, सब बातों पर सोच रहे हैं । फोरेस्ट और दूसरे सभी जगह हम तरमीम ला रहे हैं । ठीक है, पहले ११ सदस्यों को बना कर सोसाइटी बना सकते थे । हम सब सिलेक्ट कमेटी में सोच रहे हैं ।

श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डौली) : भूमि के लिए एडवर्स पजेशन की ११ वर्ष की मयाद बहुत ज्यादा है । किसी को यदि वह भूमि ५६ में मिली है तो उसका रेकॉर्ड नहीं मिलता है इतने समय बाद । इसलिए इसकी लिमिटेशन पर विचार किया जाए ।

श्री मथुरादास माथुर : हम तो मूलभूत परिवर्तन कर रहे हैं । आपने नये कानून को देखा होगा जो सर्कुलेट हो चुका है । पहले एडवर्स पजेशन के लिए ११ वर्ष की बात थी, जब नया कानून ला रहे हैं उससे सब ठीक हो जाएगा ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पुरानी कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनका क्या होगा ? वे बन्द हो जायेंगी-

श्री मथुरादास माथुर : वह सिलेक्ट कमेटी के सामने मौजूद है । मीटिंग दो-तीन दिनों में हो जावेगी और इस सत्र में इसको लाना चाहते हैं और पास कराना चाहते हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, नया कानून बने उससे पहले कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ पुराने कानून में कायम करना चाहें तो क्या व्यवस्था करेंगे ? उनको नई स्थापित नहीं होने देंगे या कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत आप उनको इजाज़त देंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : जब तक नया कानून नहीं बनता तब तक तो पुराने कानून से चलना होगा । आपका पत्र चीफ मिनिस्टर को भेजा, आया था । मैंने उस पर अपने कमेन्ट्स भेज दिये हैं । विशेष इन्ट्रेस्ट हो तो......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे तो किसी विशेष व्यक्ति से इन्ट्रेस्ट नहीं है । मैं तो सिर्फ जानकारी करना चाहता था ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आपके यहां सेन्ट्रल गवर्नमेंट बैंक से ऋण देने की

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

व्यवस्था है । राजस्थान में तीन अरब रुपया है । अभी १० करोड़ रुपयों के करीब लोगों में ऋण वितरित हुआ है । क्या इससे अधिक कर्जे की व्यवस्था कर सकेंगे ? आप जानते हैं कि मनी लैंडिंग बिल जुलाई १ से लागू हो रहा है जिससे लोगों को कुछ सहायता मिले ।

इसके साथ में दूसरी बात है वह यह है कि कर्जा लिया जाता है वह खेती की उपज के लिये काम में नहीं लाया जाता है और मुकदमेबाजी में या लड़के-लड़कियों की शादी में खर्च कर दिया जाता है जिससे खेतों की उपज बढ़ती नहीं है और रुपया यों ही दूसरे काम में खर्च कर दिया जाता है; क्या इसके लिये सरकार कोई प्रबन्ध करेगी कि जिससे जो धन दिया जावे वह खेती के काम में ही लिया जावे और मुकदमा-बाजी और शादियों के काम में खर्च नहीं हो ।

तीसरी बात यह है, जैसा माननीय मन्त्री ने बताया और जैसा अभी मिसाल के रूप में बताया है, माननीय मन्त्री ने विश्वास दिलाया है कि जहां तक हो सके सोसाइटीज़ को, एडमिनिस्ट्रेशन को क्लीन एण्ड एफिशियेन्ट बनाना चाहिये । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप इसके लिये जांच करवा कर सोसाइ-टीज़ को क्लीअर और एफीशियेन्ट बनवाने के लिये आश्वासन देते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : आपने तीन प्रश्न उठाये । आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर तो साफ है कि अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट में कोई इर्रेगुलेरिटी हो तो यह कोई नई बात नहीं है । हम एक्शन लेते हैं । एम्बे-ज़लमेंट हो तो हम किसी को बक्सते नहीं है । जहां तक दूसरे सवालों का सम्बन्ध है, लोन देने का, हम एग्रीकल्चर प्रोड्क्शन को बढ़ाने के लिये देते हैं, डोमेस्टिक कन्ज़म्प्शन के लिये नहीं । डोमेस्टिक कन्ज़म्प्शन के लिए लोन देने की स्थिति में नहीं है । लोन उनको कोऑपरेटिव मूवमेंट से या बैंक से दिया जाता है वह स्टेट सर्टि-फिकेट पर दिया जाता है और वह उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिये या किसी इन्वेस्टमेंट में लगाने के लिये दिये जाते हैं और इस बात की बराबर निगरानी रखी जाती है कि वे उसको किसी दूसरे काम में न लें । फिर भी अगर कोई अपनी बेटी के विवाह में लगा देता है तो वह उसको वापिस अदा करता है, वह शोर्ट टर्म लोन है । इसलिये वह उनसे वसूल होता है । बाकी हमारे यहां......

(एक-दो माननीय सदस्य बोलने लगे)

आप सुन लीजिये । डोमेस्टिक कन्ज़म्प्शन के लिये लोन नहीं देते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने सिंचाई के सिलसिले में मैंने तीन मांगें आज प्रस्तुत की थीं, उन पर इस सदन के माननीय सदस्यों ने ६७ कटौती के प्रस्तावों की सूचना दी और आज बहस के दौरान में करीब १७ माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया और उनमें से करीब १२–१३ आदमियों ने सिंचाई के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बारे में ही अपनी बातें कहीं। बड़ी खुशी है उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारी विधान सभा के माननीय सदस्यों ने हमारे देश की और प्रान्त की जो सबसे बड़ी समस्या है खाद्यान्नों की, देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाया जाय, खाद्यान्नों के उत्पादन में सिंचाई की जो उपयोगिता है, उस उपयोगिता को समझते हुए, माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव रखे। कुछ माननीय सदस्यों ने इस तथ्यों पर जोर दिया कि सिंचाई योजना से जितना लाभ होना चाहिये वह नही हुआ है। कुछ ने इस बात पर जोर दिया कि योजनाएं जिस तरीके से चलनी चाहिए उस तरीके से नहीं चल रही हैं, इनके परिणाम जिस प्रकार के आने चाहिये वैसे नहीं आ रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि उनके यहां बहुत सी योजनाएं हैं जहां पर सिंचाई के साधन बढ़ाए जा सकते हैं। जो बातें उन्होंने कही हैं, उनके उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा।

मैं उन सारी आलोचनाओं का उत्तर दूं उसके पहले मैं इस बात को जरूरी समझता हूं कि राजस्थान की इन तीन योजनाओं में, जिनको हम पूरा करने जा रहे हैं, हमने जो हमारी योजनाएं बनाई उनमें, राजस्थान में सिंचाई के बारे में जो एक महत्वपूर्ण स्थान था, उसका हमने ख्याल रखा या नहीं रखा। इसे देखें तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि हमने हमारी योजनाओं में इस बात का ख्याल रखा है।

पहली पंच वर्षीय योजना ६४ करोड़ रुपयों की योजना थी, उसमें सिंचाई के मद में २६ करोड़ की व्यवस्था थी। दूसरी योजना जो हमारी थी वह १०५ करोड़ रुपयों की थी उसमें हमने २५.३६ करोड़ रुपयों की व्यवस्था सिंचाई के मद में की थी। हमारी तीसरी पंच वर्षीय योजना २३६ करोड़ की थी, जो अब जा कर २०५ या २०७ करोड़ के करीब जाकर पूरी होगी, उसमें सिंचाई के मद ८५ करोड़ रुपयों की व्यवस्था हमारे यहां पर की थी। इस प्रकार हमने हमारी योजनाओं में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के दृष्टिकोण से काफी व्यापक रूप से सिंचाई के मद में व्यवस्था की है। दूसरी और तीसरी पंच वर्षीय योजनाओं में कई कामों को, जिसको पहली योजना में शुरू किया था, उनको अलग अलग स्टेज में पूरा किया है। हमारे राज्य में मल्टी परपज़ रिवर वेलीज़ योजनाएं हैं दूसरे राज्यों से सम्बन्धित हैं। खास कर गंगानगर के इलाके में चलने वाली योजना, भाखरा और राजस्थान नहर की योजना, इन योजनाओं का सम्बन्ध पंजाब की योजनाओं से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार चम्बल की सबसे बड़ी योजना का सम्बन्ध मध्य भारत से जुड़ा हुआ है। उनको पूरा करते जा रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उनकी शुरूआत की, कुछ की दूसरी पंचवर्षीय योजना में की, कुछ योजनाओं का हिस्सा पूरा कर लिया है, उनके परिणाम भी हमारे सामने आये हैं, मैं उनके परिणामों को सदन के समक्ष पेश करूंगा।

राजस्थान का १३२ हजार स्क्वायर माइल का रकबा है, इनको एकड़ में बांटें तो ८४५.७७ लाख एकड़ का रकबा बनता है। इस रकबे में जैसा कि हांडाजी ने

Page No 125

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कहा, कल्टिवेबल एरिया ५३० लाख एकड़ है, पर जिस पर खेती की जा रही है यह पहली पंचवर्षीय योजना में हमारा खेती रकबा, जिस पर राजस्व वसूल की जा रही है, वह ३१० लाख एकड़ का है; दूसरी पंचवर्षीय योजना में वह ३४६ लाख एकड़ का रकबा हो गया और तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक वह खेती का रकबा ३६२ लाख एकड़ होगा। इस तरह से इस पूरे रकबे में, जिसमें खेती होती है, सिंचाई का रकबा पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ३३.३६ लाख एकड़ था, वह दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक ४३.२६ लाख एकड़ हो गया और तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक सिंचाई, का कुल रकबा ४५.४२ लाख एकड़ के बराबर होगा। तो इस तरह से विभाग के जरिये जो रकबा सिंचाई का बढ़ाया गया इन योजनाओं के जरिये उनका क्लासिफिकेशन बड़ी योजनाएं, मध्यम योजनाएं और लघु किस्म की सिचाई योजनाओं में कर सकते हैं। इस धन का खर्चा करने के बाद जो सिंचाई के रकबे में बढ़ोत्तरी हुई, जैसा कि मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान का फोर्मेशन हुआ उस समय, इन योजनाओं को शुरू करने से पहले, जो सिंचाई होती थी वह कुल नौ लाख एकड़ में हुआ करती थी। उसमें ६ लाख एकड़ का रकबा गंग केनाल का रकबा था और ३ लाख एकड़ का रकबा दूसरी छोटी-मोटी योजनाओं से, जो राजस्थान से पहले बनी थीं तालाब आदि की, उनसे इसकी सिंचाई होती थी।

पहली पंच वर्षीय योजना में जो काम हमने किया २.५६ लाख एकड़ का रकबा इस योजना के जरिये हमने और एड किया।

दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक ३.०६ लाख एकड़ रकबा और एड किया और तीसरी योजना के अन्त तक जो धन खर्च कर रहे हैं उससे कुल ८.०६ लाख एकड़ जमीन और सिंचाई के रकबे में एड करेंगे।

इस प्रकार योजनाओं का बहुत बड़ा परसेंटेज जो सिंचाई की योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं उससे सिंचाई के रकबे में बढ़ोत्तरी हुई है; वह मैं समझता हूं इस बात का प्रमाण है कि हमारे यहां कृषि की उपज में बढ़ोत्तरी हुई है। खेतों में पानी पहुंचता है तो किसान खुशहाल होता है, उनकी दशा में सुधार होता है, जिन खाद्यान्नों की और दूसरी वस्तुओं की आवश्यकता है उन कृषि से पैदा की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है। इसलिये हमारी सरकार की तरफ से, हमारे इस विभाग की तरफ से, जब से प्रजातन्त्र के जरिये हमारे देश में, हमारे प्रान्त में, कांग्रेस का राज्य आया तभी से कांग्रेस सरकार ने इस विषय को बहुत अहमियत से देख कर, इसकी प्राइमरी इम्पोर्टेन्स मान कर समाजवादी समाज की स्थापना का जो हमारा अन्तिम लक्ष्य है उसकी मंजिल को पूरा करने की पूरी कोशिश की है.......

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): धन्य हो आप!

श्री नाथूराम मिर्धा: क्या फरमाया; धन्य हो!

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जो कुछ बातें आपके सामने रखी हैं, मैं निवेदन कर रहा था कि इन योजनाओं से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं उन बातों की तरफ जाऊंगा जिनकी तरफ माननीय सदस्यों ने बहस से और कटौती प्रस्तावों से ध्यान खींचा है।

मैं योजनाओं के नाम से ही चलना पसंद करूंगा। पहले मैं गंगानगर की योजनाओं का जिक्र करूंगा। खास तौर से गंग केनाल के लिये माननीय सदस्यों ने कहा कि पानी की कमी रहती है, पार्टिशन से पहले जो जितना पानी मिलता था उसमें कमी हो गई, इससे किसानों को वक्त पर पूरा पानी नहीं मिलता और इस कारण किसानों की खड़ी फसलें पानी नहीं आने से बिगड़ जाती हैं। आज भाखरा के बारे में विशेष आलोचना हुई और राजस्थान नहर के बारे में कई बातें कहीं, पहले मैं उनके बारे में कहूंगा। इन सब बातों पर कहने से पहले मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा वह यह है कि पंजाब के साथ में जो हमारी योजनाओं का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है, उनको लेकर पांच-छः मुद्दे विवादग्रस्त पंजाब और राजस्थान के बीच चल रहे थे। उन मुद्दों पर हमारी भारत सरकार के केन्द्रीय सिचाई मन्त्री ने बड़ी दिलचस्पी ली और इस बात का प्रयास किया कि राजस्थान और पंजाब के बीच में पांच-सात वर्ष से जो झगड़ा इन मुद्दों को लेकर चल रहा है, उन झगड़ों को निवटाया जाय।

१५-२-६५ को अभी एक मीटिंग दिल्ली के अन्दर हुई, उसमें राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि और पंजाब सरकार के प्रतिनिधि भारत सरकार के सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में मिले। उसमें बहुत से विवादों पर, सिवा एक आध को छोड़कर, सारे विवादों का मैत्रीपूर्ण समझौता हुआ जिसकी वजह से उस इलाके के लोगों को फायदा होगा। वे क्या विवाद थे, उनका जिक्र सदन के सामने करता हूं। एक इस बात का विवाद चल रहा था कि सतलज के पानी का हिस्सा जो भाखरा में है वह पंजाब सरकार देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि भाखरा के अंदर जितना स्टोरेज डैम में पानी का हो उसका १५ २ परसेंट हमारा हिस्सा है, उस पानी को देने के लिए हम कहते थे। इससे जो हमारा क्लोज़ था कि सतलज के ऊपर विंटर सीज़न में पानी कन्टीन्युअसली नदी में चलता है और फिर भाखरा में आता है, उसकी वजह से जो परसेंटेज हमको मिलना चाहिए, वह पानी भी समझौते के अनुसार दिया जाय, जो हमारे एग्रीमेंट में व्यवस्था है। पंजाब सरकार इस बात को नहीं मानती थी। अब फैसला हो चुका है और पंजाब सरकार ने स्वीकार किया है कि विन्टर फ्लोज़ में नदी के शेयर का वाजिब परसेंटेज जो बनता है वह दिया जाय।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : कितना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : १५.२ के हिसाब से जितना विंटर फ्लो होगा उस

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हिसाब से कैल्क्यूलेशन होकर हमारा जो हिस्सा होगा वह मिलेगा।

इसके अलावा भाखरा के एरिया में सिधूनाथ, भाखरा के कमांड के एरिया के अंदर मान कर चलते थे उसके अंदर जो कुछ भाखरा का पानी हुआ फाइनली उस एरिया को कमांड से बाहर निकाल दिया। नतीजा यह हुआ कि वहां के लोग कोशिश करते थे कि इस एरिया का इरिगेशन के लिए पानी मिलना चाहिए और खुशी की बात है कि पंजाब सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि सिधुनाथ एरिया कमांड करने के लिए काफी बड़ा रकबा, ४०–४५ हजार का एरिया वह ७०० क्यूसेक्स पानी हम राजस्थान को देंगे और पूरा पानी तभी देंगे, पेरेनियल पानी तभी देंगे जब पोंग डैम बन कर पूरा हो जायगा और स्टोरेज होकर व्यास और सतलज के लिंक में चलेगा। पर अब वे नॉन–पेरीनियल ३५० क्यूसेक्स पानी राजस्थान को देने के लिए तैयार हैं और इसके लिए नया कैनाल फीडर सिस्टम से राजस्थान में पानी लाकर इस इलाके को पानी दे सकेंगे। इसलिए यह मामला बहुत से लोगों के लिए असंतोष का विषय था, उनको हम संतोष दे सकेंगे और नॉन–पेरीनियल स्टेज पर ३५० क्यूसेक्स पानी उस इलाके में दे सकेंगे।

उसके बाद एक और विवाद था। रावी और व्यास का पानी जब तक कि पोंग डैम का स्टोरेज न बन जावे और जिस पानी के हिस्से के लिए हम कहते थे कि हमारा जो हिस्सा है वह मिलना चाहिए, पंजाब सरकार कहती थी कि जब तक आपका पोंग डैम न बन जाय और पानी का स्टोरेज न हो जाय तब तक पानी का सारा का सारा यूज़ हम पंजाब को डाइवर्ट करते हैं, इसलिए हम राजस्थान सरकार को इस पानी का हिस्सा नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पानी का यूज़ हो रहा है। हम कहते थे कि हम पानी को यूज़ करने की कैपसिटी में हैं और पोंग डैम के स्टोरेज का इंतजार करने के बजाय अब मिलना चाहिए। पिछले साल १० परसेंट पानी मिला और अब इस बात को सिद्धांत तौर पर उन्होंने स्वीकार किया है कि ५३ परसेंट का हिस्सा और वह पानी डैम कब बने, इस बात की परवाह किए बिना वह हमारा परसेंटेज रिलीज करेंगे, लेकिन जो उनका यूज़ है उसको इमीजियेटली कम न करके व्यास और रावी का जो पानी है उसका ३० परसेंट देना स्वीकार किया है और मैं सोचता हूं कि इस तीस परसेंट के हिसाब से एक हजार क्यूसेक्स से लेकर ३,००० हजार क्यूसेक्स तक अलग अलग मौसम में होगा। यह पानी पहली अप्रेल से मिलने लगेगा और पहली अप्रेल से यह पानी राजस्थान कैनाल के मार्फत हम राजस्थान कैनाल के उस एरिया में जहां जमीन में कल्टीवेशन बढ़ना शुरू हो गया है, उस कमिटमेंट को वह मीट करेगा और उसके साथ में जितना एक्सट्रा पानी होगा, हम गंग कैनाल और भाखरा कैनाल के अंदर यूज़ करेंगे। इस तरह खास तौर से जो इसके अंदर दिक्कतें सीज़न में गंग कैनाल में आया करती थीं उसको

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सप्लीमेंट हम रावी और व्यास के एक्सट्रा पानी से करेंगे।

जो माननीय सदस्यों की चिंता और तकलीफ पिछले वर्षों में इस सिलसिले में रही है, उनका सामना हमें आने वाली एक अप्रेल के बाद, जब पानी चलने लगेगा, हमें नहीं करना पड़ेगा। यह काफी महत्वपूर्ण फैसला राजस्थान के हित में है और इसकी वजह से उस एरिया के समस्त काश्तकारों को पानी का लाभ मिलेगा।

एक और विवाद-ग्रस्त मामला था कि राजस्थान नहर के सिलसिले में पंजाब के अन्दर जो ओंकू कैनाल और हरिका बैराज और खास तौर से फिरोजपुर फीडर है, उनका दावा था कि राजस्थान को हमें शेयर देना चाहिए, वे ज्यादा मांगते थे। अब मिल-जुल कर कुछ सिद्धांत दोनों तरफ से एग्रीड हो चुके हैं। उन्होंने सिद्धांतों के आधार पर किसका शेयर किस प्रकार होगा, वह फाइनल हो चुका है और इस तरह से पंजाब और राजस्थान सरकार के बीच में ४-५ महत्वपूर्ण प्रश्न जो उलझे हुए थे, भारत सरकार की मदद से सुलझा दिए गए हैं और राजस्थान के लोगों को इन तीनों स्कीम्स के अन्दर काफी बड़ा लाभ होगा।

अब एक-आध विषय रह गया है। वह यह है कि हमारा एक दावा और है कि रोपड़ के नीचे, सतलज के नीचे जो जो पानी रीजेनरेट होता है, उसमें राजस्थान का हिस्सा होना चाहिए ५० परसेंट के हिसाब से। भारत सरकार एग्ज़ामिन कर रही है कि इस दावे के अन्दर कितना तथ्य है।

दूसरा मामला जो रह गया, जिसके लिए खास तौर से सदन के माननीय सदस्यों ने कई बार मांग की है कि हमारे पास इस पानी के वितरण के सिलसिले में इस प्रकार की एजेंसी पंजाब और राजस्थान में जहां से पानी रेग्यूलेट किया जाता है, वहां कोई मिली-जुली व्यवस्था हो, जिसके जरिए पानी का वितरण समय समय पर ठीक ढंग से देखा जा सके। इस मामले में सिद्धांत के तौर पर दोनों ने स्वीकार कर लिया है कि राजस्थान और पंजाब में ऐसी मशीनरी इवोल्व होनी चाहिए। पर उसका स्वरूप क्या हो, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट और एग्ज़ीक्यूट किया जाय, इसके डीटेल्स को भारत सरकार देख रही है। रोपड़ से जो रीजेनरेशन की बात कहता हूं, जिसका विवाद है, वह ज्यादा से ज्यादा पानी कुछ दिनों के लिए चलता है तब कुल मिला कर ५०० क्यूसेक्स होता है और कम से कम जब पानी चलता है १०० से कम क्यूसेक्स की तादाद में होता है। इसलिए १००-५०० क्यूसेक्स पानी का झगड़ा है। इसको भी मैत्रीपूर्ण तरीके से जल्दी से जल्दी हल किया जायगा, इस बात की कोशिश करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : भाखरा और पोंग में हमारे इन्जीनियर हों......

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कह दिया न कि सिद्धांत के तौर पर हो चुका है। इन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

दो-तीन महत्वपूर्ण योजनाओं के विवाद हल होने पर काफी फायदा हो जायगा । आप सब जानते हैं, गंग कैनाल की हालत, राजस्थान कैनाल ट्रीटी के बाद हालात में परिवर्तन आया, वह स्वाभाविक था, क्योंकि वह पानी १०५ इन्टेन्सिटी पर चल रहा था । पाकिस्तान से जब ट्रीटी हो चुकी, पाकिस्तान का जितना हक ड्यू है वह बराबर सप्लाई करना, वह स्थिति जब बन गई उसके बाद जितना पानी नदी के अन्दर चलता है, रावी, ब्यास और सतलज, उस हिसाब से हमारा शेयर २१ परसेंट है, उस हिसाब से पानी मिलना चाहिए । जिस समय पंजाब थोड़ा उलट-फेर करता है उसको भी हम कोशिश करेंगे कि मीट करें ।

तो मैं सोचता हूं कि वे बातें और वे परिस्थितियां उन दिनों में थीं जो इन दिनों की परिस्थितियां हैं उन दोनों का मुकाबला करें उसमें कमी होती है । माननीय सदस्यों की चिन्ता स्वाभाविक है । कानून कायदे के माफिक जो हो सकता है वही कर सकते हैं और कुछ अधिक हो नहीं सकता । इसलिए उन डिफिकल्टीज़ को ध्यान में रखते हुए सदन के माननीय सदस्य महसूस करेंगे ।

श्री केदारनाथ : पाकिस्तान ट्रीटी का पीरियड एक्स्टेन्ड करके चलना चाहता है, इस पर राजस्थान सरकार का क्या विचार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह भारत सरकार के सोचने का विषय है । मैं सोचता हूं कि भारत सरकार बहुत जागरूक है । राजस्थान सरकार का जो व्यू पॉइंट है वह भारत सरकार के सामने रखा जावेगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पोइंट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, हम जो परसेन्टेज देते हैं २१ व १६ परसेन्ट खरीफ और रबी, वह तो ठीक है । ६६० और ६५० क्यूसेक्स कॉन्स्टेन्ट देते हैं, डिफिकल्टीज़ इसकी वजह से हैं । परमेन्टेज़ दें शोर्टेज के हिसाब से । इस ट्रीटी का रूप ऐसा हो जाता है कि यह राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी है, न कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में । कॉन्स्टेन्ट परसेन्टज में करवाइये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : पाकिस्तान को जो मिलता है उसका परसेन्टेज पंजाब और राजस्थान के बीच शेयरिंग है उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है सिवाय उस बात के पंजाब वाले इधर-उधर करने लगते हैं तो हमे मुकाबिला करना पड़ता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कॉन्स्टेन्ट तो हमको देना ही पड़ता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं खास तौर से उन योजनाओं के बारे में सिर्फ इतना ही कहने के बाद चम्बल की तरफ जाना पसन्द करूंगा और चम्बल के बारे में, जो माननीय सदस्य उस क्षेत्र से आते हैं और खास कर विरोधी पक्ष में जो माननीय सदस्य कोटा से आते हैं उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों का जवाब देना चाहूंगा । मैं उन मुद्दों का जवाब देना नहीं चाहूंगा जो मुद्दे इस सदन में कई बार उठाये जा चुके थे और

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जिनका ब्यौरेवार मेरे द्वारा जवाब दिया जा चुका था। लेकिन एक मुद्दा जो खासकर राणा प्रतापसागर को लेकर गोयलजी ने उठाया और जिस प्रकार से सारे मामले को रखा, वे तथ्य वैसे उन्होंने रखे, उनका यदि ठीक प्रकार से स्पष्टीकरण न करूं तो ऐसी सम्भावना बन सकती है कि सचमुच में बड़ा भारी गोलमाल चल रहा है। इसलिए मैं सदन का थोड़ा समय इस मामले के स्पष्टीकरण के लिए लेना पसंद करूंगा और मामला साफ करूंगा ताकि हमेशा के लिये यह भ्रम दूर हो जाय और नहीं तो हमेशा यह शिकायत रखी जाती रहेगी। सदन के माननीय सदस्य बोलते हुए जो शब्द काम में लेते हैं कि करोड़ों को घोटाला हो गया "करोड़ों" शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): एक करोड़।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने आपको बहुत ही शांति से सुना है। आप भी कृपया मुझे शान्ति से सुनिये।

उन्होंने कहा कि करोड़ों का घोटाला हो गया और उनके कहने से यह लगता है कि जैसे इस राज्य को और इस राजस्थान को कोई सम्हालने वाला भी नहीं है। इसलिए, उपाध्यक्षजी, मैं नम्रतापूर्वक सदन के सामने फेक्ट्स रखना पसंद करूंगा।

राणा प्रताप सागर डेम के टेंडरों का मामला। राणा प्रताप सागर, यह हमारी चम्बल योजना का द्वितीय चरण है, जिसमें राणा प्रतापसागर और कोटा बांध, खास कर राणा प्रताप सागर से सिंचाई और बढ़ोत्तरी करने के लिए और बैरेजेज़ के जरिये बिजली का खास तौर से उत्पादन बढ़ाने के लिये द्वितीय चरण को हाथ में लिया। काम शुरू करने के बाद सोचा। विभाग की तरफ से डिटेल्ड एस्टीमेट वर्क आउट किये गये। डिटेल्ड एस्टीमेट राणा प्रतापसागर डेम के कुल ३६५ लाख डिपार्टमेंट ने वर्क आउट किये। उस बेस पर कोटा के सर्किल में जो सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर थे उन्होंने दिसम्बर, ६० में एक टेंडर नोटिस इस बात का जारी करने के लिए कि इस काम का, जिसका एस्टीमेट दिया जा रहा है, डिटेल्ड टेन्डर्स आये, इश्यू किया। टेंडर मांगने से पहले दिसम्बर में डी० पी० आर० और गवर्नमेंट प्रेस को सूचनायें भेजीं कि यह टेन्डर नोटिस है और टेंडर इन्वाइट करने हैं इसके लिए इसकी वाइड पब्लिसिटी हिन्दुस्तान के तमाम पेपर्स में और गजट में नोटिफिकेशन किया जाय। वह टेन्डर नोटिस हिन्दुस्तान के कई बड़े अखबारों के अन्दर, जिनकी तिथियों और मितियों का मैं अभी जिक्र करूंगा, और राजस्थान के गजट में प्रकाशित किये गये। टाइम्स ऑफ इण्डिया दिल्ली और बम्बई १७, १८, १६ दिसम्बर, १६६० के पत्रों में प्रकाशित हुआ। इसी तरह से इण्डियन एक्सप्रेस में दिल्ली से १७, १८ और १६ और बम्बई के पेपर में १७ और १६ दिसम्बर, १६६० को प्रकाशित हुआ।

नोर्दर्न इण्डिया पत्रिका में २१, २५, २८ दिसम्बर, ६० में प्रकाशित हुआ; हिन्दू

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मद्रास में २३, २४, २५ दिसम्बर के अंक में प्रकाशित हुआ। हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड में १७ दिसम्बर और राजस्थान गजट में २२–१०–१९६०; ३८ नम्बर का अंक है। नम्बर है १२४९–३०–७ बी, उसमें यह प्रकाशित हुआ है। इस टेन्डर नोटिस की वाइड पब्लिसिटी इतने अखबारों के जरिये भारत के समस्त टेन्डरार्स को दी गई। साथ साथ यह भी प्रिकॉशन्स लिये गये कि चूंकि यह बड़ा काम है गवर्नमेन्ट के पी० डब्ल्यू० डी० विभाग और सिंचाई विभागों को भी इस बात की सूचना दी गई कि इस प्रकार का टेन्डर है और जो टेन्डरार टेन्डर करना चाहे तो वह इन शर्तों पर कर सकता है। खास तौर से माननीय सदस्य इस पर जोर दे रहे थे और कह रहे थे कि टेन्डर में जो सूचना निकली है और खास तौर से २४ घंटे के अन्दर अन्दर चार लाख की अर्नेस्ट मनी वाली बात उसमें डाल दी। सदन के माननीय सदस्यों को और उन माननीय सदस्य को जिन्होंने यह मुद्दा उठाया था, जानकारी देना चाहता हूं कि अर्नेस्ट मनी की शर्त हमारी कोई नयी शर्त नहीं थी। जो टेन्डर नोटिस निकला था वह चार भागों में बंटा हुआ था और टेन्डर देने वालों के लिए निश्चित तौर से कहा था कि फर्स्ट पार्ट का जो टेन्डर है उसकी अर्नेस्ट मनी ३३ हजार होगी और टेन्डर मंजूर होने पर ९८ हजार और जमा करानी होगी। सैकिन्ड पार्ट के लिए ३२ हजार पहले और टेन्डर मंजूर होने पर ९२ हजार और इसी प्रकार थर्ड पार्ट के लिए अर्नेस्ट मनी २३ हजार रुपया पहले और टेन्डर मंजूर होने पर ६८ हजार और जो फोर्थ पार्ट है उसकी अर्नेस्ट मनी पहले १२ हजार और टेन्डर मंजूर होने पर ३३ हजार। इसलिए जो २४ घंटे के अन्दर मांगने की बात उठायी गयी वह बिल्कुल ही गलत है। टेन्डर के साथ पहले से चोथे चरण तक अर्नेस्ट मनी क्या चाहिये थी, वह बता दी और टेन्डर मंजूर होने पर क्या जमा कराना चाहिये था वह भी बता दिया गया। इसलिए किसी प्रकार की कोई अनियमितता का प्रश्न नहीं है। जिस वक्त टेन्डर निकाले हैं उस वक्त यह बता दिया गया था कि अर्नेस्ट मनी हर एक आदमी को जमा करानी पड़ेगी। खास तौर से एक आम परम्परा है जिसके लिए आप कहते हैं कि ए क्लास के टेन्डरार को टेन्डर मनी आम तौर से जमा कराने की छूट है। यह सही है। छोटे मोटे टेन्डरर्स होते हैं तो उनके अन्दर यह शर्त है कि अर्नेस्ट मनी जमा न कराये।

(५. म. प.)

पर हमने विशेष तौर से, क्योंकि यह बड़ा प्रोजेक्ट है ३॥ करोड़ से ज्यादा धन-राशि इन्वोल्व्ड है, इसलिये आम टेन्डरार....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जब तक मांगें पास न हों तब तक के लिये समय बढ़ाया जाता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के लिये टेन्डर दे दें, उसके लिये बड़ी धन-राशि मांगी जाती है। इस तरह से आम लोग आसानी से टेन्डर के नम्बर को स्वेल करेंगे, इसलिये जेनुइन टेन्डरार ही आगे आयें, इस टेन्डर को खोलने की अन्तिम तारीख ११–३–६१ रखी गई थी उसके बजाय ८ तारीख को हमने "ए" क्लास ठेकेदार जितने राजस्थान में थे, वे इस आधार पर वंचित न रह जायं कि उन्हें ३.६१ हजार रुपया इसके साथ जमा कराना है, उनको आठ तारीख को टेलीग्राम द्वारा सूचना दी गई कि बिना अर्नेस्ट मनी के जमा कराये किसी के टेन्डर स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इसलिये मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे फेक्ट्स को तोड़-मरोड़ कर न कहें। जिन लोगों में गलतफहमी रह भी गई थी उसको दूर करने के लिये हमने तीन दिन पहले कोशिश की, बिना अर्नेस्ट मनी के टेन्डर स्वीकृत नहीं होंगे। यह बात जरूर थी कि टेन्डर नोटिस जहां दो महीने का था उसमें एक महीना और बढाया यानी ११–३–६१ को टेन्डर खोलेंगे और उसी के अनुसार सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर साहब ने ११–३–६१ को अपने कार्यालय में वे टेन्डर खोले। इन टेन्डर्स के खोलने के बाद जो सारी स्थिति बनी वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब टेन्डर्स हमारे सामने आयें टेन्डर देने के लिये जो फॉर्म मांगे गये थे कुल ६५ टेन्डर फॉर्म्स कार्यालय से खरीदे गये, उनमें से २४ टेन्डर्स प्राप्त हुए। २४ टेन्डर्स में ८ पार्टीज टेन्डरार्स थीं उनमें से पांच टेन्डर पार्ट (१) और पार्ट (२) के लिये थे। ये सारे मामले आइटम ६५१ चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड की ५५ वीं मीटिंग में कन्सीडर किया गया। परसराम छगनराम के अलावा सबने अर्नेस्ट मनी जमा कराई। ये सब टेन्डर्स स्क्रुटिनी होकर चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड के सामने आये......

श्री कृष्णकुमार गोयल : अर्नेस्ट मनी कब जमा हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सबने, टेन्डर खुले उससे पहले, जमा करा दी थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : टेन्डरार्स ने टेन्डर के साथ ही जमा करा दी थी या बाद में जमा कराई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने निवेदन किया, हर एक टेन्डरार की सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन जिनके टेन्डर आये उन्होंने टेन्डर के साथ जमा करा दी थी।

टेन्डर खोले गये जिनको उसके लिये कन्सीडर किया गया जिनको वेलिड माना गया उनकी अर्नेस्ट मनी थी। इसलिये हर टेन्डरार ने किस समय अर्नेस्ट मनी जमा कराई, यह कोई अहमियत नहीं रखता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आगे-पीछे भी एडजस्टमेन्ट हो सकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अर्नेस्ट मनी जमा करा दी वे ही कंसीडर किये गये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : खास सवाल तो यही है; अर्नेस्ट मनी कब दी गई थी किस समय दी गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक एक आइटम की तारीख मेरे पास नहीं है। लास्ट मोमेन्ट तक टेन्डर पेश कर सकते थे। ११–३–६१ के सायंकाल ५।। बजे तक टेन्डर खोले जायेंगे उसके लिये निश्चित टाइम था । निश्चित टाइम के पहले किसी भी समय टेन्डर दिये जा सकते थे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि आपकी ८–३–६१ तारीख की याद-दहान के बाद अर्नेस्ट मनी जमा कराने के बारे में मुगालता हुआ है कि अर्नेस्ट मनी ८ तारीख तक ही जमा करानी पड़ेगी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : ८ तारीख को तो हमने उन ए क्लास ठेकेदारों को याद दहानी करवाई कि बिना अर्नेस्ट मनी जमा कराये किसी के टेन्डर स्वीकृत नहीं किये जायेंगे ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : याद-दहानी करवाने के बाद कितने टेन्डर्स पेश हुए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मैं नहीं कह सकता। ५५ वीं चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग में आइटम नं० ६५१ में यह टेन्डर का विषय था। इसकी डिटेल्स में उस दिन चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड में चर्चा हुई कि इनकी स्क्रुटिनी किस प्रकार की जाय क्योंकि यह बहुत बड़ा मामला है । इसमें भी अलग अलग प्रकार की शर्तें थी । इतना बड़ा काम, इतना रुपया इन्वोल्व्ड है, कॉम्पलीकेटेड फॉर्म है इसलिये इसकी डिटेल में स्क्रुटिनी की जाय । जो शर्तें ठेकेदारों ने अपनी तरफ से रखी हैं उन सारी चीजों का इवेल्युएशन किया जाय । सी० सी० बी० में यह तय हुआ कि अन-युजुअल प्रोसीजर इस टेन्डर के सिलसिले में न हो। किसी स्पेशल काम के लिये टेन्डर्स किये जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट निर्माण के सिलसिले में ओटोनोमस बोर्ड द्वारा विचार होता है, उनके सामने जब इस प्रकार से कॉम्प्लीकेटेड शर्तों के साथ में टेन्डर आते हैं उन शर्तों का इवेल्यूएशन करके, किसका लोएस्ट टेन्डर बनता है, किस प्रकार के रिलेक्सेशन करने के लिये तैयार रहते हैं, उन सब बातों पर विचार होना इतने बड़े बोर्ड में विचार संभव नहीं है। इसलिये उसकी डिटेल्स में स्क्रुटिनी करने के लिये सी० सी० बी० की एक सब-कमेटी निर्माण की जाय । उस सब-कमेटी के मेम्बर हमारे यहां पर जो अब भारत सरकार के सिंचाई मन्त्री और उस समय सी० सी० बी के मेम्बर थे, उनको चेयरमैन बनाया गया। उनके साथ में इन इन को मेम्बर्स बनाया गया, वे इस प्रकार हैं :—

राजस्थान स्टेट के चीफ इन्जीनियर, चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड के फाइनेन्शियल एडवाइज़र, उसके साथ में सेक्रेटरी चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड, चीफ इन्जीनियर, मध्यप्रदेश ।

इन सब लोगों की मिली-जुली कमेटी का गठन हुआ और उनके बोर्ड ने यह अधि-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कार दिया कि ठेकेदारों ने जो टर्म्स और कन्डीशन्स दी हैं उनका इवेल्यूएशन करने के लिये उनसे वे बातचीत कर सकते हैं, निगोशियेट कर सकते हैं। कौन किन शर्तों को किस सीमा तक रिलेक्स करने को तैयार हैं, इन सारी बातों के करने का अधिकार इस छोटी कमेटी को दिया गया। और उस सब-कमेटी ने १०-५-६१ को सबसे पहले काम शुरू किया। टेन्डरर्स से बात-चीत की, शर्तों का विवेचन किया और यह सब करने के बाद सबसे ज्यादा फायदेबन्द टेन्डर इस पार्टी का साबित हुआ। बाकी लोगों ने किसी प्रकार का कोई रिलेक्सेशन अपनी पूर्व शर्तों में नहीं किया। इसने सिर्फ एक ही शर्त रक्खी कि जो मशीनें वे यहां काम में लावेंगे वे चाहे नई हों या पुरानी, उनकी वेल्यूएशन का ६० परसेन्ट उनको एडवांस देना चाहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह शर्त नई की है या पुरानी की, यह और देख लें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बाद में मुझ से सब पूछ लीजियेगा। पहले आप मुझे सुन लें, मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। आपको इसमें क्या ऐतराज है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप खत्म कर लें तो फिर।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपके सारे डाउट्स दूर कर दूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस तरह से तो नहीं कर सकोगे, और बढ़ाओगे ही।

श्री नाथूराम मिर्धा : तब तो आपके और हमारे डाउट्स मरने पर ही मिटेंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ६० परसेन्ट की शर्त थी। इस कमेटी ने इस शर्त के बारे में यह निगोशियेशन किया कि ७५ परसेन्ट टोटल वेल्यूएशन पर एडवांस देंगे और जो वेल्यूएशन उन पुरानी मशीनों की हम कर देंगे हमारे इन्जीनियरों और टेक्निशियनों के द्वारा, और जो नई मशीनें लावेंगे उनकी भी जिस प्रकार की वेल्यूएशन हमारी होगी, वही फाइनल मानी जावेगी।

इसके बाद भी कम्पनी ने यह कहा कि ७५ परसेन्ट भी एडवांस देंगे तो वे अपनी टेन्डर की रकम में से १।२, आधा परसेन्ट का रिबेट टोटल मनी पर देंगे। तो इस तरह से बड़ी गहराई से सब-कमेटी ने तय किया और उसने जो निर्णय लिया वह चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग में २०–१–६१ को आया और वहां पर भी इस पर गम्भीरता से विचार किया गया। अब वहां जो अन्तिम रूप से निर्णय हुआ वह मैं सदन में इसलिये बताना पसन्द करूंगा कि जो करोड़ों की बात कही जाती है कि करोड़ों का अन्तर पड गया और करोड़ों का घोटाला हो गया, वह कहां तक सही है ?

मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का प्रारम्भ में शर्तों के साथ जो टेन्डर आया वह ३८६.८८ लाख का था; कालूराम मदनलाल का टेन्डर ३९१ १७ लाख का था। राय बहादुर सेठ रामरतन का टेन्डर ३९३.१५ लाख का था और एम० एस० एन० पी० सी० सी० का टेन्डर ४२७.९९ लाख का था।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

यह जब सी० सी० के अन्दर दुबारा इवेल्यूएशन सब-कमेटी में आया और जो शर्तें वहां स्टेण्ड रहीं और जो इम्पेक्ट बना उन टेन्डर्स का, उनकी स्थिति इस प्रकार से बाद में रही जो कि २६-७-६१ के आॅर्डर के बाद में रिवाइज्ड आॅफर थी। इसके बाद जो हालत रही वह इस प्रकार रही। राय बहादुर श्री रामरतन का टेन्डर ३,६१,००४८५) रु० का रहा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कुल टेन्डर्स तो आठ आये थे। आपने तो चार ही बताये।

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत सों ने छोड़ दिया, निगोशियेशन्स ही नहीं किये और बैठ गये चुपचाप, घर पर बैठ गये। फाइनल होकर जो चम्बल बोर्ड के सामने आये वे मैंने बताये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वहां आपने छः पार्टीज़ बताई थीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास सब लिखा हुआ है वही मैं बता रहा हूं। मैं मेटीरियल पूरा दूंगा। आप ही क्यों इस तरह कर रहे हो; और भी सदन के माननीय सदस्य सुन रहे हैं, वे तो नहीं बोलते।

श्री कृष्णकुमार गोयल : और कौन कौन थे टेन्डरर्स, वह सब बताओ न? फिर जस्टिफिकेशन आप किस बात का कर रहे हो, उनसे भी बहुत से और नीचे वाले टेन्डरर्स थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप अकेले ही तो इन्टेलीजेन्ट नहीं हैं, और भी हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उसका तो ठेका आप ही लेकर आये हो।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो रिवाइज्ड रेट्स के साथ टेन्डर उपस्थित हुए वे इस प्रकार हैं। राय बहादुर श्री रामरतन का टेन्डर ३,६१,००,४८५) मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का; ३,६५,०७,४८६) एन० पी० सी० सी० का; ३,७६,०६,७५६) और कालूराम मदनलाल का टेन्डर ३,८५,८२,६४५) का। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब यह सवाल रहता है कि एक टेन्डर लोएस्ट रहा, जो था सेठ रामरतन का और दूसरा इस मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का था। यह सैकण्ड लोएस्ट बनता है। फाइनली बोर्ड ने इसको एक्सेप्ट किया।

यह कहा जा सकता है कि फर्स्ट लोएस्ट को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? तो मैं इसमें निवेदन कर दूं कि इन जैसे बड़े कामों में कई चीजों के साथ यह भी देखा जाता है कि उस फर्म की पर्फोमेन्स पहले क्या रही? लोएस्ट ही एक्सेप्ट किया जाय यह जरूरी नहीं है, ऊंचा टेन्डर भी स्वीकार किया जा सकता है। तो इसको देखते हुए माननीय सदस्य यह जानना पसन्द करेंगे कि यह चार लाख का भी ज्यादा फायदा क्यों इस फर्म को दिया जाना चाहिये था। यह बहुत स्वाभाविक है।

पर बहुत नम्रता से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह फर्स्ट लोएस्ट जो थे उनका

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कोई तजुर्बा पहले का ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण का नहीं था और न उनके पास इस तरह के इस काम के योग्य इक्विपमेन्ट्स ही थे, न ऐसा कुछ था कि जहां करोड़ों का ऐसा काम उन्होंने पहले हाथ में लिया हो। तो जिनका फुटिंग न हो उनको इतना बड़ा काम सिर्फ चार लाख रुपये के फर्क को ख्याल में रख कर देना खतरे से खाली नहीं था। इसलिये बहुत सोच-विचार के बाद और इस पार्टी का पुराना तजुर्बा देख कर इसका यह टेन्डर एक्सेप्ट किया जाकर काम दिया गया। इनके पर्फोमेंन्स की जानकारी चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड के एडवाइजर्स, टैक्निशियन्स सबको मालूम था। इन्होंने कहां कहां काम किया, मैं वहां के नाम भी थोड़े बता दूं आपको। सतरंजी डेम है सौराष्ट्र में, वीर डेम है भावनगर में। करोड़ों का काम यह था। यह सौराष्ट्र के भावनगर की रहने वाली फर्म है जिसमें मिले-जुले कई लोग पार्टनर्स हैं और उनके पर्फोमेन्स का रेकॉर्ड था और अच्छा रेकॉर्ड था. तो इस फर्म की यह पृष्ठभूमि थी जिसके जरिये इतने बड़े काम में हाथ डालने की क्षमता का उसका पता लग सकता था। तो चार लाख की रकम ज्यादा होने के बाद भी लोएस्ट टेन्डर को मन्जूर नहीं करके इस नेक्स्ट बिलो को मन्जूर किया गया।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए इस बात को कहना कि यह लोएस्ट को न देकर विशेष लोगों को, विशेष तरीके से फायदा देने के लिए यह सारा काम किया गया, यह भूमिका और तथ्य मैं समझता हूं कि तथ्यों से परे है और गलत प्रचार और गलत दिशा में ले जाकर भ्रांति उत्पन्न करने वाली बात है। इसलिए मैंने काफी डिटेल में सारी बातों को सदन के सामने रखा है और मुझे आशा है कि सदन के सभी माननीय सदस्य इससे संतुष्ट हुए होंगे।

अब खास तौर से वे मसले और जिनके बारे में यहां पर कहा गया सीमेन्ट, पत्थर और सुर्खी के बारे में कि विभाग के वे पत्थर थे २ लाख क्यूबिक फीट, वे ठेकेदार को दे दिये और ठेकेदार खा गया और राज्य सरकार को बड़ा नुकसान हो गया। इसके लिए दो-दो मिनट में जवाब दे देता हूं। आपने कहा कि पत्थर ठेकेदार से वसूल करने चाहिये तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सदन के सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर २ लाख क्यूबिक फीट पत्थर नहीं थे बल्कि सिर्फ ५० हजार क्यूबिक फीट पत्थर ही थे और ५० हजार क्यूबिक फीट पत्थर जो ठेकेदार को दिये उसमें से २८ हजार क्यूबिक फीट वापिस रिकवर कर लिए हैं जो कि हमारे विभाग के काम में आ रहे हैं। बाकी का पत्थर भी उस ठेकेदार ने डाल दिया है और विभाग उसका उपयोग कर रहा है। इसलिए २ लाख क्यूबिक फीट का कहना तथ्यों से परे है और सही भूमिका नहीं है।

इसी प्रकार से सीमेन्ट की बोरियों के बारे में कहा गया। ये इतना बड़ा टेन्डर था और इस टेन्डर के बारे में जैसा मैंने कहा कि ठेकेदार को काम चालू करने का

(श्री नाथूराम मिर्धा)

और टेन्डर की सारी स्क्रुटिनी होने के बाद हमने ठेकेदार को वर्क ऑर्डर इश्यू कर दिया २२–१०–६१ को और ठेकेदार ने काम शुरू किया ५–११–६१ को। इसके बावजूद भी टेन्डर के बारे, में, जिसका आप जिक्र करते हैं, वह एग्रीमेन्ट ठेकेदार का फाइनल नहीं हुआ है, यह ठीक बात है। यह इतना बड़ा एग्रीमेंट जो कि काफी अर्से के बाद राज्य सरकार के पास आया फाइनल होने के लिए उसे राजस्थान सरकार ने लॉ डिपार्टमेंट के पास भेजा। जो टेन्डर की शर्तें थीं कि जो शर्तें डिपार्टमेंट ने लॉ विभाग के सामने भेजी थीं उनके अन्दर और विभाग के बीच में सिवाय दो–तीन शर्तों को छोड़कर सब एग्रीमेंट था। इसलिए उनके क्लेरीफिकेशन के लिए हमने भेजा। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों की जानाकरी के लिए बतला देता हूं कि इस प्रकार के टेन्डर्स में इस प्रकार की व्यवस्था रहती है कि किसी भी पोइंट के ऊपर ठेकेदार या विभाग एग्री नहीं करे तो आर्बीट्रेशन का क्लॉज़ होता है। क्योंकि कई समय पर ठेकेदार लोग कहते हैं कि हमें यह मिलना चाहिए और राज्य सरकार कहती है कि नहीं मिल सकता है, तो ऐसे कई तरह के मामले समय समय पर ठेकेदारों के जरिये उठाये जाते हैं और राज्य सरकार जितना वाजिब समझती है उसके लिए हां करती है और जो टेन्डर की शर्तों के मुताबिक नहीं है उसके बारे में राज्य सरकार ना कर देती है और फिर उपाध्यक्ष महोदय, उनको भी हक है और हमको भी हक है और राज्य सरकार द्वारा जब कोई विवाद नहीं निपटता है तो आर्बिट्रटर के सामने मामला रखा जाता है।

कुछ मामलों के लिए ठेकेदार अभी भी प्रेस कर रहा है और अभी वह आर्बिट्रेशन के सामने पेन्डिंग है, उसमें से सीमेंट और बोरियों का मामला भी पेन्डिंग है। हालांकि जो कुछ भी टेन्डर की शर्तें हैं उसमें सीमेंट के आइटम को देखें तो उसमें यही व्यवस्था थी कि ठेकेदार को राज्य सरकार की नियंत्रित रेटों के ऊपर इन बोरियों को कोटा स्टेशन पर सप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद में यहां से वहां ले जाने का बोझ ठेकेदार का है। उसके बाद जिस समय लिखा गया था कि ये बोरियां इस भाव में दी जायेंगी, उसमें बोरी का और सीमेंट का अलग अलग प्रश्न नहीं था और उसके अन्दर जो रेट्स समय समय पर रिवाइज़ होती हैं उसी के अनुसार उसका पेमेंट होता है। यह विवाद हमने खड़ा किया था क्योंकि देश के अन्दर जूट की कमी है इसलिए बड़ी तादात में बोरियां ठेकेदार के पास रहने के बाद यह स्टेज आ चुकी कि इतने बड़े पैमाने पर सीमेंट यूज़ हो रही है; अगर बोरियां नहीं लौटाई गई तो हम सीमेन्ट नहीं देंगे। ठेकेदार ने बोरियां भी देना शुरू कर दिया। लेकिन यह मामला अभी भी आर्बिट्रेशन के सामने विवाद-ग्रस्त है कि बोरियों के साथ में सीमेन्ट की कोस्ट दोनों हमने गवर्नमेंट रेट पर देने की बात कही थी या बोरियां अलग थीं और सीमेन्ट अलग थी। वह विवाद अर्बिट्रेशन के सामने है। अगर अर्बिट्रेशन फैसला देगा कि बोरियां गवर्नमेंट की अलग से हैं और उसका

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पैसा ठेकेदार को नहीं दिया जाना चाहिए तो उसके अभी भी बहुत से क्लेम्स पेंडिंग हैं, उनके कई तरह के मनी हमारे पास डिपोज़िट में रहते हैं, तो जो भी व्यवस्था आर्बिट्रेटर द्वारा की जायगी उसके अनुसार किया जायगा।

इसके अलावा यहां पर अर्नेस्ट मनी को लोटा दिया गया, इसके बारे में भी यहां कहा गया। मैं सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि हमारे एग्रीमेंट में प्रावीज़न है कि कोई भी ठेकेदार यदि अर्नेस्ट मनी देने के बजाय बैंक गारन्टी देता है तो उसको भी उतना ही सुरक्षित मानते हैं जितना कि हम अर्नेस्ट मनी को मानते हैं। जब उन्होंने कुछ अर्से के बाद सारे मनी की, जो कि अर्नेस्ट मनी के रूप में था उसकी, बैंक गारंटी फर्निश कर दी तो वह पैसा उसको रिलीज़ कर दिया गया। हमने इसके अलावा उसको और क्या रियायत दी? "The bank guarantee is equally good"; तो इस प्रकार से मशीनरी के सिलसिले में हमने ७५ परसेंट के वेलुएशन के सिलसिले में जो एग्रीमेन्ट किया था उसमें २० लाख रुपये की धन-राशि एडवांस की और मैं बता दूं सदस्यों की जानकारी के लिए कि वह पूरा का पूरा पैसा जैसा कि शर्त में दर्ज था कि रनिंग बिल्स के पेमेन्ट के साथ साथ में, जो एडवांस मनी के इन्सटालमेन्ट्स हैं वे भी कटते जायेंगे। मैं इस सम्बन्ध में बताऊं कि वह पूरा का पूरा रुपया वसूल हो चुका है। अर्नेस्ट मनी के बजाय बैंक गारंटी मौजूद है और जो भी उनके रनिंग बिल्स हैं कुछ परसेन्टेज अल्टीमेट फाइनल पेमेन्ट करने के वक्त में सब एडजस्ट किये जाते है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी योजनाओं के कामों को पूरा करना किसी भी आसानी की बात नहीं है।

जिस राष्ट्रीय योजना के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी योजना को पूरा करने के लिए इस कम्पनी को कितना नफा और नुकसान होगा इसके तो आंकड़े यदि आप वर्क-आउट कर सकें तो मालूम होगा कि कोई बड़ा मुनाफा करने की बात नहीं है। हो सकता है कि उनको कुछ घाटा ही हो। उनके काम करने के दौरान में यह स्थिति भी आ चुकी थी कि कन्स्ट्रक्शन चलना मुश्किल हो गया तो ठेकेदार ने गवर्नमेंट को एप्रोच किया कि जो बहुत सा रुपया उनका रुका हुआ है उसी सिलसिले में अगर राज्य सरकार कुछ एडवांस के रूप में कम्पनी को नहीं दे पाती है तो उनका काम आगे चलने की स्थिति में नहीं है। तो उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ठेकेदारों से काम करवाया जाये जब कि उनकी फेल होने की स्थिति हो तो राज्य सरकार को भी अपना काम पूरा करवाने की दिशा में एडवांस के रूप में देना ही पड़ता है। ऐसा तो नहीं हो सकता वह ठेकेदार वित्तीय कारणों से इतने बड़े काम को रोक दे और हमारी योजना जहां की तहां ठप्प हो जाये। हम जानते हैं कि जो भी हमने पेमेंट किया है वह पेमेंट उनके जो ड्यूज़ हैं उसके १।४ भी नहीं बनता है। क्या माननीय सदस्य छाती पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि जो इस

(श्री नाथूराम मिर्धा)

प्रोजेक्ट को चलाने वाले चीफ इन्जीनियर, चाहे वे बिजली के हों या चाहे सिंचाई के हों, जिनकी रेप्यूटेशन हिन्दुस्तान के माने हुए लोगों में से है और जिनकी ईमानदारी की छाप है ...

श्री फतहसिंह (चोहटन) : एक अर्ज करूं...

श्री नाथूराम मिर्धा : पछे करजो। आपां की तो बाड़मेर की बात है, पछे करांला....

श्री फतहसिंह : सीमेन्ट में राख मिलाई, बींकी जांच की कि कोनी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तो, माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस प्रकार का वातावरण बनायें कि सब लोग, इन्जीनियर्स हैं, जो कि मुसीबत में काम करते हैं उनके लिए बातें करें कि वहां का एलाउन्स लेते हैं, यह करते हैं, वह करते हैं और सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, करोड़ों रुपयों का हो रहा है, चम्बल योजना कुछ नहीं है, वहां पर सिंचाई नहीं हो रही है। बड़े जोरों से कहा जाता है कि साढ़े सात लाख एकड़ सिंचाई करती थी। माननीय उपाध्यक्ष, साढ़े सात लाख एकड़ में सिंचाई चम्बल में कब की जानी चाहिए थी जब कि सारे चरण उसके पूरे हो जायें, रावतभाटा और कोटा डैम पूरे बन जायें तब होगी, जब कि आपकी डेवलप्ड इर्रिगेशन होगी। लिफ्ट इर्रिगेशन की फर्स्ट स्टेज में व्यवस्था है तो वह लिफ्ट की व्यवस्था भी इस साढ़े सात लाख में शामिल है। इस साढ़े सात लाख में से एक लाख एकड़ तो लिफ्ट इर्रिगेशन का है और डेढ़ लाख एकड़ राणा प्रतापसागर का है। राणा प्रतापसागर का काम चल रहा है और लिफ्ट का प्रावधान नहीं किया है, क्योंकि उसमें कई कॉम्प्लीकेशन्स हैं। जिस तेज रफ्तार से कोटा का विकास हो रहा है तो लिफ्ट की स्कीम बना कर उसके पानी को आगे चला देंगे तो बढ़ती हुई इन्डस्ट्रीज़ को पानी देने के लिए व्यवस्था रहेगी या नहीं रहेगी, यह भी सोचने का प्रश्न है। लिफ्ट इर्रिगेशन को, जो कि ओरीजिनल स्कीम में शामिल है उसको भी हम दूर रखना चाहते हैं। इस बात को ख्याल में रखें कि आने वाले २-३ सालों में कोटा के अन्दर जिस तेज रफ्तार से औद्योगिक विकास हो रहा है उसमें बहुत सारे पानी की जरूरत उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए इस चम्बल के बांध को मीट करना पड़े। इसलिए इन दोनों को निकाल दें तो टोटल इर्रिगेशन, जिसकी कि हमारी मौजूदा फर्स्ट स्टेज में व्यवस्था है, उसमें कुल मिला कर सवा पांच लाख एकड़ की सिंचाई की व्यवस्था हुई है और इस सवा पांच लाख एकड़ में से जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इस साल तक हम करीब सवा दो लाख तक पहुंच चुके हैं। मैंने लक्ष्य रखा है कि इस आने वाले साल के अन्त तक, थर्ड प्लान के अन्त तक, चार लाख एकड़ चम्बल क्षेत्र में पानी घुमाया जा सके। इसकी व्यवस्था के लिए काफी मेहनत से काम करना पड़ेगा। खरीफ इर्रिगेशन में जो १६ हजार एकड़ है उसको मैं समझता हूं कि एक लाख एकड़ तक पहुंचाना पड़ेगा। उसके लिए निश्चित लक्ष्य निर्धारित किये

(श्री नाथूराम मिर्धा)

गये हैं। पंचायत समितियों और जिला परिषद् की मीटिंग में जाकर मैंने स्वयं ने कहा है और किसानों से बातें की हैं, उनसे मीटिंगों में चर्चाएं की हैं, और मैंने उनसे इस बात का भरोसा लिया है कि आने वाली खरीफ में जो रकबा है अभी कुल मिला कर १६ हजार एकड़ का उसको बढ़ा कर एक लाख एकड़ तक पहुंचाया जाय, जिसमें पेड्डी के कल्टीवेशन पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहते हैं।

जैसा कि आप वाटर लोगिंग की बात करते हैं तो यह जीरो फुट से लेकर ५ फुट तक पानी की गहराई का जो एरिया है वह १८ हजार एकड़ का एरिया बनता है। उसके अन्दर वाटर ड्रेनेज के दृष्टिकोण से, जो कि चम्बल की ओरीजिनल स्कीम का पार्ट नहीं है जैसा कि मैंने पिछली दफा बतलाया था कि उसके लिए १४ लाख की स्कीम इमिजियेटली जो एरिया वाटर लोग्ड है उसकी हालत सुधारने के लिए हाथ में लेना चाहते हैं। उसको सुधारने के लिए किसान को उस पानी को बड़े नाले खोद कर कुदरती नालों में पानी डालना चाहिए। उससे उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो उस १४ लाख की स्कीम का एग्ज़ीक्यूशन करना शुरू कर दिया है और आने वाले साल तक उसको पूरा कर देंगे। आपके कहने से मेरा ध्यान गया है, यह कहने से आप खुश हों तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान इस ओर काफी अर्से पहले से था। हम जानते है कि ड्रेनेज की प्रोब्लम वहां पर काफी सीरियस थी। कुछ एक्सपर्ट्स यू० एन० ओ० के आये हुए हैं। मैं खास तौर से आज रात की गाड़ी से इसी प्रोब्लम को लेकर दिल्ली जा रहा हूं। ड्रेनेज के भी प्रोब्लम को गम्भीरता से सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है। अगर साढ़े पांच करोड़ की स्कीम को वर्क आउट किया है। उसमें डिफिकेशन भी हो सकते हैं। उसके इम्प्लीकेशन्स में किसान के खेतों में सीपेज को रोकने के लिए लाइनिंग करना पड़े, चाहे बहुत से नाले खोद कर कुदरती नालों में पानी को डाल दें, कुछ भी करेंगे। आपने जिक्र किया कि कुदरती नालों में डालने से पहले तो बरसात होती थी तब ही उनमें बाढ़ आती थी, लेकिन अब तो गर्मी के दिनों में और दूसरे मौसम में भी पानी की डेप्थ इतनी रहती हैं कि लोगों की मुसीबत हो जाती है।

एकाध साइट मुझे भी लोगों ने बतायी। मैं मानता हूं कि यह प्रोब्लम है और डिफिकल्टीज़ हैं और इनका हल निकाला जाना चाहिए। ऐसे बड़े नालों में डाला पानी तो उससे लोगों को यह असुविधा होगी कि रास्ते बंद हो जायेंगे। जिन छोटे-मोटे रास्तों का आपने जिक्र किया कि उनके ऊपर किसानों की गाड़ियां माल लेकर मंडियों तक में नहीं जा सकती हैं तो बड़ी चिन्ता होती है। किसानों को सचमुच डिफिकल्टीज़ होती हैं। पानी भरा हुआ मैंने देखा है। गाड़ियां फंस जाती है। किसान कहता भी है। सारी चीजों के बारे में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया है तो कहीं सीपेज की वजह से, कहीं सड़क न होने की वजह से और कहीं पर ऐसा होने की वजह से, दिक्कतें हैं। अगर हम सड़कें और पुलियाएं उस सारे इलाके में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बनाने लगें तो करोड़ों रुपयों का खर्चा होगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): आपका फर्माना ठीक है कि बहुत कठिनाई है और देरी हो जायेगी लेकिन जिस समय किसान के सामने मुसीबत आती है...

श्री नाथूराम मिर्धा: आप उनको वहां समझा ही रहे हैं। आप उनको कहते हैं कि नाराजगी जाहिर करना चाहिए और वे यह करते हैं। आपकी कितनी ही नाराजगी हो, लेकिन एक दिन में तो सड़कें और पुलिएं नहीं बन सकती हैं और मुश्किल हल नहीं हो सकती है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, जिन किसानों की वाटर लोगिंग से करीब २५ हजार एकड़ जमीन है....

श्री नाथूराम मिर्धा: वाटर लोगिंग की बात तो मैं कर चुका हूं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: उन किसानों के लिए जिनके कि खेत पानी से भर गये हैं उनके लिए मुआवजे की क्या तजवीज है?

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं उन पोइन्ट्स पर चला आ रहा हूं। अभी मैंने खत्म कहां कर दिया है। अभी सड़कों पर आया, वाटर लोगिंग पर आया और अब मुआवजे पर आता हूं।

मुआवजे के आंकड़े मैंने सदन के सामने एक प्रश्न के उत्तर में रखे हैं। जहां पर लाखों रुपये का मुआवजा देना था उसमें से ६५ प्रतिशत चुका दिया गया है। सिर्फ कुछ मामले ऐसे हैं कि जिनका एवार्ड अभी आना बाकी है, उनकी तादाद मैं अभी नहीं बता सकता हूं, क्योंकि उसकी इन्फोर्मेशन मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: मुआवजे तीन प्रकार के हैं। एक वह कि जिस जमीन पर न नहर निकली है उस जमीन का। दूसरा वह है कि जिस जमीन पर जो फसल खड़ी थी वह खोद दी गई उसका और तीसरा सीपेज के कारण खेत भर गये और वह काश्त नहीं कर सकते हैं। उनके मुआवजे का क्या है?

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं तीनों किस्मों को समझ गया। एक तो जमीन जो नहर में आई है उसका और दूसरी जो नहर बनाते समय फसल खड़ी थी उसका नुकसान हुआ और फिर जमीन पर पानी आ गया उसकी वजह से। मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारे मामले में डिटेल्स में काम करने की एक पद्धति है, तरीका है। दरख्वास्तें बहुत होती हैं उनको डिटेल्स में एग्जामिन किया जाता है। एग्ज़ामिनेशन अलग अलग अफसरों के द्वारा अलग अलग लेवल्स पर किया जाता है। वे सारे प्रोसेस चलते हैं और उनका फाइनलाइज़ेशन जल्दी ही किया जा चुका है। बहुत से पेंडिंग मामले हैं। उनका भी फाइनलाइज़ेशन जल्दी ही किया जाय, इस प्रकार का जोर मैं हमेशा विभाग के लोगों के सामने रखता हूं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अभी पंचायत समिति की मीटिंग हुई थी...

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इस तरह से क्वेश्चन आन्सर चलेंगे तो दूसरे भी पूछेंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मेरे लिए ऑर्डर हो गया है। आप बेकार में क्यों नाराज होते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण के बाद में पूछ लें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : थोड़ा सा है।

श्री उपाध्यक्ष : सब उनका तारतम्य बिगड़ जायेगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने कहा कि मुआवजा देने की तजवीज है। वहां पर जिला परिषद् और पंचायत समिति की मीटिंग हुई थी उसमें अधिकारी गये तो उन्होंने कहा कि मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसका, इसलिए एप्लीकेशन न तो ली जाती हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे बजट में पूरा प्रावधान है और रुपये चुकाने में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री हरिप्रसाद शर्मा) से आप भाषण न करें। ऑर्डर प्लीज !

श्री नाथूराम मिर्धा : यह कोई तरीका नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

खास तौर से बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है कि इरिगेशन की योजनाओं का रिटर्न ठीक ढंग से नहीं आ रहा है। इरिगेशन की योजनाओं पर जो खर्चा किया जाता है वह बहुत ज्यादा किया जा रहा है और उन योजनाओं पर बड़ा कर्ज है। इन कर्जों पर इन्ट्रेस्ट के पेमेन्ट की व्यवस्था नहीं की जा रही है, धन-राशि का पेमेन्ट करने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। उन्होंने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की दूसरी तरह की तस्वीर रखने की कोशिश की।

वे इस समय मौजूद नहीं हैं सुनने के लिए लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट्स और रिटर्न्स को केल्कुलैट करने का जो बेस है वह सारे देश के सामने विचार का प्रश्न बना हुआ है और भारत सरकार इस पर विचार करने के लिये एक हाई पॉवर कमेटी का गठन कर रही है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के रिटर्न अभी केवल आबियाने से होने वाली आमदनी को ही रिटर्न मान कर आंकने की कोशिश करते हैं और उसी से रिटर्न का अन्दाज लगाते हैं, पर यह उपयुक्त तरीका नहीं है। मैं समझता हूं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स से स्तर में जो फर्क पड़ा है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिये। रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गंगानगर में गंग केनाल की योजना ही एक प्रोडक्टिव योजना है जिससे ६ लाख एकड़ में सिंचाई होती है और ५४ लाख रुपये की आमदनी होती है, इसलिये यह प्रोडक्टिव योजना है और इस तरह की एक भी योजना हम नहीं बना पाये हैं।

(श्री नाथूराम मिर्धा) .

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि गंग केनाल को बने हुए आज ४० वर्ष हो गये हैं और इसको विकसित होने का बहुत मौका मिलता है। यह एक साल में ही नहीं बनी है। मैंने इसका सारा रेकॉर्ड देखा है। ६ हजार एकड़ तक पहुंचने में १५ साल लगे हैं। उस समय का इलाका वीरान था, सुना था, सामने कई मुसीबतें थीं, फिर भी १५ साल में इसका डेवलपमेंट हुआ और यह एरिया आगे बढ़ा है। हम १५ साल की बात नहीं करते। भाखरा से हमें ५।। लाख एकड़ भूमि ईरिगेट करनी थी उसमें से हम ५ लाख कर चुके हैं और अगले साल तक पूरा का पूरा डेवलप कर लिया जायगा। इसको बने पूरे ५ साल भी नहीं हुए हैं। लेकिन चम्बल एरिया को डेवलप करने में कई मुसीबतें हैं, किसानों की पोवर्टी, लैंड को लेवल करना आदि कई मुसीबतें इन्वोल्व्ड हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान केनाल और अन्य एरियाज़ में लैंड की लेवल ठीक प्रकार से करने के लिए कृषि विभाग ने प्रावधान किया है। आने वाले साल में कुछ ट्रेक्टर्स और अर्थ मूविंग प्रसाधनों की व्यवस्था राजस्थान केनाल एरिया, चम्बल एरिया और भाखरा एरिया में करें जिसमें फिक्स्ड रेट पर किसानों को हक हो कि मशीनरी को लेजाकर जमीन को लेवल कर सकें। इसलिए यह कहना कि हम जागरूक नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है।

हमने बैलों की तकावी के लिए भी १० लाख रुपये रखे हैं ताकि गरीब लोग कोटा इलाके में और दूसरी जगह इन १० लाख रुपयों में से तकाबी लेकर बैल खरीदें और खेती कर सकें। इसकी पूरी व्यवस्था हम मशीनों की भी व्यवस्था करना चाहते हैं, टेक्निकल नोलेज ज्यादा फैले, इसके लिए एप्रोच करके व्यवस्था करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें सदन के माननीय सदस्य सहयोग दें और सही वातावरण बनावें तो रिज़ल्ट्स जल्दी आवेंगे।

बैटरमेन्ट लेवी के बारे में बात करते हैं कि कोटा में नहीं लेनी चाहिये। बैटरमेंट लेवी के बारे में पाली से आनेवाले माननीय सदस्य ने भी कहा...

श्री केसरीसिंह (पाली) : मैंने यह नहीं कहा कि नहीं लेनी चाहिये....

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने यह कहा कि इरिगेशन रेट के साथ अच्छी सिंचाई हो तो....

श्री केसरीसिंह । मैंने कहा जब भी सिंचाई हो तब लेना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो आपसे भी आगे जाना चाहता हूं। आपने तो कहा एक साल सिंचाई हो तब लेना चाहिये, लेकिन हम तो यह कहते हैं कि तीन साल सिंचाई होने के बाद डेवलपमेंट हो जाय तब वसूल करें, बतलाइये, हम तो आपसे भी आगे जाते हैं। आपने एक साल का कहा लेकिन हम तीन साल में डेवलप्ड एरिया के बाद सिंचाई वसूल करना चाहते हैं।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कोटा में चम्बल एरिया के किसान गरीब हैं,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उनको कितना फायदा हुआ है और कितना नहीं इस पर आप अपनी आंख रखते हो तो मैं भी आंख रखता हूं, दूसरे भी रखते हैं। आप कहते हैं कि इस इलाके के किसान चिन्तित हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी कैसे लिया जाय। मैंने कई गांवों को देखा है एग्रीकल्चर में डेवलपमेन्ट होने के बाद एक एक गांव में पांच पांच गुना परिवर्तन आया है उनकी आमदनी में...

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कौन से गांव में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोटा के पास एक गांव है मानपुरा....

श्री कृष्णकुमार गोयल : मानपुरा या अर्जुनपुरा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अर्जुनपुरा है तो सही एक गांव आप भी मानते हैं....

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

यह कहना कि किसानों में मायूसी है, खुशहाल नहीं हैं इसलिए बैटरमेंट लेवी वसूल नहीं की जाय। नहर की खुदाई की जाती है, करोड़ों रुपये उसमें खर्च होते हैं, इन्ट्रेस्ट देने की व्यवस्था खजाने से की जाय और किसानों को फायदा पहुंचाने के बाद भी उनसे पैसा नहीं मांगा जाय, यह कोई तरीका है....

(एक साथ कुछ माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप यह बता दीजिये...

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपको ही बताते रहेंगे तो भाषण पूरा कैसे होगा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : बाद में बता देना। आज ही सब बता देंगे तो बाद में क्या बतायेंगे ? हम सलाह देते हैं तो इनको आनंद आ जाता है।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : तुम रोला मत करो तो हम जल्दी खत्म कर देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कह रहा था बैटरमेंन्ट लेवी और किश्तों की अदायगी के बारे में कहा कि वसूल नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं, यह वाजिब नहीं है। तीन साल डेवलप हुए हो गये तो वसूल क्यों नहीं होना चाहिये ? अलग अलग तरीका है फिक्स करने का और केलकुलेट करने का...

श्री केसरीसिंह : यह कॉम्प्ली-केटेड है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कानून इसी सदन ने बनाया है। जब कानून सदन ने बनाया है तो उसके अनुसार जिस प्रकार का तरीका है उसके अनुसार इन्स्टालमेन्ट्स किसानों को देनी चाहिये। इससे उनकी ही बहबूदी होती है क्योंकि उस धन-राशि की किश्तों का पेमेंट और ब्याज का पेमेन्ट होता है। वे कहते हैं कि हम भारत सरकार को बराबर पेमेन्ट नहीं करते। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि भाखरा और दूसरी स्कीमों, माइनर या मेजर, उनके लिए

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जो भी कर्जा हम लेते हैं उसकी जो किश्तें ड्यू होती हैं उनके पेमेन्ट का प्रोविजन सभी सालों के बजट में रहा है, आंकड़े बताने की आवश्यकता नहीं है । साहूकारी तरीके से जैसा राज्य सरकार का साहूकारा बर्ताव रहना चाहिये भारत सरकार के साथ वैसा बराबर रहता है। जो कर्जा हम लेते है, वह बराबर अदा करते हैं। इसलिए जो आमदनी इरिगेशन से होती है वह कर्जा चुकाने के काम भी आती है आप इस बात को भी नहीं भूल सकते कि जो जमीन केनाल एरिया में बेची जाती है उसका क्रेडिट इरिगेशन डिपार्टमेंट में नहीं होता, लेकिन राज्य सरकार को होता है । मैं आपको बताऊं, आपको यह जानकर खुशी होगी कि जितना टार्गेट सिंचाई के द्वारा आमदनी करने का हमने रखा था उतना तो नहीं कर पाये, लेकिन इरिगेशन के जरिये से जिस एरिया में डेवलपमेंट हुआ उससे जमीन की वेल्यू बढ़ी और ऐसी जमीन हमने बेच कर साढ़े सात करोड़ रुपयों की धन-राशि वसूल की । यह रिटर्न इरिगेशन की बजह से डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से ही मिला है। इसलिए रिटर्न को केलकुलेट करने का जो तरीका है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। आज सिर्फ आबयाने की रेट से जो आमदनी होती है उसी को रिटर्न मान कर चलते हैं । मैं निवेदन करूं कि गंग केनाल की जो सराहना करते हैं उसको बने हुए ४० साल हुए हैं, मैं इन योजनाओं के लिए ४० साल नहीं मांगता क्योंकि पहले बैलगाड़ियों का युग था, तो आज कम से कम साइकलों का युग तो है ही । मैं, १० साल में आशा करता हूं कि इन योजनाओं में से कोई भी योजना ऐसी नहीं रहेगी जो अपनी पोटेन्शियेलिटी को यूज करनें लायक न हों.......

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : एक सवाल मेरा है...

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं, भाषण समाप्त होने के बाद सवाल करें तो बेहतर है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब मैं उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी बड़ी बातों का जबाब दे दूं...

एक माननीय सदस्य : माही के बारे में बता दीजिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके बारे में और किसी समय कह दूंगा । माही भी बड़ी योजना है जो मल्टीपपज रिवर में शामिल है । मैं खास तौर से छोटे छोटे मुद्दे जो माननीय सदस्यों ने गंभीरता से उठाये हैं उनके बारे में कहता हूं, खास तौर से उन योजनाओं के बारे में जो सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया, नालों का पानी गुजरात में जाता है उसका सर्वेक्षण हमारे हाथ में है। सर्वेक्षण के बाद यदि वह फिजीबल है और हाथ में लिया जा सकता है तो जरूर देखेंगे । इसके अलावा और कई छोटे-बड़े नाम लिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि इनका सर्वेक्षण होगा तब विचार करेंगे क्योंकि सिंचाई का फेज़ तीसरी योजना के बाद भी समाप्त नहीं होने वाला है ।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

माही योजना के अन्दर काफी बड़े पैमाने पर सबसे ज्यादा धनराशि रखी है। सिंचाई के लिए ३० करोड़ रखी है। राजस्थान कैनाल के अलावा जिसको हम भारत सरकार को देना चाहते हैं, इस सबसे बड़े काम को भारत सरकार को देना चाहते हैं।

यह भी यहां कहा गया, रार्यसिहनगर से आने वाले माननीय सदय ने.......

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वे यहां नहीं हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने यह कहा कि टैक्निकल एफीशियेन्सी की कमी होने की वजह से राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को भारत सरकार को सौंपा जा रहा है। कितने सीधे शब्दों में कितने गलत तथ्य रखे हैं। मैं समझता हूं, इस तरह गलत तथ्य रखना उचित नहीं है। राजस्थान नहर का इतना बड़ा मसला है कि जिसमें करोड़ों रुपयों का कोलोनाइजेशन में प्रश्न है, जिसमें करोड़ों रुपये के कन्स्ट्रक्शन का प्रश्न है, जिसका सैकिंड फेज हम १९७१ तक पूरा करना चाहते हैं। इस सैकिंड फेज के बारे में कुछ लाएतलाली चल रही है, उसके लिए भारत सरकार ने इस काम को पूरा करने की बात को स्वीकार कर लिया है। इतना बड़ा इलाका है, डैजर्ट का इलाका है, जहां शुरू के इलाके में तो जनता भी बसती है, लेकिन बाद के इलाके में परिन्दे भी दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे डैजर्ट इलाके को सरसब्ज करने के लिए, उसको लैवल करने के लिए, वहां पर कोलोनाइजेशन करने के लिए, नहर से पानी पहुंचाने के लिए... ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितना रिद्म है !

श्री नाथूराम मिर्धा : इतना सारा इन्तजाम करने के लिए जहां हमारे प्लान सीलिंग पर जोर पड़ता है, हमारे प्लान्स पर काफी जोर पड़ता है, थर्ड प्लान में और फोर्थ प्लान में भी जोर पड़ रहा है और आगे के प्लान्स में भी जोर पड़ेगा इस स्थिति के अन्दर इस काम को भारत सरकार के जिम्मे डाल कर एक ऑथोरिटी का निर्माण करवा कर इसको जल्दी पूरा करवा सकते हैं और इसके जरिये उत्पादन में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। उसके लिए यह कहें कि टैक्निकल एफीशियेन्सी की कमी की वजह से हम भारत सरकार को सौंप रहे हैं, यह एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के गैर जिम्मेदारी के शब्द हमें नहीं कहने चाहिए, हमें तथ्यों से दूर नहीं जाना चाहिये। इसलिए मैंने खास करके राजस्थान नहर की बात आपको कही।

अलवर से आने वाली माननीय सदस्या, उमा माथुर ने कहा कि अलवर के इलाके की उपेक्षा होती रही है सिंचाई की व्यवस्था के अन्दर, वहां पर नहर नहीं आ सकती है इसलिए वहां पर बांध की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जो दो–तीन मौके बताये, ख़ास तौर से मेवखेड़ा बांध के लिए और बारां नदी को बांध कर बांध बनाने के लिए और कहा कि बारां नदी का पानी भरतपुर की ओर बहता हुआ सीकरी बांध में जाता है। इसलिए इस पर बांध बनवा दिया जाय तो अलवर का भला हो सकता है। मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि भरत-पुर के भी मेम्बर्स इस सदन में हैं और इसके अलावा एक पुराना एग्रीमेंट है उसके हिसाब से उस पानी को अलवर के लिए रिज़र्व नहीं रख सकते। इस पर नया बांध बनाने के वक्त भी हमें पुराने एग्रीमेंट को ओनर करना पड़ेगा और क्योंकि ओनर करना पड़ेगा इसलिए वहां बांध बनाने की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा जो सुझाव दिया है कि जो पानी आ जाता है, इनन्डेशन हो जाता है और जो डीप इलाके हैं वहां पानी इकट्ठा हो जाता है। इससे जो समस्या उत्पन्न होती है उसका निवारण करने के लिए हम इन्वेस्टीगेशन कर रहे हैं और उसको दूर करेंगे। इससे जो मुसीबत रहती है वह न रहे, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बहुत देर हो रही है।

श्री नाथूराम मिर्धा : समाप्त करूं!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Very melodious speech.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं सोचता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने रिप्लाई में माननीय सदस्यों के बहुत से पोइन्ट्स को मीट विद करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी चूंकि समय काफी हो गया है इसलिए मैं ज्यादा समय लूं, यह उचित नहीं होगा और बाद में जब कभी मौके आयेंगे और जब जब कोई बातें आयेंगी तब मैं उनका स्पष्टीकरण कर दूंगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इरिगेशन विभाग ने पहली बात जो अपने सामने रखी है इस विभाग ने यह दृष्टिकोण हमेशा अपने सामने रखा है कि ईमानदारी से और नैतिकता से इन सारे कामों को करना है जिनके जरिये राजस्थान के किसानों का भला हो और खाद्यान्न का उत्पादन बढ़े। इस योजना से हमने योजनाओं में महत्वपूर्ण काम पूरे किये हैं, पिछले दिनों मे बहुत काम हुआ है।

इसके साथ ही मैं भीमसागर के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। भीम सागर के लिए कोटा से आने वाले माननीय सदस्यों को चिन्ता रहती है। भीम सागर के काम के लिए मैं निवेदन करूं कि दुर्भाग्य रहा है कि हमने इस योजना के बारे में इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहीं पहली योजना में राजस्थान के प्लान में रखने के लिए सोचा था। और इस सारे के सारे प्रोजेक्ट के एस्टीमेट्स बनाये गये और उसके बाद में, जैसा कि माननीय सदस्य इसके बारे में जिक्र करते हैं कि नहर खोद कर रख दी है और जमीन एक्वायर कर ली है लेकिन किसानों को कम्पेन्सेशन नहीं दिया है, उसके लिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सारे के सारे मामले को देख कर नोटिफिकेशन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कम्पेन्सेशन का इश्यू हो चुका है और कम्पेन्सेशन जल्दी लोगों को मिल जाय–इस बात की ताकीद विभाग के लोगों को कर दी है, और जिनकी जमीन नहर में ली है उनको जल्दी कम्पेन्सेशन मिल जायगा। इस प्रोजेक्ट के लिए, जो फोर्थ प्लान है, जो रिवाइज्ड प्लान बनाया है, उसमें ६४ लाख की धनराशि मिल जाय, इसको भी शरीक कर लिया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में धनराशि नहीं रही थी क्योंकि काफी कमिटमेंट्स थे और उनको पूरा करना था। इसलिए फोर्थ फाइव ईयर प्लान में इसे शुरू कर दिया जाय, इस बात की व्यवस्था कर दी है मैं समझता हूं जहां असनावर टाउन की दिक्कत को उन्होंने रखा है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि असनावर इसकी डूब में आने वाला है; उसके लिए यदि कहें डेवलपमेंट के लिए यहां इजाजत दे दें तो वह सम्भव नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को जल्दी कम्पेन्सेशन मिल जाय और लोग और कहीं जाकर बस जांय और उनको वहां खेती करने की व्यवस्था मिले–इस दृष्टि से इस प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में विचार करने की बात विभाग को कह दी है। मैं सोचता हूं कि जो तकलीफ पिछले वर्ष में हो रही है, उसके कारण हैं; प्रोजेक्ट में डिफेक्ट रह जाना, उन गड़बड़ियों का ठीक न होना, कन्स्ट्रक्शन की योजना में परिवर्तन होना–इन सब बातों की वजह से हुआ है। अब जो प्रोजेक्ट सी. डब्ल्यू, पी. सी. के सामने आता है, वहां भेजा है और वहां जाने के बाद प्रोजेक्ट सेंक्शन हो चुका है और रिवाइज्ड तरीके से फोर्थ प्लान के फर्स्ट ईयर में इसको शुरू करवा देंगे। अब तक जो तकलीफें हुई हैं उनको तो भुगत चुके हैं, लेकिन आगे इन तकलीफों को नहीं भुगतें इसके लिए जल्दी से जल्दी व्यवस्था करनी है, वह व्यवस्था हम कर रहे हैं।

श्री केसरीसिंह (पाली) : जवाई के लिए भी दो शब्द कहें।

श्री नाथूराम मिर्धा : जवाई के बारे में मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि पूरा प्रोजेक्ट ११४ लाख का तैयार हो चुका है। और सी. डब्ल्यू पी. सी. के द्वारा संक्शन हो चुका है, पास हो चुका है। इस स्कीम को फोर्थ फाइव ईयर प्लान में पूरा कर दिया जाय, इसके लिए फोर्थ प्लान की फर्स्ट ईयर में शुरू करवा देंगे और हमने पूरी रकम की व्यवस्था की है...

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): बनास के लिए फर्मायें।

श्री नाथूराम मिर्धा : बनास के लिए मैं तथ्य नहीं कह सकता हूं; यह विचाराधीन है। कितना पानी रहेगा, कहां रहेगा–यह सब बाद में मैं कह दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : राजस्थान कैनाल !

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान कैनाल की लिफ्ट सिस्टम के बारे में माननीय

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सदस्यों ने महत्वपूर्ण आंकड़े और जानकारी रखी है। आपकी जानकारी में तथ्य जरूर हैं क्योंकि आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं और लोअर लेवल पर जहां इन्वेस्टीगेशन हो रहा है, वहां लोगों से मिल कर जानकारी करते हैं, यह बहुत खुशी की बात है। आप जानकारी किया करें और इस सबका पता लगाते रहा करें। इससे मालूम होता है कि आप अपने इलाके के बारे में कितने जागरूक है और कितने चिन्तित हैं। मैं चाहता हूं राजस्थान नहर का बचा हुआ पानी लिफ्ट इर्रिगेशन के जरिये बीकानेर और नागौर के इलाके में जितना लिफ्ट किया जाकर लाया जाय उसका सर्वेक्षण हो चुका है और यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाय तो किस इलाके तक लाना है इसका सर्वेक्षण करके उसके बाद विचार किया जा सकता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : नर्बदा नदी के बारे में भी बता दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी बातचीत चालू है। बातचीत लम्बी है, इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना की बात नहीं है बल्कि आगे के लिए कहूंगा।

तो मैं सोचता हूं....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : माननीय मंत्री दो मिनट बांसवाड़ा में जो माही योजना है जिसके परिणामस्वरूप लोग विस्थापित हो गये हैं, उसके लिए कह दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन करूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माही प्रांत की महत्वपूर्ण योजना है, इस योजना को गुजरात और राजस्थान सरकार, दोनों, मिल कर करेंगी। यह मिश्रित योजना के तौर पर है, जिससे बिजली का उत्पादन हो, वहां राजस्थान के अन्दर सिंचाई की व्यवस्था हो, गुजरात में भी सिंचाई की व्यवस्था हो। इस प्रकार की योजना है। इस प्रकार की योजना की पूरी पर्चेज की योजना एग्रीमेंट होकर फाइनल हो चुकी है और निर्माण का सिलसिला पॉवर का और किस प्रकार से मशीनों की व्यवस्था करनी है इसको आने वाले प्लान में शरीक कर लिया जायगा। इस प्रकार नेगोसियेशन्स और कोऑर्डिनेशन लेने के सिलसिले में चालू है। डेम की शुरुआत होने के सम्बन्ध में जो प्रश्न है, उसकी नींव को खोद कर काम की शुरुआत के लिए प्रावधान जितनी बड़ी मात्रा में चाहिए उतना नहीं हो सका और सिर्फ प्रिलिमिनरी काम शुरू करने के लिए जो बिल्डिंग बनानी है उसको फर्स्ट ईअर ऑफ दी फोर्थ प्लान में शुरू कर सकते हैं। माही एक मेजर प्रोजेक्ट है इससे राजस्थान के जितने रकबे में सिंचाई हो और फोर्थ प्लान के एण्ड तक जितनी बिजली का उत्पादन होना है वह हो सके-इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। तो माही प्रोजेक्ट से उस इलाके को बिजली मिले और सिंचाई के साधन मिलें, इसकी व्यवस्था करने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाय–इसके लिए जागरुक हैं और चिन्ता रखते हैं....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : विस्थापितों को कहां बसाया जाय, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिनकी जमीन आई है उनको कम्पेन्सेशन दिया जाय इस बारे में सरकार जागरूक है और जल्दी ही इसको निपटाने की कोशिश करेंगे।

मैं सोचता हूं कि इस सदन के सदस्य सिंचाई की जो महत्वपूर्ण मांग है उसको खुशी के साथ पास करेंगे और कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं उनको वापिस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

(६: म. प.)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं...

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : अब मन्त्री महोदय बहुत थक गये है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं भेजा बांध के बारे में पूछना चाहता हूं। यह ऑडिट रिपोर्ट है १९६४ की इसके ४३ पेज में लिखा है, आपका टार्गेट ईरिगेशन का ३७,१०० एकड़ का था, केवल १९६०-६१ में १५,००० एकड़ की सिंचाई हुई इसके अलावा और वर्षों में कभी १३ हजार एकड़ से ज्यादा सिंचाई नहीं हुई। इसके रिटर्न का आपका एस्टीमेट ४.७ परसेंट का था उसके बजाय ०.४४ परसेंट ही रहा। आपका खर्च का एस्टीमेट ५९ लाख का था वहां मार्च ६३ तक ६८.९३ लाख का खर्चा हो चुका।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आप फीगर्स बताते हैं, वह तो सही है; पर आप इनसे नतीजा क्या निकालना चाहते हैं; निष्कर्ष बताइये ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जब तक तीन साल तक ईरिगेशन नहीं हो, उस क्षेत्र में बेटरमेंट लेवी नहीं ली जा सकती, पर भीलवाड़ा के इन इलाकों में सब जगह बेटरमेंट लेवी के पर्चे बंट रहे हैं, किसानों के साथ आपके अधिकारी जबरदस्ती कर रहे है कि बेटरमेंट लेवी का पैसा दो।

दूसरी बात यह है कि इसकी लेफ्ट केनाल के ऊपर १६ हजार एकड़ भूमि है, उसमें न तो इस साल पानी दिया, न गत वर्ष पानी दिया ४ साल से पानी नहीं दे रहे हैं। वहां पर पहले ७ तालाब बने हुए थे उनको आपकी नहर ने नष्ट कर दिया। जिन लोगों की जमीन एक्वायर की गई उनकी जमीनों के मुआवजे का ५१४ हजार रुपया होता है। दस साल हो गये, किसानों को यह मुआवजा नहीं दिया गया है। इरिगेटेड लेंड जो इन तालाबों के नीचे थी, उसका कोई ईरिगेशन नहीं हुआ है, फिर भी ७८ रुपया बीघा के हिसाब से लेंड रेवेन्यू ले रहे हैं। आप इस प्रकार की बातें करके किसानों को आबाद करना चाहते हैं या बर्बाद करना चाहते हैं ? बेटरमेंट लेवी लेना चाहते है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपकी सारी बातें सुन कर समझ गया। आपने बड़ी तथ्यपूर्ण बातें रखी हैं। मैंने आपको पूछा कि आप कन्क्लूजन क्या निकालना चाहते हैं, तो आपने कहा कि बेटरमेंट लेवी नहीं लेनी चाहिये, दूसरा नतीजा यह निकाला

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कि पानी नहीं दिया गया। मैं आपको बताता हूं कि यह सब क्यों हुआ ?

आपका यह कहना है कि पर्चे बेटरमेंट लेवी के लिये बांट दिये, पर्चे बांट दिये, इसी से कह रहे हैं कि बेटरमेंट लेवी ले रहे हैं। आप समझें इस बात को। बेटरमेंट लेवी पर्चे बांट देने से ही लागू नहीं होगी। हमने यह इन्स्ट्रक्शन्स दिये हैं कि तीन साल तक पूरा इर्रिगेशन हो चुका है वहीं बेटरमेंट लेवी ली जावे। यह शर्त पूरी नहीं होती है तो किसानों को कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

नं० २; लेफ्ट केनाल में पानी इसलिये नहीं दिया कि मेजा बांध के अन्दर कैचमेंट का रेनफाल का हमने जितना एस्टीमेट किया था वहां वर्षा की कमी के कारण उतना पानी नहीं आया, इसके लिये रोज झगड़े होते रहें कि किसको दें, किसको नहीं दें; इसलिये लेफ्ट केनाल को हम पानी नहीं दे पाये। पानी पूरा भरा नहीं इसलिये हम पानी नहीं दे पाये, वर्षा ही कम हुई, यह किसी के हाथ की बात नहीं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इस साल तो पूरा पानी था, बांध डेढ़ फुट से ज्यादा खाली नहीं था।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो रेकर्ड का ध्यान रखते हैं पूरा, आप तो ज्यादा ज्ञान रखने वाले आदमी हैं, थोड़ा बहुत मैं भी रखने वाला हूं। बारीक बात यह है कि जितना पानी बांध में भरना चाहिये था उतनी कमी पूरी भराई नहीं हुई इसलिये सिंचाई रकबा उतना नहीं हुआ और रिटर्न नहीं आये। तो मैं, आपने जो कन्क्लूजन्स निकाले उनका जवाब दे चुका कि बेटरमेंट लेवी नहीं ले रहे हैं, कुदरत की कम महरबानी की वजह से हम वहां पूरा पानी नहीं दे सके, उसकी वजह से रिटर्न कम आये।

एक माननीय सदस्य : एक बात अर्ज करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह रेकॉर्ड देख लेना चाहिये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे कमरे में आ जाना, रेकॉर्ड दिखा दूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : दूसरी बात यह अर्ज कर रहा हूं कि ५१४ हजार रुपया किसानों को उस जमीन के मुआवजे का नहीं दिया ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कांग्रेसी बहुत हल्ला करते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मैं कुछ पोइन्टेड प्रश्न करना चाहता हूं। एक तो यह बता दें कि जो टेन्डर इन्वाइट किये थे उनमें लास्ट डेट कौन सी थी, बाद में एक्स्टेन्ड किया तो क्यों किया, इसकी इन्फोर्मेशन लोगों को किसके जरिये दी ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

एक्स्टेन्ड किया इसकी सूचना लोगों को किस किस माध्यम से पहुंचाई ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जो अर्नेस्ट मनी की शर्त लगाई है यह क्या राणा प्रतापसागर डेम के निर्माण के पूर्व और डेम निर्माण हुए उनमें भी यह शर्त थी क्या ?

गजट में, अखबारों में जो छापा किया था उसमें क्या यह लिखा था कि ए क्लास के कांट्रेक्टर्स के लिये भी यही शर्त लागू होती है ?

राणा प्रतापसागर डेम के बारे में कहा गया था, उसका आपने जवाब नहीं दिया । जिस आधार पर एस्टीमेट्स रखे थे, कितना लीड रखा था, अब कितनी जगह से घुमाई लेकर आ रहा है ?

पत्थर के लिये कहा, वह २ लाख नहीं ५० हजार था । सरकार की नोलेज में किसके द्वारा यह फैक्ट लाया गया कि इतना पत्थर मिला है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह कोई तरीका है पूछने का कि आप शाम तक पूछते रहिये । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सब बातों का जवाब दे दिया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कोई जवाब नहीं दिया, गोलमाल जवाब दिया है, आप भले ही सन्तोष कर लें कि सारे जवाब दे दिये हैं ।

बेंक्स सिक्योरिटी के लिये लिखा था, अर्नेस्ट मनी के बारे में वह जरा पढ़ कर सुना दें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं टेन्डरों के पोथे लेकर थोड़े ही आया हूं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, २० लाख रुपये मशीनों के लिये एडवांस दें, दूसरी पार्टीज़ को आपने सूचना नहीं दी और एक यह है कि एन. पी. सी. सी. कन्सर्न है इसमें गवर्नमेंट के कितने परसेन्ट शेयर हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें खड़ी कीं । मैं इतना ही निवेदन कर दूं कि सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर ने अखबारों में पब्लिकेशन के लिए डी. पी. आर. राजस्थान सरकार को लिखा कि दो महीने का टेन्डर है और ११–२–६१ टेन्डर की तारीख रखी है, इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी अखबारों में पब्लिश कर दें ताकि कम से कम पब्लिश होने के बाद में करीब ६ सप्ताह का टेन्डर्स को टाइम मिल जाय । इस दृष्टिकोण से इस नोटिस को पब्लिश किया । क्योंकि जिन तारीखों पर टेन्डर नोटिस पब्लिश हुए, उस हिसाब से यह टेन्डर नोटिस का जो ६ सप्ताह का टाइम रखा था वह पूरा नहीं होता था इसलिए एक महीना और एक्सटेंड करना पड़ा । टेन्डर की ओरीजिनल डेट ११-२-६१ थी उसको बढ़ाकर ११-३-६१ किया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक्सटेंन्शन किसके द्वारा किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका पब्लिकेशन राजस्थान गजट में हुआ । I have got the information. सारे पेपर्स के अंदर पब्लिश करवाया गया । यह काम कोई चुपके से नहीं हुआ, बल्कि पब्लिसिटी से हुआ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान गजट में कब पब्लिश हुआ ? This is relevant.

श्री नाथूराम मिर्धा : एक्सटेन्शन का टाइम भी पब्लिश हुआ है । सुर्खी हैं या पत्थर है जो हमारी एप्रूवड डिज़ाइन है कन्सट्रक्शन के अन्दर उसी चीज का उपयोग करेंगे और वैसे ही करते है, चाहे वे ५ मील की दूरी से लाएं, चाहे ३२ मील की दूरी से लाएं । टेन्डर वाले ने कहा, आप जिस प्रकार की सुर्खी या पत्थर चाहते है उसी स्टेंडर्ड का सप्लाई करेंगे, चाहे वह कितनी दूरी से लाए । जितने लीड से लाता है उसी हिसाब से पेमेंट करते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एग्रीमेंट का हवाला है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक —

४२—बहु-प्रयोजन नदी योजनाएं

४३—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष मे किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,९६,३४,००० रु० तक की राशि प्रदान की गई ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २५ स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक–

४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)

४४–सिंचन (ससंयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७७,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २६ स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक —

९८–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत

(श्री उपाध्यक्ष)

९९--सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २१,७५,४३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४१ स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २० मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०४,०५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २० स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल प्रात: ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही म. प. ६. १६ बजे कल दिनांक २४ मार्च, १९६५ के म.पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४७४ का उत्तर देखिये)

समय-सारिणि

प्रतापगढ़-सागवाड़ा वाया धरियावद रूट

प्रतापगढ़		धरियावद	सागवाड़ा	सागवाड़ा	धरियावद		प्रतापगढ़
रवानगी	पहुंच	रवानगी	पहुंच	रवानगी	पहुंच	रवानगी	पहुंच
१२-३०	१५-००	१५-१५	२०-००	८-००	१२-४५	१३-००	१५-३०

प्रतापगढ़-पारसोला रूट

प्रतापगढ़	धरियावद		पारसोला	पारसोला	धरियावद		प्रतापगढ़
रवानगी	पहुंच	रवानगी	पहुंच	रवानगी	पहुंच	रवानगी	पहुंच
९·००	११-००	११-३०	१३-००	५-३०	७-००	७·३०	९-३०
१६-००	१८-००	१८-३०	२०-००	१६-००	१७-३०	१८-००	२०-००

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण-मगंलवार, दिनांक २३ मार्च, १९६५)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४७३९	१	शनिवार,	मंगलवार,
४७४१	१२-१३	(श्री हरिशचन्द्र)	(श्री हरिश्चन्द्र)
४७४२	अन्तिम से ५	यदि हां,	यदि हां,
४७४३	शीर्ष	(श्रीं	(श्री
,,	अन्तिम से ३	लगेगा ओर	लगेगा और
४७४५	,, ,, ५	सदस्यों का	सदस्यों को
४७४६	१७	मत दें,	मत दें,
४७४७	अन्तिम से २	ऑर्गेजेनाइशन	ऑर्गेनाइजेशन
,,	अन्तिम	वेल	वैल
४७४९	३	श्री रामानन्द अग्रवाल :	श्री रामानन्द अग्रवाल :
४७५०	५	उपाध्यक्ष महोदय,	अध्यक्ष महोदय,
४७५१	८	मैंसे	मैंने
,,	११	मेन्बर	मेम्बर
४७५२	१७	श्री जयनारायण सालोदिया :	श्री जयनारायण सालोदिया :
४७५३-५४	१२,१६, २३व१	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
४७५६	२	श्री उपाध्यक्ष :	श्री अध्यक्ष :
४७५७	४	नही की	नहीं की
,,	१३	श्रीमती नगेन्द्रगाला	श्रीमती नगेन्द्रबाला :
४७५८	अन्तिम से ५	तक फा	तक का
४७५९	१३	धारा	धारा
४७६०	अन्तिम से ७	pohoomal	Pohoomal.
४७६१	७	क्लेक्टर	कलेक्टर
४७६३	१६	लोगःबाग	लोग-बाग
४७६६	१५	श्री हरिचन्द्र मैंने	श्री हरिश्चन्द्र : मैंने
,,	१७	श्री अध्यक्ष रिलीफ	श्री अध्यक्ष : रिलीफ
४७६७	७	श्री गोविन्द सहाय ।	श्री गोविन्दसहाय ।
४७७१	७	श्री हरिचन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र :
४७७३	२०	सटीफिकेट्स	सर्टिफिकेट्स

(२)

१	२	३	४
४७७६	५	विभाग	विभाग
,,	१८	कोगा	कोटा
,,	२२	श्री भीवसिंह	श्री भीमसिंह :
४७८१	२१	नंदबई	नदबई
,,	२६	(नदनई) :	(नदबई) :
,,	२३	नदवई	नदबई
४७८१–८२	शीर्षक	२३ च, ६५	२३ मार्च, १९६५
४७८५	२२	श्री पाहूमल	श्री पोहूमल
४७८९	२	श्रामती लक्ष्मीकुमारी	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी
४७९७–४८००	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर
४८०७	शीर्ष	(श्री जयनारायण सालोदिया)	(श्री समाज कल्याण मंत्री)
४८०९	११	मुन्सफ	मुन्सिफ
४८१२	७	श्री कृष्णकुसार	श्री कृष्णकुमार
४८१७	शीर्षक	२३ मा , ६५	२३ मार्च, ६५
४८२१	शीर्ष	—	(श्री नाथूराम मिर्धा)
४८२५	२२	—	मांग संख्या २०
४८२७	प्रथम	समितियो	समितियों
,,	१४	नही हो	नहीं हो
,,	अन्तिम से २	मुख्य	मुख्य
४८३०	१९	मुख्य ३४	मुख्य शीर्षक ३४
४८३५	६	ओब्जेक्शन	आब्जेक्शन
४८४५	शीर्षक	मांगसं०	मांग सं०
४८४७	अन्तिम	चिलार्य) र्चा के	चर्चा के लिये) ।
८४५२	प्रथम	मांग संख्या १२	मांग संख्या २६
,,	७	,, ,, २२	,, ,, २६
,,	१९	४४ सिचन	४४, सिचन
४८५५	शीर्षक	२३-मार्च, ६५-सिंचाई आदि एब	२३ मार्च, ६५–सिंचाई आदि एवं
४८५६	अन्तिम से ५	लिये कर्जा	लिये, कर्जा
४८५७	७–८	बांधों की योजनाओं में राजस्थान के अन्दर	बांधों के अन्दर

१	२	३	४
४८५७	अन्तिम से ४	क्या है।	क्या हैं।
४८५८	६	फुट	फुट का
,,	अन्तिम से ६	न हजारों	न किया हो। हजारों
४८५६	शीर्ष	(मथुरेश विहारी	(श्री मथुरेशबिहारी
४८६०	शीर्षक	मार्च, ५६	मार्च, ६५
,,	अन्तिम से ७	यहु ऐसा	यह ऐसा
,,	,, ,, ३	वर्षो के	वर्षों के
४८६१	८	सर्ट्री फिकेट	सर्टीफिकेट
४८६२	१७	ववश्चेनियर	क्वेश्चनियर
४८६३	६	सान्तवना	सान्त्वना
४८६४	शीर्षक	आदिएवं हकारिक	आदि एवं सहकारिता
४८७१	शीर्ष	माथर)	माथुर)
४८७४	६	श्री रघुनाथ	श्री रघुनाथ
४८६०	शीर्षक	सिचाई	सिंचाई
४८६३	शीर्षक	२३ मा	२३ मार्च
,,	२०	करता चाहता	करना चाहता
४८६८	१६	लिथे भेजा	लिये भेजा
४८६६	स्कम्भ	४६६६	४८६६
,,	अन्तिम से ७	कीं	की
४६०१	अन्तिम	कौई कारण	कोई कारण
४६०२	प्रथम	और	ओर
,,	अन्तिम से २	प्रात हुआ	प्राप्त हुआ
४६०३	६	सिंचित	सिंचित
४६१०	५	दफतर	दफ्तर
४६२०	६	जा कोटा	जो कोटा
४६२७	१७	पसी तरह	ऐसी तरह
४६३२	१६	उदयपर	उदयपुर
,,	अन्तिम से २	बताई गयी	बनाई गई
४६३६	प्रथम	श्री हरीप्रसाद	श्री हरिप्रसाद
४६३८	शीर्षक	सहतकारिता	सहकारिता
४६४६	अन्तिम से ६	आवे	आवें

१	२	३	४
४६५०	शीर्ष	सिचाई	सिंचाई
४६५४	शीर्षक	पुलिस सिचाई	सिंचाई
४६५६	,,	४६५५,	४६५६
४६६३	५	को ऑपरेटिव	कोआपरेटिव
,,	१३	साधना	साधन
४६६५	१४	करूगा	करूंगा।
४६६५	२	आन ए पाईंट ऑफ ऑर्डर, सर	ओन ए पोइंट ऑफ ऑर्डर, सर,
,,	३	चुकी है जो	चुकी है कि जो
,,	८	जो जाये	हो जाए
,,	१५	जिक	जिक्र
,,	२३	ताही ईं	ताहीं ईं
,,	अन्तिम से ५	होतो।	होता।
४६६६	५	रहता	रहया
,,	११	स्यूं ईं	स्यूं ईं
,,	२३	कार्यवाहो	कार्यवाही
,,	२८	रहा है।	रही है।
,,	२६	करावा। और की की	करावां। और कीं की
,,	३२	बूरी तरह	बुरी तरह
,,	३६	(जोर से करतल ध्वनि)	—
४६६७	प्रथम	का ने	का वे
,,	२	एक आदव	एक-आद
,,	२६	ई भ्रष्ट राज की अन्त करणे ताईं	ईं भ्रष्ट राज का अन्त करणे ताईं
४६६८	७	है।	बना है।
,,	७	अनियियतताए	अनियमितताएं
,,	८	आं को	आंको
,,	अन्तिम से ५	मुख्तकि इलाकफों	मुख्तलिफ इलाकों
४६७१	३	सकिसी हकारी	किसी सहकारी
४६७३	२३	: (कोटा)	(कोटा) :
४६७८	१३	नो प्रोफिट 'नो लोस'	'नो प्रोफिट नो लोस'
४६८१	३	फहीं	कहीं
४६६२	प्रथम	एव	एवं

१	२	३	४
४९९७	१८	श्री कृष्णकमार	श्री कृष्णकुमार
५००६	शीर्षक	सं० २४	सं० २५
५०१६–२०	,,	२३ ५६	२३ मार्च, ६५
५०२४	१८	श्री केसरीसिंह् ।	श्री केसरीसिंह् :
५०३५	शीर्षक	मांग	मांग
५०२८	१७	मक्टी पपज	मल्टीपर्पज
५०२६	१०	श्रा रघुनाथ	श्री रघुनाथ